# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक: 8] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तिरेसठवां दिवस [संख्या: 25

बुधवार,

26 अप्रैल 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष:** नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री घनश्याम महर।

### प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि का आवंटन

**553. श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं जिनके पास भूमि व आवास नहीं हैं? यदि हां, तो जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में भूमि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क आवास व भूमि का आवंटन जिला परिषदों की अनदेखी के कारण रुका हुआ है? यदि हां, तो जिला परिषदवार लम्बित प्रकरणों की संख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त योजना के आवेदकों को भूमि आवंटन एवं आवास निर्माण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां। सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना-2011 के आँकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रम में ग्राम सभा से अनुमोदन उपरान्त तैयार सूची अनुसार राज्य में 17,01,645 आवासहीन/ एक कच्चा कमरा /दो कच्चा कमरा वाले परिवार हैं। इनमें से चिह्नित किये गये भूमिहीन 55405 परिवार की जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 7.3.1.2 ख में 'भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आवंटन में सहायता करने' का प्रावधान है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत पंचायत सर्कल की आबादी भूमि में पात्र परिवारों को नि:शुल्क पट्टे आवंटन करने के अधिकार ग्राम पंचायत में निहित हैं।

उक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के भूमिहीन लाभार्थियों को भी नियमानुसार पट्टे दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। भूमि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा पात्र परिवारों को नियमानुसार भूमि आवंटन/ पट्टा वितरण हेतु 14 अप्रैल, 2017 से 12 जुलाई, 2017 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक के अभियान की प्रगतिनुसार राज्य में 36188 नियमितीकरण/आवंटन/पट्टे जारी किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पंजीकृत भूमिहीन लाभार्थियों को आवास भूमि आवंटन करने सम्बन्धी जिला परिषदों में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है, अपितु ग्राम पंचायतों में प्राप्त 4235 प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण एवं अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिकता से भू-खण्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(4) विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान की प्रगतिनुसार राज्य में वर्तमान में नियमितीकरण/आवंटन/पट्टे के प्राप्त 101635 प्राप्त आवेदनों में से 8044 निरस्ती उपरान्त 57403 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नंबर एक।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एक तरफ आपने जवाब भेजा है कि 101635 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8044 निरस्त कर दिए गए हैं। इसके उपरान्त 57403 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन हैं। तो आपके 36188 आवेदन कहां चले गए? एक तो यह इसमें नहीं दर्शाया गया है।

एक तरफ सरकार कहती है कि गरीब जिनके पास आवास नहीं हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको हम पट्टा देंगे। आज तक आपने एक भी व्यक्ति को पट्टा देने का काम नहीं किया है। जब आपने पट्टे ही जारी नहीं किए और इसके बाद आपने लिख दिया कि ग्राम पंचायतें पट्टा देंगी। यह अधिकार ग्राम पंचायतों को है तो ग्राम पंचायत या कलक्टरों को आपने क्या निर्देश जारी किये और पिछले तीन साल से आपने कितने गरीब लोगों को पट्टे जारी करवाए हैं? यह आप मेज पर रखें।

इसके साथ-साथ पूर्व में कांग्रेस गवर्नमेंट के जो दो लाख इंदिरा आवास निमार्णाधीन थे, उनकी राशि आपने रोक दी। आज तक उनको बनवाने का काम आप नहीं कर रहे हैं। 217 करोड़ की लागत से जो बने हुए फ्लैट हैं, उन्हें कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, पर किसी बड़े नेता के दबाव में, उनके वोट कम हो जाते, इसलिए आप उनको वहां पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो क्या सरकार का पैसा..। (व्यवधान) भाषण नहीं है। यह इस क्वेश्चन से संबंधित मामला है। सरकार के 217 करोड़ रुपए खर्च कर दिये और उसमें आप गरीब लोगों को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। उसी गंदगी में आप उनको वहां पर रखना चाहते हैं। सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है? इसे स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि जो 101635 आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें कितने पट्टे आपने जारी कर दिए और 57403 प्रकरणों को आप लंबित बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 101635 आवेदन इसी अभियान के अंतर्गत जो कि अम्बेडकर दिवस 14 अप्रैल से 12 जुलाई तक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

90 दिन का चलाया है। यह राजस्थान की सरकार पहली सरकार है, जिसने अभियान चलाकर तय किया है कि राजस्थान के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो पात्रताधारी व्यक्ति हैं या जिन्होंने मकान पहले बना लिए, उनका नियमितीकरण करके हम पट्टे देंगे। हमने मोटे तौर पर 20 लाख पट्टों का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी हमारी 1333 जगहों पर कैम्प हुए हैं, उसमें 36188 पट्टे जारी हुए हैं और 57405 प्रक्रियाधीन हैं। ये पट्टे भी निश्चित तौर जारी हो जाएंगे।

आपने यह कहा है कि इनके शासन काल में जो मकान बने थे, उन मकानों की पूर्ति आपने क्यों नहीं करवाई? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार सरकारें कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम बना देती हैं, जिसके पीछे सिर्फ वाह वाही लूटने के अलावा और लोगों को गुमराह करने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं होती। इन्होंने जो दस लाख मकान बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वह इन्होंने 3 जून, 2011 को प्रारंभ किया था। उसमें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख 20 हजार मकान और मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के अंतर्गत 6 लाख 80 हजार मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। पहले एक मकान की यूनिट कोस्ट 50 हजार थी, जो बढ़ाकर 70 हजार की और इसके लिए हुडको से लोन जिला परिषदों को दिला दिया। क्योंकि कोई बजटीय प्रावधान नहीं था और आज हालत यह है कि 3655 करोड़ रुपए जो तत्कालीन सरकार ने थोथी वाहवाही लूटने के लिए गरीबों को सब्जबाग दिखाया कि मकान बनाएंगे। जो 3655 करोड़ रुपए का जो ऋण दिलाया, उसमें आज की तारीख में राजस्थान की जिला परिषदों पर 2696 करोड़ रुपये बकाया है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जब हमारी सरकार आई तो 8 लाख 45 हजार आवास ऐसे थे, जो कि अपूर्ण थे। हमने आकर इनके 8 लाख 445 हजार मकानों को पूरा भी किया। अब तक हमने 8 लाख 48 हजार मकान पूरे कर दिए और अभी 1 लाख 77 हजार इंदिरा आवास मकान निर्माणाधीन हैं। इस बार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा है, हम इस साल 4 लाख 31 हजार मकान बनाएंगे और 2018 तक हमें जो लक्ष्य मिला है, वह 6 लाख 75 हजार मकानों का मिला है। यानी इस साल के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यकाल में 17 लाख मकान उन गरीबों को मिलेंगे जो आस किये हुए बैठे हैं कि सरकार उनकी भी कभी खैरख्वाह सुने। यानी इन्होंने जो पाँच साल में मकान बनाए, उससे 11 लाख मकान हम ज्यादा बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो अभियान चलाया है, यह अभियान पूरे राजस्थान में चलाया है और हमने लक्ष्य रखा है कि पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अंतर्गत प्रावधानों का उपयोग करते हुए हम गरीबों को नि:शुल्क और रियायती दरों पर पट्टा जारी करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आपने करौली जिले में कितने मकान बनाये हैं? इसके साथ-साथ जो गरीब परिवार चारागाह या सिवाय चक भूमि में रहते थे, उनके मकानों को आपने तुड़वाने का काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे चार गांव हैं। दो में तो हाईकोर्ट का आदेश था कि ये चारागाह भूमि में बस गये, इसलिए इनको तोड़ दिया जाए और दो में तो कलक्टर की शिकायत से ही तोड़ दिए गये हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम आवास बनाएंगे और दूसरी तरफ आप गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके पास न जमीन है, न खेती की जमीन है और न आवास की भूमि है। तो आप ऐसे लोगों को पट्टा कब तक जारी करेंगे?

इसके साथ-साथ आपने जो तथ्य दिए हैं, ये भी असत्य हैं। इसमें भी कई प्रमाण असत्य साबित किये हैं। आप यह कह रहे हैं कि हमने इतने पट्टे दे दिए, तो वे पट्टे कब जारी हुए? आपने किन-किन लोगों को प्रदेश में पट्टे जारी किये? यह सदन की मेज पर रखें। इस तरह के गलत आँकड़ें पेश नहीं करें। मेरे पास समाचार पत्रों की कॉपी है।

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिए।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): समाचार पत्रों की कॉपी है। अगर आप चाहें तो आपको मैं यह टेबल कर दूं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने यह किया है। (व्यवधान) नहीं कहेंगे, तो टेबल नहीं करेंगे। समाचार-पत्रों में अगर यह समाचार छपा तो आपने इनके खिलाफ कार्यवाही की?

**श्री अध्यक्ष**: ये सुखराम जी की राय मानेंगे।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): इसलिए, माननीय मंत्रीजी आप इनको कब तक पट्टा जारी करेंगे? जो गरीब और निहायत कमजोर परिवार हैं उनके लिए समय-सीमा तय करें कि आप कब तक पट्टा जारी करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने जो अभियान चलाया है। अम्बेडकर दिवस पर हमने इस अभियान को प्रारंभ किया है। यह राजस्थान की 9894 ग्राम पंचायतों में चलेगा। हर पंचायत समिति में प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को यह पट्टा बनाने का अभियान चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आपने 36 हजार 188 पट्टे जारी किए हैं, आज तो मेरे पास सूची नहीं है, पर मैं माननीय सदस्यों को भेज भी दूंगा।

आपने करौली जिले का पूछा। करौली जिले की आवासहीन सूची हमारे पास है, जिनके मकान बनाने हैं, वह 30 हजार 216 हैं। इसमें जिनके पास पट्टा नहीं है,मेरे पास प्राप्त सूचना के अनुसार वह 176 है। अब इस अभियान में अब तक 21 पट्टे बना दिए गये हैं।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह अभियान चल रहा है, इसमें कोई राजनीतिक आधार नहीं है। मैं तो सदन के सभी माननीय सदस्यों को कहूंगा कि अभियान के अन्तर्गत वह सहयोग करें।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): 30 हजार में से मात्र 21 लोगों को पट्टे जारी किए हैं। 30 हजार में से मात्र 21 लोगों को।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब सुन लो। गलत आता है तो प्रोटेस्ट कर लेना।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस अभियान के अन्तर्गत और कोई संशोधन की आवश्यकता होगी, हमने नियमों में प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने नियमों में प्रावधान किया है कि पंचायती राज नियमों के नियम 148 के अंदर, पंचायती राज नियम 196 में,148 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने से पहले आक्षेप आमंत्रित किये जाते थे। उसके लिए एक महीने का समय होता था। उसे कम करके हमने सात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिवस कर दिया। इसके साथ ही, हमने नियमों के नियम 162(2) में जो राज्य सरकार को शक्तियां प्राप्त थीं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर माननीय सदस्य हमेशा शिकायत करते रहते हैं, उनके यहां राजकीय भवन अलग-अलग भागों में स्वीकृत हो गये, उसका पट्टा नहीं बन रहा। हमने सारी शक्तियां ग्राम पंचायत को, जो 162(2) में राज्य सरकार में निहित थीं, वह सारी शक्तियां हमने ग्राम पंचायत को दे दीं। अब ग्राम पंचायत अपने स्तर पर किसी भी राजकीय संस्थान के भवन के लिए 500 वर्ग गज तक का नि:शुल्क पट्टा जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के अनुमोदन के बाद एक हजार गज का पट्टा आवंटित कर सकती है। ग्राम पंचायत जिला परिषद् के अनुमोदन के बाद एक हजार से ज्यादा वर्ग गज का पट्टा आवंटित कर सकती है। यह अभियान हमने चलाया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इसी महीने में, पिछली 22 मार्च को ही, बांसवाड़ा से हमने कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है। बहुत बड़ी संख्या में वहां लोग भी आये। यह लक्ष्य रखा है कि इसी वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक इस देश के अंदर कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं बचे जिसके माथे पर छत नहीं हो। हमने लक्ष्य रखा है, हम इसी वित्तीय वर्ष के अंदर 04 लाख 31 हजार मकान बनाएंगे। एक मकान की कीमत एक लाख 48 हजार होगी।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो मकान बनाएंगे, उस मकान में अगर दस मकानों का समूह अगर कहीं होगा तो वहां तक हम खुर्रा और सड़क बनाने का काम करेंगे। सारे मकानों की जीओ टेगिंग करवाएंगे। हर मकान के साथ एक टेग आफिसर लगाएंगे। जितने भी लाभान्वित है पीएफएमएस से सीधे उनके खाते में पैसा जाएगा। जितने मकान बनेंगे, उसमें दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उनका विद्युतीकरण करवाएंगे। इस मकान के अंदर जो परिवार रहेंगे, हर परिवार को हम उजाला योजना से गैस दिलवाएंगे। इसके साथ-साथ, अगर पात्रताधारी होगी तो हर मकान में केटल शैड के लिए 70 हजार रुपये नरेगा से भी स्वीकृत करेंगे, यह हमारा अभियान है।

मैं समझता हूं कि एक आमूलचूल परिवर्तन की ओर हमारे ग्रामीण,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिनको लेकर मुख्य मंत्रीजी ने जो निर्देश दिए हैं, उनके अनुसार हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न, श्री सुखराम।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष**: नहीं-नहीं हो गया। श्री सुखराम। पूरक प्रश्न, श्री सुखराम।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, टोटल 17 लाख का लक्ष्य रखा है। इस साल 04 लाख 31 हजार मकान बनने हैं। टोटल 2.93 लाख आवास अभी अधूरे पड़े हैं, उनमें 1.80 इंदिरा आवास भी है। माननीय अध्यक्ष जी, गांव की गरीब बस्ती है वह पूरी गोचर में बसी है, आज की तारीख में। आज से नहीं, 30-35 साल से बसी हुई है। आबादी कम थी, परिवार बढ़े, बाहर आकर बस गये। पिछली सरकार ने इंदिरा आवास दिये, मुख्यमंत्री आवास दिये, उनको उन गोचर जमीन में निर्माण की परमीशन दी, जबकि प्रधानमंत्री आवास पट्टे के बिना बनेगा नहीं, जब उनके पास पट्टा नहीं है, 80 परसेंट आबादी, मंत्रीजी आप लक्ष्य 17 लाख का कह रहे हैं और चार लाख इस साल बना रहे हो। आप अगर नियमित पट्टा, आबादी में बनाना चाहोगे, एक लाख पट्टे पूरे राजस्थान में नहीं बन पाएंगे। क्या गोचर जमीन में वर्षों से बसे हुए लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आप स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इंदिरा आवास के मकान अधूरे हैं। मैंने मेरे मूल उत्तर में भी कहा था कि एक लाख, 77 हजार इंदिरा आवास के मकान निर्माणाधीन हैं। इन मकानों को हम इसी छ: महीने में पूरा करेंगे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह मकान भी पूरे करेंगे। हमने अब तक 08 लाख 48 हजार मकान पूरे कर लिये हैं और हम 06 लाख 75 हजार मकान और बनाएंगे। कुल मिलाकर 17 लाख मकान बनाने का कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 04 लाख 54 हजार मकानों का पंजीयन हो चुका है। इन 04 लाख 54 हजार में से 02 लाख 47 हजार की हमने स्वीकृति जारी कर दी है। यही नहीं, पहली किश्त भी हमने 98 हजार 195 मकानों की जारी कर दी। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले महीने के अंत तक हम 04 लाख 54 हजार की पूरी स्वीकृति जारी करेंगे। हमने लक्ष्य रखा है इस वित्तीय वर्ष में 04 लाख 31 हजार बनाने का और हम स्वीकृति जारी कर रहे हैं 04 लाख 54 हजार की। अध्यक्ष महोदय, यह सारा काम चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अंदर तो सहयोग करो। कम से कम कभी तो धन्यवाद दे दो।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल था, यह सहयोग की बात नहीं है। गोचर जमीन में आप पट्टा देकर, प्रधानमंत्री आवास बनेगा या नहीं बनेगा। आप जब एक तरफ पट्टा मांग रहे हैं, पट्टे के बिना तो बनेगा नहीं। आप पट्टे जारी करेंगे कि नहीं, आप पट्टे की बात करो।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, विराजिए, जवाब आ रहा है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली महानगर निगम के परिणाम आए हैं। दिल्ली महानगर निगम में यह सब लोग जो सामने बैठे हैं, यह एक-एक वार्ड के अंदर प्रभारी बनकर गये थे। उसके परिणाम बता रहे हैं।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): दिल्ली की बात ...(व्यवधान)... गांव की बात करो। आप तो गांव में जाओगे वोट मांगने, दिल्ली की बात कहां से आई? ...(व्यवधान)... आप पट्टे देने की बात करो। आप दिल्ली की बात क्यों कर रहे हो।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): दिल्ली की बात कहां से आई है। 30 हजार फार्म में से 21 पट्टे जारी किए। आप कैसे लक्ष्य पूरा करोगे?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं...

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): 30 हजार में से मात्र 21 पट्टे जारी किए हैं। कब तक यह पूरा करेंगे? प्रधानमंत्री जी से पैसा तो ले लिया और मुख्यमंत्री आवास योजना में उस पैसे को ...(व्यवधान)...

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आपका दिल्ली में वार्ड कौन सा था। ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद के माथे पर पिछली सरकार के समय यह तीन हजार 655 करोड़ रुपये छोड़कर चले गये हुड़को से लोन दिलाकर, जिसमें से आज सूद-सूद चुका है। 02 हजार 696 करोड़ बाकी है। हमारे सामने यह भी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आज यह सब लोग अवसाद में हैं।

इसलिए इस अच्छे काम की भी प्रशंसा नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन कोई खास बात नहीं। मैं समझता हूं यह दिन बार बार आए और बार बार आप, इसी प्रकार की हालत बनी रहे।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न, श्री मान सिंह।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 की लिस्ट के अनुसार जिनका चयन हुआ है उनमें से अगर गलत चयन है तो वह हट तो सकता है लेकिन अगर किसी का चयन रह गया तो क्या उसको जोड़ने पर सरकार कोई विचार कर रही है?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो चयन हुआ था इसका आधार था सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011, इसमें 102 परिवारों का सर्वे हुआ था। इसमें सभी बीपीएल भी शामिल थे। कुल मिलाकर सर्वे के अंदर प्रथम चरण में 27 लाख 21 हजार परिवार आए, उसके बाद अनुमोदन होने के लिए ग्राम सभा में गए तो उसमें से ग्राम सभा ने पूरे राजस्थान में अनुमोदित किए 17 लाख 01 हजार 645. इसके पश्चात् कई जगह पर लंबी चौड़ी शिकायतें, कुछ लोगों ने और प्रार्थना पत्र भी दिए।

मैं स्वीकार करता हूं कि 2011 की जनगणना के पश्चात् जो सर्वे सूची है उसके साथ नये नाम जोड़ने के लिए आज विभिन्न जिला परिषदों के अंदर 14 लाख 08 हजार आवेदन पत्र लंबित है। हमने भारत सरकार से पत्राचार किया है। भारत सरकार ने हमें यह कहा कि पहले जो पात्रताधारी लोग हैं, इनके मकान बनाएं। यह पूरे देश के अंदर दुबारा, पुनर्विचार वह कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं। मैंने पत्र भी लिखा है कि जो 14 लाख 08 हजार आवेदन पत्र हैं, इनको गुण अवगुण के आधार पर इनमें जो नाम आएंगे, क्या इनको हम सम्मिलित कर सकते हैं? और सकारात्मक दृष्टि से हमें भारत सरकार ने यह कहा कि इस पर विचार कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: तीसरा पूरक प्रश्न, जोगाराम पटेल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): एक सैकण्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय..

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मेरा नम्बर था, मैंने बटन दबाया था।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं, बिलकुल। जोगाराम पटेल।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपके स्क्रीन पर मेरा नाम आ रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: नो, मैंने कहा जोगाराम पटेल। स्क्रीन पर आ रहा है, इसका मतलब गारंटी नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर आया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो, आप बैठिए आप। जोगाराम पटेल। स्क्रीन पर आने की गारंटी नहीं है, 15 नाम है उसमें से मैं चयन करता हूं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ऊपर ही ऊपर है ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नम्बरवाइज लेते हैं आप तो। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो। जोगाराम पटेल, केवल जोगाराम का जाएगा रिकार्ड पर।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: मेरा डिस्क्रिशन है, ...(व्यवधान)... किसको करूं। आप बैठिए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: नो, एक मिनट।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: जोगाराम पटेल का ही रिकार्ड पर जाएगा।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आसन का आदेश मान लो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में तीसरा पूरक प्रश्न पुकार लिया। ...(व्यवधान)...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: जवाब देने की आवश्यकता नहीं। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री महोदय जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। बिना परमीशन के बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...नहीं, यह नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)... जवाब देने की जरूरत नहीं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: यह अंकित नहीं हो। यह जबरदस्ती का डोटासरा बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... नहीं, आपका अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... बैठिये आप।

माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल की एक व्यवस्था है। प्रश्नकाल की व्यवस्था में जबरदस्ती कोई मैम्बर यह चाहे कि यह करो। तीन सवाल इधर से कर चुका हूं। इधर से नहीं करूंगा क्या? आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप भी बैठ जाइये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): 000

**श्री अध्यक्ष**: इनकी आदत ही पड़ गई है। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। सिवाय जोगाराम पटेल के अंकित नहीं होगा। जोगाराम पटेल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो जोधपुर में, राजस्थान में जे.डी.ए. क्षेत्र है ...(व्यवधान)... जे.डी.ए. क्षेत्र है, जैसे जोधपुर, जयपुर, अजमेर, इन जे.डी.ए. क्षेत्र में जो जमीन जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार में है ...(व्यवधान)... आपने नोटिफिकेशन के द्वारा, आपने परिपत्र के द्वारा यह जमीन जो 500 ...(व्यवधान)... क्षेत्रफल की है वह ग्राम पंचायत को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है तो वह ट्रांसफर कब तक हो जायेगी और उस ...(व्यवधान)... के बाद जे.डी.ए. के क्षेत्र में आती है उसका हस्तांतरण कब तक हो जायेगा। ...(व्यवधान)...

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): 000

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

**श्री अध्यक्ष**: व्यवस्था सब के लिये है ...(व्यवधान)... और इस तरह अनुशासनहीनता की तो मुझे सख्त होना पड़ेगा और सख्त होने के बाद बाहर भी निकाल सकता हूं, इसलिये चुप रहियेगा। कल आपने जो अनुशासनहीनता की, उस पर भी मैं निकाल सकता था, आपने जो यहां की। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): 000

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): 000

**(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में आगमन व नारेबाजी)**

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

**श्री राजेन्द्र सिंह भादू** (सूरतगढ़): 000

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): 000

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

**श्री विश्वनाथ** (संसदीय सचिव): 000

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री सुरेश सिंह रावत** (संसदीय सचिव): 000

**श्री हीरालाल** (निवाई): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री अध्यक्ष**: देख ली इनकी हरकतें दिल्ली में। जब चाहे तब वैल में, जब चाहे तब अव्यवस्था कर देते हैं। जब चाहे तब दादागीरी, नहीं चलने दूंगा।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)**

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): 000

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): 000

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): 000

**श्री हीरालाल** (निवाई): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री अध्यक्ष**: मैं कुछ हुड़दंगी विधायकों के कारण इस सदन को उनके कब्जे में नहीं जाने दूंगा। आप अपनी सीट पर जाइए। यह आदत पड़ गयी है। ....(व्यवधान).... अपनी सीट पर जाओ, अपनी सीट पर जाओ। एक बात नहीं सुनूंगा। अपनी सीट पर जाओ, नहीं तो हुड़दंग करते रहो। हुड़दंग करते रहो। यह हुड़दंगी विधायक सारी विधान सभा, यह रोज आदत बना ली है। रोज आदत बना ली है। चार-पाँच यह आ जाते हैं, प्रतिपक्ष के नेता चुप बैठते हैं, इनके सीनियर चुप बैठते हैं और इन्होंने यह आदत बना ली है हुड़दंग, हुड़दंग, हुड़दंग। हुड़दंगियों के कब्जे में विधान सभा नहीं जाने दूंगा। आप अपनी सीटों पर जाइए। सीटों पर जाओ, कह दिया। आप अपनी सीटों पर जाओ पहले। ....(व्यवधान)....

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)**

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री अध्यक्ष**: और भी तरीके हैं, आप यह सोच रहे हैं न कि हुड़दंग करके हम दबा लेंगे, मुझे नहीं दबा सकते, सीटों पर जाओ पहले। सीटों पर जाओ। ....(व्यवधान)....

**श्री शैतानसिंह** (पोकरण): 000

**श्री हीरालाल** (निवाई): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह जो हंगामाबाज हैं इनको सदन से बाहर निकालने का काम करें। बाहर निकालें इनको। ....(व्यवधान)....

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव किया है, मेरा निवेदन है कि सदन की मर्यादा को बनाये रखने के लिए इन हंगामाबाजों को बाहर निकालो।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अनर्गल हंगामा करता है विपक्ष।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव किया है, मैंने प्रस्ताव किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ....(व्यवधान)....

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य यहां नहीं रहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव किया है। मैंने प्रस्ताव किया है कि इन हंगामाबाजों को बाहर निकालो। ....(व्यवधान)....

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मुट्‌ठीभर विपक्षियों ने इस सदन को हाइजैक कर दिया। हाइजैक कर दिया है। मेरा प्रस्ताव है,

(श्री मदन राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इनको बाहर निकालो। ....(व्यवधान)....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने प्रस्ताव किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इन हंगामेबाज विपक्ष के सदस्यों को बाहर निकालो। यह गंभीरता नहीं है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)**

**श्री अध्यक्ष**: मैं सदन की भावना को देखते हुए इन सब हुड़दंगियों को बाहर करने की आज्ञा देता हूं और विधान सभा एक घंटे के लिए एडजोर्न करता हूं।

विधान सभा, एक घंटे बाद वापस मिलेगी विधान सभा। मार्शल अपनी फोर्सेज रखो, इनको किसी को अंदर मत आने दो। जाओ-जाओ, बाहर जाओ। आपकी मानता कौन है? जाओ बाहर। ले जाओ इनको, साफ बात है। एक घंटे बाद फिर मीटिंग है। ले जाओ इनको बाहर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री अध्यक्ष**: ले जाओ इनको सबको बाहर। एक घंटे के लिए एडजोर्न की जाती है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 000

**श्री अध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है। मार्शल को आदेश दिये जाते हैं कि इनको किसी को अंदर नहीं आने दो जो यहां खड़े हैं।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 11.36 बजे 12.36 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

**(12.36 बजे)**

**पुन: समवेत् होने पर**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री अध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये और स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 12.36 बजे 13.06 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

**(13.06 बजे)**

**पुन: समवेत् होने पर**

**(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)**

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय, आसन पैरों पर हो तो और आसन आए तो ध्यान रखें।

आज की इस सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए और स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 13.07 बजे 13.37 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

**(13.37 बजे)**

**पुन: समवेत् होने पर**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

# अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

## सदन नियमों से चलाना अध्यक्ष का विशेषाधिकार

**श्री अध्यक्ष**: नमस्कार। माननीय विधायकगण, मुझे निहायत अफसोस के साथ आपको कुछ बातें निवेदन करनी पड़ रही हैं। पिछले 3 दिन से, कोई एक दिन की घटना नहीं है। पिछले 3 दिन से कुछ हुड़दंगी, उनको विधायक कहना भी विधायक का अपमान है। कुछ हुड़दंगी यहां पर आकर के हमेशा वैल में घेरा डालना, नारे लगाना, विधान सभा की कार्यवाही को बाधित करना, यह जो व्यवस्था 3 दिन से लगातार चल रही है, अब इस व्यवस्था के पीछे कुछ कारण हैं।

+++

**श्री अध्यक्ष**: मैं कह रहा हूं, आप बैठ जाओ।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): मैं तभी बैठूंगा पहले आप हुड़दंगी को एक्सपंज करवाओ।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, हुड़दंगी हैं। फिर कहता हूं हुड़दंगी हैं। 3 दिन से लगातार हुड़दंग चल रहा है। यह विधान सभा है। विधान सभा नियमों से चलती है। विधान सभा की कार्यवाही नियमों के अंतर्गत चलती है। जो जब चाहे उठा दें, जो जब चाहे क्वेश्चन पेपर फाड़कर फेंक दें, जो जब चाहें यहां वैल में आकर बैठ जाएं, जो जब चाहे यहां आकर के खड़ा हो जाए, ये

(श्री अध्यक्ष)

हुड़दंगी हैं। मैं फिर कहता हूं कि आपको कोई कार्यवाही करनी हो तो कर लेना। बैठ जाइए।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष महोदय हैं।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, आप बैठ जाइए। आप क्या कर सकते हो वह मुझे मालूम है। बैठ जाओ। बैठ जाओ।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा ...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं, आज ये नहीं थे न, ये भी हुडदंगियों का साथ देने वालों में हैं, जोर-जोर से बोल कर आप जिस समय इस विधान सभा को गुंजाते हैं, इनकी आदत हो गई है।

माननीय सदस्यगण, मैं आज इस बात की सत्ता पक्ष से माफी चाहता हूं। मैंने प्रतिपक्ष के प्रति उदारता बरती, प्रतिपक्ष को विशेष संरक्षण दिया। विधान सभा का रिकार्ड इस बात का साक्षी है कि जितना इनके बोलने का टाइम होता है उससे दुगुना-तिगुना मैंने इनको समय दिया है। यह मेरी उदारता थी, मेरा विशेष संरक्षण था, इन्होंने मेरी कमजोरी समझा उसको, विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए जो स्थगन प्रस्ताव नहीं होते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि प्रतिपक्ष के पास क्या है, इनको भी बोलने का मौका दे दो। आज मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहता हूं मैं निष्पक्षता ही करूंगा और किसी तरह की उदारता प्रतिपक्ष के प्रति नहीं बरती जाएगी। उनको अगर कार्यवाही में भाग लेना है तो वह स्ट्रिक्टली रूल्स में आएगा। जब चाहे तब आ जाए, यह मैं लगातार तीन दिन से देख रहा हूं, इस बार मैं आपको बताता हूं कि एक प्रश्न था, दो पूरक प्रश्न कर दिए, तीसरा पूरक प्रश्न सुखरामजी से करा दिया, इधर से मैंने एक प्रश्न किया और खड़े हो गए और कहा कि नहीं, मैं बोलूंगा। अच्छा? कैसे बोलेंगे आप? मेरी बिना इजाजत के बोलेंगे? और लगातार हुड़दंग, यह हुड़दंग तीन-चार दिन से देख रहा हूं मैं, हमारे लिए प्रतिपक्ष के नेता, अब उनके लिए क्या सम्बोधन करता? कोई उनकी मानता ही नहीं। आते हैं, बैठते हैं, +++ आज भी यह स्थिति देखी मैंने, तो यह जो आज विधान सभा में हुआ है, यह मेरे लिए

(श्री अध्यक्ष)

भी शर्म की बात है और विधान सभा के लिए भी अच्छी बात नहीं है, राजस्थान की जनता देख रही है, यह सदन है, यह सदन नियमों से चलेगा, यह सदन राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है, राजस्थान की जनता की सेवा के लिए हमेशा रहेगा, उसमें कहीं किसी तरह का हुड़दंगी, हुडदंग करता हुआ पाया जाएगा तो मेरे पास नियम बने हैं, उनसे निपटने के तरीके भी हैं और मैं उन तरीकों को काम में भी लूंगा। आज तक मैं कुछ बातें बर्दाश्त करता रहा, करने दो जी, प्रतिपक्ष है, +++

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)... हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... हंस-हंस कर करते हैं ...(व्यवधान)... बैठ जाइए।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। मेरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। नियमों में है तो आइए, फिर बोलिए। अभी भी आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जब आसन पैरों पर है, उस समय नियमों का उल्लंघन करके अच्छा कर रहे हैं क्या? ...(व्यवधान)... नियमों का पालन करना आपको आना चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री अध्यक्ष**: हर विधायक को नियमों का पालन करना होगा। ...(व्यवधान)... मैं आपको कह रहा हूं कि आप जिस तरह से खड़े हैं, वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह आपका बर्ताव ठीक नहीं है। इसलिए बैठ जाइए पहले आप। ...(व्यवधान)...

मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जाइए। यह हाथ जोड़ने का विषय नहीं है। यह सदन मर्यादा से चलेगा, हर काम नियमों से चलेगा, किसी के हाथा-जोड़ी करने के लिए यह सदन नहीं है, यह भी मानकर चलिए।

माननीय विधायकगण, मुझे इस बात को जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अफसोस है कि मैंने जितनी छूट दी, मैं आपको विश्वासपूर्वक एक बात कहता हूं कि आज के बाद यह सदन नियमों से चलेगा, अनुशासन से चलेगा, हुडदंग करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और जो हुडदंग

(श्री अध्यक्ष)

करेगा और मेरे आदेश की पालना नहीं करेगा उसको दंडित करने के लिए भी मेरे पास यह किताब है, पढ़ लेना इसको, जिसको भी पढ़ना हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। पर ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आज की कार्यवाही, स्थगन प्रस्ताव - समाप्त।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: निकालने की जरूरत नहीं, करूंगा कार्यवाही। मेरे खिलाफ कोई भी बोलेगा, चेयर के खिलाफ, तो मैं कार्यवाही करूंगा, यह मेरा अधिकार है। ...(व्यवधान)... बड़े विद्वान नेता आ गए, बड़े नियमों का पालन करने वाले ...(व्यवधान)... अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको मैं इजाजत देता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिए, मैं इसकी इजाजत नहीं देता, ...(व्यवधान)... मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं घनश्यामजी। ...(व्यवधान)... मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। ...(व्यवधान)... मेरी इजाजत के बिना यहां एक शब्द नहीं बोला जा सकता। आप बड़े सीनियर हो जो यूं कर रहे हैं जैसे आप नियमों के पार भी बोल सकते हैं, यह कहां से आए हैं नियम? ...(व्यवधान)... आपको भी पालन करना पड़ेगा। आप बोलें।

**श्री विजय बंसल** (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को इस सदन में जो मैंने कहा, मैं निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: किसको बुलवाउंगा, यह मेरा डिस्क्रिशन है। आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है, मैंने क्या कहा? यहां किसको बोलने देना है और किसको नहीं बोलने देना है, यह मेरा प्रोरोगेटिव है। ...(व्यवधान)... बैठ जाइए आप, आपको पैरवी करने की जरूरत है क्या? वह वरिष्ठ नेता हैं, अनुशासित नेता है, सब होने के बाद भी अनुशासन में रहना जानते हैं, उनका मैं आदर करता हूं लेकिन यहां के नियमों का आदर करना भी हरेक का कर्तव्य है।

# खेद प्रकट

## डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए की गयी टिप्पणी पर माननीय सदस्य श्री विजय बंसल द्वारा खेद प्रकट

**श्री विजय बंसल** (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को इस सदन में मैंने जो वक्तव्य दिया था, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं, मेरी पार्टी और हिन्दुस्तान का सर्व समाज, भारत रत्न, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर गर्व महसूस करते हैं और उनका सम्मान दिल से करते हैं। मेरे उस दिन के कथन से ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मेरी इस भावना से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं।

**श्री अध्यक्ष**: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।

# शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

## सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान

माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्राम बुरकापाल के समीप दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को गश्त करते हुए केन्द्रीय रिजर्व बल के जवानों पर लगभग 300 नक्सलियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। जिसमें 26 जवान शहीद हो गए हैं और 6 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से इस हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति शोक प्रकट करता हूं तथा दिवंगतों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

**(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)**

**श्री अध्यक्ष**: ओम शांति।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। ऐसा कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं आया जिसको इस विधान सभा में किसी तरह से बोलने की अनुमति दी जाए।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। ये 295 के अंतर्गत जो आये हैं उनका विशेष उल्लेख मान लिया जाएगा। पढ़े हुए मान लिये जाते हैं।

**(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)**

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। आज नहीं लिये जाएंगे।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठ जाइये, उपदेश देने की मुझे जरूरत नहीं है। बड़े भले होकर खड़े हो जाते हैं। मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है, मैं पांचवीं बार एमएलए हूं और सदन के नियमों को जानता हूं, तीन बार लोक सभा में भी रहा हूं और वहां पर जिस तरह के नियम हैं, अबकी नियम समिति बुलाकर, वहां कोई आया नहीं वैल में, उसी समय सस्पेंड हो जाता है, यह लोक सभा का नियम है। अपने यहां भी मैं निवेदन करूंगा कि नियम समिति बनाकर यही व्यवस्था की जाय। आया नहीं और सस्पेंड कर दिया जाय, जैसा लोक सभा में होता है।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: नो। मेरे पास यह प्रस्ताव आया है। माननीय कालूलाल जी का प्रस्ताव दीजिए, आपने कॉपी मुझे दी है। प्रस्ताव कीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: नहीं सुनूंगा।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: नहीं सुनूंगा।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: नहीं सुनूंगा। इजाजत दे ही नहीं रहा मैं। आज इजाजत देने के मूड में नहीं हूं।

# सदस्य का निलम्बन

## सर्वश्री गोविन्द सिंह डोटासरा, धीरज गुर्जर, हनुमान बेनीवाल, मनोज न्यांगली, घनश्याम मेहर, अशोक चांदना, सुखराम विश्नोई, रमेश मीणा, श्रवण कुमार, भजन लाल, मेवाराम जैन, शकुन्तला रावत, हीरालाल दरांगी, राजेन्द्र यादव का सदन की सदस्यता से एक वर्ष के लिए निलंबन

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में जो कार्य लिया जाता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य प्रश्नकाल होता है। उस प्रश्नकाल के अंदर सारे माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र के बारे में, अन्य विभागों की प्रगति के बारे में सारी सूचनाएं, जानकारियां और किसी प्रकार की कोई शिकायतें मिलती हैं उनके बारे में सारी जानकारी लेने का अवसर मिलता है। उसमें प्रश्न के माध्यम से कई प्रकार की बातें सदन में उठाने का अधिकार मिलता है। उसके कारण से सारे राजस्थान में प्रश्नकाल को सीधा प्रसारित किया जाता है। राजस्थान की जनता इस महत्वपूर्ण, एक घंटे का जो प्रश्नकाल आप रखते हैं उसको सब देखते हैं और सुनते हैं। प्रश्नकाल में एक प्रश्न के जवाब में सरकार का काफी रुपया खर्च होता है। कभी-कभी इतना बड़ा प्रश्न होता है जिसमें लाखों रुपया खर्च होता है एक जवाब बनाकर लाने में। इतना महत्वपूर्ण प्रश्नकाल का समय होता है। उस समय में जिस तरह से भी पिछले तीन दिनों से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण इतने इंपोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नकाल के समय को, सदन के समय को जाया कर रहे थे। अकारण बीच-बीच में खड़े होना, बिना कारण से इर्रिलेवेंट प्रश्न पूछना और बिना बात को लेकर उलझना, यह अपना कंडक्ट इन्होंने तीन दिन से कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय, कई बार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य किसी पाइंट के ऊपर उलझ जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष बीच में इंटरवीन करते हैं, जब दोनों को निर्देश देते हैं, समझाते हैं तो उसके बाद उस बात को माना जाता है और अध्यक्षीय व्यवस्था व अध्यक्षीय आज्ञा को अंतिम मानते हुए उसका पालन किया जाता है। लेकिन पिछले तीन दिनों से जिस तरह से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, जो न तो खुद किसी पाइंट को उठाने से पहले

(श्री कालू लाल गुर्जर)

सोचते हैं कि क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना और माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्रीगण दे रहे हैं न उनका जवाब सुनना, वे चाहते हैं कि उनके अनुकूल कोई जवाब दें जबकि जवाब तो जो वास्तव में होता है, डिपार्टमेंट से आता है, वही जवाब दिया जाता है। उनका जो कंडक्ट रहा है वह बहुत निंदनीय रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बार-बार उनको समझाया जाता है उसके बावजूद भी नहीं माने। परसों भी सारे प्रतिपक्ष के सदस्य यहां पर वैल में आ गये। टेबल पर चढ़ गये। उनको नीचे उतरने के लिए आसन ने बार-बार आदेश दिया, लेकिन नहीं माने। एक सदस्य तो जो ये मेम्बर्स बैठते हैं इनकी कुर्सी के ऊपर खड़े होकर नाच-गान कर रहे थे, कोई पर्चा फाड़कर फेंक रहे थे। इन रक्षकों को बुलाकर उनको नीचे उतराया तब जाकर वे टेबल से नीचे उतरे। इस तरह लगातार प्रतिपक्ष का कंडक्ट ठीक नहीं रहा। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। इसलिए मैं यह प्रस्ताव लाया हूं।

"अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को प्रात:काल प्रश्नकाल सत्र में जब प्रश्नों पर संबंधित मंत्री महोदय द्वारा जवाब दिये जाने के पश्चात् आप श्रीमान द्वारा पूरक प्रश्न के समय सदस्यों के नाम पुकारे जा रहे थे। तब बिना कारण कांग्रेस दल के सदस्यों एवं उनके साथ श्री हनुमान बेनीवाल व मनोज न्यांगली सदस्यों ने सदन में शोर-शराबा प्रारंभ किया और सदन की वैल में आकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे। अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा उनको बार-बार शांत रहकर सदन की कार्यवाही चलने देने के निर्देश दिये गये, आग्रह किया एवं उनको अपने-अपने स्थान पर बैठने की अपील भी की एवं वैल को खाली करने हेतु आग्रह भी किया। इसके बावजूद भी वे नहीं माने और आसन के निर्देशों की बार-बार जान-बूझकर विधिविरुद्ध अवहेलना की। यहां तक कि उन्होंने मंत्रियों के सामने बांह चढ़ा ली। इन परिस्थितियों में सदन की कार्यवाही चलाना असंभव सा हो गया था। यह कृत्य विधान सभा एवं संसदीय परम्पराओं का खुला अपमान है। अत: निम्नलिखित सदस्यों को गैर मर्यादित आचरण एवं अनुशासनहीनता के कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्हें इस सदन की सदस्यता से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इनमें जो सदस्य थे उनमें गोविन्द सिंह जी डोटासरा, धीरज गुर्जर, हनुमान बेनीवाल, मनोज न्यांगली, घनश्याम मेहर, अशोक

(श्री कालू लाल गुर्जर)

चांदना, सुखराम विश्नोई, रमेश मीणा, श्रवण कुमार, भजन लाल, मेवाराम जैन, श्रीमती शुकुन्तला रावत, श्री हीरालाल दरांगी और श्री राजेन्द्र यादव। इस तरह 14 सदस्यों ने अनुशासनहीनता की, आपके आदेश को नहीं माना, सदन के महत्वपूर्ण समय प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया और सदन की कार्यवाही को ठप्प किया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अमर्यादित आचरण एवं अनुशासनहीनता के कारण इन सभी व्यक्तियों की सदस्यता एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित की जाय। सभी माननीय सदस्यों जिनका मैंने नाम बोला, उनकी सदस्यता निलम्बित की जाय।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव 12 सदस्यों को निलम्बित करने का स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि 14 सदस्यों को निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा है इसको स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो। कालूलाल जी गुर्जर का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह तो बेकार का विरोध है, इस विरोध का कोई कारण नहीं है, मैं नोट कर रहा हूं यह। कोई कारण नहीं है, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाय। मार्शल को इन निलम्बित सदस्यों की सूची दे दी जाएगी। इनके अलावा किसी को भी आपको अंदर प्रवेश देने की स्वीकृति नहीं है।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): 000

**श्री अध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सदन का, आपके स्कूल का अनुशासित शिष्य हूं, मुझे तो बोलने दो एक मिनट।

**श्री अध्यक्ष**: इजाजत चाहते हैं?

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): हां।

**श्री अध्यक्ष**: रिलेवेंट बोलेंगे।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): वह आप देख लेना।

**श्री अध्यक्ष**: इर्रिलेवेंट बोलेंगे तो उसी समय बिठा दूंगा। बोलिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इस बात के लिए चिन्तित है आपके स्वास्थ्य को लेकर। मैंने पहली बार आसन को इतना गुस्से में देखा है। हम सब लोग चिंतित है, पूरा प्रदेश भी चिंतित हैं, जो भी टेलीविजन पर देख रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे क्योंकि हम तो बार-बार कह रहे थे कि आप बैठकर पहले पानी पी लें। यह सुना था कि "क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात।"

**(14.00 बजे)**

आप बड़े हैं और मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से पहली बार, क्योंकि आप विद्वान हैं, लोक सभा में भी हमने आपको सुना, यहां पर भी साढ़े तीन साल से आपका सान्निध्य हमको मिला हुआ है और हमने तो आपके सामने कभी भी आपके आदेश की अवहेलना नहीं की, हमेशा पालना की है तो मैं कह रहा हूं कि जो.....

**श्री अध्यक्ष**: आप अनुशासित सदस्य हैं इस बात का मैं आपको प्रमाण देता हूं।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): शिष्य हूं मैं तो। मैं यही कह रहा हूं कि सदन चलाने का, सदन की अपनी खुद की एक मर्यादा होती है। आपने आज जो बोला, कभी भी, कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि आसन का अपमान हो। कभी नहीं चाहता क्योंकि आप हमारी ताकत हैं, हम आपकी ताकत हैं। अगर हम लोग नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे और आप नहीं होंगे तो हमें कौन चलायेगा। हमने हमेशा आपके आदेश की पालना की है। आज जो दण्ड दिया गया है, मैं कह रहा हूं कि कभी भी आसन इतना सख्त नहीं हुआ है और

(डा. राजकुमार शर्मा)

जिस प्रकार से पक्ष के माननीय सदस्य मेजें थपथपा रहे थे, पिछली बार आदरणीय राजेन्द्र जी राठौड़ के साथ में जब हुआ था तो मैं सबसे पहला था जब आसन के खिलाफ मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हो जब मार्शल ने आपको बाहर ले जाने की कोशिश की। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कोई डिस्टर्बेन्स नहीं। इनको अपनी बात पूरी कहने दीजिये। जल्दी बोलिये।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि वो भी सदस्य हैं, जनता ने चुना है और आपके आदेश में हो सकता है कि कोई गलती हो जाए लेकिन आज जिस प्रकार से इतना बड़ा दण्ड, मुझे लगता नहीं कि वो जनता के साथ अपमान होगा क्योंकि 14 माननीय सदस्य जिन विधान सभा क्षेत्रों से भी आये हैं, अगर एक साल.....

**श्री अध्यक्ष**: जनता जानेगी कि उनका विधायक कैसा है। हां, आगे बोलो।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): एक साल तक वो लोग अगर सदन से बाहर रहेंगे तो किस तरह से उनके क्षेत्र में काम हो पायेगा। आप खुद समझदार हैं। मैं कह रहा हूं, मैं पूरे सदन से, आपके पूरे सदन की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पता नहीं आप लोग तो साथ देंगे या नहीं देंगे लेकिन मैं कहता हूं इस बात के लिए..... (व्यवधान) भाईसाहब, ऐसा है कि आप भी विपक्ष में थे तब आप भी क्या करते थे यह सबको पता है और ये लोग भी करते हैं। हमने तो हमेशा आदेश की पालना ही की है, हमने अवहेलना नहीं की है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आसन से कि आसन थोड़ी दया-दृष्टि करे। आपने गुस्से में, मैंने पहली बार देखा है कि हमारे विधान सभा अध्यक्ष इतने संजीदा होते हुए भी पता नहीं आज इतना गुस्सा आपको किसने दिला दिया और कुछ बातें आपके मुखारबिंद से ऐसी निकल गई हैं उनको आप एक्सपंज करवा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: आपका निवेदन विचाराधीन है, विराजिये। हां, आपका निवेदन विचाराधीन है।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): धन्यवाद आपको। जो माननीय मुख्य

(डा. राजकुमार शर्मा)

सचेतक जी ने प्रस्ताव रखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे हिसाब से क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दे जी.एस.टी. पर होना है तो आप उस पर थोड़ी सी दया-दृष्टि रखते हुए नरमी बरतें।

**श्री अध्यक्ष**: आपका निवेदन विचाराधीन है, विराजिये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री घनश्याम तिवाड़ी। आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप बोलने देंगे?

**श्री अध्यक्ष**: अधिकार है आपका।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अधिकार तो आपका।

**श्री अध्यक्ष**: यह प्रक्रिया के अनुसार आये आप इसलिए आपका अधिकार है। बिना प्रक्रिया के आते तो शायद नहीं बोलने देता, उसमें दिक्कत क्या है? आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लीजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आपके सामने प्रक्रिया क्या है साहब।

**श्री अध्यक्ष**: जो है, जो आप साढ़े तीन साल से देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं क्या देख रहा हूं, सारी दुनिया ही देख रही है।

**श्री अध्यक्ष**: सारी दुनिया भी देख रही है, सारा सदन भी देख रहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): भगवान करे बाकी और कोई लोग नहीं देखे।

**श्री अध्यक्ष**: चलिये, ध्यानाकर्षण कीजिये।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### जयपुर स्थित पृथ्वीराज नगर, सांगानेर व समीपस्थ क्षेत्रों में सीवर लाइन

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर स्थित पृथ्वीराज नगर, सांगानेर एवं उसके समीपस्थ क्षेत्रों में सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जयपुर शहर के सीवरेज सुविधा से वंचित क्षेत्रों के बारे में बात की है उसके बारे में मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि पृथ्वीराज नगर, सांगानेर क्षेत्र व उसके समीपस्थ क्षेत्रों में सीवरेज के नेटवर्क हेतु सीवरेज परियोजना जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन योजना के तहत स्वीकृत की जाकर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 14.08.2013 को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। परन्तु कालान्तर में भारत सरकार द्वारा इस मद में स्वीकृति निरस्त करने के परिप्रेक्ष्य में निविदाएं प्राप्त नहीं की जा सकीं और भारत सरकार के अपने पत्र दिनांक 18.06.2014 द्वारा परियोजना निरस्तीकरण एवं अन्य मिशन कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के सीवरेज सिस्टम से शेष रहे क्षेत्र के लिए राशि 1445.40 करोड़ रुपये की परियोजना रिपोर्ट (पृथ्वीराज नगर क्षेत्र भी सम्मिलित) तैयार की गई। पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के सीवरेज सिस्टम पर लगभग राशि 500 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रमुख सड़कों पर मुख्य-मुख्य ड्रेन बनाये जाने हेतु 1775 करोड़ रुपये की परियोजना रिपोर्ट, जिसमें पृथ्वीराज नगर और आपका क्षेत्र भी शामिल है, तैयार की गई है। पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के प्रथम चरण में ड्रेनेज कार्य हेतु 78.24 करोड़ के प्रस्ताव बनाये गये हैं जिनकी भी शीघ्र ही स्वीकृति हो जाएगी। वर्तमान में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर NCRPB से ऋण तथा प्राधिकरण स्तर पर वित्तीय संसाधन जुटाये जाने हेतु अन्य विकल्पों पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय विधायक।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यथास्थिति का वर्णन किया है। पिछली सरकार के समय 24.09.2013 को 421.34 करोड़ रुपये का सीवरेज का टेंडर जारी हो गया था और टेंडर के अन्तर्गत काम होना था। सरकार बदली,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार बदलने के बाद में कुछ विषयों को कमेटी के सामने रख दिया गया और उस विषय के अन्तर्गत यह टेंडर भी निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद में उस क्षेत्र का काम रुक गया और उसके बाद में कई प्रकार के स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने दिये लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब जो स्थिति है वह यह है कि NCRPB ने इस योजना की दुबारा मंजूरी कर दी थी, मंजूरी कर जयपुर विकास प्राधिकरण को भेज दिया था और ऋण मंजूर कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार से गारंटी देने की बात की कि NCRPB को अगर राज्य सरकार गारंटी दे देगी तो ऋण के रूप में रुपये प्राप्त हो जाएंगे और प्राप्त होने के बाद में काम प्रारम्भ हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने गारंटी देने के बजाय यह लिख दिया कि जयपुर विकास प्राधिकरण इसका अन्य कोई रास्ता ढूंढ़े और जयपुर विकास प्राधिकरण के पास में आज के समय में इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि वह गारंटी दे सके या और कोई गारंटी ले सके। इस कारण से उस सारे क्षेत्र की सीवरेज की जो लाइन थी वह रुक गई और उस पर काम नहीं हो रहा है। मैं मंत्रीजी को यह तो धन्यवाद दूंगा कि जो नाली बनाने के लिए 78 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था थी उसको स्वीकार करने के लिए आपने कहा है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण पृथ्वीराज नगर का जो रुपया जमा हुआ है और जो नियमन हुआ है उसमें सीवर लाइन से सम्बन्धित पैसा भी था वह भी उसमें जमा किया गया है। इसी प्रकार से गोरधन नगर से लेकर पूरा जो यह इलाका है इसमें सीवर लाइन नहीं है और इसके कारण से गड्ढे बनाकर, पिट्स बनाकर उसमें मल डाला जाता है। उसके कारण से लाखों इस प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं जिनका पानी भूगर्भ में जाता है और वह बहुत अधिक गहराई तक जाता है जिससे एक बहुत बड़ी एपिडेमिक फैलने का खतरा है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जयपुर को जब हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की घोषणा की है और स्मार्ट सिटी के बारे में जिस प्रकार के सारे काम दिये हैं उनमें एक काम यह भी है कि जयपुर में अगर सीवरेज ही नहीं होगी, सीवरेज की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जल-मल निकासी की व्यवस्था इस क्षेत्रों में नहीं होगी तो किस प्रकार से स्मार्ट सिटी का रूप दिया जा सकता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं यह बात मानने के लिए तैयार हूं कि राज्य सरकार की भी फाइनेंशियल मजबूरियां हैं और जयपुर विकास प्राधिकरण की भी फाइनेंशियल मजबूरियां हैं। लेकिन भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत जब आपको 1775 करोड़ रुपये मिल रहे हैं और केवल हमको गारंटी देनी है और गारंटी देने के बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण वह काम करने के लिए तैयार है तो मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार गारंटी दे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार से गारंटी मांगी है और NCRPB ने इस ऋण को मंजूर कर दिया तो जब ऋण मंजूर हो गया है, योजना का पूरा नक्शा बन गया, नक्शा बनकर प्रथम चरण और द्वितीय चरण में क्या-क्या काम होगा, यह काम पूरा हो गया और वहां पर इस प्रकार के सर्वे पर भी 160 करोड़ खर्च हो चुके तो जब सर्वे पर रुपया खर्च हो चुका, भारत सरकार ने आकर इसको देख लिया, मंजूरी की सारी बात हो गई, एक बार मंजूर होकर उसका टेंडर जारी हो गया और दूसरी बार के लिए 1750 करोड़ का लोन आने की बात हो गई तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार ऋण की गारंटी दे। ऋण की गारंटी सरकार देने में असमर्थ हो तो अन्य किसी प्रकार से काम करके इस कार्य को प्रारम्भ किया जाये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: हां, माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इसको प्रारम्भ नहीं किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इससे तीन-चार खतरे हैं। एक बात, वहां पर पानी निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। अधिकांश वह सारा जो क्षेत्र है पृथ्वीराज नगर का एक थोड़ा सा इलाका छोड़कर, सारे क्षेत्र के तीनों वार्ड शिड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित वार्ड हैं और उनमें छोटे-छोटे, 50-50, 100-100 गज के मकान बने हुए हैं। उनके छोटे-छोटे पिट्स बने हुए हैं। उनको निकलने का रास्ता ही नहीं है और बरसात के समय में तो उनकी हालत बहुत खराब होती है, एक बात।

दूसरी बात, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर वह जल-मल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो वहां का भूगर्भ जल बहुत कम है और जितना है, वह भी प्रदूषित होगा और जब भारत सरकार ऋण देने के लिए तैयार है तो केवल गारंटी के लिए इसको नहीं रोकें और, माननीय मंत्री महोदय, मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपसे आग्रह करूंगा कि आप निश्चित रूप से इस पर विचार करें और विचार करके इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करें। यही मेरा आपसे आग्रह है।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री महोदय, रिजोइन करेंगे? हां, रिजोइन है, रिजोइन है।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि पृथ्वीराज नगर योजना में अभी तो आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन कई योजनाओं पर सड़कों पर, पानी की व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपया हमारी सरकार ने उसमें खर्च किये हैं। माननीय सदस्य ने एनसीआर पीबी, नई दिल्ली से ऋण प्राप्तिके संबंध में जो बात कही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें मेरा यही निवेदन है कि 2016 को हमने प्रस्ताव प्रेषित कर दिया। ऋण की शर्त के अनुसार राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की जो हमारी बैठक होती है, उस बैठक में 21 अप्रैल, 2016 में उसको अनुमोदित भी हमने कर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेडीए की गारंटी नहीं होती है। इसमें वित्त विभाग की गारंटी होती है...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): भारत सरकार की, राज्य सरकार की।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत शासन मंत्री): भारत सरकार और राज्य सरकार की। गारंटी प्राप्त करने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित किये गये, जिस पर वित्त विभाग ने 30 जून, 2016 को इस टिप्पणी के साथ पत्रावली वापस प्राधिकरण को लौटा दी। फिर प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर वह असहमत थे तथा ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी के अतिरिक्त अन्य विकल्प पर विचार करने की उन्होंने हमको सलाह प्रदान की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रावली पुन: राज्य सरकार के माध्यम से वित्त विभाग को भेजी गई, जिस पर वित्त विभाग द्वारा 06.07.2016 को पत्रावली कुछ बिन्दुओं पर पुन: जानकारी प्राप्त करने के लिए लौटाई गई।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात् प्राधिकरण स्तर पर प्रथम चरण में पृथ्वीराज नगर, सांगानेर एवं उसके समीपस्थ जितने भी क्षेत्र हैं, उसके लिए 500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन हैं। मैं यही कह सकता हूं, वर्तमान में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के मद्दे नजर, आपको भी पता है वित्तीय स्थिति हमारी कैसी है? लेकिन उसके मद्दे नजर रखते हुए एनसीआर पीबी, नई दिल्ली से ऋण अथवा प्राधिकरण स्तर पर वित्तीय संसाधन जुटाये जाने हेतु अन्य विकल्पों पर हम परीक्षण करा रहे हैं, विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री ज्ञानचन्द पारख।

## पाली शहर स्थित जगदम्बा कालोनी, नया गांव में वर्षों पूर्व बसी बस्ती का नियमन

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के अन्तर्गत पाली शहर की जोगमाया की ढाणी में करीब 40 वर्षों से भी पूर्व बसे परिवारों के मकानों के नियमन करने हेतु माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जगदम्बा कालोनी, नया गांव, पाली की पूर्व में वर्षों तक बसी हुई कच्ची बस्ती को नियमित करने के बारे में बात कही है। माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करता हूं कि नगर परिषद, पाली के द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के परिवारों को भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए साई एवं सर्विस योजना के तहत पाली शहर के नया गांव के पास आवासीय योजना बनाई जाकर दिनांक 18.3.1987 को लाटरी पद्धति से 126 व्यक्तियों को 13 गुणा 33 फीट माप के भूखण्ड आवंटित किये जाकर अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। इन आवंटियों को भौतिक कब्जा देने से पूर्व ही माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आवंटित इनको किया, उससे पूर्व अन्य व्यक्तियों द्वारा उन भूखण्डों पर सम्मिलित करते हुए अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कर लिये गये। इस कारण मूल जो आवंटी थे,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उनको भौतिक कब्जा हम नहीं दे सके। उक्त भूमि योजना क्षेत्र होने के कारण क्योंकि यह भूमि योजना क्षेत्र की है, आपको ही पता है, वह होने के कारण इस भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उक्त भूमि पर परिषद द्वारा आवासीय कालोनी काटकर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को आवंटन करने के उपरान्त इस भूमि पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण कर पक्के निर्माण करवाये जाने के कारण, न तो आवंटित व्यक्तियों को कब्जा दिया जा सका, न ही उक्त भूमि योजना क्षेत्र की होने के कारण इन काबिज अतिक्रमियों का नियमन किया जा सकता है। फिर भी उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में शीघ्र एक कमेटी का गठन कर, प्राप्त रिपोर्ट परीक्षण उपरान्त नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करने की कार्यवाही करने का मैं इनको विश्वास दिलाता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: कोई सवाल माननीय पारख साहब?

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने तो वही जवाब दिया है, जो विभाग ने भेजा है। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत शासन मंत्री): प्रद्युम्न सिंहजी हैं, उनको तो आने दो साहब। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने तो विभाग ने जवाब भेजा है, उसकी जानकारी दे दी पर मैं माननीय मंत्री महोदय को उसकी हकीकत बताना चाहता हूं। यह बस्ती कम से कम 50 साल पूर्व बसी हुई थी। 50 साल पहले... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: सब मतलब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो लोकतंत्र की हत्या है माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: कोई बात नहीं। हत्या हो गई तो हो गई। हत्या हो गई तो हो गई। आपको यह बोलने का हक ही नहीं है। रोज यहां हत्या हो रही है और आप बोल रहे हो। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): आपने 14 माननीय सदस्यों को बाहर निकाला है, हमें भी आप निकाल दो, हम निकलने के लिए तैयार हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आपको हत्या पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। रोज आप यहां हत्या करा रहे हो। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): इस राजस्थान की विधान सभा का सबसे काला दिन...

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये, बैठिये। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: निकालने का क्या है, निकाल देंगे। ऐसे नहीं है। अंकित नहीं हो।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: रोज हत्या कर रहे हैं यहां लोकतंत्र की।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: प्रतिपक्ष के नेता, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। बैठिये। आपको बोलने की इजाजत नहीं दी गई है, बैठिये।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: यहां लोकतंत्र की हत्या आपने की है। तीन दिन से लगातार कर रहे हैं। आप विराज जाइये।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: निकाल देंगे वह भी अवसर आएगा तो। हां, निकाल देंगे। निकाल दिये 14 को तो। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप भी धरना दो, मैं निकालूंगा आपको भी... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, आपको कोई बात कहनी है। प्रतिपक्ष के नेता, आप नियमों में आकर अपनी बात कहें। आप कौनसे नियमों में बोल रहे हैं? कौनसे नियमों में बोल रहे हैं आप?

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप आसन को ललकारने का काम कर रहे हैं, यह आपको शोभा देता है? आसन सर्वोपरि है। आसन से प्रार्थना की जा सकती है। आसन से विनय किया जा सकता है। आसन से अनुरोध किया जा सकता है। आसन से इस प्रकार की भाषा, यह अनुचित बात है। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): एक मिनट, डूडी साहब, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 14 लोगों को एक्सपेल किया...

**श्री अध्यक्ष**: किया है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): किया। हमारा नाम नहीं था।

**श्री अध्यक्ष**: आप अनुशासित विधायक हैं, इसलिए नहीं है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मेरी आप बात सुन लें कृपया। कम से कम मुझे देखकर तो शांत हो जायें आप। मुझे देखकर तो शांत हो जायें आप।

**श्री अध्यक्ष**: यह कोई नियम नहीं है कि किसी को देखकर शांत हो जाऊं। विवेक के आधार पर निर्णय लेता हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, आपने 14 लोगों को एक्सपेल किया। प्रस्ताव लाये, स्वीकार हो गया। हमारा नाम नहीं था। हम अंदर आ रहे थे। मुझे एक आदमी ने धक्का दिया। ईमानदारी से कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: ईमानदारी तो आजकल चल ही नहीं रही है। बोलिये आप जो आपको बोलना है। आपको जो बोलना है, वह बोलिये। ईमानदारी शब्द है, उसको बदनाम कर दिया इन्होंने।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): अगर आप इतने ही हैं, सुनिये मेरी बात। अध्यक्ष महोदय, मार्शल साहब आये, उन्होंने कहा, नहीं, इनको जाने दो। हम लोग आ गये अंदर। अब यह तो बड़ा अनुचित व्यवहार है। हम आपके पास इसलिए...

**श्री अध्यक्ष**: व्यवहार बिलकुल उचित है मेरा। जिस तरह की हुड़दंगी यहां होती है, उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं आपको व्यवहार की नहीं कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: तो आपने कहा, अनुचित व्यवहार कैसे है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं आपके ऊपर कैसे कह सकता हूं, आपका व्यवहार अनुचित है।

**श्री अध्यक्ष**: यहां अनुचित व्यवहार हो रहा था आपकी उपस्थिति में। आप कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं। अनुभवी हैं। आपने कभी रोकने की कोशिश की तीन दिन में? कोई मानता ही नहीं है आपकी। आपके यहां लीडरशिप का झगड़ा है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हमारा कोई लीडरशिप का झगड़ा नहीं है।

**(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)**

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: वह बोल रहे हैं। आप बैठिये।

**श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: जो हुआ जो हुआ। यह मतलब हुआ।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: यहां बैठकर देखो, मैं निकालता हूं कि नहीं? यहां बैठकर देखो, मैं निकालता हूं कि नहीं?

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: बैठो यहां। (व्यवधान) मार्शल, इनको निकालो। यहां बैठने का नहीं है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): ठीक है, हमें भी निकाल दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: आपको भी निकाल देंगे। आइये, बैठिये। (व्यवधान) आइये बैठिये। प्रस्ताव लाओ जी इनका भी। यह अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अनुभवी हैं। विधान सभा चलाने में आपकी मदद की जरूरत है और आप हुड़दंगियों का साथ देते हैं। (व्यवधान) हां, निकाल देंगे। प्रस्ताव लाओ अभी।

(श्री अध्यक्ष)

**(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोलना)**

निकाल देंगे। +++ मैं क्या निकालूं जनता निकालती है। जनता निकालती है। प्रक्रिया में आइये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री अध्यक्ष**: जनता का गुस्सा आपके प्रति है।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये। जो करना हो कीजिये। बात करनी हो तो मेरे चैम्बर में आइये। कोई बात करनी हो तो चैम्बर में आइये। मैं चैम्बर में जा रहा हूं, वहां आइये।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री अध्यक्ष**: मैं निकाल दूंगा, आप यह मत सोचना कि नहीं निकाल सकता। हां, निकाल दूंगा अनुशासनहीनता करोगे तो निकाल देंगे। ये कर रहे हो अनुशासनहीनता नहीं, कर रहे हो क्या? यह अनुशासनहीनता है।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**(माननीय नेता प्रतिपक्ष द्‌वारा सदन कूप से भाषण जारी)**

**श्री अध्यक्ष**: हां, निकाल देंगे मौका आया तो। अनुशासनहीनता करके बोल रहे हैं।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): 000

**श्री अध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है। आप सवाल कीजिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में सच्चाई लाना चाहता हूं।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): पूर्व में रह रहे थे ये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): ये पचास साल से पहले से रह रहे थे और 1987 में तत्कालीन बोर्ड ने बिना देखे कि जमीन खाली है या नहीं, गरीब परिवारों के साथ बहुत बड़ी ठगी कर दी जिन्होंने दो बच्चों के ऊपर नसबंदी करायी थी उनको वहां योजना बना कर भूखंड आबंटन कर दिये और बाद में जब वहां पर गये तो देखा कि वहां तो पूरी की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है कोई पाइंट ऑफ इनफोर्मेशन नहीं होता।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): उनको हटाया जाना संभव नहीं है और उनको आज तक नहीं हटाया जा सका। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: आप चालू रखिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है कि इनका नियमन करवा दो।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जगदम्बा कॉलोनी, पाली के बारे में कहा है मैं इसमें माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि नये आबंटन करने से पहले ही वहां पर कब्जे थे तो उन्हें वहां नियमित करने तथा नये आबंटियों को किसी वैकल्पिक भूमि पर योजना सृजित करके वहां शिफ्ट करने की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा। ठीक है, साहब?

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रमाण मैं लाकर दूंगा आपको। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): थैंक यू।

**श्री अध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है इसके बाद मौका दूंगा। बैठिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): 000

**श्री अध्यक्ष**: देखेंगे, उस समय उचित होगा तो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया?

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा काम हो गया।

**श्री अध्यक्ष**: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

# अधिसूचनाएं

## वित्त विभाग

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-06 दिनांक 25.04.2017 जिसके द्वारा मजारकाठ, नीमराना, जिला-अलवर में रीको द्वारा यथा विकसित, जापानी विनिधानकर्ताओं द्वारा स्थापित इकाई (इकाइयों) द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर संदेय कर, प्ररूप 'ग' में घोषणा प्रस्तुत करने पर 0.25 प्रतिशत की दर से संगणित किया गया है; एवं
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-07 दिनांक 25.04.2017 जिसके द्वारा गिलोठ औद्योगिक क्षेत्र, जिला-अलवर में रीको द्वारा यथा विकसित, जापानी जोन-2 में जापानी विनिधानकर्ताओं द्वारा या कोरियाई जोन में कोरियाई विनिधानकर्ताओं द्वारा स्थापित इकाई (इकाइयों) द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर संदेय कर, प्ररूप 'ग' में घोषणा प्रस्तुत करने पर 0.25 प्रतिशत की दर से संगणित किया गया है।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता भदेल।

## महिला एवं बाल विकास विभाग

**श्रीमती अनिता भदेल** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

(श्रीमती अनिता भदेल)

1. अधिसूचना संख्या: एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2017 दिनांक 23.03.2017 जिसके द्वारा राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 विरचित किये गये हैं;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2017 दिनांक 23.03.2017 जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (स्पेशल सलेक्शन एण्ड स्पेशल कण्डीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स एण्ड अदर्स ऑफिसर्स इन द् वुमेन्स डवलपमेंट प्रोजेक्ट) (रिपील) नियम, 2017 विरचित किये गये हैं; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2017 दिनांक 23.03.2017 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतिस्पर्धा द्वारा सीधी भर्ती) (संशोधन) नियम, 2017 विरचित किये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री अजय सिंह।

# प्रतिवेदन एवं लेखे

## राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014 से 2016

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54 (14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 श्री राजपाल सिंह शेखावत।

# विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

## राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद आप बोल सकेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: बोलिये-बोलिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सम्मानपूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कुछ हुआ, पहले भी कई बार ऐसे दृश्य सदन में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आज दिन तक इस प्रकार का हार्श निर्णय कभी सदन में नहीं हुआ।

**श्री अध्यक्ष**: बहुत हार्श। हार्श ही नहीं, बहुत हार्श।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, बहुत ज्यादा हार्श। मैं वही कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: मैंबर्स को अनुशासित करने के लिए लिया गया है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं और मैं सत्ता पक्ष में माननीय कटारिया जी बैठे हैं सारा मंत्रिमंडल बैठा है, राजेन्द्र राठौड़ जी बैठे हुए हैं, क्या यह उचित था इस प्रकार का प्रस्ताव लाना? क्या इस प्रकार का प्रस्ताव लाना उचित था? आज 24 की हमारी संख्या है। 12 को आपने निकाल दिया। ...(व्यवधान)... आप सुन लें। नहीं सुनना चाहें, तो आपकी मर्जी है। संख्या बल के आधार पर आप नहीं सुनना चाहो, किसी प्रकार यह रिजोल्व हो सकता है कि नहीं, कटारिया जी को बहुत लंबा अनुभव है, आपको बहुत लंबा अनुभव है राठौड़ साहब, सदन में कभी इस प्रकार के दृश्य उत्पन्न नहीं हुए हैं यहां। मैं उस विधान सभा में भी लंबे समय तक बैठा हूं। क्या राज्यपाल महोदय का कुर्ता नहीं फाड़ा गया था? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। स्वर्गीय रघुनाथ जी विश्नोई, मारा था खींच कर कान फट गया पूरा यहां, चार टांकें आये। यहां पर इस सदन में हुआ। देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय गवर्नर थे वहां पर वहां हुआ है यह। किसके साथ नहीं हुआ? आप जब प्रतिपक्ष में थे, क्या नहीं करते थे?

तो मेरा आपसे सिर्फ अनुरोध यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि या तो हम जो बारह बचे हैं हम स्वत: ही चले जाएंगे हमारा भी निलम्बन कर दिया जाए। हम जो बारह बचे हुए हैं हमारा भी निलम्बन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कर दीजिये। क्या मतलब है। आज मैं आपसे पुन: अपील कर रहा हूं कृपया अपने निर्णय के ऊपर, क्योंकि आज सत्र का अंतिम दिन है आज समाप्त हो जाएगा, मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं कि सदन के अन्दर इस प्रकार हुआ है कई बार हुआ है आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस पर सोच लें और आप चाहें अगर आप इतने अड़े हुए हैं उसके ऊपर तो आप हमको भी निकाल दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: बिना कारण के किसी को नहीं निकाला जाएगा। कोई मांगे कि मुझे निकालो तो वह नहीं निकाला जाएगा। निकालने की प्रक्रिया बिलकुल नियमों के अनुसार होगी, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। मांगने से नहीं निकाला जाएगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): बिना किसी कारण के तो अगर आप चाहें, आज दिन तक तो, सुनिये, आज दिन तक तो हमने अनुशासनहीनता कम से कम मैंने नहीं की है, आप चाहें तो मैं भी बैठ जाता हूं, आप अनुशासनहीनता मान कर मुझे भी निकाल दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: आप तो कभी भी बैठें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): अगर आप मुझे कम्पैल कर रहे हैं। अगर आप मुझे कम्पैल कर रहे हैं यहां बैठने के लिए सदन के अन्दर, मैं तो तकलीफ की वजह से कभी वैल में जाता नहीं हूं, लंग पॉवर है नहीं, चिल्ला सकता नहीं हूं अगर आप चाहते हैं कि अनुशासनहीनता हम करें तो वह भी स्वीकार है। वह भी स्वीकार है, हम करने के लिए तैयार हैं। आप प्रस्ताव ले आइये। फिंकवाइये, हड्डी टूट गयी कमर की तो बिलकुल अपाहिज...।

**श्री अध्यक्ष**: आपने अपनी बात कह दी, विराजिये।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत लंबा अनुभव है। इस प्रकार की घटनाएं कई बार हुई इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उन पर कार्यवाहियां भी हुई, यह भी रिकार्ड पर नोट किया हुआ है, लेकिन आज मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न 18 मिनट तक लगातार चल रहा है सवाल-जवाब हो रहे हैं। आसन ने एक माननीय सदस्य के प्रश्न को उसको जितने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सप्लीमेंट्री करने हैं उतने करने दिये। दूसरे ने जिसने किये वह भी आपके सदस्य श्री सुखराम जी को भी बराबर मौका दिया और तीसरा जब उन्होंने जोगाराम जी का नाम पुकारा तो आपके सचेतक ने जो व्यवहार किया और उसके बाद वैल में आकर जिस प्रकार से क्वेश्चन ऑवर को एक तरह से न चलने दिया, क्या आप राजस्थान की जनता को यह संदेश देना चाहते हो, कोई कारण हो, कोई घटना हो, कोई इतना उद्वेलित करने वाला विषय आ गया हो, पब्लिक से संबंधित कोई विषय आ गया हो, कोई तूफान हो गया होगा, कोई मर्डर हो गया होगा या कोई चीज हो गई होगी, समझ में आ सकता है कि उस पर आप उद्वेलित हो गये, वह बात समझ में आ सकती है। आज की इस घटना के आधार पर आपमें से कोई भी माननीय सदस्य अपने दिल पर हाथ रख कर कह दो कि आज के क्वेश्चन ऑवर के डिस्कसन में कोई ऐसी स्थिति थी क्या कि वैल में आकर इस क्वेश्चन ऑवर को नहीं चलने देने की जिद करना, क्या यह उचित लगता है?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप इजाजत दें तो मैं कह दूं? राजेन्द्र जी प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए, आप उसके बाद कह लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सारा कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि पूर्व में परम्परा थी हाथ उठाकर हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए आसन का ध्यान आकर्षित करते थे। उसके बाद में यह कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी कि आप बटन दबा दीजिए, जिसका नाम इस पर आ जाएगा तो मैं उसको सप्लीमेंट्री के लिये अलाऊ कर दूंगा। यह आपका प्योर डिस्क्रिशन है। कंप्यूटर पर नाम आने के बाद भी मैं मानता हूं कि आप अलाऊ करें या न करें, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन उस कन्फ्यूजन में श्री डोटासरा ने बटन दबाया, वह शायद उनको वहां से दिख रहा होगा, मेरी तो आंखें इतनी कमजोर है कि मैं तो पढ़ भी नहीं सकता हूं कि वहां क्या लिखा हुआ है, मैंने पूछा, उनका यह कहना था ...(व्यवधान)... सुन लीजिए, मैंने शुरू में ही कन्फ्यूजन वर्ड कह दिया, मैंने शुरू में ही कन्फ्यूजन वर्ड कह दिया।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वहां से बैठे-बैठे उनको दिख गया।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप से तो भगवान भी हारा, राठौड़ साहब।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय विधायक, यह स्क्रीन मैंने अपनी सुविधा के लिये लगाई है। 15 बटन दबे हुए आ जाएं तो मैं 15 को ही अलाउ नहीं कर सकता हूं।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मान रहा हूं। मेरा भी बिलकुल यह विचार है, अगर मैं आसन पर होता, आपने मुझे भी पैनल पर ले रखा है, अगर मैं आसन पर होता कि कोई आवश्यक नहीं है कि 10 आदमी, 15 आदमी बटन दबा दें तो आसन सबको थोड़े ही सप्लीमेंट्री अलाऊ करेगा, मैं खुद आपकी बात को मान रहा हूं। लेकिन उनके दिमाग में जो बात थी कि साहब, कंप्यूटर पर हमारा नाम आ गया, हमको सप्लीमेंट्री नहीं करने दी ...(व्यवधान)... सुन लो आप, मदन जी, इस आग में घी डालो तो और डालो। इस आग में घी और डालना है तो पूरा पीपा उंडेल दो आप। आपके यहां भी इस सदन में समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वह भी लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। आप इस तरह की बात करके इस मामले को रिजोल्व नहीं होने देना चाहते तो आपकी मर्जी। आप नहीं चाहते तो मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, सारा कन्फ्यूजन इसी वजह से हुआ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि डिस्टर्ब करने की कोई इंटेन्शन नहीं थी। मामूली मुद्‌दा ऐसा था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। सरकार का अपना जवाब था। उनका अपना व्यू पाइंट था कि पट्‌टे नहीं मिले तो कैसे यह योजना लागू होगी, वह लंबा विषय है, मैं उसको खोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया जो आपने कठोर निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करें अन्यथा आप हमको भी निकाल दें। हम आपसे हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि सदन से आप हमको भी निकाल दें जिससे सारा झगड़ा ही खतम हो जायेगा। We don't want that we should be treated as a black sheep. वे लोग निकाल दिये गये और हम सदन में बैठे हुए हैं, कम से कम हमारे लिये यह संभव नहीं होगा। मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कटारिया जी, मेरा आपसे अनुरोध है आप सीनियर मोस्ट हैं, राजेन्द्र राठौड़ जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमको भी निकाल दें।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजपाल सिंह शेखावत...(व्यवधान)...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): कृपया हमें निकाल दीजिए, बिना हुड़दंग के आप हमें निकाल दीजिए, हम स्वीकार कर रहे हैं। हम न हुड़दंग कर सकते हैं, आप हमें निकाल दीजिए, हम तैयार हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ सदन में हुआ मैं समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा के लिए आज का दिन शर्मनाक था। अध्यक्ष महोदय, यह भी सही बात है कि आपकी सहृदयता का चाहे पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, कई बार हम बेजा फायदा उठाते हैं। सवाल के जवाब में सप्लीमेंट्री करने का अधिकार है, पर सप्लीमेंट्री करके पूरे सदन को हाइजैक करना, यह प्रवृत्ति कुछ बनती जा रही है। अभी राजाखेडा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें भी निकाले। आप हमेशा नियमों की पालना करते हैं, जो नियमों की पालना करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की कोई मंशा भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा आपने सदन को दो बार आधे आधे घंटे के लिये स्थगित किया और आप जब भी स्थगित कर रहे थे तब हम आपसे पूछ रहे थे कि सदन ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: उनको बोलने दीजिए।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): उसके बाद मार्शलों को कहा कि फेंक दो बाहर। अध्यक्ष महोदय, हाउस स्थगित करने के बाद मार्शलों को बुलाकर बाहर ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: उनको अपनी बात रखने दीजिए ...(व्यवधान)... इनकी भी आदत पड गई है ...(व्यवधान)... इनको बोलने दीजिए।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... यह व्यवस्था दी थी। आपके द्वारा व्यवस्था दी गई थी ...(व्यवधान)... राठौड साहब, क्वेश्चन ऑवर में आसन के द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि जो पहले बटन दबायेगा उसका नाम आएगा।

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो। उनको बोलने दीजिए। इनको स्थापित करना है इनके आपसी झगड़े में ...(व्यवधान)... कांग्रेस के झगड़े में इनको तो अपना सुलटारा करना है ...(व्यवधान)...

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: ...(व्यवधान)... अनुशासनहीन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता रहेगा ...(व्यवधान)...

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: ...(व्यवधान)... आप डाइल्यूट करना चाहते हैं...(व्यवधान)...

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप विराजो तो सही। ...(व्यवधान)... आप विराजो तो सही।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दो मिनट, दोमिनट। आप मेरे कहने के बाद खड़े हो जाना।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप कह रहे हैं कि आसन सर्वोपरि है तो आसन की बात तो सुनो।

**श्री अध्यक्ष**: ...(व्यवधान)... यह हालत तो आपकी जनता ने की है ...(व्यवधान)...

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप विपक्ष के नेता हो, आप सुनो। ...(व्यवधान)...

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप बार बार कह रहे हो कि आसन सर्वोपरि है, आसन की बात तो मानो।

**श्री अध्यक्ष**: ...(व्यवधान)... राय मांगनी पड़ती है। ...(व्यवधान)... इनकी तो राय मांगनी पड़ती है।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: राय मांगनी पड़ती है उसको कौन मना कर रहा है।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं। ...(व्यवधान)...

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनिए आप ...(व्यवधान)...

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बात तो सुनिए, दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था जब आपने दो बार सदन को स्थगित किया और मैंने आपसे जाकर पूछा कि अब आप सदन को स्थगित क्यों कर रहे हो तो आपने कहा कि मुझे वेदना है और मैं सोच रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष में कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आ कर आज की पूरी घटना की माफी मांगते हुए यह कहेगा कि इस गतिरोध को समाप्त करो। दूसरी बार भी जब आपने कहा कि कोई नहीं आया, तभी आपने कार्यवाही आगे बढाई। अध्यक्ष महोदय, आज तक कई बार गतिरोध भी पैदा हुए हैं ...(व्यवधान)...

**श्री प्रद्‍युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): राठौड साहब, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, कुछ चीजें मैं यहां सदन में नहीं कहना चाहता हूं, तब भी कहना पड़ रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: कह दीजिए, कह दीजिए।

**श्री प्रद्‍युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए।

**श्री अध्यक्ष**: आप आये थे, मुझे मालूम है, मैंने कहा कि मैं यह बर्दाश्त नहीं करुंगा।

**श्री प्रद्‍युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां मैं आया था। आपने यह कहा कि कोई नहीं गया। अध्यक्ष महोदय काफी गुस्से में थे। ...(व्यवधान)... मैं अध्यक्ष महोदय के पास गया था। उस वक्त अध्यक्ष महोदय भोजन कर रहे थे। उन्होंने कृपा पूर्वक कहा कि आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, मैं बैठा वहां। अध्यक्ष महोदय काफी क्रोधित थे। ...(व्यवधान)... आप सुन लो, मेरा आप निवेदन सुन लो, आज जो कह रहे थे ना कि कोई नहीं गया, मैं गया था अध्यक्ष महोदय के पास। लेकिन अध्यक्ष महोदय काफी क्रोधित थे, जब

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैंने उनका मन नहीं देखा, मूड नहीं देखा तो मैं वहां से उठकर चला गया। मैं गया था ...(व्यवधान)... यह आप मत कहिए कि कोई नहीं गया था। ...(व्यवधान)...I take liberty with him. मैं जाता रहता हूं इनके पास। वक्त बे वक्त जाता रहता हूं, मेरी बात सुनते भी हैं, मेरी बात मानते भी हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि कटारिया जी, आप इसके ऊपर कुछ न कुछ कराइए।

नहीं तो हमको भी निकाल दो। हमें भी निकाल दीजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप विराजें। अध्यक्ष महोदय, कोई औपचारिकता से भरा हुआ माफीनामा या कोई क्षमा याचना ये करते तो समझ में आता। अध्यक्ष महोदय, हम यह प्रस्ताव भारी मन से लेकर आए हैं। इस सदन की गरिमा जब तार-तार हो गई, तब लेकर आए हैं।

**श्री अध्यक्ष**: कभी-कभी भारी मन करना पड़ता है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जब चैम्बर में इनको अभी कहा। आपके चैम्बर में आने के लिए अभी कहा। अभी ये नहीं मान रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): Kindly expel us. आप हमको निकाल दीजिए।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री अध्यक्ष**: खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 14, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 2 से 14 स्वीकार किए गए।

प्रभारी मंत्री, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 15(5) स्पष्टीकरण-क में विद्यमान अभिव्यक्ति 'उन दोनों पर प्रत्यक्ष रूप से' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से' प्रतिस्थापित की जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 15 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 15 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड 16 से 48, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 से 48 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 16 से 48 स्वीकार किए गए।

प्रभारी मंत्री।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 49(2) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'अनुसरण में संधारित' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'अनुसरण में प्रत्यय' प्रतिस्थापित की जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 49 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 49 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 49 संशोधित रूप में स्वीकार किया।

खण्ड 50 एवं 51, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 50 एवं 51 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 50 एवं 51 स्वीकार किए गए।

खण्ड 52 में संशोधन प्रस्ताव कीजिए।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 52(4) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'दस दिवस के पश्चात्' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'दस दिवस के भीतर' प्रतिस्थापित की जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 52 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 52 संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 52 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 53 से 78, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 53 से 78 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 53 से 78 स्वीकार किए गए।

खण्ड 79 में संशोधन प्रस्तुत कीजिए।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 79(1)(ग)(iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'इस नियम या तद्धीन बनाये गये सभी नियमों के परिणाम' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी परिणाम' प्रतिस्थापित की जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 79 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 79 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 79 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड 80 से 91, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 80 से 91 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 80 से 91 स्वीकार किए गए।

प्रभारी मंत्रीजी खण्ड 92 में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 92 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और वसूली जायेगी जैसे कि उसका कराधेय के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'और ऐसे प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक से उसी प्रकार और उसी सीमा तक वसूली होगी जो वह कराधेय व्यक्ति से इस प्रकार अवधारित और वसूली होती मानो व कराधेय व्यक्ति' प्रतिस्थापित की जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 92 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 92 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 92 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 93 में संशोधन प्रस्तुत कीजिए।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 93(4) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'कराधेय व्यक्ति से संरक्षकता या न्यास के समापन तक' प्रतिस्थापित की जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 93 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 93 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 93 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड 94 से 121, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 94 से 121 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 94 से 121 स्वीकार किए गए।

प्रभारी मंत्री।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 122(3)(क) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'उप-धारा (0031)' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'उप-धारा (1)' प्रतिस्थापित की जाए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 122 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 122 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 122 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 123 से 174, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 123 से 174 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 123 से 174 स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1, 2 एवं 3 स्वीकार की जाए?

**(स्वीकृत)**

अनुसूची 1, 2 एवं 3 स्वीकार की गई।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

## विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

**श्री अध्यक्ष**: मानिक जी, आप बोलेंगे ना?

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): जी।

**श्री अध्यक्ष**: श्री मानिक चन्द सुराना।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): आज मौसम तो नहीं है बोलने का, वातावरण भी नहीं है, फिर भी मैं कुछ मेरा कर्तव्य निभाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वर्तमान देश का कानून चाहे सेंट्रल जीएसटी है चाहे स्टेट जीएसटी है, चाहे इंटीग्रेटेड जीएसटी है। इस कानून की सबसे बड़ी खूबी यह है कि देश

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की सभी राजनीतिक पार्टियों में, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे विभिन्न, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जितनी विभिन्न पार्टियां देश में है, जिनके मुख्यमंत्री हैं और उनके वित्त मंत्री हैं, उन सारे वित्त मंत्रियों ने माननीय अरूण जेटली जी की अध्यक्षता में बैठकर, सारे देश के विभिन्न प्रान्तों के विभिन्न टैक्स रेट्स को एक करने के लिए, ताकि अन्तरराज्यीय व्यापार खुला हो, ताकि देश में एक ही तरह का टैक्स हो।

**(14.52 बजे)**

**(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)**

दिल्ली में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग और राजस्थान में अलग नहीं हो। इन विभिन्नताओं को एक रूपता देने के लिए यह जो कानून लाया गया है निश्चित रूप से हमारे देश की पूरी अक्ल, सारी राजनीतिक पार्टियों की अक्ल और राजनीतिक पार्टियों के कन्सेनसस बनाने का परिणाम है कि यह एक्ट सेंट्रल में पास हुआ।

**श्री सभापति**: कृपया शांति रखें।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): स्टेट जीएसटी के रूप में आज हमारे सामने हैं। जिसमें अभी माननीय मंत्री जी ने अनेक संशोधन किये हैं। माननीय सभापति महोदय, यह डेस्टीनेशन बेस्ड, कंजम्पशन टैक्स है। जहां माल की खपत होगी वहां पर टैक्स लागू होगा। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनपुट क्रेडिट जो टैक्सों का कैसकेडिंग इफैक्ट था कि एक टैक्स यहां लग गया, दूसरा टैक्स वहां लग गया, एक टैक्स का दूसरे टैक्स में मुद्रा नहीं किया जाता था, एडजेस्ट नहीं किया जाता था, उसको री-पे नहीं किया जाता था। उस अर्थव्यवस्था की हमारी वित्तीय टैक्स की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसके कारण एक आदमी ने जो टैक्स एक बार दे दिया है वह टैक्स दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है।

मैं छोटे से उदाहरण से इसको शुरू करूंगा। मान लीजिए किसी ने दस हजार रुपये का माल खरीदा और दस परसेंट टैक्स है, तो उसने एक हजार का टैक्स दे दिया और उस आदमी ने वापिस माल पन्द्रह हजार में बेचा तो उस पर 1500 रुपये का टैक्स आयद हुआ। अब वह अपने खाते में हजार रुपये जो उसने चुकाए हैं उसको एडजेस्ट करके सिर्फ 500 रुपये का टैक्स

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राज्य सरकार को, भारत सरकार को देगा। इस टैक्स में भारत सरकार का प्रशासन भी है और राज्य सरकार का प्रशासन भी है। दोनों ही प्रशासनिक अधिकारियों को पूरे अधिकार है, भारत सरकार जिस तरह एडमिनिस्टर, राजस्थान में दस परसेंट टैक्स पे करने वालों को एडमिनिस्टर करेगी उसी तरह से 90 परसेंट टैक्स को राजस्थान में, अधिकारी उसको एडमिनिस्टर करेंगे। जितनी जीएसटी ली जाएगी, जितने परसेंट जीएसटी ली जाएगी उतने ही परसेंट एसजीएसटी भी ली जाएगी। यदि रेट 12 परसेंट है तो 6 परसेंट राज्य वाले राज्य के खाते में और 6 परसेंट स्टेट के खाते में वह टैक्स आएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक सेंट्रल की अथॉरिटी भी राजस्थान में काम करेगी और स्टेट की अथॉरिटी जो सैंट्रल टैक्स है, दूसरे टैक्स है, उनको एडमिनिस्टर करेगी। माननीय सभापति जी, ऐसी परिस्थिति में इस राजस्थान माल और कर सेवा अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है सारे हिन्दुस्तान में जो भी टैक्स के अधिकारी हैं उनका नामकरण, इसमें जो छः नाम इसमें दिए हुए हैं उस प्रकार से होगा। यह है, राज्य कर प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त,राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, राज्य कर उपायुक्त, राज्य कर सहायक आयुक्त और अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे।

माननीय सभापति जी, हमारे यहां जो वैट में सिस्टम है, वैट के अधिकारियों को ही इसमें कहा गया है कि वह ही डीम्ड अधिकारी जीएसटी में होंगे। स्टेट जीएसटी में वही अधिकारी होंगे। हमारे यहां जो अधिकारियों के वर्गीकरण है, हमारे यहां कमिश्नर महोदय है, एडीशनल कमिश्नर हैं लेकिन हमारे यहां विशेष आयुक्त नहीं हैं। हमारे यहां संयुक्त आयुक्त नहीं हैं। नम्बर "ख" और "घ" के अधिकारी राजस्थान में नहीं हैं। उपायुक्त भी हैं, हमारे यहां सहायक आयुक्त भी हैं, एसीटीओ भी हैं, सभी हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कर प्रशासन में, यह 6-7 तरह के अधिकारियों को सारे अधिकार, सारे प्रदेशों में दिए गए हैं तो नामकरण कम से कम राजस्थान में भी एक सा होना चाहिए। जो ऑल इंडिया पैटर्न है उस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पैटर्न को हमें फोलो करना चाहिए। ऑल इंडिया पैटर्न को फोलो करके हमारे यहां जो भी रिडेजिग्नेशन करना है हमारे पदाधिकारियों का, वह किया जाना चाहिए।

माननीय गृह मंत्रीजी, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। अनेक बार कर अधिकारियों ने हड़ताल की। अनेक बार प्रोटेस्ट किया कि राजस्थान के कानून में सबसे पहला, एक करोड़ रुपये तक के असेसमेंट का अधिकारी एसीटीओ है। डेढ़ करोड़ के असेसमेंट का अधिकारी एसीटीओ से ऊपर वाला है। सिर्फ टैक्स, कितने टैक्स वसूल करने हैं, वह एक करोड़ का मैटर है तो वह एसीटीओ के पास ही आएगा और डेढ़ करोड़ का मैटर है तो सीटीओ के पास आएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह शंकाएं राजस्थान के कर प्रशासन अधिकारियों में क्यों हैं। माननीय राजपाल सिंह जी, जिन्होंने यह कानून पायलट किया है मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारा लोएस्ट सेसिंग आफ अथोरिटी है वह एसीटीओ है। इसलिए दो नये अधिकारी इसमें नामजद किए गए हैं। एक है राज्य कर विशेष आयुक्त, स्पेशल कमिश्नर, चौथा है राज्य कर संयुक्त आयुक्त, ज्वाइंट कमिश्नर। हमारे यहां यह दोनों पद नहीं हैं। हमारे यहां एडिशनल कमिश्नर का पद है। आप चाहें तो इसको स्पेशल कमिश्नर डेजीग्नेट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके नीचे अपर आयुक्त है,स्पेशल कमिश्नर अलग हो गए और अपर आयुक्त, यानी अपर आयुक्त का अंग्रेजी में मतलब है ज्वाइंट कमिश्नर।

**(15.00 बजे)**

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस कड़ी में प्रिसिंपल कमिश्नर, आज हमारे कामर्शियल टैक्सेज कमिश्नर हैं, निश्चित रूप से उनको प्रिसिंपल कमिश्नर डेजीग्नेट किया जा सकता है। आपके एडिशनल कमिश्नर को स्पेशल कमिश्नर डेजीग्नेट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि स्पेशल कमिश्नर्स नहीं हैं, तो आप कोई वर्गीकरण करें कि एडिशनल कमिश्नर्स में वरिष्ठता के आधार पर कौन स्पेशल कमिश्नर होगा। उस वरिष्ठता में जो नहीं आते हैं और वे फिर भी एडिशनल कमिश्नर हैं तो उनको एडिशनल कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। उसके नीचे जोंइट कमिश्नर्स हमारे यहां हैं, आलरेडी हैं डिप्टी कमिश्नर्स, आलरेडी एसिस्टेंट, सी.टी.ओज. हैं, हमारे यहां असिस्टेंट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कमिश्नर न हो करके सी.टी.ओज. हैं और फिर ए.सी.टी.ओज. हैं। ये बहुत आवश्यक होगा। राजस्थान के कर प्रशासन के अधिकारियों को रिलीफ देने के लिये कि हमारा जो लोएस्ट ए.सी.टी.ओ. है, जो एक करोड़ तक का असेसमेंट करता है उस ए.सी.टी.ओ. को हमारे यहां भी असिस्टेंट कमिश्नर, क्योंकि सी.टी.ओ. का पद नहीं रहेगा, क्योंकि सी.टी.ओ. का पद ऊपर चला जायेगा, असिस्टेंट कमिश्नर हो जायेगा। इसलिए ए.सी.टी.ओज. को असिस्टेंट कमिश्नर के पद के पावर्स होने चाहिए। क्योंकि यह क्रॉस, भारत सरकार भी असेस्मेंट करेगी, 10 प्रतिशत मैटर्स में, 90 प्रतिशत मैटर्स में हमारे अधिकारी करेंगे। इण्टर-स्टेट ट्रेड इतना बढ़ेगा कि सारे राज्यों से हमारा इण्टर कम्युनिकेशन है, सारा व्यापार हमारा बढ़ना है तो इण्टर कम्युनिकेशन भी बढ़ना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह धारा 03 में आज हम कानून ले आये हैं, पर उस कानून के अनुसार हमारे अधिकारियों का डेजिग्नेशन, ठीक है, यह कानून आज पास होगा। लेकिन उनका डेजिग्नेशन, सरकार के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिये। मुझे कहते हुए दुःख है कि वित्त विभाग के कई अधिकारियों, बड़े अधिकारियों के दिमाग में यह स्पष्टीकरण नहीं है और वह ए.सी.टी.ओज. को, जो बेसिक असेसिंग आथोरिटी हैं, उनको असेसिंग आथोरिटी से नीचे धकेलना चाहते हैं। ए.सी.टी.ओज. की संख्या चार सौ से ऊपर है। सी.टी.ओज. की संख्या डेढ़ सौ से ऊपर है। राजस्थान का कर प्रशासन यदि बिना ए.सी.टी.ओ. के चल सकता हो तो आपके लिये सोचने की बात है कि जो अभ्यस्त हैं, वैट में, उनको क्यों नहीं जी.एस.टी. में, जो लोएस्ट पद है असिस्टेंट कमिश्नर का, उन पदों पर नियुक्त किया जाये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट में चूंकि आप चार रेट्स रख रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, चूंकि आप हिन्दुस्तान भर में चार रेट्स रख रहे हैं, 05, 12, 18 और 28 रख रहे हैं। अभी जो टैक्स रेट्स हैं, वह टैक्स रेट्स चार भी हैं, तीन भी हैं, दो भी हैं, डेढ़ भी है। मेरा निवेदन है कि ठीक है, आप 12 में उसको ले लेंगे जो 14 वाला है और 15 को शायद 18 में डाल देंगे। अनेक टैक्स रेट्स, यह करों के एकीकरण के नाम पर 05, 12, 18, 28 के नाम पर निश्चित रूप से टैक्सों में अनेक स्थानों पर बढ़ोतरी होगी, कुछ जगह कटौती होगी। अनेक स्थानों पर कटौती होगी, अनेक पर बढ़ोतरी होगी। आपने एण्टी प्रोफिटिरिंग का इसमें प्रावधान

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बनाया है कि हम मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपका जो सेक्शन है मुनाफाखोरी का, 171, मुझे गलती से 173 ध्यान रह गया,

"Anti-profiteering measure.-

(1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

(2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him."

सभापतिजी, जहां तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। जो सिस्टम है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सरकार को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जितने प्रावधान हैं उसमें इनपुट, आपने जो रिटर्न्स बनाये हैं, जी.एस.टी.-1, जी.एस.टी.-2, जी.एस.टी.-3, पहला रिटर्न है कि आपने क्या माल बेचा, आउटवर्ड क्या-क्या गया। एक से दस तारीख तक, यह अप्रैल का महीना है, मई के महीने में अप्रैल की सारी सेल का एक से दस तारीख तक आउटवर्ड क्या गया, कौनसा माल बेचा, किसको बेचा, क्या इन्वाइस है, यह डिटेल्ड रिकार्ड व्यापारी को पेश करना होगा, जो असेसी है उसको पेश करना है, आउटवर्ड पेश होगा। इन्वर्ड क्या खरीदा उसने, किस इन्वाइस नम्बर से खरीदा, क्या-क्या सामान है उसमें, वह भी जी.एस.टी.-2 में 15 तारीख तक आपके पास आ जायेगा। उसके बाद जी.एस.टी.-3 है, जिसमें दोनों का कंसोलिडेटेड अकाउण्ट आपने उससे मांगा है, जिसको 20 तारीख तक देना है, 10,15,20। अब, श्रीमान्, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो दिया

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जायेगा, पर जिन मैटर्स में रेट बढ़ गयी, उसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ गयी तो वह व्यापारी अपने आप पैसा तो बढ़ायेगा। जहां रेट घट गयी, और आपने कहा कि वह कमेंसुरेट प्रोफिट उपभोक्ता को पास हुआ या नहीं हुआ। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी इटेंशन धारा 171 बनाने में भारत सरकार की इटेंशन बहुत लोडेबल है। पर सिर्फ इसका एक्ट बनाने से, देश में कितनी मुनाफाखोरी आप कर सकते हैं, इसका कोई कानून नहीं है। कोई भी ऐसा, चूंकि हम उदारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं तो शायद एंटी प्रोफिटिरिंग का एक जनरल लॉ होना तो बहुत मुश्किल है, मैं यह कहता हूं कि इसी लॉ को जो आपने इनेक्ट किया है, आप फुलप्रूफ व्यवस्था करें कि जहां पहले टैक्स ज्यादा था और अब कम हो गया, उसका कमेंसुरेट बेनिफिट असेसी को, उपभोक्ता को, खरीददार को पास ऑन हो जाये। इसके लिये, माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार, चूंकि आप जी.एस.टी. की कौंसिल में बैठते हैं कि भारत सरकार इसके सम्बन्ध में बहुत सतर्कतापूर्ण और बिना मनमानी के, क्योंकि इसमें मनमानी की भी बहुत गुंजाइश है कि आपने दो पर्सेण्ट पास ऑन नहीं किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि मूल्यवृद्धि, और मैंने कितने में कोई सामान खरीदा, कितने में बेचूंगा, छह प्रतिशत प्रोफिट पर बेचूंगा, दस प्रतिशत प्रोफिट पर बेचूंगा, देश में इसका कोई कानून नहीं है। इसलिये आपको इस कानून की क्रियान्विति में अनेकों समस्याएं, भयंकर समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं।

सभापतिजी, मैं अंत में निवेदन करुंगा कि एक नारा और दिया जा रहा है, 'एक देश-एक टैक्स', नहीं, 'एक राष्ट्र-एक टैक्स'। साहब, राष्ट्र तो पहले भी था, विभिन्न टैक्स दरें यदि प्रान्तों में थीं तो भी राष्ट्र एक था। इसलिये कोई टैक्स दरें एक होने से राष्ट्र एक हो जायेगा, यह भ्रम न रखें। राष्ट्र तो हो ही गया, 1947 से एक है और राष्ट्र का कंसेप्ट 1947 से है, उससे पहले से भी है। ...(व्यवधान)...

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): 'एक टैक्स-एक देश'।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): हां, तो 'एक टैक्स-एक देश'। एक देश में विभिन्न टैक्स थे तो भी एक देश था। ...(व्यवधान)... हां तो विभिन्न टैक्स भी हो सकते हैं।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): वे जुड़े हुए हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): हां, वे जुड़े हुए हैं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करके कहें।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): यह इसलिये लाया गया कि अति ...(व्यवधान)... मैं चाहे जहां से माल खरीदूं। मैं एश्योर्ड हूं कि इस पर इतना ही टैक्स लगेगा। इतना मुझे इनपुट, ताकि टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद में मैं सामान लाऊंगा और इंटर-स्टेट यदि है तो आई.जी.एस.टी. लगेगा। मेरा निवेदन है कि आप इस धारा-171 पर और सैक्शन-3 पर जो वर्गीकरण और नामकरण अधिकारियों के राजस्थान में होंगे, उसके संबंध में पूरे प्रशासन से बात करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके क्योंकि आपको अपने विवेक का अधिक इस्तेमाल करना है। प्रशासन की अक्ल का काम इस्तेमाल करना है और इस दृष्टि से मैंने यह निवेदन सदन में किया है।

मैं एस.जी.एस.टी. का, सी.जी.एस.टी. का, आई.जी.एस.टी. का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे व्यापार में 25 परसेंट, 30 परसेंट, 40 परसेंट की बढ़ोतरी आने वाले दो साल, ढाई साल, तीन साल में होगी।

माननीय मंत्रीजी, डेढ़ साल, दो साल तो इस टैक्स को स्टेबलाइज होने में लगेगा। लोगों की आदत बनने में लगेगा। लोगों को भी इसको इन-वाइप करने में समय लगेगा इसलिए दो साल का एक्सटेंशन पीरियड मानते हुए भी इस जी.एस.टी. के आधार पर देश के भविष्य की आर्थिक प्रगति निश्चित रूप से अभी जो है, उससे ज्यादा दर बढ़ेगा। हमारी जी.डी.पी. बढ़ेगी, इसी उम्मीद के साथ, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिल पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

**श्री सभापति**: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, आज हम भारत की आजादी के बाद करों के बारे में एक क्रांतिकारी और समग्र चिंतन वाले बिल पर विचार कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमारे मित्र राजपाल सिंहजी का, मेरी आज बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन मैं इसलिए बोला कि उन्होंने बहुत मेहनत की। लगातार जी.एस.टी. काउंसिल में जाना और अध्ययन करना और हमारी सरकार का पक्ष रखने पर उन्होंने कार्यवाही की, इसके लिए मैं इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अधिकारियों ने जो हमारे यहां प्रजेंटेशन किया था और जिसमें जो सारी बात उन्होंने बताई थी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य सरकार का जिस प्रकार का पक्ष रखा और जो सारी बात यहां पर विधायकों के सामने रखी, हम सब उसके लिए उनके भी आभारी हैं।

इस देश ने, अब एक विषय माननीय सुराना साहब ने रखा, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि राष्ट्र तो एक ही था, कर एक लग रहा है, कर दो लग रहे हैं, राष्ट्र तो एक था 1947 से, मैं यहां उनसे इस बात पर डिफर करता हूं कि यह राष्ट्र 1947 से नहीं है, यह राष्ट्र तो बहुत पहले से है।

**श्री सभापति**: राष्ट्र का अस्तित्व तो बहुत पहले से है। युगों से है, युगों-युगों से है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां। मैं एक बार भारत सरकार की मीटिंग में था, यही प्रसंग आ गया तो मुझे पूछा कि यह राष्ट्र 1947 से है, मैंने कहा कि यह राष्ट्र 1947 से नहीं है, राष्ट्र तो बहुत पहले से है। वह कब से बन गया? तो मैंने एक श्लोक सुनाया। मैंने कहा कि- 'गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिनेसंनिधि करू' जिस दिन यह मंत्र आया और जिस दिन भगवान राम ने लंका में विजय प्राप्त कर ली और लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, अब यह लंका सोने की है, हम यही रहेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे तो उन्होंने कहा- 'अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी', उसी दिन यह राष्ट्र बन गया और राष्ट्र तो यह बहुत लंबे समय से चल रहा है लेकिन आजादी के बाद जिस प्रकार की क्रांतियां हमारे देश में हुई हैं वह सब हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण से हुई हैं और लोकतंत्र के प्रति हमारी कितनी समझ है, हमारी, सम्पूर्ण राष्ट्र की, सम्पूर्ण राजनीतिक दलों की, यह जी.एस.टी. का बिल उसको प्रतिबिंब करता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमने हरित क्रांति की। लाल बहादुरजी शास्त्री थे, हमने हरित क्रांति की। एक दिन उन्होंने सोमवार को उपवास रखने के लिए कहा था, लड़ाई हुई थी और उसके बाद में भारत के किसानों ने इस भारत माता को अन्न में आत्मनिर्भर करा कर हमारे 120 करोड़ लोगों का पेट भरने की बात की, हमारे यहां हरित क्रांति की। हमने श्वेत क्रांति की दूध के नाम से, वह क्रांति भी हमारी हुई और बहुत सी क्रांतियां, स्पेस में हमने क्रांति की, चारों तरफ क्रांति की लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आठ बड़े राष्ट्रों के बीच में बराबर की अर्थव्यवस्था हो गयी। आठवीं नम्बर की अर्थव्यवस्था हो गयी। उस अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए, और सुव्यवस्थित करने के लिए और जो करों में चोरी का, करों का विभिन्न प्रकार का काम था विवादों का, उनका निपटारा करने के लिए यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, इसके लिए हमको भारत सरकार को, राज्य सरकार को और भारत के सभी राजनीतिक दलों और सरकारों को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, हम उसका आभार प्रगट करते हैं।

पर, मुझे दु:ख है कि जिस दिन हम फेडरल, संघीय कर ढांचा तैयार कर रहे हैं और संघीय कर ढांचे में हमने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम किया है और सबने समर्थन किया है, विरोध किया है, सुझाव दिये हैं, उनको समाहित किया गया है लेकिन जिस दिन जी.एस.टी. का संविधान संशोधन का प्रारूप हमने पास किया था उस दिन और आज जी.एस.टी. का कानून पास कर रहे हैं, इस दिन हमारे कांग्रेस के मित्र यहां पर उपस्थित नहीं हैं, इसका हमें जरूर खेद है। हां निर्दलीय भी नहीं हैं, वह भी नहीं हैं, अगर वह सब होते तो इसमें इसका रंग और बदल जाता। खैर, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, कि एक ....(व्यवधान)....

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): एक निर्दलीय तो है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप तो सर्वदलीय हैं। आप तो सर्वदलीय हैं, सर्व-सम्माननीय हैं।

**श्री सभापति**: उधर और है।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उधर भी है।

**श्री सभापति**: हां, उधर है, अभी है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह समाहित है। यह समाहित हो चुके। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह इसमें विलंब हुआ है। 160 देशों ने अब तक इस जी.एस.टी. के कानून को स्वीकार कर लिया, लागू कर लिया लेकिन इस बिल में बहुत अड़चन आई।

वर्ष 2000 में वाजपेयीजी की सरकार के कार्यकाल के समय मंत्रियों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गयी थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री असीम दास गुप्ता, जो सी.पी.एम. के थे, उनके नेतृत्व में बनाई गयी और उसने इसमें काम चालू किया। लेकिन उसके बाद में यू.पी.ए. की सरकार आई, वह भी कोशिश करती रही लेकिन वह कामयाबी नहीं मिल सकी। माननीय नरेन्द्रजी मोदी की सरकार आने के बाद में इस बारे में हमने बहुत मेहनत करके काम किया। लोक सभा में बहुमत के आधार पर तो यह पारित कर लिया गया सबके साथ लेकिन जब यह बिल राज्य सभा में गया तो इसमें चार शर्तें और जोड़ दी गयीं।

अब यह हमारी लोकतांत्रिक समझ है कि राज्य सभा की चार शर्तों को फिर वापस लोक सभा में लाकर संशोधन करके सभी विपक्ष की बातों को भी उसमें समाहित करके एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का इस बिल में हमने काम किया और वह राष्ट्रीय सहमति इसमें बन गयी। अब लोग कहते हैं कि बिल का क्या है, वैट भी लगता है और भी लगता है, लगता है। इसमें बहुत साफ-साफ समझने की बात है। जितना ज्यादा करों का जाल होता है, उतनी ज्यादा उलझन होती है। उतनी ज्यादा टैक्सों के बारे में विभिन्न न्यायालयों में, ट्रिब्यूनल्स में विचार-विमर्श होता है। उससे ज्यादा बड़ी श्रृंखला आफिसर्स की होती है और हमारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ऐसी है कि भारत में कर वसूल करने वाले जो अधिकारी हैं, वह भारत की कुल करों की जो आय है, उसका 20 परसेंट हिस्सा रिश्वत के रूप में विभिन्न प्रकार के कानून होने के कारण से उनमें चला जाता है।

मैं समझता हूं कि जी.एस.टी. का कानून जब आएगा तो उसमें एक महीने के हिसाब से देने का लेकर और साल के अंत में जिस प्रकार से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समायोजित करने की बात कही है, उसमें व्यापारी को भी लाभ होगा, कम्पनी को भी लाभ होगा, उपभोक्ता को भी लाभ होगा और उस टैक्स चोरी के मामले से भी हम बच सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक फीसदी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स हटाया गया। जबकि मूल बिल में राज्यों के बीच में तीन साल तक एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाना था, जो राज्य सभा ने हटाया।

दूसरा, राज्यों के पाँच साल तक सौ फीसदी नुकसान की भरपाई की जानी थी। पहले यह तीन साल तक सौ फीसदी थी, चौथे साल में 75 फीसदी और पांचवें साल में 50 फीसदी भरपाई का प्रावधान था, अब राज्यों को पाँच साल तक सौ फीसदी भरपाई होगी इसलिए राज्यों को अब कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

एक दूसरी बात जो राज्यों के फायदे की हुई, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सब पर एक साथ यह नहीं लगाया गया। जैसे अब मेरी जानकारी में आया है, मंत्रीजी इसको पूरा करेंगे, पूरी जानकारी होगी कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है, उसमें 17 हजार करोड़ का टैक्स रेवेन्यू ऐसा है जो हमारे यहां आता है, उस पर तो यह जी.एस.टी. लागू हो जाएगा लेकिन 11 हजार करोड़ का अभी जो टैक्स रेवेन्यू हमारा बचा हुआ है, उस पर यह जी.एस.टी. लागू नहीं होगा, जिसमें शराब का मामला है या कोई ऐसे टैक्स हैं, हमारे पास, वह अभी हमारे पास है तो तीन साल, चार साल, पाँच साल, जब तक जी.एस.टी. काउंसिल इसको तय नहीं करेगी, वह होगी तो एक साथ इसको नहीं किया गया है, इसमें राज्यों को धीरे-धीरे, राज्य भी इसमें समाहित हो जाएं, इस बात का विवेचन किया गया है। फिर दूसरी बात, विवाद को सुलझाने के लिए बारबार यह बात हो रही थी कि केवल राज्यों को, राज्यों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, केन्द्र का कानून आ जाएगा। लेकिन इसको सुलझाने के लिये जिस प्रकार जी.एस.टी. कौंसिल का गठन किया गया है और उसमें एक तिहाई और दो तिहाई वोटों की व्यवस्था की गयी है, जिसके आधार पर राज्य अपना पूरा मत उसमें रख सकेंगे, बहुमत से तय कर सकेंगे और राज्य के अधिकारों की सुरक्षा होगी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जी.एस.टी. के मूल सिद्धान्त को परिभाषित करने वाला नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें राज्य और आम लोगों को होने वाले नुकसान से बचाया गया। इन चार बड़े बदलावों के बाद में यह बिल पेश किया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं, वह सारे टैक्स एक हो जाएंगे। एण्ट्री टैक्स लगता है, वैट का टैक्स लगता है, वह सारे टैक्स लग जाएंगे। फिर इसका विभाजन का सिद्धान्त तय कर दिया। भारत सरकार जो टैक्स लगाती है, राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, भारत सरकार के टैक्सों में भारत सरकार वसूल करेगी और राज्य का हिस्सा चला जाएगा, राज्य सरकार के टैक्स को राज्य सरकार वसूल करेगी और चला जाएगा और टैक्स जो अन्तिम डेस्टीनेशन है, वहां तक जाएगा और यह टैक्स उस बात को भी पूरा करता है कि अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचने वाली सेवाओं के बारे में टैक्स लगेगा और टैक्स कैसे लगाना चाहिये, इसको इन-डायरेक्ट टैक्स कहते हैं।

चाणक्य से जब यह पूछा गया था आज के 2600 वर्षों पहले कि एक राज्य में टैक्स कैसा लगना चाहिये तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से फूल खिले हुए हैं और मधुमक्खी या भँवरा, जो भी आते हैं, वह उस फूल पर बैठते हैं, फूल का रस लेते हैं, फिर उसका शहद बन जाता है लेकिन जो फूल होता है, उसका स्वरूप नहीं बदलता है तो राजा को भी या प्रजातंत्र में मंत्रियों को भी, या सरकारों को भी ऐसा टैक्स लगाना चाहिये कि राज का भँवरा जाए, फूल पर बैठे, उसमें से मधु ले और राज्य के खजाने में शहद आ जाए, लेकिन फूल का रंग नहीं बदले। यह अप्रत्यक्ष कर होता है और इस प्रकार से जी.एस.टी. एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में हमारे सामने आया है। यह दूसरी बात है।

इसके फायदे हैं, इन सब बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, इस पर हमारे माननीय मंत्रीजी बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 122वां संविधान संशोधन और 101 में जो संशोधन करके तीन प्रकार के जो बिल आएंगे, एक तो केन्द्र का सी. जी.एस.टी. आएगा, वह बन गया और पारित हो गया। अब राज्य का जी.एस.टी. बन जाएगा, एक इंटीग्रेटेड

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जी.एस.टी. होगा, वैट प्रणाली खत्म होगी और 5-12-18-20 का जैसे बताया, वैसे होगा, लेकिन आज जो टैक्स देना पड़ता है, एक आम आदमी को अगर उसका टोटल करें तो करीब 30 और 35 परसेंट के बीच में आता है और अब इसका जो अनुमान लगाया गया है, वह अनुमान लगाया गया है कि यह टैक्स 20 और 25 परसेंट के बीच में आएगा इसलिये आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा और मैं यह कहना भी चाहूंगा कि इससे मंहगाई पर कंट्रोल होगा और यहां तक लोगों ने अन्दाज लगाया गया है कि डेढ़ परसेंट जी.डी.पी. भी भारत की इससे बढ़ जाएगी। एक प्रकार से इस प्रकार का एक क्रान्तिकारी कदम होगा।

मैं आपको एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारे कानून, कानून में और व्यावहारिक रूप से आने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन सारी दिक्कतों को जी.एस.टी. कौंसिल के माध्यम से हम समायोजित करेंगे। एक बात तो सबको समझ में आ रही है, एक बात मंत्रीजी से चाहूंगा कि वह बतायें कि जी.एस.टी. में गुड्स टैक्स के बारे में तो सारा हो गया, लेकिन सर्विस टैक्स का दायरा कितना बढ़ा है? यह सर्विस टैक्स कहां तक जाएगा, इसका भी अन्दाज नहीं है। उदाहरण के लिए कई लोग यह कहते हैं कि बैंक में री-पेमेंट का सिस्टम है, उस पर भी सर्विस टैक्स आ जाएगा। बैंक में रुपया जमा कराना-निकालना, यह भी सर्विस टैक्स में आ जाएगा तो इस सर्विस टैक्स को परिभाषित करना और इस सर्विस टैक्स से कैसे राहत मिले, यह काम भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे उपभोक्ता को एक लाभ भी मिलेगा। आज कोई गाड़ी यहां पर खरीदता था, उसकी अलग रेट थी, दिल्ली में खरीदता था, उसकी अलग रेट थी तो वह गाड़ी आज एक ही रेट पर सब जगह मिल जाएगी तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है और राजनीतिक दलों ने इसमें जो सारी सहमति दी है, वह एक बहुत बड़े कारण से है। अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि भारत में कर-क्रान्ति हुई है, भारत में आर्थिक क्रान्ति हुई है और भारत में एक राष्ट्र-एक कर की बात करना इसलिए आवश्यक है कि आज आप तमिलनाडु में जाएंगे, जब हम भारत की बात करते हैं भारत में कन्याकुमारी से लेकर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कश्मीर तक अगर एक ही टैक्स लगेगा, एक ही भाव रहेंगे, एक ही कीमत रहेगी तो देश के प्रति भी भावना बढ़ेगी और हमारे में अन्य भावों के साथ-साथ यह वित्तीय प्रबन्धन की बात भी जुड़ेगी। इसमें कई समस्याएं पैदा होंगी, लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, व्यवहार में दिक्कत आएगी, लेकिन इस सारे मामले को जब आधुनिक ढंग से इंटरनेट के माध्यम से और ऑनलाइन करके किया जाएगा और समझदारी के साथ किया जाएगा तो उन सारी समस्याओं का भी समाधान होगा।

अब, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह कानून एक ऐसा कानून है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केन्द्र की सरकार को, राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार मिलेगा कि एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम संघीय कर ढांचे में लाकर हमने राष्ट्र की एकता को मजबूत किया, हमने हमारी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत किया, हमने एक कर- एक राष्ट्र और सर्विस और गुड्स टैक्स के जो झमेले थे, उन सारे झमेलों को समेटकर राष्ट्र को एक नई राह पर डाला है, इतिहास इस बात को लिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्रीजी से अपेक्षा करता हूं कि वह सर्विस टैक्स के बारे में जैसा जी.एस.टी. में इनके डिसकशन हुआ होगा, वह जरूर सदन में प्रकाश डालेंगे, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रहलाद जी गुंजल।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर चर्चा हो रही है। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होने बहुत गंभीरता से इस बिल पर अपनी बात रखी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल पर चर्चा करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि रात को साढ़े दस बजे बाद यहां से जाने के बाद मैंने इस बिल को पढ़ने का प्रयास किया और इस बिल की जो क्लिष्ट शब्दावली है हिन्दी की, मेरे जैसे व्यक्ति के समझ के बाहर का विषय है।

**श्री सभापति:** कनिष्ठ नहीं क्लिष्ट।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): हां, क्लिष्ट।

**श्री सभापति:** उसको बोलते हैं क्लिष्ट।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): हां, क्लिष्ट ही बोला है और फिर पाँच-दस पेज पढ़ने के बाद माननीय सभापति महोदय, मैंने केवल यह कितने पेज का बिल है, उसको गिना है, शायद किसी सदस्य ने नहीं गिना होगा। यह 170 पेज का बिल है। जब सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य इस बिल को ऐतिहासिक बिल बता रहे थे और सारा देश यह मान रहा है कि जी.एस.टी. एक ऐसी दवा का नाम है, जो इस मुल्क में 50 प्रकार की टैक्स बीमारियां थीं, उन सबका इलाज करके देश में एक नई आर्थिक-क्रान्ति पैदा करेगी। ऐसा महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश हो और सदन का मैम्बर उसकी समझ का हिस्सा नहीं बने। माननीय सभापति महोदय, इस सदन का एक-एक व्यक्ति नहीं, इस हिन्दुस्तान का एक-एक व्यक्ति इस क्रान्तिकारी पहल के पक्ष में खड़ा है, लेकिन हमारी समझ इसके साथ जुड़े, केवल भारत सरकार ने रखा है, देश में आर्थिक क्रान्ति लाने की एक नई पहल है। यह हम भी समझते हैं माननीय सभापति महोदय, 80 के दशक में भूमण्डलीकरण के बाद व्यापार उद्योग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा कायम हो गयी और जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा बाजार में आ गयी तो इस मुल्क में टैक्सों के मतभेदों के कारण हम स्टेटों के बीच में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की उलझनों को समाप्त नहीं कर पाये।

इन सारी परिस्थितियों के चलते हुए हिन्दुस्तान में यह विचार आज से कई साल पहले आ जाना चाहिए था जब हम भूमण्डलीकरण के दौर में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन मैं वाजपेयी जी की सरकार को, गठबन्धन की सरकार थी, अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने इसका जिक्र किया, 2000 में एक आदर्श विचार प्रारम्भ हुआ और ऐसा नहीं है कि यह विचार केवल हमारे राज में प्रारम्भ हुआ। जब कांग्रेस का राज आया तो 2010 में, 2007 में केन्द्र के तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम जी ने इस मुल्क के तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बुलाई और इसका ड्राफ्ट बनाने का प्रयास किया लेकिन जो परिस्थितियां वाजपेयी जी के शासन के साथ थीं, 2007-2010 में वो परिस्थितियां संसद में केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार के साथ भी थीं। यह बिल पास नहीं हो सका, टर्न डाउन हो गया। कांग्रेस ने इसको लाने का साहस नहीं किया, इस पर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया और आज जब राज्यों के बीच विरोधाभासों से कांग्रेस पीछे हट गयी, दृढ़ता पूर्वक कठोर फैसले लेना कांग्रेस की नीति का हिस्सा नहीं रहा। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने, जी.एस.टी. इस मुल्क के लिए कितना हितकर है, कितना जरूरी है, लोक सभा में पारित होने के बाद जब राज्य सभा में गतिरोध आया तो इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को बुला कर राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास किया, विरोधी दल के नेता से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री तक, सब के साथ संवाद कर के इस मुल्क के इंट्रेस्ट में मोदी जी ने इस दिशा में।

**(15.32 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. न केवल देश में समान करों की स्थापना करेगी इस मुल्क के कॉर्पोरेट क्षेत्र की उन चिंताओं को दूर करेगी जो अपने आपको जिंदा रखने के लिए वैश्विक जगत की प्रतिस्पर्धा में खड़ा रहना चाहते हैं। इसीलिए भारत सरकार की यह जी.एस.टी. लाने की पहल न केवल छोटे व्यापार को प्रभावित करती, भारत का वो तमाम कॉर्पोरेट जो वैश्विक जगत में अपना स्थान रखता है उसके हितों को सुरक्षित करने, उसके हितों की साधना करने का भी निश्चित रूप से इस बिल में उपक्रम स्थापित किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत जिम्मेदारी से इसको पढ़ने का प्रयास किया लेकिन यह मेरी समझ के बाहर का विषय है। मैं तो हमारे उद्योग मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत शानदार तरीके से राजस्थान के वित्त मंत्री के नाते जी.एस.टी. काउंसिल में राजस्थान का पक्ष रखा। राजस्थान का शानदार तरीके से पक्ष रखा लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं अभी भी कन्फ्यूज हो रहा हूं, मुझे आगे इसमें पढ़ने में समझ में नहीं आया। यह जो आपकी धारा-2 में परिभाषाएं है, सातवें नम्बर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पर आपने कृषक को परिभाषित किया है। क्या कृषक जी.एस.टी. के दायरे में आयेगा? आगे मुझे कहीं उल्लेख कर संग्रहण में इस बारे में पढ़ने को नहीं मिला, पूरा पढ़ भी नहीं पाया। मैंने कहा दस पेज के बाद, मैंने पेजों को गिना है और अगर यह परिभाषा जो कृषक की दी है और कृषक अगर इसमें जी.एस.टी. के दायरे में आने की स्थिति में है तो इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और अगर कृषक जी.एस.टी. का हिस्सा नहीं है तो इसमें परिभाषा दिये जाने के पीछे क्या मंशा है? इस पर भी माननीय मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो स्पष्ट रूप से बतायेंगे। इसमें परिभाषित कर के कहीं न कहीं कृषक को जी.एस.टी. के दायरे में लाने की अगर मंशा है तो आजादी के बाद भारत के किसान को करों के बोझ के दायरे में लाने का प्रयास किसी ने किया भी नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। किसान पसीना बहाता है, पसीने की बूंद धरती की गोद में डालता है, अन्न-धन पैदा कर के इस राष्ट्र को पालता है, उसे भार नहीं राहत चाहिए और इसलिए यह क्लॉज इसमें क्यों परिभाषा में डाला है? मैं समझता हूं वित्त मंत्री के नाते निश्चित रूप से जब चर्चा करेंगे तो हमारे उद्योग मंत्रीजी इस पर जरूर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

इस जी.एस.टी. के बाद, इस ऐतिहासिक कदम के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा देश वाहवाही कर रहा है पर एक विषय मैं जरूर कहना चाहता हूं। पहले कर प्रशासन दो प्रकार का था, एक राज्य का कर प्रशासन था एक केन्द्र का कर प्रशासन था, दोनों की सूची के विषय अलग-अलग हुआ करते थे। अब कर प्रशासन में एकरूपता कर दी। पहले सेन्टर के डीलर और कर प्रशासन, स्टेट के डीलर और कर प्रशासन अलग-अलग थे। अब नये फार्मूले में डेढ़ करोड़ से कम वाले 90 प्रतिशत स्टेट की सूची में और 10 प्रतिशत सेन्टर की सूची में होंगे और इससे ऊपर, जो डेढ़ करोड़ सालाना टर्न ओवर से अधिक होगा वो पचास-पचास प्रतिशत दोनों की सूची में आयेंगे। इस अलग-अलग कर प्रशासन से किस प्रकार से व्यापारी निपटेगा? यह एक चुनौती खड़ी हो गयी है।

यह स्वागत योग्य कदम है कि जी.एस.टी. लगने के बाद कर दर पूरे देश में समान हो गयी। पहले कर पर कर लगता था अब कीमत पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जी.एस.टी. लगेगा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों को इसमें समाहित किया जाना चाहिए था। पहले राजस्थान की वेट की सूची में टर्न ओवर 75 लाख था, आपने घटा कर 50 लाख रुपये कर दिया, जो कम से कम एक करोड़ रुपये होनी चाहिए थी। और इसके पीछे तर्क है कि आपने ज्यादातर कमोडिटी को 18 से 28 प्रतिशत के दायरे में रखा है और हम राज्य के उस व्यापारी को जो 75 लाख के टर्न ओवर वाला था, उसको राहत देने के, एक करोड़ करने के बजाय उसको 50 लाख के दायरे में ला कर उस पर कर भार अगर बढ़ा न दें, यह बहुत गम्भीर चिंता का विषय है, इस पर भी एग्जामिन होना चाहिए। एक करोड़ होता तो ठीक रहता।

एक रिटर्न भरने का तौर-तरीका। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया। प्रति माह तीन रिटर्न भरनी पड़ेंगी, बारह महीने में 36 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न, 37 रिटर्न लगातार व्यापारी एक साल में भरेगा। जयपुर के कॉर्पोरेट लोग तो भर देंगे, उनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है, कर्मचारी हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस चलाते हैं, कर्मचारी हैं लेकिन वो छोटा व्यापारी जो अपना सीमित व्यापार कर रहा है, जिसके पास कर्मचारी नहीं है वो 37-37 रिटर्न भरने की व्यावहारिक दिक्कतों का मुकाबला किस प्रकार से करेगा, इस पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा होता कि हम इसको महीने में तीन के बजाय त्रैमासिक सिंगल रिटर्न का फार्मूला दे देते तो निश्चित रूप से व्यापारी के हित में हम लोगों को, वरना क्या होगा? अगर उस महीने की तीन रिटर्न नहीं भर पाया, पैनल्टी लगेगी, एक अनुभवी आदमी रखना पड़ेगा। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं इन कागजों को पढ़ कर टैक्स की उस भाषा को समझ नहीं पाया, अंग्रेजी पढ़ा-लिखा होता तो अंग्रेजी में एक शब्द का एक अर्थ निकलता है, हिन्दी में एक शब्द के चार-चार प्रकार से, उसको उर्दू में, किसी भाषा में तीन-तीन, चार-चार प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। वो भाषा समझने वाला व्यक्ति जो टैक्स की जानकारी रखता है, अगर रिटर्न भरने के लिए महीने की तीन रिटर्न के लिए छोटा व्यापारी एक कर्मचारी रखेगा तो उसके मुनाफे का आधा पैसा तो उस कर्मचारी की तनख्वाह में चला जायेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एक कर्मचारी रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेगा तो पालना नहीं कर पाएगा। व्यापार छोड़ना पड़ेगा। पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। यह जीएसटी जिस मंशा से आ रहा है कि सारे देश में एक कर रहे। करों का जो भार है, जंजाल है, जो कर रूपी बीमारी है, रोग है, वह सारा का सारा जीएसटी नाम की दवा से समाप्त हो जाए। फिर कानूनों का जंजाल, तौर-तरीके, प्रक्रियाएं, नियम, परिनियमों का जो जंजाल है, वह राहत देने योग्य होना चाहिए। आपने जीएसटी में जो टैक्स लगाया है, वह पे करेगा। लेकिन जीएसटी पे करने के तौर-तरीकों में जिस प्रकार की राहत छोटे व्यापारी को मिलनी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि उस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और विषय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। आपने जीएसटी में 20 लाख के टर्न ओवर वाले व्यापारी को छूट दी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आपने आगे चलकर के उसका गला पकड़ लिया कि अपंजीकृत व्यापारी से अगर कोई पंजीकृत व्यापारी माल खरीदेगा तो पंजीकृत व्यापारी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देना पड़ेगा। कोई नहीं खरीदेगा अपंजीकृत व्यापारी, 20 लाख वाले से। मर जाएगा, दम घुट जाएगा, उसका व्यापार खतम हो जाएगा।

जीएसटी ड्राफ्ट करते समय, माननीय मंत्री महोदय, आप तो विद्वान हैं, जीएसटी जिस रोज ड्राफ्ट हो रही थी या चर्चा हो रही थी, उसकी री-ड्राफ्टिंग पर आपको सवाल उठाना चाहिए था कि केन्द्र का उत्पाद शुल्क और सर्विस टैक्स हिन्दुस्तान में वसूलने वाले लोगों ने ही इसकी ड्राफ्टिंग कर दी। उसकी परिपाटी, उसके तौर-तरीके स्टेट के बिक्री कर से, स्टेट के वैट से अलग-अलग हैं। अगर इसकी ड्राफ्टिंग में स्टेट के वैट का संचालन करने वाले अधिकारियों को शामिल किया जाता तो निश्चित रूप से यह ड्राफ्टिंग बेहतर होती। आपने यह जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, यह सर्विस टैक्स में से उठाया और सीधा का सीधा इसमें धर दिया। यह जो रखा है इससे छोटे व्यापारी का गला कट जाएगा। यह प्रावधान सर्विस टैक्स में था। आपने जीएसटी ड्राफ्ट करते समय उठाकर टिका दिया, यह संभालो। एक छोटे व्यापारी का गला पकड़ने की यह जंजीर है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए माननीय मंत्री महोदय, हमें हमारे कानून के बाद भी हमारे नियम, परिनियम बनाने होंगे। वह नियम, परिनियम बनाते समय हम अगर इसको एग्रीगेटेड टर्न ओवर में शामिल कर लेंगे तो छोटे व्यापारी के साथ ट्रांजेक्शन पंजीकृत व्यापारी का होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अगर इस बाधा को दूर नहीं किया तो वह छोटा व्यापार जो गली में चलता है, जो 20 लाख के टर्न ओवर पर पंजीकृत नहीं होता, वह व्यापार अपने आप में घुटन महसूस करेगा। उसका दम घुटने लग जाएगा। इसलिए नियम, परिनियमों में इसको एग्रीकेटेड टर्न ओवर में शामिल करके निश्चित रूप से समाधान के बारे में सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के उत्पादों की आपने पैरवी की है। माननीय मंत्री महोदय, राज्य के उत्पाद हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आप कोटा स्टोन पर चले जाएं, इसकी अर्थव्यवस्था से लाखों लोगों की आजीविका है। आप मार्बल पर चले जाएं, अजमेर से लेकर के उदयपुर तक और सैंड स्टोन में चले जाओ, हमारे उत्पादों पर कम से कम टैक्स दर स्लेब में होना चाहिए। उन उत्पादों से बने हुए उत्पाद इस टैक्स स्लेब के मिनिमम दायरे में आने चाहिए। आपने पुरजोर तरीके से जीएसटी कौंसिल में इसकी पैरवी की है। मैं समझता हूं कि इसके लिए पूरा राजस्थान आपका आभारी है। हमारा जो भी हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, वह भी इस दायरे से बाहर होना चाहिए। हमें नियम, परिनियम बनाते समय इस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और विषय है, पूरे हिन्दुस्तान के राज्य लघु उद्योग और व्यापार को प्रमोट करने के लिए कई प्रकार की छूटें देते हैं। व्यापार, उद्योग का प्रमोशन करना आज की तारीख में सेन्ट्रल से लेकर के स्टेटों का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम बन गया है। हमारे यहां कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, इनवेस्टमेंट को प्रमोशन करना स्टेट सरकारों का एक महत्वाकांक्षी एजेंडा बन गया। इस जीएसटी में वह छूट के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अगर जीएसटी लागू होने के बाद कर दर के कारण इनवेस्टमेंट प्रोग्राम प्रभावित हुए तो हम जो एक रोजगार जनरेट करने का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महत्वाकांक्षी सपना जो राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर नियंत्रण करने का देखना चाहते हैं, उसमें एक गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसमें यह जो लघु उद्योग ...

**श्री उपाध्यक्ष**: इसको आप दुबारा बोलें। जरा थोड़ा सा धीमी गति से बोलें। यह इम्पोर्टेंट चीज है।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग और छोटे व्यापारी को प्रमोट करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने कई स्कीमें चलाई हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: इनवेस्टमेंट प्रमोशंस स्कीम्स?

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): इनवेस्टमेंट प्रमोशंस स्कीम्स।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपका यह कहने का मतलब है कि जीएसटी आने के बाद इन स्कीमों पर क्या होगा।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): जीएसटी आने के बाद क्या इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अगर जीएसटी आने के बाद इस इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम पर फर्क पड़ा तो फिर आमंत्रित कर रहे हैं हम निवेश को और उसका उद्देश्य इस राजस्थान में खुशहाली है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपको क्या लगता है इस बिल को पढ़ने के बाद में, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। मैंने तो आपसे भी निवेदन कर लिया। मैं तो आपका मार्गदर्शन लेने भी गया था। मैं अंग्रेजी पढ़ा-लिखा होता तो शायद एक शब्द का एक अर्थ होता। यहां तो हिन्दी में ना जाने कितने अर्थ हैं। इसलिए अगर यह इस दायरे में आती है तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, और कुछ बातें हैं, जो व्यापारी की चिंता हैं, जीएसटी आ रहा है और इसको लेकर के राजस्थान में लंबे समय से चर्चा हो रही है। व्यापारी की चिंता है कि जीएसटी आने के बाद निश्चित रूप से केन्द्र सरकार को एनुअल 6 करोड़ रुपए एक्सट्रा मिलेगा। हमें कहीं घाटा होगा तो 5 साल तक हमारे घाटे की भरपाई केन्द्र करेगा। इस भाव से इस टैक्स से

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जो रेवेन्यू आएगी, राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान को बिजली मिलेगी, सड़क मिलेगी, रोजगार, शिक्षा सारी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इस भाव से सारा मुल्क इसके साथ खड़ा है। इस टैक्स प्रणाली के सुधारों के साथ सारा मुल्क खड़ा है।

लेकिन व्यापारी की एक चिंता है माइग्रेशन। माइग्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल दी है। राजस्थान का व्यापारी जीएसटी लागू होने के 15 दिन पहले तक की माइग्रेशन की छूट चाहता है। दूसरा, व्यापारी की चिंता है जीएसटी पोर्टल, क्षमता बहुत कम है। जीएसटी पोर्टल हैंग हो रहा है। लगातार व्यापारी कम्प्यूटर के सामने बैठकर के इंतजार कर रहा है। व्यापारी का समय नष्ट हो रहा है। पोर्टल की क्षमता 20 से 25 गुणा निश्चित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। यह व्यापारी की चिंता है।

जीएसटी कानून जो मैंने कहा है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के आधार पर बना है। अभी जो राज्य की कर दरें हैं, वह सूची आधारित हैं। जीएसटी में यह सब कर दरें एचएनएस कोड पर आधारित कर दी। अब एचएनएस कोड का मैंने पूछा कि यह क्या है? यह एचएनएस कोड केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की टैक्स निर्धारण प्रक्रिया है जिसमें 854 पेज की लिस्ट है। अब उस 854 पेज की लिस्ट को व्यापारी पढ़ेगा और कितनी देर में किस कमोडिटी को, कौनसे टैक्स की दर में है, इसलिए जो हमारा वैट लिस्ट सिस्टम था, उस प्रकार से इसको री-डवलप करने की आवश्यकता है। अगर हमने यह काम किया तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम राहत देने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेड माल को लेकर के सवाल है। रूल 31 बी के अनुसार कम्पोजिशन व्यापारी के पास किसी प्रकार का इम्पोर्टेड माल नहीं होना चाहिए। चाहे उसने समस्त करों का भुगतान करने के बाद किसी अन्य राज्य से क्रय किया हो। उसकी किसी अन्य राज्य में, उसके किसी ब्रांच से या उसके एजेंट से ही क्यों नहीं प्राप्त किया हो।

अन्यथा वह कम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले पाएगा, यह शर्त व्यापारियों और अन्तरराज्यीय स्कीम को हतोत्साहित करने वाली है, इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माल की निकासी से लेकर माल पहुंचने तक ई-वे बिल, 50 हजार का माल भी गया, जहां से जा रहा है, जिसको जा रहा है, जिन ट्रक में जा रहा है, ट्रक से ट्रेन में बदला, ट्रेन से किसी मेटाडोर में बदला, एक-एक जगह पर नए तरीके से ई-वे बिल की सूचना देनी चाहिए, इसको कैसे सरल किया जा सकता है, इस पर भी एक बार विचार करने की जरूरत है। ई-बिल जनरेट होने के बाद प्रत्येक ई-बिल के सम्बन्ध में एक यूनिक ई-वे बिल नम्बर आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उससे अधिक दिक्कतें खड़ी नहीं हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में, इन सारी बातों के बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जीएसटी बिल जो अपने आप में जिस उद्देश्य से लाया जा रहा है कि पूरे वेल्यू चैन इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, टैक्सेशन के व्यापक प्रभाव को कम करेगा, कप्लायंस को आसान बनाएगा, देश भर टैक्स का आधार कानून प्रशासन की प्रक्रिया में सामंजस्य बैठाएगा, राज्यों के बीच गलत प्रतिस्पर्द्धा को कम करेगा। इन सारी बातों के मद्देनजर यह बिल भारत में एक नई अर्थ क्रांति, टैक्स क्रांति लाएगा, मैं इसका समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका आभार।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मानवेन्द्र सिंह।

**श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। वैसे तो इस सदन में इस जीएसटी बिल पर बहस में आपकी अनुपस्थिति हमें महसूस हो रही है क्योंकि इस सदन में यदि कोई वित्त विशेषज्ञ है तो निश्चित रूप से आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हैं परंतु आप....

**श्री उपाध्यक्ष**: Your Minister is good enough.

**श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव): I couldn't heard him. I heard you.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यहां विशेषज्ञ होना अच्छा नहीं है।

**श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव): इस पर चर्चा हो चुकी है।

**श्री उपाध्यक्ष**: इस पर चर्चा करा लें?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): चर्चा के लायक यदि कोई सब्जेक्ट है तो यही है।

**श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव): मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने जो मेरे से अधिक जानकार हैं, उन्होंने जीएसटी का इतिहास और जीएसटी के नियम, प्रावधान सभी पर विस्तार से अपने उद्‍बोधन में कवर किया है। इसकी 15 साल की यात्रा जो पूर्व प्रधान मंत्री अटलजी के समय से प्रारम्भ हुई थी, वह यात्रा अब समाप्त होने वाली है और समाप्ति के स्वागत में मैं यहां खड़ा हुआ हूं। देश को कैसे जोड़ेगा, देश को कितना लाभ मिलेगा, इस बारे में सबने अपने उद्‍बोधन में जानकारी दी, वह दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आज के पाइंट्स में, उद्‍बोधन में आने वाली फिटमेंट कमेटी की मीटिंग और उसके बाद में जीएसटी कौंसिल की मीटिंग, जिसमें राजस्थान का विशेष सब्जेक्ट हम रख सकते हैं और रखना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने हमें जो वर्कशॉप में लाभांवित किया था, उससे कुछ और आइडिया और सुझाव आए मेरे मन में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के समय में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था बजट में कि मेरा जो जन्म हुआ और मेरे जीवन में पहला परिवार है, वह भारतीय सेना है, मेरी समझ में भारतीय सेना ही एक ऐसी संस्था है भारत में जो वास्तव में धर्म निरपेक्ष और हर वर्ग को साथ लेने वाली, हर क्षेत्र को साथ लेने वाली, हर राज्य को, हर राज्य के व्यक्ति को साथ लेने वाली संस्था है, वह संस्था मेरे लिए एक परिवार है जहां मेरा जन्म हुआ और उसके लिए हर प्रयास रहता है कि हम सेवा करें, उनकी सुविधाएं बढ़ाएं। मुझे जानकारी मिली कि जीएसटी के अभी तक किसी भी प्रपोजल में सीएसडी, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की व्यवस्था नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मेरा निवेदन है प्रभारी मंत्रीजी से कि आने वाली कौंसिल की मीटिंग में क्योंकि वीर भूमि राजस्थान में कम से कम हर तहसील में अनेकों पूर्व सैनिक हैं, अनेकों सैनिक विधवाएं हैं, युद्ध विधवाएं हैं, वर्तमान में भी हर तहसील से भी अनेकों सैनिक सेवा दे रहे हैं, भारत में, भारत के लिए और कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट उन विधवाओं के लिए, उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए चाहे मोबाइल कैंटीन हो, चाहे स्थानीय कैंटीन

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

हो, व्यवस्था की हुई है, पूर्व सैनिकों के लिए उनके परिवारों के लिए उनके परिजनों के लिए। कैंटीन केवल लीकर के लिए नहीं है, लीकर तो वैसे भी जीएसटी से बाहर है लेकिन कैंटीन में सामान्य किराणा की वस्तुएं भी मिलती है बाकी गृह की और सामग्री भी मिलती है, जिसको आवश्यकता हो, मोटर साइकिल, कार और स्कूटर भी वहां से मिल सकते हैं, सीएसडी व्यवस्था पूरी जीएसटी से बाहर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि सीएसडी का प्रस्ताव अभी तक जीएसटी कौंसिल के सामने आया नहीं है। मैं रक्षा मंत्री को स्वयं लिखूंगा कि सीएसडी को जीएसटी में जोड़ा जाए क्योंकि अभी जो व्यवस्था है, हर राज्य में सीएसडी की दर अलग है, जिस दर पर राज्य का वैट है उस हिसाब से सीएसडी की दर है। जब जीएसटी लागू होगा 1 जुलाई से तो सीएसडी की व्यवस्था असमान उसमें रह जाएगी, इसलिए मेरा निवेदन है प्रभारी मंत्रीजी से कि जीएसटी कौंसिल में राजस्थान की ओर से जो राज्य सर्वोच्च राज्य है भारतीय सेना, वायु सेना या नौसेना में अपने वीर सैनिक जो भेजता है, राजस्थान के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरी यही प्रार्थना है कि सीएसडी को जीएसटी के साथ न्यूनतम रेट पर जोड़ा जाए, जिससे हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों को लाभ मिले। लाखों की संख्या में हमारे यहां पूर्व सैनिक हैं, उनके परिजन हैं, लाखों की संख्या में हमारे सैनिक देश भर में है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हमारे सैनिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, जम्मू-कश्मीर में हमारे सैनिक सेवा दे रहे हैं, सियाचिन में हमारे सैनिक सेवा दे रहे हैं, पूर्वोत्तर में दे रहे हैं, सिक्किम में दे रहे हैं, ऐसा कोई कठिन स्थान नहीं है जहां हमारे सैनिक नहीं हैं तो उनके लिए राजस्थान सरकार यह मुद्दा उठाए, जीएसटी कौंसिल में, यह अभी तक उठा नहीं है और न ही यह विषय आया है, मेरी यही पहली प्रार्थना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटा स्टोन, मार्बल, का कहा, मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में ग्रेनाइट की भी व्यवस्था है, उद्योग हैं, सेंड स्टोन कई जगह है, राजस्थान में पत्थर का बहुत बड़ा उद्योग है।

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

मेरी गिनती में शायद 18 जिलों में हजारों-लाखों मजदूर इस उद्योग में काम करते हैं। इस उद्योग को जितना सुविधाजनक व्यवस्था जीएसटी में मिले, इसके लिए मेरी मंत्रीजी से प्रार्थना है, आगे यह विषय उठे। आपको पूरी जानकारी है इस बारे में।

**(16.00 बजे)**

राजस्थान में टैक्सटाइल, जैसे भीलवाड़ा, जयपुरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट बहुत प्रसिद्ध है। भारत में इसका काफी कारोबार है। टैक्सटाइल उद्योग और विशेषकर अपनी टैक्सटाइल की कला है उसको बढ़ावा मिले। उसको जीएसटी में सही रेट पर, सही स्लैब में लिया जाए, यह भी मेरा सुझाव है।

इसके साथ-साथ, जोधपुर का हैण्डीक्राफ्ट बहुत बड़ा उद्योग है। प्रतिवर्ष सैकडों बायर विदेश से आते हैं, जोधपुर से हैण्डीक्राफ्ट का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। मेरा निवेदन है कि इसको लग्जरी आइटम में नहीं लिया जाए। हैण्डीक्राफ्ट के लिए जीएसटी में अलग से व्यवस्था हो। हैण्डीक्राफ्ट में भी मशीन का काम कम है, वास्तव में यह हस्तकला है। इसमें लाखों की संख्या में हमारे मजदूर काम करते हैं। जोधपुर के उद्योग में अधिकतम मजदूर बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। कई शरणार्थी हैं, पाकिस्तान से जो यहां भारत में आये। उनको पहला रोजगार इसी उद्योग में मिलता है। इनके पास यह क्षमता है। मैं चाहता हूं कि हैण्डीक्राफ्ट को लग्जरी दर में नहीं लिया जाय। इसको न्यूनतम स्लैब में लिया जाए तो इस उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

खनन के अलावा, राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग ट्यूरिज्म है, पर्यटन उद्योग है। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष भारत में लगभग 90 लाख विदेशी पर्यटक आये थे, परन्तु भारत के पर्यटन और अन्य देशों के पर्यटन में अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि विदेश में जीएसटी लागू हो चुका है और भारत में जीएसटी अभी तक लागू नहीं हुआ। उसके कारण भारत में जो पर्यटक आता है उसका भारत में शॉपिंग में सबसे कम खर्चा होता है। सेम पर्यटक यदि वह सिंगापुर गया हो, चाहे चाइना गया हो तो वह वहां शॉपिंग करता है या करती है और उस शॉपिंग से लोकल उद्योग को, लोकल हैण्डीक्राफ्ट को, लोकल टैक्सटाइल को, जो भी वहां लोकल सामान बनता है

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

उनको बहुत लाभ मिलता है। उस सामान को वहां से जब बाहर ले जाते हैं तो एयरपोर्ट पर, चाहे सिंगापुर एयरपोर्ट हो, वहां एक खांचा है जीएसटी रिफण्ड स्कीम का। वहां उन्होंने जो खर्चा किया हो उसका एयरपोर्ट से रिफण्ड मिल जाएगा। इसलिए पर्यटक विदेश में भारत से अधिक शॉपिंग करता है। अब जीएसटी भारत में लागू होगा और यह रिफण्ड स्कीम की व्यवस्था आएगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में पर्यटक शॉपिंग अधिक करेगा और इसमें अपने छोटे व्यापारियों को, चाहे हस्तकला वाले व्यापारी हों, चाहे टैक्सटाइल वाले व्यापारी हों, चाहे और कोई अन्य व्यापारी हों, उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसमें जीएसटी का जो ढांचा बन रहा है, जीएसटी का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बन रहा है, सॉफ्टवेयर तो प्रसिद्ध इंफोसिस कंपनी बना रही है। यह हॉर्डवेयर पूरे देश में लागू होगा, सॉफ्टवेयर तैयार होगा, वह ट्यूरिज्म वाला सॉफ्टवेयर अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है। जब तक यह जीएसटी लागू होगा, राजस्थान का ट्यूरिज्म सीजन चालू होने वाला है, राजस्थान में ट्यूरिस्ट आने लगेंगे। मेरा एक निवेदन है, एक सुझाव है कि जो बना-बनाया ट्यूरिज्म रिफण्ड स्कीम का ढांचा है, ट्रायल बेसिस पर या कुछ समय के लिए हम उसे लागू करें कि यहां से तो चालू हो जाए क्योंकि जब तक यह स्कीम लागू होगी, ट्यूरिस्ट आएगा, रिफण्ड मिलेगा नहीं, हमारा एक और ट्यूरिस्ट सीजन वेस्ट हो जाएगा। ट्यूरिस्ट सीजन आने से पहले ही यदि हम यह बना-बनाया ढांचा लगा दें, सैट-अप कर दें तो उन ट्यूरिस्ट को भी लाभ मिलेगा और हमारे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, हमारे होटल मालिकों को भी लाभ मिलेगा।

राजस्थान और विशेषकर भारत में भी इतने सारे अन्य सर्विस टैक्स लगे थे होटल इंडस्ट्री में। भारत में होटल के कमरे की क्वालिटी भले ही विदेश के लेवल की न हो, परन्तु उसका खर्चा विदेशी कमरे से अधिक हो जाता था क्योंकि अनेक टैक्स लगते थे। जीएसटी से यह सुधार होगा, यह निश्चित है। ट्यूरिस्ट पाइंट ऑफ वे से इसको लग्जरी लेवल के स्थान पर मध्य स्लैब में ले आएं तो हमारा प्रति कमरा खर्चा अधिक बनता है वह टैक्स के कारण थोड़ा कम होगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और उससे जुड़े हुए चाहे टैक्सी ड्राईवर हों, चाहे ट्यूरिस्ट गाइड हों, उन सबको लाभ मिलेगा।

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे समझाया था जब प्रजेंटेशन हुआ था कि जीएसटी को सफल करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए क्योंकि एक नई दिशा में भारत जा रहा है, नई दिशा में हम सब जा रहे हैं। जो हॉर्डवेयर, सॉफ्टवेयर बन रहा है, ऐसा संभव नहीं है कि पहले चांस में ही सफल होगा। ऐसा नहीं है कि सभी नागरिक उतनी ही ईमानदारी लेकर इससे जुड़ेंगे। मेरा निवेदन तो सभी सदस्यों से हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई न कोई जो इससे जुड़े हैं, व्यापारी जुड़ेंगे, उद्योगपति जुड़ेंगे, कहीं न कहीं गड़बड़ होगी। यह भारत है, हर चीज की संभावना यहां हो सकती है। मेरा निवेदन है सभी सदस्यों से कि इसमें हम सबका भी सहयोग रहे, न केवल विभाग या सरकार का। क्योंकि देश को बदलने में इस बिल का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है।

छोटा उद्योग हो, जैसे बीकानेर का भुजिया, पापड़। वह पूरे देश-विदेश में जाता है और वहां का व्यापारी, वहां का उद्योगपति इससे जुड़ा नहीं है, लेट जुड़े और कोई गड़बड़ हो तो नुकसान हम सबका है, नुकसान राजस्थान का है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं और भुजिया, पापड़ जैसे उद्योग इससे जुड़े हुए हैं, मूंग है, मोठ है, इनके लिए भी मंत्रीजी से निवेदन है कि स्लैब न्यूनतम हो, चाहे शून्य भी हो सके तो आप प्रयास करें क्योंकि ये भी खाद्य में आते हैं। ग्वार उद्योग का उदाहरण है जो राजस्थान विशेष है। ग्वार को आप जिस स्लैब में रख सकें, जितना कम रख सकें, उसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है।

राजस्थान की एक और विशेषता है। जैसे अपने यहां रायड़ा होता है। अजमेर क्षेत्र में तिल और अन्य जिलों में रायड़ा। तो यह जो तिलहन उद्योग है उसको भी न्यूनतम रेट में, कम रेट में, जितनी कम रेट हो, यह भी मेरी ओर से आपसे प्रार्थना है।

अंत में, अभी आने वाले माह में गंगापुर, सवाई माधोपुर में एक बड़ा शिक्षा से सम्बन्धित सम्मेलन है और पहली बार यह सम्मेलन होने वाला है। उससे मुझे एक सुझाव, एक आइडिया आया कि जैसे कोटा शिक्षा का, स्टडी का, कम्पीटिशन की तैयारी का एक सेंटर बन गया है तो कोटा हो, आगे जाकर गंगापुर हो और कई और क्षेत्र बनें, कोई और सेंटर बनें, एजुकेशन

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

हब बनें तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए आप इनको भी जी.एस.टी. के कम दायरे में, कम दर में, कम रेट में, कम स्लेब में ले सकें, तो यही मेरा अंतिम सुझाव रहेगा मंत्रीजी से। इससे आगे जाकर एजुकेशन हब राजस्थान के भविष्य के लिए, अपने छात्र-छात्राओं के लिए, उनके विकास, उनके जीवन के सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे, यह मुझे विश्वास है।

आपने मुझे समय दिया इसलिए मैं बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री रामचन्द्र।

**श्री रामचन्द्र** (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जी.एस.टी. पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

16 साल पहले माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के अन्तर्मन में यह विचार आया कि पूरे देश के अन्दर एक कर प्रणाली लागू हो। इस ओर ये कदम बढ़ते 2007 और 2007 के बाद में 2010 में राज्य सभा में कांग्रेस के अपने विरोध से यह जी.एस.टी. का बिल पास होने से रह गया।

देश के यशस्वी और ओजस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र जी मोदी द्वारा इस देश के अन्दर इतने आधुनिक नवाचार किए गये हैं उन नवाचारों में एक प्रभावशाली परिवर्तन जी.एस.टी. के माध्यम से पूरे देश में लाने का प्रयास किया। 101वां संविधान संशोधन जिसमें एक ही तरह के चार विधेयक हैं, CGST, SGST, IGST, UTGST. इन सब कर प्रणाली को देखते हुए 1950 के संविधान की धारा 246 (A) में जिस प्रकार से राज्यों को अपना एकाधिकार था अपनी-अपनी टैक्स प्रणाली लागू करने का और उसी प्रकार से केन्द्र की सरकार को भी सैण्ट्रल के टैक्स इम्पोजिशन का एकाधिकार था। इस प्रकार से पूरे देश के अन्दर विभिन्न सरकारें अपने-अपने हिसाब से करीब 20 प्रकार के कर लगाती हैं और उसका भार पूरी जनता पर पड़ता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्रीजी ने ये जब विधेयक प्रस्तुत किया और इन सारे करों को काटते-काटते पूरे देश में 18 परसेंट की एक राशि तय कर दी कि पूरे देश के अन्दर 18 प्रतिशत आपको गुड्स एवं सर्विसेज पर देना है। यह विश्व का 166वां देश होगा जहां जी.एस.टी. लागू होने वाली है। राजस्थान प्रदेश इस देश का तीसरा राज्य

(श्री रामचन्द्र)

होगा जहां पर यह जी.एस.टी. लागू होना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आस्ट्रेलिया में 18 परसेंट, स्वीडन और डेनमार्क में 25 परसेंट, जर्मनी में 19 परसेंट, फ्रांस में 19.6 परसेंट, पाकिस्तान में 18 परसेंट है। एक छोटा सा देश पाकिस्तान है जहां भी जी.एस.टी. लागू है। इतना लम्बा समय बीतने के बाद हमारे देश के वित्त मंत्री महोदय ने पूरे देश में सारे करों को, चाहे लग्जरी टैक्स हो, चाहे वैट हो, चाहे व्हीकल टैक्स हो, कई प्रकार के, 20 प्रकार के टैक्स समाप्त करके कुछ चीजों पर ऐसा भार तय किया है जिन पर 30 से लेकर 50 परसेंट लगता था चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, कुछ घरेलू उत्पाद में भी ऐसी चीजें थीं जिन पर बहुत सारा टैक्स लगता था और अब यह सारा कम करने के बाद पूरे देश के अन्दर एक प्रकार की कर प्रणाली लागू होगी, एक देश होगा, एक कर होगा। 132 करोड़ लोगों का इसमें सीधा-सीधा अपने हिसाब से फायदा होगा।

जिस प्रकार से प्रबुद्ध और विद्वान साथी अभी कह रहे थे कि कभी-कभी किसी विषय को इतना गम्भीर बना देते हैं जैसे राजस्थान के RIPS पर, जिस प्रकार से माननीय सदस्य मानवेन्द्र सिंह जी ने भी राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए जहां-जहां ये जितने उत्पाद पैदा होते हैं, उनको टैक्स की श्रेणी में किस प्रकार से रखा जाए, उसका जिक्र किया। मैं भी सरकार से यह मांग करता हूं, जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी काउन्सिल की, जब वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें कहा था कि राजस्थान के कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन पर टैक्स अधिक ना लगे और वो टैक्स के दायरे में जैसे 18 प्रतिशत या इससे कम में रहे ताकि यहां के लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। क्योंकि यहां राजस्थान में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विश्व तक विख्यात है और यहां से निर्यात होती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तीनों प्रकार की, चारों प्रकार की जो टैक्स प्रणाली है CGST, SGST, IGST, UTGST, परसों जब विधान सभा के अन्दर सेमिनार हुआ था और यहां के अधिकारी महोदयों ने काफी इस बारे में बताया था। सैण्टर अपना इम्पोजिशन करेगा, स्टेट अपना इम्पोजिशन करेगा, इंटीग्रेटेड जी.एस.टी., अन्तरराज्यीय जो टैक्स प्रणाली है वो भी अपनी

(श्री रामचन्द्र)

होगी, यूनियन टेरेटरी की भी अलग से टैक्स की परिभाषा रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी वित्त मंत्रीजी ने एक बात बताई थी कि इसके बावजूद भी अगर किसी राज्य के अन्दर इतना टैक्स इम्पोजिशन करने के बाद अगर किसी दृष्टि से आय में कमी आती है तो आने वाले पाँच वर्षों तक केन्द्र सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। अगर मान लो, इस प्रकार से नहीं हो और मान लो, जैसे 50 हजार करोड़ की टैक्स की आय होती है और अगर यह जी.एस.टी. खत्म करे और इम्पोजिशन करे तो एक लाख 72 हजार करोड़ का टैक्स इम्पोजिशन आता है। इस प्रकार से सैण्टर ने पूरी व्यवस्था की है कि किसी भी स्टेट में किसी भी प्रकार की अगर टैक्स इम्पोजिशन के बाद में आय में कमी होती है तो पूरा का पूरा सैण्ट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स इम्पोजिशन की क्षतिपूर्ति करने के लिए पाँच साल तक केन्द्र सरकार देगी।

मैं तो इस जी.एस.टी. बिल का ह्रदय से स्वागत करता हूं क्योंकि एक देश, एक कर, एक बाजार हो जाएगा और आने वाले समय में हर आदमी को इसका फायदा होगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री अजीत सिंह जी।

**श्री अजीत सिंह** (टोंक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जी.एस.टी. पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आज जिस जी.एस.टी. के बिल को लेकर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं उसके लिए मैं सबसे पहले देश के उन राजनीतिक दलों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राज्य सभा और लोक सभा में इस पर सहमति व्यक्त की। उसके लिए इस देश के हित में निर्णय किया, उसके लिए मैं उनका स्वागत और अभिनन्दन करता हूं।

जी.एस.टी. इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। जैसे हालात इस देश के अन्दर थे, हमारे देश के अन्दर अलग-अलग व्यवस्था थी और पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लाने के लिए वस्तु यानी जी.एस.टी. व्यवस्था की कल्पना अगर इस देश में सबसे पहले किसी ने की थी तो वाजपेयी सरकार

(श्री अजीत सिंह)

ने इसकी कल्पना की थी। पूरे देश के अन्दर एक कॉमन मार्केट हो जाए जिससे बिजनैस करना सभी के लिए आसान हो जाएगा। यह जी.एस.टी. अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है और आज मुझे खुशी है कि बिहार के बाद राजस्थान के अन्दर यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने इसको लागू करने का प्रयास किया। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार और अभिनन्दन करना चाहता हूं।

यह बात सही है कि जी.एस.टी. के ऊपर जब विधायकों की कार्यशाला हुई थी वो एकतरफा कार्यशाला थी और हमसे कोई संवाद नहीं कराया गया था। उन्होंने एक विचार अपने ऊपर थोपा था। हमारे मन की शंकाओं के बारे में हमारी इच्छा थी कि हम चर्चा करें लेकिन उन्होंने अवसर नहीं दिया। यह बात सही है कि 1986 से लेकर 2000 तक सिर्फ चार देशों में जी.एस.टी. को लागू किया था लेकिन आज खुशी है कि आज 150 देशों ने जी.एस.टी. को अपने देश के अन्दर लागू कर रखा है।

आज मैं आपके साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जीएसटी आने के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद इस देश के अंदर एम्प्लायमेंट बढ़ेगा, सरकार की सक्सेस भी अच्छी होगी, व्यापार में कम्पीटिशन कम होगा, ब्लैकमनी पर लगाम लगेगी और देश की जीडीपी की दर भी बढ़ेगी, लेकिन मेरा एक निवेदन और आग्रह और भी है कि हमें राजस्थान के परिवेश में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।

आज आपने जिस तरह की रिटर्न भरने की व्यवस्था की है, राजस्थान का व्यापारी आज भी बहीखाते में अपने खाते का एकाउंट करता है। आपने जिस तरह से आनलाइन करने की बात की है, मेरा निवेदन है कि आपने कर प्रणाली को जिस तरीके से बांधा है और आपने जिस तरीके के कानून के अंदर घेरने का प्रयास किया है, कोई नया कानून, कोई नई कर प्रणाली इस देश के अंदर लागू करने वाले हैं। रिटर्न भरने के लिए, आपने उस व्यापारी को एक साल का समय भी नहीं दिया है जो वैट के लिए भरते थे। तो उसके लिए संशोधन करने के लिए, उसके अंदर यदि कोई गलती हो गई तो सुधार की गुंजाइश हुआ करती थी। लेकिन आपने इस देश के अंदर जीएसटी लागू करने के लिए, प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री अजीत सिंह)

करना चाहूंगा कि जीएसटी को लागू करने के लिए, कल को व्यापारी अपनी रिटर्न भरता है, रिटर्न के अंदर कहीं चूक हो जाती है, कोई बात हो जाती है तो आप उसके लिए सज़ा का प्रावधान करते हैं, जुर्माने का प्रावधान करते हैं, यह ठीक नहीं है। आपको कम से कम एक साल का समय उस व्यापारी को देना चाहिए। उसको समझने का समय देना चाहिए। आपको राज्य भर के अंदर कार्यशालाएं करानी चाहिए। व्यापारी के लिए इतना बड़ा एक कर कानून पूरे देश में एक समान कर कानून लागू करने वाले हैं। यह बहुत आवश्यक है, देश का एक अच्छा विषय, इसमें देश को आगे लाभ होने वाला है। यह आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं लेकिन इसको समझने के लिए वह व्यापारी जो अपने बहीखाते के अंदर, लाल बही के अंदर अपने एकाउंट्स किया करता था, उसको आप कैसे इस कर प्रणाली से जोड़ सकते हैं? इसके लिए आपको कार्यशालाएं जमीन पर ले जाकर करवानी चाहिए और कार्यशालाओं के बीच में संवाद कराना चाहिए। अभी तो आपके अधिकारी भी पूरी तरह से जीएसटी को नहीं समझ पाये हैं। हम आपके सैल्स टैक्स के चाहे सीटीओ हों, चाहे एसीटीओ हों, उनसे जब चर्चा करते हैं तो वह भी इस विषय को पूरी तरह से समझते नहीं हैं। आप उनकी भी अभी ट्रेनिंग करा रहे हैं और व्यापारियों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह आपको एक बार में रिटर्न ऐसी भर दे जो बिलकुल सही हो। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, आप कहीं न कहीं इसके अंदर सुविधा देने का प्रयास करें। कहीं न कहीं व्यापारी की पीड़ा को आप समझने का प्रयास करें। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

आज मुझे एक और बात कहनी पड़ेगी कि लोकतंत्र में किसी भी मसले पर देरी संभावित है, फिर भारत में तो कई स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। केन्द्र सरकार के कर अलग हैं, राज्य सरकार के कर अलग हैं, जिला नगरपालिका के, महा नगरपालिका के कर अलग हैं। ग्राम पंचायत के कर अलग हैं। जितनी सरकारें हैं, उतने कर। सरकार के बुनियादी कामों में कर वसूलना है। जितनी सरकारें हैं, उतने कर हैं। यानी भारत के अंदर बहुविध सरकारों की व्यवस्था में कोई एकीकृत कर व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन एक अभिनव प्रयोग हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने राजस्थान के अंदर

(श्री अजीत सिंह)

शुरू किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस देश के अंदर आपने एक कर प्रणाली लागू करने का काम किया है। उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन व्यापारियों की एक पीड़ा है। व्यापारी ईमानदार हैं। ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है और जिसके लिए कर प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था को सरलीकरण करने की आवश्यकता है। कर की दरें कम होने से सरकार को कर की आय में कमी नहीं होगी बल्कि उसकी आय की बढ़ोतरी होती है। कर प्रणाली व कर दर जितनी सरल और कम होगी, उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। आज जीएसटी को हम लोग एक देश में आर्थिक विकास हेतु अच्छा कदम मानते हैं। समान कर से व्यापारी को सुगम व्यापार व्यवस्था मिलेगी परन्तु जीएसटी लागू किये जाने में समस्याओं का निराकरण किया जाए।

जीएसटी माइग्रेशन में आईडी पासवर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। समस्याओं के समाधान की गति धीमी है तथा कोई जवाबदेह संस्था या कार्यालय नहीं है। यहां उक्त समस्याओं का निराकरण हो सके, व्यवहारी हेतु प्रत्येक बिक्री को माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत करना, जो अत्यधिक अव्यावहारिक है, जो व्यापारी के लिए गहरी पीड़ादायक है। व्यापारी द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुतीकरण में गलती होने पर संशोधन के प्रावधान नहीं हैं, अपितु व्यापारी को सज़ा भुगतने का प्रावधान है। प्रथम वर्ष में पैनल्टी के प्रावधान नहीं रखे जाएं। कानून होने से गलती, नया कानून होने से गलती होना संभावित है। मासिक रिटर्न को त्रैमासिक किया जाए। उचित व्यावहारिक कदम होगा। व्यापारी की समस्याओं का विभाग सौहार्द्र और सामन्जस्य बनाकर समाधान करने का प्रयास करें। यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

माननीय मंत्री महोदय, यह बात सही है कि इस जीएसटी को लागू होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को होने वाला है क्योंकि तब चीजें पूरे देश में एक ही रेट पर मिलेंगी चाहे किसी भी राज्य से खरीदें। रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, मोबाइल हैण्डसेट, कार, सिगरेट, शराब आदि गुड्स शामिल हैं। इसलिए इससे आम आदमी को लाभ होने वाला है।

(श्री अजीत सिंह)

एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इन सारी बातों के बावजूद भी हम और आप मिलकर हमारे राज्य के इन व्यापारियों के हित में क्योंकि राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की पूंजी हैं और उसकी पीड़ा को हमें समझना पड़ेगा, उसके समाधान के लिए हमें चिंता करनी पड़ेगी। आज जिस तरह से जीएसटी को हम बहुत अच्छे से नहीं जान सके। आप खुलकर हमें विस्तार से बताएंगे लेकिन व्यापारियों की, हमारी पीड़ा को आप कैसे रख सकेंगे? यह बात सही है कि जीएसटी लागू होने के बाद इस देश के अंदर हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और जिस तरह का आज देश के अंदर वातावरण है और यह मैं भी जानता हूं कि आज जीएसटी लागू होने के बाद विदेशी निवेश भी हमारे देश के अंदर आने वाला है क्योंकि जब इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा, काला धन के ऊपर भी कमी आएगी और आम आदमी अपना कोई भी सामान बिल से खरीदने की शुरुआत हो जायेगी, यह एक अच्छी शुरुआत है लेकिन माननीय मंत्री महोदय, व्यापारी की पीड़ा को आपको समझना पड़ेगा।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर मार्बल का खनन राजस्थान के अंदर होता है और इसमें कहीं न कहीं 10 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। सरकार की रेवेन्यु भी इसके अंदर आती है और 15,000 करोड़ का निवेश भी इस राजस्थानियों के अंदर मार्बल के अंदर कहीं न कहीं कर रखा है लेकिन जो गुजरात से विट्रीफाइड टाइल्स आती हैं, उसने इस व्यापार को चौपट करने का प्रयास किया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि राजस्थान के मार्बल को, जो जीएसटी की दरें हैं, वह न्यूनतम पाँच परसेंट में रखा जाए जिससे व्यापार खतम नहीं हो जाए। अगर आपने इसकी दर को बढ़ाने का प्रयास किया तो मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के मार्बल व्यवसाय को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी और वह पूरी तरह से मार्बल व्यवसाय खतम हो जाएगा और विट्रीफाइड टाइल्स, गुजरात की टाइल्स राजस्थान के अंदर अपना व्यापार का मायाजाल फैला देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जीएसटी के अंदर न्यूनतम दर रखकर मार्बल व्यवसायी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

(श्री अजीत सिंह)

मैं इस जीएसटी बिल का मन से धन्यवाद भी देता हूं कि यह बहुत अच्छा बिल इस देश के अंदर आया है और जो राजस्थान के अंदर हम देखते थे कि किसी माल की गुजरात के अंदर टैक्स कम था तो राजस्थान के अंदर आ जाया करता था। राजस्थान का व्यापारी उस कम्पनी के माल को बेच नहीं पाता था और गुजरात का माल नम्बर दो के अंदर यहां पर आकर बिककर चला जाया करता था। यह एक कर प्रणाली पूरे देश के अंदर लागू होगी।

**(16.26 बजे)**

**(श्री कैलाश मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

व्यापारियों को निश्चित ही आगे जाकर इसमें लाभ होने वाला है। इसलिए मैं इस कर प्रणाली का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं।

मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे जो व्यापारियों की महत्वपूर्ण समस्या है, चाहे मार्बल व्यापारी की बात हो, चाहे रिटर्न के अंदर दिक्कत हो, सज़ा का प्रावधान हो, इन सबके अंदर सुविधा और लाभ से आप हमको कहीं न कहीं लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार और अभिनन्दन और धन्यवाद करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। श्री फूलचन्द भिण्डा।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह एक देश को दिशा देने वाला बिल है, निर्णय है। जब देश को आजादी मिली, उसके बाद एक विषय चला कि देश को अखण्ड बनाना चाहिए और उसके लिए देश में एक बलिदान भी हुआ, जो भारत के पहले उद्योग मंत्री थे, उन्होंने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के नाम पर उन्होंने धारा-370 का विरोध किया और बलिदान हो गये। इस देश में आजादी के बाद में जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया, उन्होंने विवादात्मक नीतियों को अपनाने का प्रयास किया। कभी भी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

अखण्डता के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ, लेकिन इस देश में जिस सिद्धान्त और विचार के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी का जन्म भी अखण्डता के लिए हुआ और उसको प्रमाणित करने का उन्होंने प्रयास किया इस बिल के माध्यम से।

एक राष्ट्र, एक संविधान, ऐसी परिकल्पना करके हम देश की अखण्डता की बात करते रहे हैं लेकिन जब हम अनादिकाल में चलेंगे तो यह देश बार-बार टूटा है और बार-बार अखण्ड बना है। चक्रवर्ती राजाओं की व्यवस्था और जो शक संवत् शुरू हुए, सारी दुनिया में दो शक संवत् हुए, लेकिन 41 बार शक संवत् यहां के अखण्ड बनाने वाले जो चक्रवर्ती राजा थे, उनके द्वारा हुआ और उसकी शुरुआत गैर राजनैतिक आधार पर सबसे पहले हमारे शंकराचार्यजी ने की। चार मठों की स्थापना करके देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उसके बाद में विवेकानन्दजी का जो विचार चला हिन्दुत्व के बारे में, सारे विश्व को ममतामय बनाने का, उसमें भारत के लिए भी उन्होंने दौरा किया।

तीसरी घटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में हुई, जिन्होंने भी पूरे देश को भारत माता की जय के नाम पर अखण्ड बनाने का एक वैचारिक सपना दिया।

उसके बाद में अटल बिहारी जी वाजपेयीजी का जो अवतार हुआ। अवतार इसलिए मानता हूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया। दिल्ली से मुम्बई, मुम्बई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता और दिल्ली, अटल सड़क और वो भी 6 साल में जुड़ गयी। इस प्रकार की जो व्यवस्था अटल जी ने की उससे भी देश अखंड बना।

बाबा रामदेव का योग भी कुछ हद तक देश को एकता में पिरोने का काम किया और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान और एक कर एक टैक्स प्रणाली यह बहुत बड़ा है।

आपने देखा होगा कि जितनी बार जो अभी परिषद् बनी है उसमें बार-बार सभी राज्यों को बुलाया गया। आम सहमति बनी। लंबा चला इतिहास

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसमें लेकिन सहमति बनी और सहमति बना करके जो दिया है, मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट रहा इस कारण से टैक्स प्रणाली पढ़ाया करता था उसमें एक मेक्जीमम सोशियल वेलफेयर और सोशियल एडवांटेज नाम का सिद्धांत हम पढ़ाते थे और उसमें आठ बातें होती थी। व्यापकता होनी चाहिए, जीएसटी पूरे देश के लिए व्यापक है। चलता होनी चाहिए मल्टीपल जो टैक्स प्रणाली है वो समाप्त हो रही है। इसी प्रकार से अधिकतम संग्रह यह भी टैक्स प्रणाली का एक सूचक है। न्यूनतम त्याग कम से कम त्याग करना पड़े यह मल्टीपल टैक्स जब खतम हो गया तो न्यूनतम त्याग भी हो गया। समरूपता यह भी महत्वपूर्ण है, एक न्यूनतम दर और अधिकतम संतोष, और उत्पादकता, ये आठ बातें मानी जाती हैं। उसमें हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, देश का विकास होगा। संतोष इस रूप में बढ़ेगा कि जो मल्टीपल टैक्स था जब हम आजाद हुए थे उस समय मैक्जीमम टैक्स भारत में 95 परसेंट था, वैल्थ टैक्स और सबको जोड़कर के 95 परसेंट बर्डन, इसलिए चोरी ज्यादा हुआ करती थी। धीरे-धीरे करके हम नीचे लाये उसको सभी के प्रयास से, लेकिन यह जीएसटी के माध्यम से और अधिक हम इसको व्यापक बनाने जा रहे हैं इस कारण से यह टैक्स प्रणाली...।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): मैं ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: बहुत निवेदन कर चुके हैं।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो जीएसटी हम लाये हैं यह अभी का नहीं शुक्र नीति में भी है मनुस्मृति में भी है, कौटिल्य में भी है। मैं कौटिल्य जी की दो बातें कोट करना चाहता हूं जो इसमें समाहित हैं। कौटिल्य जी ने कहा कि टैक्स प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल पर बैठती है। उस पर बैठने के बाद में वो संग्रह करती है और शहद बना देती है मीठा, उससे भी मीठा बना देती है लेकिन फूल मुरझाता नहीं है। मधुमक्खी जब शहद के लिए लेती है तो वो मुरझाता नहीं है। ऐसी टैक्स प्रणाली जीएसटी आ रही है। यह मैं इस बात के लिए स्वागत करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन दूसरी बात जो अपवाद में कही कौटिल्य जी ने क्या कहा कि भण्डारक की

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

और मछली की एक ही स्थिति है। समुद्र में मझली कब पानी पी गई वैसे ही भण्डारक जो होता है जो टैक्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है कब चोरी कर जाए, कब भ्रष्टाचार कर जाए, कोई पकड़ नहीं पाता। उस पर लगाम लगाने का काम यह टैक्स प्रणाली करेगी। इस कारण से मैं इस टैक्स प्रणाली का हृदय से स्वागत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): एक और निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो कीमत विभेद था वो खतम हो रहा है और राजस्थान के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: बहुत कह चुके।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): नहीं, ज्यादा नहीं कहा। विशेष बातें हैं, जो राजस्थान के संदर्भ में।

मैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं और मंत्री जी भी बैठे हैं, एक तो स्वर्ण आभूषण हमारा रोजगार का आधार है राजस्थान का। इस पर कम से कम प्रभाव पड़े, टैक्स इंपेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही सिलेसिलाये कपड़ों पर भी इंपेक्ट कम पड़े, खादी पर कम पड़े, हस्तकला पर कम पड़े, ग्वारगम पर कम पड़े और मार्बल पर कम पड़े, ये ऐसी चीजें जो राजस्थान की ख्याति है और राजस्थान में उससे रोजगार के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं।

इस कारण से मैं आपके माध्यम से इस जीएसटी बिल का जो एक ऐतिहासिक निर्णय है देश को दिशा देगा, देश को समृद्धि देगा, देश को एकता देगा, इस प्रकार का जो ये बिल है यह रचना है उसका मैं स्वागत करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री अध्यक्ष**: श्री शुभकरण चौधरी।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बढ़वा दें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो।

**श्री अध्यक्ष**: हां, एक मिनट समय बढ़ा रहे हैं वो।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय उप मुख्य सचेतक की ओर से प्रस्ताव आया है कि आज की कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, क्या आप सबकी राय है?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय बढ़ाया गया।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो।

**श्री अध्यक्ष**: वो आपका आइटम तो लास्ट में लेंगे न। लेंगे। आपका आइटम लेंगे, आपका निवेदन भी सुनेंगे, लेकिन यह लैजिस्लेटिव वर्क खतम हो जाए उसके बाद में।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं, आसन अगर अनुमति दे। अभी कुछ कहना चाहें, सदन की नेता भी बैठी हैं।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपकी अनुमति हो तो। मैं तो आपकी अनुमति के बिना बोलता ही नहीं हूं कभी भी। मैं तो आपकी अनुमति के बिना बोलता ही नहीं हूं।

**श्री अध्यक्ष**: क्या प्रभावित कर रहे हैं मुझे। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। अच्छा, बोलिये। शुभकरण जी, इनके बाद आप।

# निलम्बन निरस्तीकरण

## प्रतिपक्ष के 14 निलम्बित सदस्यों में से 12 की निलम्बन अवधि एक वर्ष से घटाकर एक दिवस किया जाना

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में कुछ अप्रिय स्थिति पैदा हुई हमारे दल के 12 सदस्यों का एक साल के लिए निलम्बन का प्रस्ताव ध्वनिमत से...

**श्री अध्यक्ष**: सारे ही आपके दल के नहीं है।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, बारह की कह रहा हूं न मैं तो।

**श्री अध्यक्ष**: आपने कहा हमारे दल के।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं बारह कह रहा हूं, श्रीमान्। मेरा दल तो कांग्रेस ही है। 12 ही तो कह रहा हूं। मैंने कोई चौदह का नाम तो लिया नहीं है। मैंने बारह ही कहा है, रिकार्ड पर है।

**श्री अध्यक्ष**: अच्छा, ठीक है। मैं सुधार लेता हूं।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं पुन: उसको रिपीट कर देता हूं। हमारे दल के 12 सदस्यों का निलम्बन एक साल के लिए किया गया। इस संबंध में मैंने आपसे भी निवेदन किया था। मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मिला था। राजेन्द्र राठौड़ जी से बात हुई। कटारिया साहब यहां हैं नहीं, कटारिया साहब भी थे और एक वरिष्ठ सदस्य सदन के हमारे सौभाग्य से वो भी मौजूद थे, परनामी जी वो भी थे वहां पर। ...(व्यवधान)... विराजे हैं, मैंने देखा नहीं, सॉरी। विराजमान थे, जो कुछ हुआ आज सदन के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, वो खेदजनक है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आसन के आदेशों की हरेक को पालना करनी ही चाहिए, ऐसा मैं मान कर चलता हूं। मेरा राजनीतिक जीवन, इस सदन में मेरा आठवां टर्म है, करीब-करीब 38-39 साल का मेरा अनुभव होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आवेश के क्षण आते हैं फिर उसके बाद भी आपने सहृदयता दिखाते हुए आसन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए इस मामले के अन्दर अपनी सहमति प्रदान की है।

मैं पुन:, मैंने आरंभ में खेद प्रकट किया, अब मैं पुन: खेद प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस निलम्बन की कार्यवाही को आप कृपा करके, आपसे भी निवेदन करता हूं मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस निलम्बन की कार्यवाही का आप वापस लें। मैं पुन: खेद प्रकट करता हूं इस बात के लिए।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सदन के अन्दर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं। आज सदन में जो कुछ हुआ, सब लोगों ने देखा। इस सदन की शानदार परम्परा रही है और इस सदन में आसन सर्वोपरि है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका सम्मान करना हमारा सबका कर्तव्य है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के नेता से बात की और सदन के नेता के सम्मुख इन्होंने आज जो कुछ कृत्य हुआ, जाने-अनजाने में इनके माननीय सदस्यों ने किया और आसन पर जिस तरह की टीका-टिप्पणी हुई, उसके लिए क्षमायाचना की और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन की नेता को कि इन्होंने बड़ा मन रखा और बड़ा मन रख कर इन्होंने कहा कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता इसमें अधिकृत रूप से कुछ कह सकती हैं परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम गतिरोध टूटे, इसके लिए प्रयास आपने किया, हम भी चाहते थे गतिरोध टूटे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): एक मिनट, राजेन्द्र जी, मैं नारायण सिंह जी का नाम लेना भूल गया था। मैं क्षमा चाहता हूं, नारायण सिंह जी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके अन्दर। मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे साथ नारायण सिंह जी भी थे। मैं सदन के रिकार्ड पर लाना चाहता हूं इस बात को। ये भी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। पहले मैं उनका नाम लेना भूल गया था, मैं क्षमा चाहता हूं नारायण सिंह जी से, वो भी मेरे साथ थे। इनके ही प्रयत्नों से, इन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि...

**श्री अध्यक्ष**: इनके ही प्रयत्न से आप आगे बढ़े।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): इनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा और आपके पास आया और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला। धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनको उनके दल की तरफ से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
अधिकृत किया गया है। अब अधिकृत रूप से उन्होंने दल की तरफ से क्षमायाचना की है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी बड़ा मन रखें और मैं सदन की नेता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप सदन की नेता हैं इसलिए आपका मन बड़ा है। इसलिए आप भी आज के दिन तक का निलम्बन मानते हुए, इन राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, इनके दल के सभी सदस्यों का निलम्बन सिर्फ आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक ही माना जाए और इनको क्षमा किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: आप बोलिए, मैंने निवेदन किया है, जो विशालता आपने चेम्बर में दिखाई और स्पीक कर परश्यू किया उस बारे में कुछ बोल लीजिए।

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): उस बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय सदस्यों को क्योंकि उन्होंने यह सब देखने के बाद खुद अधिकृत होकर, हम लोगों के बीच में आकर, हमारे और आपके और हमारे सब माननीय सदस्यों के बीच में यह बात रखने का काम किया और मैं भी मानती हूं कि जब आपने खेद प्रकट किया है और सबकी ओर से खेद प्रकट किया है और हम लोगों को यह आश्वस्त किया है कि इस तरीके का बिहेवियर आगे नहीं होगा। मैं भी समझती हूं और मेरा भी आपसे आग्रह है कि उनकी बात मानते हुए एक वर्ष के निलम्बन की बात जो अपन ने की थी, उसको एक दिन तक अपन सीमित कर दें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, कई बार इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में अकारण और कारण सहित भी विघ्न खड़े होते हैं। ऐसे मौके पर जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं और जो अनुभवी सदस्य होते हैं, उनका काम है कि वह हस्तक्षेप करें। आज के सारे घटनाचक्र की जो बातें हुईं, इसमें मुझे खुशी है कि नारायण सिंह जी और प्रद्युम्न सिंह जी कांग्रेस पार्टी की ओर से आये और उन्होंने सारी बात कह कर यह कहा कि सदन का गतिरोध टूटना चाहिये। मैं भी यह मानता हूं। कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, उन प्रसंगों में आवेश भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, ऊट पटांग कुछ बोल भी निकल जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। यह सब होने के बावजूद भी

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी, गुलाबचन्द जी कटारिया भी थे, +++ अशोक जी परनामी थे, संसदीय कार्य मंत्री भी थे, इन सब और आप दोनों वरिष्ठ सदस्यों के बीच में यह सहमति बनी और मैं यह मानता हूं कि ऐसी सहमति बनाने के लिये बड़ा दिल चाहिये और राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाएं बडे दिल से ही चलती हैं।

ऐसी स्थिति में आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सदन में खेद प्रकट कर लिया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी और सदन के अन्य सदस्य ... कालूलाल जी समय बढ़ गया ना?

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): समय तो बढ़ गया, प्रस्ताव रखना है।

**श्री अध्यक्ष**: प्रस्ताव तो मैं अभी मान लूंगा ना, इनसे मैं निवेदन करुंगा। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस विषय को आगे बढाना नहीं चाहता और एक सामूहिक राय यह बनी कि एक दिन का उनका निलम्बन मान लिया जाए और साल भर के निलम्बन को पुनर्विचार करके उनका एक दिन निलम्बन रहे। मैं विश्वास करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 12 सदस्यों का निलम्बन आप एक दिन के लिये मानते हुए एक प्रस्ताव भेज दें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और था, अगर खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य और राजगढ़-चूरू से आने वाले माननीय सदस्य खेद प्रकट करें, क्षमा याचना करें तो उन्हें भी बड़ा दिल रख कर क्षमा कर दें, अगर वह स्वयं आकर क्षमा याचना करते हैं तो।

**श्री अध्यक्ष**: ऐसा है, खेद प्रकट करना बहुत बडी बात है और खेद प्रकट करने से ऊपर माफ करना भी बहुत बडी बात है। मेरा दिमाग खुला है, आपके प्रस्ताव को स्वीकृत करता हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह खुद खेद प्रकट करें तो, वह आये नहीं अभी। अगर आपके सामने आए तो।

**श्री अध्यक्ष**: वह आकर अपना वक्तव्य देंगे या आएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। आपका प्रस्ताव विचाराधीन।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है कि अभी निलम्बन काल में तो वह अंदर आ नहीं सकते हैं। आप अध्यक्ष महोदय को अधिकृत कर दें, अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर अगर वह खेद प्रकट कर देते हैं तो उनका भी निलम्बन स्वत: ही समाप्त हो जाए। क्योंकि अभी तो वह सदन में आ नहीं सकते क्योंकि उनका निलम्बन है। बाकी आप जैसा चाहें।

**श्री अध्यक्ष**: अभी एक चैप्टर तो निपटाइए, आगे भी कई मौके हैं, अपन और भी चैप्टर निपटा लेंगे, बैठे हैं।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 14 माननीय सदस्यों का निलम्बन आदेश किया गया था। लेकिन उसके पश्चात् दोनों पक्षों की बात हो गई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की जिस तरह से बातचीत हुई है, उसके अनुसार मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सर्वश्री गोविन्द सिंह डोटासरा, धीरज गुर्जर, घनश्याम, अशोक चांदना, सुखराम विश्नोई, रमेश मीणा, श्रवण कुमार, भजनलाल, मेवाराम जैन, श्रीमती शकुन्तला, हीरालाल दरांगी, राजेन्द्र यादव का जो निलम्बन एक वर्ष के लिये किया, उसको संशोधित करते हुए एक दिन का ही निलम्बन आदेश का प्रस्ताव रखता हूं, इसको पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मुख्य सचेतक द्वारा रखा गया प्रस्ताव..

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। केवल कांग्रेस पार्टी के जो 12 माननीय सदस्य हैं, उनका एक दिन का निलम्बन रखने हेतु प्रस्ताव पारित कराया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव रखा है, क्या सदन की राय है कि इसको स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

माननीय मुख्य सचेतक का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 12 लोगों का निलम्बन एक दिन का मानते हुए उनका एक साल का निलम्बन समाप्त किया जाता है।

आप तालियां ही नहीं बजा रहे हो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैंने बजा दी, आपने देखा ही नहीं। मैंने तो आपके कहने से पहले ही ताली बजा दी।

**श्री अध्यक्ष**: चलो, ठीक है। यह आपकी और नारायण सिंह जी की वरिष्ठता का ही परिणाम है कि यह सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में आपकी बडी भूमिका रही, और मुख्य मंत्रीजी की विशालता का।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैंने तो आभार प्रकट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे एक बात और कह रहा था कि जो सहमति वहां बनी थी कि वह दोनों सदस्य जो हमारे दल के नहीं हैं, वह अगर आपके चैम्बर में, चूंकि प्रस्ताव तो आपने 12 का लिया है, वह दोनों आपके चैम्बर में जाकर ...(व्यवधान)... आप सुन लें मेरी बात, आप वहां थे नहीं, माननीय कटारिया जी थे, अगर वह खेद प्रकट कर देते हैं।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह दोनों आएगे तो उस पर विचार कर लिया जाएगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय गृह मंत्रीजी।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जिस बड़े मन से, आपको लगे हुए आघात के बाद भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कराया, इसके लिये तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो दो माननीय सदस्य हैं उनकी पैरवी वो ही करेंगे, उनकी पैरवी प्रद्युम्न सिंह जी नहीं कर सकते। वह स्वयं चलकर आपके पास आयें तो उस पर विचार करने के लिये जो तरीका होगा, उस पर आप विचार करें। इनके प्रस्ताव के आधार पर उन पर विचार करना उचित नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: श्री शुभकरण चौधरी।

# विधेयक का पारण

## राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज सदन में जो अप्रिय घटना घटित हुई, पूरे सदन ने, सदन के नेताओं ने और आपने और हमारी सदन की नेता ने बड़े मन से उन लोगों को माफ किया, इस बात के लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री शुभकरण चौधरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के विकासशील भारत को 300 साल पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भारत जब सोने की चिड़िया था तब भी इस देश में एक ही टैक्स लगता था। धीरे धीरे उपनिवेशवाद बढ़ता गया, ब्रिटिश शासन आया, सामंत शासन आया और इस देश में अलग अलग किस्म के टैक्स चालू हो गये।

**श्री अध्यक्ष**: आपसी चर्चा नहीं।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): जब अलग अलग टैक्स लगने लगा ...(व्यवधान)... टैक्स का स्वरूप विकेन्द्रित हुआ और उससे तंग आकर कई देशों के साथ साथ भारत को भी वन-टैक्स-वन-नेशन का विचार मन में लाना पडा। संग्रहणकर्ता के लिये टैक्स लोभ, उदारता, आय-व्यय, लाभ-हानि की तुलनात्मक योजना है पर उसके उपरांत भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत जब उस वक्त बड़े उद्योग धंधे नहीं थे, सारी की सारी अर्थव्यवस्था भूमि पर आधारित थी और भूमि पर आधारित भारत की 80 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती थी। इसका योगदान 61 प्रतिशत इस देश में था। इसके साथ साथ आज इस देश की 52 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय में इस योग का योगदान 113.7 प्रतिशत है। फिर भी देश की आधी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। देश में 1970 में जब कृषि का 43 प्रतिशत हिस्सा था, वह आज गिरकर 13.7 प्रतिशत रह गया है। 70 के दशक में कृषि और अन्य क्षेत्रों की आय का अनुपात 1:25 था, आज वह 1:16 है, पर आज भी देश के आधे लोग कृषि पर आधारित हैं।

उद्योग धंधे बढ़े हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज विकास के लिए प्रयासरत है। इस वक्त में, आज देश में एक क्रांतिकारी टैक्स प्रणाली लागू करके, जिसका नाम जी.एस.टी. है, इस देश के प्रधानमंत्री और हमारी वर्तमान सरकार ने चाहे केंद्र में हो या राजस्थान में, उसने एक ऐसी क्रांतिकारी टैक्स प्रणाली लागू करके इस देश के विकास को गति देने का एक सराहनीय काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी को, जिनकी विचारधारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और राष्ट्र की विचारधारा है।

(श्री शुभकरण चौधरी)
जिस पार्टी ने हमेशा यह कहा है कि राज बनते-बिगड़ते रहे हैं, पर राष्ट्र को रहना चाहिए और इस बात के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार एक देश में एक संविधान, एक देश में एक निशान, एक देश में एक प्रधान होना चाहिए। उसी प्रकार देश के महामना मोदी जी ने और देश की सरकार ने यह तय किया कि एक देश में अलग-अलग प्रकार की टैक्स प्रणाली करके देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए इस देश में एक ही प्रकार की टैक्स प्रणाली होनी चाहिए।

मैं हमारे वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारी चीजों को समाहित करके इस देश में एक टैक्स प्रणाली को शुरू किया है और उसका नाम जी.एस.टी. है, जिसके आधार पर अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, कभी वैट, कभी मनोरंजन कर, कभी विलासिता कर, कभी लॉटरी टैक्स, इन सबको समाहित करके जो जी.एस.टी. का कानून इस देश में बनाया है, वह कानून बहुत ही सराहनीय काम है। भारत का वर्तमान कर ढ़ांचा बहुत ही जटिल कर ढ़ांचा है। इस ढाँचे को सरल करना जरूरी था। देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए, देश के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी है कि एक ही प्रकार का टैक्स लागू किया जाए और जी.एस.टी. उस बात पर पूरा खरा उतरता है और जी.एस.टी. इस देश के विकास में गति देगा, इस बात के लिए मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि राजस्थान में दो चीज़ें विशेषकर बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रही हैं और वे हैं, डीजल-पेट्रोल और लिकर। रात-दिन लगातार मुक़दमे दर्ज होते हैं। यहां से वहां, कोई गुजरात शराब बेचने जाता है, कोई बिहार शराब बेचने जाता है। अगर उसको भी इसमें शामिल किया जाता तो भ्रष्टाचार का एक रास्ता खतम होता और जो शराब की तस्करी लोग करते हैं, उस पर पाबंदी लगती। मेरा वित्त मंत्री महोदय और इस कर की संरचना करने वाले लोगों से निवेदन है कि शराब, डीज़ल और पेट्रोल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, लोग रात-दिन लगातार हरियाणा से डीजल लाकर राजस्थान में बेचते हैं। भावों का फर्क है, टैक्सों का फर्क है। इसलिए भ्रष्टाचार का काम लगातार रात-दिन चल रहा है। ये भी अगर इसमें शामिल किए जाते तो इस

(श्री शुभकरण चौधरी)

टैक्स का ढांचा सुधरता और इसमें अच्छा बदलाव आता। यह भी हमारी जी.डी.पी. को बढ़ाने में अच्छा फायदा पहुंचाता।

दोहरी मोनिटरिंग करने से चोरी को रोका जा सकेगा। हमारे टैक्स की जो डबल मोनिटरिंग है, उससे कर की चोरी रूकेगी। आपूर्ति कर्ता और खरीददार की रियल टाइमिंग चैकिंग, एक्साइज ड्यूटी के रूप में सालाना 1.8 लाख करोड़ की जो चोरी होती है, वह रूकेगी। इस टैक्स के माध्यम से भी यह प्रावधान करने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। करों का बोझ कम होगा। प्राफिट या मार्जन में बढ़ोतरी होगी, Product and Service Tax में अंतर घटेगा। बिजनेस के अनुकूल वातावरण बनेगा और इस देश भर में समान कर प्रणाली से राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं, वे विवाद खत्म होंगे और राज्यों के बीच में उत्पादों का आसान हस्तानांतरण होगा। निश्चित अवधि के बाद अधिकांश उत्पादों मूल्य में कमी आएगी, लेकिन इसके साथ ही सर्विस जैसे रेस्टोरेंट, मोबाइल बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे होंगे। इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, 50 लाख से कम टर्न-ओवर वाले करदाता जी.एस.टी. के बजाय फ्लैट रेट के ढाई परसेंट टैक्स चुका सकते हैं। मेरा इसमें निवेदन है कि इस सीमा को 50 लाख की बजाय 1 करोड़ करना चाहिए था।

20 लाख से अधिक टर्न-ओवर वाले करदाता को उसी राज्य में टैक्स का पंजीकरण कराना होगा, जहां पर वह व्यापार करता है। यह एक सराहनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश के किसानों की मांग के अनुसार मेरी राय है कि देश में किसान आयोग का गठन होना चाहिए। आजकल रासायनिक पदार्थ और अन्य वस्तुएं जो उसकी कृषि की आय को प्रभावित कर रही हैं। 80 प्रतिशत किसान की खेती आज मशीनों से होने लगी है, पर किसान की खेती के बाद उसकी आय का कोई निश्चित मूल्यांकन नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसान की आय को भी इसमें तय करना चाहिए। उसके लिए आयोग गठित होना चाहिए और कृषि के मूल्य को भी निर्धारित करने के बाद उसको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि यह देश खेती पर

(श्री शुभकरण चौधरी)

निर्भर तो है, पर किसान की खेती की जिस प्रकार कीमतें घटती जा रही हैं। उस पर जितनी लागत आ रही है, वह लागत पूरी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से आज पूरे भारत वर्ष में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसको इसमें समाहित कर लिया जाता तो वे आत्महत्याएं रूकतीं, किसान की आय बढ़ती और किसान भी आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर चलता।

60 लाख वस्तुएं और सेवाएं जी.एस.टी. के दायरे में शामिल होंगी। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। 40 प्रतिशत तक इंटीग्रेटेड जी.एस.टी. की दर होगी, यह बहुत सराहनीय कदम है। 20 प्रतिशत तक सी.जी.एस.टी, और एस.जी.एस.टी. की दरें होंगी। इसमें राज्य के कर जैसे राज्य वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लक्जरी टैक्स और सभी प्रकार के एंट्री टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स, विज्ञापन टैक्स, राज्य से सैस और सभी सरचार्ज समाहित होंगे। यह भी बहुत ही सराहनीय कदम है।

मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जी.एस.टी. के अंतर्गत अगर कृषि और कृषि योग्य उपकरणों एवं सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा तो जी.एस.टी. से प्राप्त आय से दीर्घ अवधि की योजनाओं पर खर्च करने से देश का विकास होना सुनिश्चित हो जाएगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 25 वर्षों में देश में धान की पैदावार 10 से 18 प्रतिशत तक घटी है। इस देश के किसानों की जो हालत खराब है, उसका कारण केवल टैक्स नहीं है। महंगाई की वजह टैक्सेज नहीं हैं। महंगाई की वजह है कि कृषि का उत्पादन घट रहा है, उससे देश के किसानों की जो माली हालत खराब हो रही है और जो लगातार गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, उसका भी कारण यह है। जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो अनाज और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बढ़ेगी और उनकी आपूर्ति बढ़ेगी तो उस पूर्ति से महंगाई घटेगी, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और इस आय से देश की जी.डी.पी. बढ़ेगी। जब जी.डी.पी. बढ़ेगी तो देश की आर्थिक विकास दर बढ़ेगी और देश विकासशील से विकसित देश बन जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मात्र इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो आर्थिक असमानता, किसान की कम औसत आय और देश की प्रति व्यक्ति आय का कारण है, उसमें सुधार लाना चाहिए और किसानों के बारे में चिंतन करना चाहिए और किसान के लिए एक किसान आय आयोग का गठन होना चाहिए।

मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और बड़े मन से इस क्रांतिकारी कदम को जो आपने 70 साल में पहली बार इस सरकार ने हमारे लिए किया है, जिसकी हमेशा से सोच आई कि राज चाहे रहे या न रहे, राष्ट्र रहना चाहिए। किसी ने कहा है कि संघे शक्ति कलियुगे। कलयुग में संगठन ही शक्ति है। संघ ही शक्ति है और संघनिष्ठ इस राष्ट्र में इस प्रकार के टैक्स लाकर जो देश के विकास के लिए धारा दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय राजपाल सिंह जी, जवाब दीजिए बहस का। आपने बोलना चाह रहे हैं क्या?

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह आदेश है माननीय राजपाल सिंह जी का।

**श्री अध्यक्ष**: इनका आदेश मान लीजिए और मैं भी कह रहा हूं कि आप बोलिए। आप बहुत कम बोलते हैं और बोलते हैं तो सेंस बोलते हैं, इसलिए आप बोलिए।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने न इस बिल को पढ़ा है और न ही मेरी तैयारी है। लेकिन जो कुछ मुझे याद है, उस आधार पर मैंने शायद एक या दो साल पहले भी जी.एस.टी. बिल का बहुत पुरज़ोर शब्दों में सदन में विरोध किया था। यह रिकार्ड पर है। मैंने इसका विरोध किया था। (व्यवधान) हां, किया था। मुझे याद है, पंडित जी।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया शांत रहें। डिस्टर्ब न करें।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मेरा आज भी मानना है कि यह राज्यों के हितों के ऊपर और राज्यों की जो करारोपण की स्वायत्तता है, उसके ऊपर

(श्री प्रद्‌युम्न सिंह)

कुठाराघात हुआ है। तब तिवाड़ी जी ने मुझसे कहा था कि आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया है। मैंने कहा कि मैं पार्टी की राय से नहीं बंधा हूं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मैं निश्चित रूप से अपनी बात कहूंगा। तिवाड़ी जी, यही कहा था ना?

**श्री अध्यक्ष**: आज आप बार-बार पंडित जी की गवाही क्यों करवा रहे हैं?

**(17.00 बजे)**

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): साहब, इनकी गवाही करवा रहा हूं। ये मोतबिर गवाह हैं।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो यह बात कही गई थी कि 'एक देश, एक कर'। भिंडा साहब यहां पर नहीं हैं, मैं उनको सुन रहा था, 'एक देश, एक कर' की बात तो नहीं रही। स्टेट के अलग बिल आए हैं।

यहां पर अमेंडमेंट भी आए हैं इसका मतलब स्टेट सक्षम है, अपने स्टेट जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए। यहां पर सरकारी अमेंडमेंट प्रस्तुत हुए हैं। अगर देखा होता तो मैं कुछ और सुझाव देता। लेकिन एक देश, एक कर, की अवधारणा तो खतम हो गई। आम सहमति इनकी एम्पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेस में बनी। उसके बाद भी विवाद होते रहे। जो लोग उसके बड़े समर्थक थे, केरल और बंगाल, केरल और बंगाल के वित्त मंत्रियों ने वहां पर जीएसटी कौंसिल में इसके प्रोवीजंस का विरोध किया। खैर, आखिर में सहमति बनी, अच्छी बात है। सहमती बनी और यह बिल आया। अब इसकी स्लेब्स के बारे में, स्टेट को कम्पनसेशन देने के बारे में, जो जीएसटी से पैसा आएगा, आपने सेस लगाया है। सैस से जो पैसा भारत सरकार को मिलेगा उसमें से राज्यों के वैट की जो आमदनी है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। उसमें से कम्पनसेशन दिया जाएगा राज्यों को। अगर उस पैसे में कमी आई तो क्या कोई सहमति बनी है, माननीय मंत्री महोदय, यह बताएंगे आपके मंत्रियों की एम्पावर्ड कौंसिल के अंदर की अगर सैस से कोई कमी आएगी तो उसकी पूर्ति क्या भारत सरकार अपने फण्ड से करेगी या नहीं करेगी, एक तो यह बता दें आप। एक सबसे बड़ा सवाल यह है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिर उसके बाद आपने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहल को इससे बाहर निकाल दिया। आप जब एल्कोहल को बाहर निकालेंगे, अलग-अलग दरें होंगी तो आपकी इंटर स्टेट स्मगलिंग एल्कोहल के ऊपर बढ़ेगी। निश्चित रूप से बढ़ेगी और आज भी है। किन्हीं राज्यों में एक्साइज डयूटी कम है, एक्साइज की रेट कम है। हरियाणा से दुनिया भर की स्मगलिंग होकर हिन्दुस्तान के अन्य प्रांतो में जाती है, अपने यहां आती है, गुजरात में जाती है। रोज यहां गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। बोर्डर स्टेट्स है जहां पैट्रोलियम प्राइसेस, वह आपने इसमें कवर नहीं किया है। मूल रूप से अवधारणा यह थी कि राज्यों का हित पैट्रोलियम प्रोडक्टस से आपको जो पैसा मिलता है, वैट के जरिए, वह काफी सब्सटेंशियल अमाउण्ट है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राज्यों की मांग के ऊपर इसको बाहर निकाल दिया जीएसटी से। इंटर स्टेट रेट्स का क्या होगा। आज हालत यह है कि यूपी के अंदर रेट कम हैं। हम धौलपुर वालों को जाकर, हमारे धौलपुर के जो बड़े बल्क कंज्यूमर्स हैं, खास कर ट्रक वाले और बस वाले, सब यूपी से तेल भरवाते हैं। हमारे यहां के पैट्रोलियम पम्प्स के मालिक हैं उनका इंटरेस्ट इससे हर्ट होगा।

इसी प्रकार, मैं आपसे कह रहा हूं, जीएसटी के अंदर इन बातों को, आपने राज्यों के हितों का ध्यान रखते हुए आपने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो दो तो आपके सामने ही गिना दिए। आज गोल्ड की रेट्स के बारे में अख़बार में आया, खैर वह तो आल इंडिया बेसिस पर गोल्ड की रेट तय होगी। मेरा इसके अंदर सबसे बड़ा ओब्जक्शन यह है कि राज्य की, अलग-अलग राज्यों की जो टाइनी इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, जो स्टेट बेस्ड हैं, रेट एक हो जाएगी। मुझे मालूम नहीं किस स्लेब में डालेंगे इनको, अध्यक्ष महोदय, तब उनका क्या जो आपके ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं। हर स्टेट के अंदर कहीं न कहीं, कोई न कोई न हैंडीक्राफ्ट्स तो है ही। उनका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा। आज बेरोजगारी की समस्या के अंदर, जो आपके कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, टाइनी इंडस्ट्रीज हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं, उस स्टेट के अंदर ही बनती है उसका क्या होगा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं।

इसलिए, इसके अंदर, काफी विसंगतियां हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह जानना चाहूंगा जीएसटी एक्ट जो सेंट्रल का बना है उसके अंदर अमेंडमेंट, लोकसभा करेगी उसके अंदर तो, आपको कोई अधिकार नहीं है। जीएसटी की जगह सेंट्रल जीएसटी वन, इंटीग्रेटेड जीएसटी और है, उसे कृपया एक्सप्लेन करने की कोशिश करें What is integrated GST? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इंटीग्रेटेड जीएसटी है क्या बला। आपका स्टेट जीएसटी है ही अलग।

जो कुछ मैंने सरसरी निगाहों से अखबारों में पढ़ा था उसके आधार पर मैंने आपको कुछ बातें कही। मैंने माननीय मंत्री महोदय का आग्रह पूरा कर दिया। अब मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद, थैंक्यू।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (उपाध्यक्ष): अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं...

**श्री अध्यक्ष**: बिलकुल, बिलकुल। Very good.

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (उपाध्यक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज का दिन ठीक 1950 का वह दिन है और उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सदन को इस बात का ध्यान दिलाना अत्यन्त आवश्यक है कि यह कोई सामान्य कर प्रारूप को आप स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहे हैं। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप तब हुआ जब राजस्थान के विभिन्न रजवाड़ों ने अपना सोवेरियन स्टेटस को पूल करके भारत के हित में, राष्ट्र के हित में समर्पित कर दिया।

आदरणीय, ठीक उसी प्रकार, आज भारत के सम्पूर्ण राज्य जिसमें राजस्थान प्रदेश भी एक है, यह सदन के पास में एकाधिकार था कि शिड्यूल 7 की लिस्ट में जो स्टेट्स को राइट मिले हुए हैं, जिन गुड्स पर टैक्स करने के लिए, जिन गुड्स के परचेज पर टैक्स करने के लिए यह एक सोवेरियन पावर था स्टेट्स को, जो कांस्टीटयूशन को दिया। उस पावर को आज राष्ट्र के हित में यह राजस्थान का सदन विधान सभा, निहित कर रहा है For the betterment of the entire Country. उतना बड़ा ही सेक्रीफाइस यह भी है। जिस पर आप कर लगा सकते थे, जिसका एकाधिकार सिर्फ इस सदन का था, आज सदन अपने सोवेरियन पावर को पूल करके राष्ट्र हित में जीएसटी कौंसिल को दे रहा है। यह सामान्य बिल नहीं है और ना ही यह सामान्य समय है। आज के बाद जब आपका सदन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)
आहूत होगा उस वक्त आपके जीएसटी कौंसिल के, जीएसटी कौंसिल के अंदर आपने क्या बात कही, उसको मानना बाध्य होगा।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप सबने एक बात कही है "One Nation, One Tax" यह किसी हद तक सही है। "One Nation, One Tax" but not absolute Nation and One Tax. There is one State which is not covered under your GST and that is Jammu & Kashmir. It doesn't apply to the State of Jammu & Kashmir, Sir. आपने आर्टिकल 246 से 248 तक के सारे जो अधिकार थे, पैट्रोलियम प्रोडक्ट को भी आपने सीमित दायरे में रखा है, अभी हम नहीं करेंगे, एक्सक्ल्यूड नहीं किया है। जब आप चाहेंगे कर लेंगे। आज आप बात कर रहे हैं कॉपरेटिव फेडरेलिज्म के Am I right Mr. Minister Sir? मैं आपसे निवेदन करता हूं Are we talking about Fiscal Federalism? नहीं आप फिस्कल फेडरेलिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे, आप कॉपरेटिव फेडरेलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे बड़ा सदन कोई त्याग नहीं कर सकता जो आज कर रहा है। जिस संविधान की सम्प्रभुता से दिए हुए अधिकारों को राष्ट्रीय हित में समर्पित कर रहा है, आज से बड़ा त्याग नहीं था और न ही इतना बड़ा त्याग हो सकता है। आज इसके लिए यह सदन स्वागत लायक है। इस सदन का हम अभिनंदन करते हैं। इस सदन का हम स्वागत करते हैं।

आदरणीय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। यहां तमाम मंत्रीगण हैं और ऐसे वयोवृद्ध हमारे वरिष्ठ सदस्य भी है। आप फिस्कल फेडरेलिज्म की बात क्यों नहीं कर रहे?

इस प्रदेश के अंदर ऐसी-ऐसी संस्थाएं हैं जो इस जनता की सम्पत्ति का अधिग्रहण करती हैं। अधिग्रहण करने के बाद उस सम्पत्ति का विक्रय करने के बाद जब वह पैसा खर्च करती है, उसके बिल, इस सदन में पेश आज तक नहीं होते। आदरणीय, आपने अथोरिटीज बना दी। अथोरिटीज उन असेस्ट्स को इरमूवेबल असेस्ट्स को वह अधिग्रहण करती हैं। हजारों करोड़ों

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

में अधिग्रहण कर रही हैं। आज से नहीं पिछले 20-25 साल से, जब से बनी हैं तब से कर रही हैं।

यह सदन तो अपनी ताकत को राष्ट्रीय हित में समर्पित कर रहा है। वह इकाइयां फिस्कल फेडरलिज्म के नाते क्यों नहीं अपने आप आतीं और कहती हैं कि हम इस सदन के अन्दर को-आपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को पूरा करने के लिये फिस्कल फेडरलिज्म के माध्यम से अपने उन अधिकारों को यहां समर्पित करते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर यह क्यों नहीं हो रहा। कुछ अभिलेख हैं जो आसन पर बैठ कर हमने विभागों को याद दिलाया, 20-20 साल तक इस सदन के अन्दर अभिलेख नहीं आते। आदरणीय, मैं पूछना चाहता हूं कि हमने तो अपने अधिकारों को राष्ट्रीय हित में समर्पित कर दिया, लेकिन एक बात तो यह पूछें कि जिनके पास में जो दायित्व हैं, वे इस सदन के अधिकारों की अवहेलना और अनदेखी क्यों कर रहे हैं?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): जे.डी.ए. प्रमुख है।

एक माननीय सदस्य: वही तो बोल रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): इन्डाइरेक्टली बोल रहे हैं, डाइरेक्ट तो मैं कह रहा हूं।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (उपाध्यक्ष): आदरणीय, मैंने किसी आथोरिटी का नाम नहीं लिया। यह अंकित होगा या नहीं होगा, यह आप पर निर्भर करता है।

**श्री अध्यक्ष**: वे ले रहे हैं।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (उपाध्यक्ष): मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं, आपने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट्स तय की हैं क्या? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट्स तय करने के बाद में आपने एनुअल ग्रोथ रेट का भी एज्यूम किया होगा। जब तक आप एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम नहीं करेंगे तो कम्पनसेशन कैसे लेकर आएंगे। अब आपने उसको 14 प्रतिशत कर लिया, 2014-15 के एवरेज को निकाल कर, उस पर आप 14 प्रतिशत की ग्रोथ रेट ले लेंगे।

**श्री प्रद्‌युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): 2015-16

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (उपाध्यक्ष): 2015-16 की, सॉरी।

20 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. को कैप कर दिया सेन्टर ने, 20 प्रतिशत पर कैप किया हुआ है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब हम को-आपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो, आदरणीय, क्या यह सम्भव है कि आर्टिकल 263 को हम वापस रेजुवनेट कर दें। आर्टिकल 263 इण्टर-स्टेट कौंसिल्स को क्रियेट करता है। जी.एस.टी. कौंसिल में जो मंत्री महोदय वहां कहेंगे, और जो जी.एस.टी. कौंसिल के मंत्री कहेंगे, वह हमारे लिये लोकली, तो वह मंत्री कहां इंटरेक्ट करेंगे, जी.एस.टी. कौंसिल को हमने एक कांस्टीट्यूशन बॉडी क्रियेट करके दे दी। तो, 263 के माध्यम से अगर इंटर स्टेट कौंसिल को हम रेजुवनेट कर लेते हैं तो को-आपरेटिव फेडरलिज्म के सम्बन्ध में विचार करने की और व्यापकता हमको मिल जाती है। It's all in the interest of the State, it's in the interest of the Country. We are not trying to actually... एक कर प्रणाली होनी चाहिये। इस राष्ट्र का नागरिक इस राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में निर्वाह करता हो, रहता हो, उसको राइट मिलना चाहिये। वह अगर किसी वस्तु का उपभोग कर रहा हो तो उस वस्तु की कीमत इस पर निर्भर नहीं करनी चाहिये कि वह केरल में रह रहा है या राजस्थान में रह रहा है। लेकिन, आदरणीय, यह भी उतना ही जरूरी जानना है कि नारियल तो केरल में पैदा होता है, राजस्थान के रेगिस्तान में पैदा नहीं होता। कीमत चलकर नहीं आती, कीमत लगाई जाती है। जब हम ट्रांसफोर्मेशन आफ रेगुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं, टैक्स क्या एक रेगुलेटरी सिस्टम है, जिसकी स्कीम से, जिसके माध्यम से हम आय अर्जित करते हैं। देश के प्रधान मंत्री का विजन था कि मैं इस सारी चीज को यूनिफार्म कर दूं। कई लोगों ने दलीलें दीं कि अगर आप यूनिफार्म कर रहे हो, At what cost? At the cost of competition? हां, अगर यूनिफार्म करना जरूरी है तो At the cost of competition. होगा। लेकिन इसको आप उपभोक्ता पर ट्रांसफर कैसे करेंगे। उपभोक्ता को इसका लाभ कैसे मिलेगा। अभी तक जी.एस.टी. कौंसिल ने उसका कोई सिस्टम इख्तियार नहीं किया है। अब प्रोफिटिंग पर बात कर रहे हैं कि प्रोफिटिंग नहीं होने देंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उस सिस्टम को आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इसके बारे में अभी यह बिल पूरा का पूरा साइलेण्ट है। उसका वर्किंग सिस्टम क्या होगा, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक ऐसी बॉडी क्रियेट कर दी, किस पर कितना कर लगेगा, और दोनों ने सेक्रिफाइस किया है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने भी अपनी सोवरेन पावर को पूल किया है। क्योंकि आप उनके उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो किसी वक्त गवर्नमेंट आफ इण्डिया के डोमैन में आते थे। वह जी.एस.टी. कौंसिल में चर्चा होगी इनकी। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आप आज आसन पर हैं। यह तारीख, यह समय, यह बिल आने वाले इतिहास की तारीफ में लिखा जायेगा। सदन को इस बात का आभास होना चाहिये और इस सम्पूर्ण आठ करोड़ जनता को आभास होना चाहिये कि इस आठ करोड़ जनता और 125 करोड़ राष्ट्र की जनता के लिये राजस्थान की विधान सभा ने अपने निहित संवैधानिक पावर्स को पूल करके राष्ट्रीय हित में त्याग किया है। यह आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस पूरे जी.एस.टी. बिल का सार इतना ही है, कोटा उत्तर से आने वाले सम्माननीय सदस्य फरमा रहे थे, यह जी.एस.टी. बिल समझ में नहीं आ रहा। आदरणीय, समझ में आने की बात ही नहीं है। जब त्याग होता है, बलिदान होता है, समर्पण होता है और राष्ट्रीय हित में होता है तो इससे बड़े बलिदान की परिभाषा और कोई हो नहीं सकती।

आदरणीय, आपने मुझे समय दिया, हालांकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, कुछ अप्रिय हैं और कुछ प्रिय भी हैं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रिय वदम्।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (उपाध्यक्ष): प्रिय तो यह है कि राष्ट्रीय हित में हो रहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सत्यम् ब्रूयात प्रियं ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम् अप्रियम्

**श्री अध्यक्ष**: वाह पण्डितजी।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में लिखा है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): वाह, प्रहलादजी, क्या कहना।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (उपाध्यक्ष): यह बात भी सही है, मंत्री महोदय, कि वैट भी एक प्रकार का को-आपरेटिव एफर्ट था। उसमें भी टैक्सेशन के रिफार्म्स हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बात यह है, हर चीज को कानून के प्रारूप में, उसके स्वरूप में लाया गया है। बात सिर्फ आपस की सहमति से तब होगी, जब वह कानून के दायरे में आयेगी। और, आज से पहले जितने हमें कम्पनसेशंस मिलते थे, वह एक अण्डरस्टेंडिंग थी, एक कमिटमेंट था, लेकिन कानून में कहीं उसका इन्द्राज नहीं था। आज जो कम्पनसेशंस स्टेट को मिलने हैं, वे इस कानून के अन्दर हैं, कानून के हिसाब से आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है, और क्योंकि सम्माननीय मंत्री महोदय, आप इस बिल को पायलट कर रहे हैं, एक और सोच इस जी.एस.टी. बिल के बारे में, मेरा आप सबको एक निवेदन है, एक सुझाव है। हम अगले बजट की जो प्रक्रिया है, उस बजट की प्रक्रिया में भी हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरा सदन से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि हम जीरो बजट की प्रणाली को भी अब लागू करें। जीरो बजटिंग होना अनिवार्य है क्योंकि जीरो बजटिंग के बाद में, क्योंकि अब आपके पास में टैक्सेशन और उसके ऊपर जो प्लान्स हैं वे सीमित हो जायेंगे और तीन-चौथाई जो महालेखाकार के पैराज आते हैं वे सिर्फ इसलिये आते हैं कि किसको कितना अलाट हुआ और उसने कितना सेव कर लिया, वह खर्च नहीं कर पाया। आधे से ज्यादा जो यहां बहस होती है, वह यह होती है कि पैसा होते हुए खर्च नहीं हुआ। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पैसा खर्च करना चाहें तब भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि पैसा कोई फेंकने की चीज नहीं है। आप जीरो बजटिंग करवायें, जिससे कि एक्सपंडीचर पर पूरा का पूरा हो जाये। क्या फिस्कल जो हमारा एक्सपंडीचर था, वह प्रूडेंस से था या नहीं था। वह मापदण्डों को पूरा कर रहा था या नहीं कर रहा था, लोकहित में था या नहीं था। मेरा यह निवेदन है कि इस बजट की प्रणाली को कमेटीज के माध्यम से निश्चित रूप से चर्चा हो जाए और जब यह सदन आहूत हो, प्रस्तुति के समय और उसके उपरान्त, तो सम्पूर्ण सदस्यों को व्यापक जानकारी हो जाए कि क्या था, क्या कर रहे हैं,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और वे अपनी-अपनी जिज्ञासा के अनुसार उस चीज को परिवर्तित करने की चेष्टा भी करें और अपने सुझाव भी दें। आदरणीय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you very much.

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज राजस्थान में स्टेट जी.एस.टी. लागू करने के इस बिल पर चर्चा के दरम्यान, जी.एस.टी. विधेयक में मैरिट है, इस बात पर किसी ने आपत्ति नहीं की। हम कुछ अपने हक का त्याग कर रहे हैं, कुछ बलिदान कर रहे हैं। कुछ एप्रीहेन्सन पर हमारी सोवर्निटी शायद गिरती जा रही है लेकिन मोटे तौर पर टैक्स को, टैक्स की अवधारणा क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदमी जब प्रिमिटिव था, जंगल में रहता था। अकेला, जब धीरे-धीरे उसे लगा कि सोसाइटी बनाने में फायदा है तो सोशल कॉन्टेकट थ्योरी के तहत वह समाज बना। पहले कबीले बने फिर बड़ा समाज बना। जब कबीला बना, समाज बना, कबीले और समाज के सिस्टम को चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता हुई और संसाधनों की आवश्यकता के लिए समाज किस प्रकार से उस संसाधन को कंट्रिब्यूट करे इसलिए करारोपण शुरू हुआ। टैक्स शब्द तब से चल रहा है, 14वीं शताब्दी का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेटिन वर्ड ए टैक्सों से बना लेकिन 14वीं शताब्दी से बहुत पहले कर, जिसकी चर्चा सांगानेर से आने माननीय विधायक कर रहे थे। यह चाणक्य की बात कर रहे थे। चाणक्य से भी बहुत पहले। वैदिक पीरियड में अथर्ववेद में चर्चा है, बाद में ऋगवेद में तो एरियर की चर्चा है। रघुवंश महाकाव्य के अंदर राजा दिलीप के बारे में यह कहा करते थे कि जिस प्रकार सूरज समुद्र के पानी को सिकुड़ लेता है और मल्टीपल फार्म में रिटर्न करता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप टैक्स का कलेक्शन किया करते थे। यह कौटिल्य भी कहता था मिल्किंग आफ ए काऊ की तरह। लेकिन कौटिल्य उसके साथ में कुछ और भी कहता था। कौटिल्य यह कहता था कि Tax should be specific. It should be pre-scheduled. और यह आरबिट्रेरी नहीं होना चाहिए। इसका टाइम, इसका मैनर, इसका क्वांटिटी, इसका शिड्यूल, टैक्स ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आरबिट्रेरी नहीं होना चाहिए, एक्सोर्बिटेटिव नहीं होना चाहिए। इकॉनोमिक्स के बहुत बड़े, फादर आफ इकॉनोमिक्स किसको कहते हैं? Adam Smith, उन्होंने भी टैक्सेशन के कई प्रिंसिपल्स दिये। कहने लगे Adam Smith कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, इवेजन फ्री होना चाहिए, कंविनिएंट होना चाहिए, सिम्पल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रॉडली टैक्स तीन चीजों पर लग सकता है। परसन-इंडिविजुअल, सर्विस या गुड्स। आदमी पर टैक्स लगता है जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकम टैक्स और डाइरेक्ट टैक्स और इन डाइरेक्ट टैक्स जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसकी चर्चा 12 शिड्यूल की चर्चा अभी राव साहब फरमा रहे थे कि कांस्टीट्यूशन ने हमको सर्टेन एरियाज में कर लगाने का अधिकार दिया, वह हमारी सोवर्निटी थी और इसीलिए तीन लिस्ट हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यूनियन लिस्ट हो गयी, एक स्टेट लिस्ट हो गयी और एक कॉन्करेंट लिस्ट हो गयी। मैं राष्ट्र की अवधारणा की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 1947 में हिंदुस्तान पॉलिटिकल आजादी मिली और हिंदुस्तान का प्रूडेंट फिजिकल शेप, पॉलिटिकल शेप आया। स्टेट को सोवर्निटी तो मिली, अच्छी बात है। यूनियन की अपनी सोवर्निटी, री-कॉन्करेंट लिस्ट अपना था, फिर हुआ क्या? हुआ यह कि सेंट्रल के अपने टैक्स लगने लगे, स्टेट्स के अपने टैक्स लगने लगे। किसी स्टेट ने एग्जम्प्शन दे दिया, किसी स्टेट ने एग्जम्प्शन नहीं दिया। कहीं टैक्स की रेट कहीं और हो गयी, कहीं टैक्स की रेट और हो गयी जिसकी चिंता राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंहजी कर रहे थे कि वहां पर टैक्स का रेट इतना है, यहां टैक्स का रेट इतना है, टैक्स के रेटों में अंतर होने के कारण फ्री फ्लो नहीं है। हिंदुस्तान एक इकॉनोमी में तब्दील नहीं हुआ। हिंदुस्तान की इकॉनोमी में कई इकनोमिज करती रही। पहले लगे कि हम सोवर्निटी इकोनॉमी है, मैं इनकी सोवर्निटी का सम्मान करता है, मैं इस सदन का सदस्य हूं।

लेकिन चाहे इकॉनोमी स्टेट की इकॉनोमी हो, चाहे हिंदुस्तान की इकॉनोमी हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका अल्टीमेट क्या है? हमें पैसा चाहिए किसलिए? दिल्ली को पैसा चाहिए, राजस्थान को पैसा चाहिए,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

तमिलनाडु को पैसा चाहिए। पैसा चाहिए किसके लिए? वैलफेयर के लिए। वैलफेयर किसका? डवलपमेंट किसका? वैलफेयर इस देश की जनता का, विकास इस देश का, इस देश की जनता का और इस देश की जनता का विकास कन्विनिएंस के साथ में, इमीडिएट रूप से किस प्रकार का टैक्स सिस्टम लाया जाया, इसकी रिफोर्म की चिंता इसीलिए सभी को लगी और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मल्टीपरपज आफ टैक्सेज जिसने वैरियस इकॉनोमीज को जन्म दिया एक इकॉनोमी के अंदर। व्यवसायी परेशान, रिटर्न दाखिल किये जा रहा है। एक इस टैक्स का रिटर्न, उस टैक्स का रिटर्न, उस टैक्स का रिटर्न, यह टैक्स कितने हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम याद रहना बड़ा मुश्किल है। अब इस जी.एस.टी में इतने सारे टैक्स सबज्युम हुए उसके बावजूद कई टैक्स अब सबज्युम नहीं हुए, अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पेट्रोलियम सबज्युम नहीं है, एक्साइज सबज्युम नहीं है। अब लगा-लगाकर यह कितने प्रकार के टैक्स, कितने प्रकार के रिटर्न, व्यवसायी रिटर्न भरते-भरते परेशान, आज तो यह हो गया कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि 36 रिटर्न में बहुत दिक्कत आती है। इन टैक्सों के नाम सुनो, एक-एक टैक्स का एक-एक रिटर्न भी भरें तो, कितने हो गये? मैं यह निवदेन करना चाहता हूं कि हमारी यह एक चुनौती रही और कई चीजों में डाइलेमा रहा कि कौनसी चीज गुड्स है, कौनसी चीज सर्विस है, बड़ा कंफ्यूजन डिफाइन हो रहा है, लिटिगेशंस हो रहे हैं।

एक इसका फिर दूसरी चर्चा किसकी बात हम करते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट की बात। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि टैक्स पर टैक्स। सेल टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट्स का भारत किसके ऊपर? आम कंज्यूमर पर। कैस्केडिंग इफेक्ट का भार क्या प्राइस ऊपर होगा, मार्केट कॉम्पीटिटिव नहीं रहा। मार्केट कॉम्पीटिटिव नहीं रहा, इकॉनोमिकली वायवल नहीं रहा, इलास्टिसिटी नहीं रही। इसकी कम्प्लाएंस कोस्ट बहुत ज्यादा होगी, इतने ज्यादा टैक्स है उसकी कम्प्लाएंस की कोस्ट बहुत ऊपर और लीकेज, करप्शन, अब इस मल्टीपल टैक्स बेसिक, अब इसको हम क्या, हम कोई ऐसा सिस्टम डवलप करने की चिंता हम हमेशा करते रहे जिसके अंदर सीमलेस फ्री फ्लो आफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाये। जहां मल्टीसिटीज आफ

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

टैक्सेज नहीं हो, जहां मल्टीसिटीज आफ रिटर्न नहीं हो। जहां पर ह्यूमन फेस कम से कम हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम हिंदुस्तान की इकॉनोमी को वायवल इकॉनोमी में तब्दील करना चाहते हैं। राजस्थान हिंदुस्तान से अलग नहीं है। हम हिंदुस्तान की इकॉनोमी को वायवल इकॉनोमी में तब्दील करना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए 13वें फाइनेंस कमीशन ने, यह सही है कि अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अटलजी के जमाने से हम जी.एस.टी. के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब, हम सब पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस का राज आया, बी.जे.पी. का राज आया और लोगों का भी राज आया और पॉलिटिकल पार्टियां भी आईं, सबको इस बात की चिंता रही कि यह प्रजेंट टैक्स के स्ट्रक्चर को रिफार्म की जरूरत है। रिफार्म की भी वही आब्जेक्टिविटी, किस प्रकार से इस हिंदुस्तान को एक मार्केट में हम तब्दील कर पाएं, किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो पैदा हो पाए, किस प्रकार से एक इलास्टिक इकॉनोमी में कन्वर्ट कर पाये, अपनी इकॉनोमी में वायवल इकॉनोमी में कन्वर्ट कर पाये और कॉम्प्लेक्सिटी आफ टैक्स को किस प्रकार से कम कर पाएं? एक इकॉनोमिस्ट कहा करते थे कि “complexity in tax is tax itself.” करो की जटिलता अपने आप में कर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह करों की जटिलता कैसे कम कर पाएं, कहां हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां पर हम सिंगल इंटरफेस पैदा कर पाएं। क्या हम ऐसी स्थिति पैदा कर पाएं जहां पर हमारे यहां असेसमेंट की अथोरिटी एक हो पाए और असेसमेंट कम से कम हो बहुत नॉमिनल बजटिंग हो, क्या हम ऐसा एफिशिएंट टैक्स रिजीम पैदा कर सकते हैं, जिसको ब्रीच करना आसान नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी कम्प्लाएंस रेट हाई हो, जिसका टैक्स बेस बढ़ा हुआ हो, जिसकी कम्प्लाएंस कोस्ट कम हो। जो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो और जिससे इकॉनोमी कॉम्पीटिटिव बन पाए। यह चिंता हमारी कई सालों से रही है, दस, पन्द्रह, बीस साल से हम इस बात की लगतार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। मोटे तौर पर हिंदुस्तान में जी.एस.टी. लागू होना चाहिए, मोटे तौर पर सहमति होने के बावजूद सहमति

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

नहीं बन पाई। कई ऐसे मैन्यूफ्रैक्चरिंग स्टेट्स थे, जिनको चिंता थी कि चूंकि जी.एस.टी. कंज्यूमर बेस टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस टैक्स है अगर यह जी.एस.टी. आ गया तो हम मैन्यूफ्रैक्चरिंग स्टेट हैं, हमें रेवेन्यू का लोसेज होगा। तो जी.एस.टी. के साथ में सिद्धांत:, जी.एस.टी. के साथ सहमत होने के बावजूद भी जी.एस.टी. लागू करने के पक्ष में नहीं है। सहमति के बावजूद भी किसी चीज को लागू करने के पक्ष में आप नहीं रहो, क्योंकि वही स्टेट, हिंदुस्तान बढ़ेगा, हिंदुस्तानी बढ़ेगा तो क्या राजस्थानी नहीं बढ़ेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान नहीं बढ़ेगा? और इसीलिए उनकी चिंताओं को, उनकी चिंताओं को सबज्युम करने के लिए, जिस कम्पोजिशन एक्ट की आपने चर्चा की, कम्पोजिशन एक्ट के बाद तो दिल्ली की सरकार ने सी.एस.टी. हटाते टाइम भी हमसे कहा था, वादा किया था कि सी.एस.टी. को हम खतम करके कम्पनसेट करेंगे, लेकिन आज तक हमारा पैसा अभी भी दिल्ली में बाकी है। हम लगातार बात करते रहे। इसलिये अभी सी.एस.टी. कौंसिल में इस बात पर चर्चा हुई तो मैंने भी कहा। मेरे साथ में मेरे अधिकारियों ने भी कहा कि दिल्ली की सरकार की क्रेडिबिलिटी कमजोर हो गयी है। हम चाहते हैं विश्वास करना, उन पर विश्वास करने का मन तो करता है, पर अनुभव हमको विश्वास करने देता नहीं है। वह कहते हैं हम कानून बना लेंगे, हमने कहा कानून से काम नहीं चलेगा। जब कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आये, जब कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आप कॉमन टैक्स बेस ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवनर्मेंट, दोनों के दोनों साइमलटेनियसली तय नहीं कर पाये, उस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में इस बात का प्रोविजन होना चाहिये कि किसी स्टेट को अगर कोई रेवेन्यू लोस होता है तो उसका कम्पनसेशन करने के लिये प्रोविजन स्पेसिफाइड होगा और मुझे तो खुशी है कि दिल्ली की सरकार ने और आज सी.एस.टी. कौंसिल, उसमें दिल्ली भी, और अगर हमने कुछ दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 हजार करोड़ का वैट अगर हमने सी.एस.टी. में सबज्युम किया तो यह टैक्स भी दिल्ली वालों ने सबज्युम किया होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मेडिसन एण्ड प्रोपर्टी टैक्स, उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, यह टैक्स

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हमारे हैं क्या? इन टैक्स पर हमारा अधिकार नहीं है। सर्विस टैक्स पर हमारा अधिकार नहीं था और अतिरिक्त सीमा टैक्स पर हमारा अधिकार नहीं था।

हिन्दुस्तान की इकोनोमी का करेक्टर बदला है माननीय अध्यक्ष महोदय। हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, 1950-51 के जमाने के अंदर सर्विस टैक्स का रोल हिन्दुस्तान की जी.डी.पी. में क्या था? आज हिन्दुस्तान की इकोनोमी में 57 परसेंट सर्विस सेक्टर का कांट्रिब्यूशन है। दुनिया भर में लोग कहते हैं कि आजकल की इकोनोमी Service based economy. राजस्थान का जी.डी.पी. का भी 48 परसेंट, माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्विस सेक्टर से आता है। हिन्दुस्तान की सर्विस सेक्टर की कम्पांउड एनुअल ग्रोस रेट 9.2 परसेंट है और मुझे कहते हुए खुशी है कि जहां हिन्दुस्तान की सर्विस सेक्टर की कम्पाउंड एनुअल ग्रोस रेट 9.2 परसेंट है, वही अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सर्विस सेक्टर की एनुअल कम्पाउंड ग्रोस रेट 17 परसेंट से ज्यादा है। और इस बढ़ते हुए सर्विस सेक्टर को एक्सपर्ट करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। हमारी सोवरेनिटी उसमें हमें अधिकार नहीं देती। हमारी सोवरेनिटी इन टैक्सों पर जरूर थी, तो उनकी सोवरेनिटी उन टैक्सों पर थी। इन टैक्सों के लिये अगर वह अछूत थे, तो उन टैक्सों के लिये हम अछूत थे। इसमें किसी ने किसी को कुछ दिया नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी ने किसी से कुछ लिया नहीं। हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे वाले टैक्स को वह कलेक्ट कर लेंगे, उनके वाले टैक्स को हम कलेक्ट कर लेंगे। हमारे वाले टैक्स में उनका हिस्सा हो गया, उनके वाले टैक्स में हमारा हिस्सा हो गया और इस सारी एक्सरसाइज में टैक्स एक हो गया। उसकी कम्प्लांयस ईजी हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये दुनिया भर के लोग कहते हैं और इसीलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे कि इतिहास याद रखेगा। इतिहास इस हिन्दुस्तान की इकोनोमी को ट्रांसफार्म करने के लिये आज के दिन को याद करेगा। हिन्दुस्तान की इकोनोमी को वायबिलिटी इकोनोमी में तब्दील करने के लिये इतिहास आज के दिन को याद रखेगा। आज का दिन हिन्दुस्तान की जी.डी.पी. की ग्रोस रेट को एक्सीलेरेट करने के लिये हिन्दुस्तान के अंदर इस दिन को आज

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लोग याद करेंगे। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा जी.एस.टी. आने के बाद पूरी टैक्स की मैथोडोलोजी बदलेगी। पूरी टैक्स की फिलोसोफी बदली है। कहां ओरिजन बेस्ड टैक्स हुआ करता था, आज nation based tax होगा। कहां मल्टिप्लिसिटी ऑफ टैक्सिंग थी, आज यूनिफार्मिटी ऑफ टैक्सिंग की ओर जा रहे हैं हम।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी ने माना है जी.डी.पी. में बढ़ेगा। 13वें वित्त आयोग ने स्टडी करायी थी नेशनल कौंसिल और एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च से, उसने कहा था 1.7 जी.डी.पी. बढ़ेगा, लेकिन दुनिया भर के बाकी इकोनोमिस्ट और बाकी रिसर्च सेंटर कह रहे हैं हिन्दुस्तान की इकोनोमी केवल जी.एस.टी. लागू करने से 4 परसेंट तक बढ़ सकती है माननीय अध्यक्ष महोदय। आज यह सीमलैस फ्लो नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेरिका का इंटर-स्टेट ट्रेड 76 परसेंट है उनकी जी.डी.पी. का, चाइना का 73 परसेंट है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा 51-52 परसेंट से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि सीमलैस फ्लो ऑफ सर्विस एण्ड गुड्स का जो होना चाहिये इंटर-स्टेट के बीच में, वह नहीं हो रहा। जी.डी.पी. के अंदर इंटर-स्टेट बिजनैस का इंटर-स्टेट ट्रेड का हिस्सा 73 परसेंट क्यों नहीं होना चाहिये? मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस रिफोर्म के बाद में निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर, हिन्दुस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेड बढ़ेगा, हिन्दुस्तान की जी.डी.पी. में वृद्धि होगी और हिन्दुस्तान की जी.डी.पी. बढ़ने का मतलब है आम गरीब की जेब में पैसे में वृद्धि। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसीलिये हमने बार-बार लोगों से कहा कि को-आपरेटिव फैडरलिज्म और जी.एस.टी. कौंसिल कोई दादागिरी की जगह नहीं है दिल्ली वालों की, जी.एस.टी. कौंसिल के अंदर जब तक थ्री फोर्थ मैजोरिटी से कोई चीज पास नहीं हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, पास नहीं होती है। और सेंट्रल के पास में तो केवल वन थर्ड है वोट, टू थर्ड वोट कुमुलेटिव स्टेट्स के पास में हैं। सारे मिलकर स्टेट चाहें और दिल्ली नहीं चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता और दिल्ली अपनी छाती ठोककर कुछ काम कराना चाहे और स्टेट नहीं चाहें तो दिल्ली भी नहीं करा सकती। इसे कहते हैं को-आपरेटिव फैडरेलिज्म। न दिल्ली की चलेगी, न

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

स्टेट की चलेगी, चलेगी उसकी जो सच होगा। चलेगी उसकी, जो देश के हित में होगा। और इसीलिये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जी.एस.टी. कौंसिल के अंदर लगभग-लगभग हर हिन्दुस्तान की हर पॉलिटिकल आइडियोलाजी किसी न किसी रूप में डिपेंडेंट है और सभी पालिटिकल पार्टीज का, सभी पालिटिकल आइडियोलाजी का, सभी सरकारों का मत कहीं न कहीं जाकर इस बात पर एकमत है कि हिन्दुस्तान के लिये यह रिफोर्म संजीवनी है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, कइयों को चिन्ता थी कैश ऑफ लिमिट की, आप कह रहे थे एक करोड़ होना चाहिये था कम्पोजिशन लिमिट, पर हमने इस बात के लिये धन्यवाद नहीं दिया कि टर्न ओवर की लिमिट दस लाख से बीस लाख हो गयी है थ्रेशील्ड के एग्जम्पशन की। आम गरीब करोड़ों में बिजनैस नहीं करता, लाखों में किया करता है और 20 लाख तक के लोगों की सशुल्क लिमिट है, उन्हें एग्जम्पशन है, उन्हें छूट है। फिर इसका इंफ्लेशन तो नहीं बढ़ जाएगा। दुनिया भर के इकोनोमिस्ट कहते हैं ओवर ऑल इकोनोमी के अंदर कीमतों में कमी आएगी। कंजूमर प्राइस इंडेक्स में जो चीज कमोडिटी में आती है, उसकी चिन्ता हम सबको है, आपको भी है, हमको भी है, दिल्ली वालों को भी है। खाद्यान्न के बारे में जीरो रेटिंग होगी। ज्यादातर तो हमारे एग्जम्पशन के लिये इसमें मैजोरिटी ऑफ लॉ रेडियस वहीं एग्जम्पशन वहां भी जाएगी, अभी फिटमेंट होना बाकी है। बाकी टैक्स सिर्फ एक नहीं है, कई लोग कहते हैं साहब यह जी.एस.टी. कहता है इसमें वन नेशन, वन टैक्स कहते हैं। चार-चार, पाँच-पाँच स्लेब हैं, यह वन टैक्स कहां से आ गया? क्या हम चाहते हैं कि बी.एम.डब्ल्यू. कार का टैक्स और छोटी-सी पानी की बोतल का टैक्स एक ही हो जाए? गरीब के कंजम्प्शन में काम आने वाली चीज पर टैक्स और रईस के काम आने वाली चीज में एक ही टैक्स हो जाए? डी-मैरिट गुड्स, जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाता हूं और आपको आपत्ति होती है। उपाध्यक्ष महोदय भी धीरे-धीरे, चुपके-चुपके चोरी से मेरा खाते हैं, सच तो है। क्या डी-मैरिट गुड्स पर भी टैक्स वही होने चाहिये 12 परसेंट, 16 परसेंट, 18 परसेंट? क्या डि-मैरिटी गुड्स पर टैक्स हाई नहीं होने चाहिये। और इसीलिये मैंने वकालत की थी दिल्ली में, जी.एस.टी. कौंसिल में हमने कहा था। हम यहां राजस्थान के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अंदर 65 परसेंट वैट लगाते हैं बीड़ी पर। हम चाहते हैं गरीब डि-मैरिटी गुड्स की तरफ नहीं जाएं। इसलिये यह जो वैरिएशन है, टैक्स के स्लेब में जो वैरिएशन है, टैक्स तो एक ही हैं, स्लेब्स हैं, और स्लेब कौनसी, वर्तमान दर कौनसी, अभी मंहगा हो जाए। हमने कहा कि फिटमेंट कैसे करें? फिटमेंट का सीधा तरीका है जो अभी तक चाहे एक्साइज हो, चाहे वैट हो, तीन परसेंट से कम है, उसको जीरो। No tax. Less than 3 % means zero. 3 % to less than 9 % - 5 %, 9 % to less than 15 % - 12 per cent. मैं गलत बोल गया हूं थोड़ा। 15 % to less than 21 %, और 21 परसेंट से ज्यादा वाला 28 परसेंट और 28 परसेंट से ज्यादा जिन चीजों पर टैक्सिंग होनी चाहिये, उन पर सेस। अब लोग कह रहे हैं सेस क्यों लगाया, टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया, एक स्लेब और क्यों नहीं बढ़ा दी? क्योंकि यह सेस काम आएगा उस कम्पनसेशन फण्ड के लिये। अभी प्रद्युम्न सिंह साहब चिन्ता कर रहे थे कि यह सैस से अगर वह फण्ड बन गया और कम पड़ गया तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी?

मैं निवेदन करना चाहता हूं मोटे तौर पर जो असेसमेंट हो, उस असेसमेंट के आधार पर ही सेस से वह फण्ड कम नहीं पड़ना चाहिये, लेकिन फिर भी अगर वह पड़ जाये तो जी.एस.टी. कौंसिल, उन्होंने कहा कि अभी सेस कितना लगना चाहिये? उसकी हाइएस्ट रेट को तय किया है। जैसे 135 परसेंट पान मसाले पर, तो हो सकता है अभी 135 परसेंट नहीं लगायें पान मसाले पर, उससे कम लगायें लेकिन जी.एस.टी. कौंसिल को पता लगेगा साल के बीच में कि यह कम पड़ सकता है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं राजस्थान जैसे स्टेट को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कन्जूमर स्टेट हैं। सर्विस टैक्स के अन्दर हमारा अभी हिस्सा नहीं आता है और जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं, सर्विस सैक्टर राजस्थान में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। उसमें हमारा शेयर नहीं था, अब हमारा शेयर होगा और शेयर होने के आधार पर मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं राजस्थान को किसी भी हालत के अन्दर कम्पनसेशन मांगने की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। यह चिंताएं मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की थीं और इसीलिए कहा कि 2015-16 के बेस ईयर के ऊपर 14 परसेंट का एनुअल ग्रोथ के आधार पर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एस्टीमेट करेंगे और उससे कम अगर आपका रेवेन्यू आता है तब उसको कम्पनसेट करेंगे।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर एक चिंता थी ड्यूअल कंट्रोल की, दोनों टैक्स मिल गये, दिल्ली के अफसर हैं, राजस्थान के अफसर हैं, यह बेचारा एक लाख तक का आदमी, 70 लाख तक का आदमी किस के पास जाएगा? दिल्ली के पास जाए तो जानता नहीं, पहचानता नहीं। इसलिए ड्यूअल कंट्रोल पर हमने जी.एस.टी. कौंसिल में फैसला किया कि डेढ़ करोड़ से नीचे वाले टर्न ओवर वाले लोग के 90 परसेंट व्यवहारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ पढ़ेंगे, जहां अभी वो असेसमेंट कराते हैं वहीं रहेंगे और डेढ़ करोड़ या डेढ़ करोड़ से ऊपर वाले हैं उस पर 50-50 और, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग-लगभग सेल्फ असेसमेंट, 95 परसेंट तो सेल्फ असेसमेंट है। असेसमेंट के नाम पर किसी को मार खाने की जरूरत नहीं है, असेसमेंट का कोई चंदा देने की जरूरत नहीं है। केवल पांच परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनको कम्प्यूटर तय करेगा कि इनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। पांच परसेंट, वो भी कोई आदमी तय नहीं करेगा, वो कम्प्यूटर तय करेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा आई.टी. नैटवर्क की जरूरत पड़ी है जीएसटीएन की। यह सारा काम हम चाहते हैं इसमें मिनिमम ह्यूमन इन्टरफेस हो।

राव साहब जानते हैं, आज के दस-पन्द्रह साल पहले जब टैक्स का रिटर्न भरते थे तो जानते थे कि कौन सा वार्ड है इन्कम टैक्स का आपका और आपका टैक्स का असेसमेंट कौन करेगा, आई.टी.ओ. कौन है। सी.ए. आते होंगे जाते होंगे, नाम आपको भी पता होता होगा कौन असेसमेंट करने वाले हैं, उसको कोई पूजन भी करनी पड़ती थी, प्रसाद भी देना पड़ता था। आज आपको यह तो पता है कि इन्कम टैक्स का रिटर्न किस वार्ड में जमा कराना है, कौनसा वार्ड है लेकिन आपकी इन्कम टैक्स का असेसमेंट कौन, कहां कर रहा है, न आपको पता न आपके सी.ए. को पता। यह सिस्टम कर रहा है और इसीलिए न पूजा की जरूरत है और न पूजन सामग्री की जरूरत है।

हम जब बात करते हैं करप्शन तो रुकना चाहिए, डिपार्टमेंट सिस्टम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ट्रांसपरेंट होना चाहिए, हिन्दुस्तान में करप्शन को रोकना, हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के सिस्टम को ट्रांसपरेंट बनाने का कोई तरीका बनता है तो वो आई.टी. है। इसके अन्दर आई.टी. के तहत, इसी तरह जीएसटीएन, एक एसपीयू बनायी जाएगी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स का, एक हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट का और कुछ बैंक्स एण्ड वेरियस फाइनेंशन इंस्टीट्यूशंस का शेयर होगा और शेयर के माध्यम से एक ऐसा बिगेस्ट आई.टी. नैटवर्क बनायेंगे कण्ट्री में सीमलेस जिसका सिस्टम, रोबस्ट सिस्टम, सीमलेस सिस्टम, उसमें ह्यूमन इंटरफेस की गुंजाइश ही नहीं हो, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह काम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगा लें, आदमी से हो नहीं सकता। 30 बिलियन वाउचर्स को हर महीने मैच करना होगा। थर्टी बिलियन वाउचर्स पर मंथ मैचिंग। अब थर्टी बिलियन वाउचर्स की पर मंथ मैचिंग आदमी या तो कर नहीं सकता और करेगा तो पता नहीं कितनी मिसमैच करेगा और या मिसमैच करेगा या मैच करेगा, उसमें कितने मैच खेलेगा, भगवान ही जाने। अब थर्टी बिलियन वाउचर्स को, उसका मैच करना और उस पूरे के पूरे डाटा को मेन्टेन करना, इसलिए हमने एक हाईली सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम जीएसटीएन के माध्यम से बनाने की कोशिश की है जो नोन-इन्ट्रूसिव इलैक्ट्रोनिक टैक्स सिस्टम है जिसमें इन्ट्रूड करना पॉसिबल ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे सैल्फ असेसमेंट हो जाएगा। जिस ऑडिट की बात मैं कर रहा था, पांच परसेंट ऑडिट की बात कर रहा था वो पांच परसेंट ऑडिट कौनसे लोगों का होना चाहिए, यह भी सिस्टम ही तय करेगा। इससे ब्लैक ट्रांजेक्शंस में कमी आएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की भी चिंता रही है, रजिस्टर की चिंता रही। जितने लोग अभी अभी वैट में रजिस्टर्ड हैं उनका माइग्रेशन हो जायेगा। राजस्थान के जयपुर के अन्दर 4 लाख 25 हजार के आसपास माइग्रेशन हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहे वो जीएसटीएन पोर्टल पर जाए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कहे और अगर उसके फॉर्म में कोई डेफिसिएंसी नहीं है तो तीन वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, रिटर्न भरने में चिंता व्यक्त की गयी। अभी भी एक्साइज के अन्दर तो मन्थली रिटर्न है, वैट भी ऑनलाइन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर महीने के दस दिन बाद में आपको रिटर्न भरना है जिसे जीटीआर-1 कहेंगे। जीटीआर-1 भरते ही आपका वो जीएसटीआर-2 अपने आप ऑटो पॉपुलेट होगा आई.टी. सिस्टम से और उसको आपको एप्रूव करना पड़ेगा, आपको एप्रूव करना पड़ेगा जो ऑटो जब पॉपुलेट करेगा तो आप उस डाटा को एप्रूव करोगे ...(व्यवधान)... और लैफ्ट आउट सप्लाई कोई अगर आपकी है उसको ...

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है अभी भी एक्साइज में रिटर्न मन्थली भरनी पड़ती है, कितने प्रतिशत व्यवहारी हैं जो एक्साइज रिटर्न भरते हैं? देश में जितने व्यवहारी होंगे उसके पांच परसेंट या दस परसेंट से ज्यादा व्यवहारी नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। हां, माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): यह बात सही है कि एक्साइज में व्यवहारियों की संख्या वैट के व्यवहारियों की संख्या से कम है लेकिन इसमें बहुत व्यवहारी हैं जो स्टेट के अन्दर भी काम करते हैं और इन्टर स्टेट के काम भी करते हैं, उनकी संख्या बहुत है। पहले आप सीएसटी का रिटर्न भरते थे, वैट का रिटर्न भी भरते थे, वैरियस मैटर, मल्टीपल टैक्सेज में कितने रिटर्न भरते थे, उनकी गिनती करना, कोई कितने भर रहा है कोई कितने भर रहा है और वैट में भी ऑनलाइन भर रहे हैं आप। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के अन्दर आम तौर पर अच्छा व्यवसाय करने वाला जितनी रिटर्न भरता था उसके मुकाबले रिटर्न कम है। जैसा मैंने बताया, यह रिटर्न भी कौनसा, आपको एक ही रिटर्न भरना है, बाकी तो ऑटो पॉपुलेट होना है, उसको अपडेट करना है, सप्लाई को अपलोड करना है। यह काम आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि किया नहीं है। जैसे जीएसटी का कानून इतना मुश्किल नहीं जितना आपको लगा। कई चीजें लगती कुछ और हैं होती कुछ और हैं। ...(व्यवधान)... हैं?

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): पढ़ने में।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): हां, हां। मैं समझ गया लेकिन आपके समझने की चिंता नहीं कर रहा, मैं आपके पढ़ने की चिंता कर रहा हूं। पढ़ने में अगर आपका और मेरा ध्यान होता यहां आते ही नहीं अपन। यह पढ़ने में ध्यान नहीं रहा, इसी का चक्कर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पोजिशन टैक्स पेयर का तो रिटर्न क्वार्टरली है और एनुअल रिटर्न तक वो जितने करेक्शन करने हैं, कोई पैनल्टी-वैनल्टी नहीं है, एनुअल रिटर्न भरने तक वो करेक्शन करे दिसम्बर तक, राज़ी-राज़ी करे। इसलिए यह चिंता करने की जरूरत नहीं है।

और आपने कहा एंटी प्रोफिटिंग ऑथोरिटी की चर्चा माननीय उपाध्यक्ष कर रहे थे, आपने भी की। यह बात सही है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस तय केवल टैक्स से नहीं होता, किसी भी कमोडिटी की प्राइस को तय करने के वेरियस फैक्टर्स हैं। मैं इस बात को नकारता नहीं कि उन वेरियस फैक्टर्स के साथ में प्ले नहीं किया जा सकता। लेकिन किस प्रकार से टैक्स के अन्दर कमी होने से, उस टैक्स की कमी होने से जो कन्ज़ूमर को फायदा पास-ऑन होना चाहिए उसको एन्श्योर करने का पहली बार कोई प्रयास हो रहा है। बाकी देशों में हो रहा है, मलेशिया में और हमारे यहां भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपने कहा कोई मैकेनिज्म तय नहीं, इसके रूल्स बनेंगे। काम्पीटिशन कमीशन को काम देना है या किसी और ऑथोरिटी को बनाना है, ऑथोरिटी का काम करने का तरीका क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी? लेकिन यह दृष्टिकोण कि सरकार के अन्दर जो टैक्सों की कमी होने पर टैक्स की कमी का फायदा कन्ज़ूमर तक पहुंचे, इसके लिए कानून की व्यवस्था पहली बार हुई है।

इसी प्रकार से, रेटिंग की व्यवस्था, टैक्स पेयर की रेटिंग जिससे मुझे पता लग जाए गुंजल साहब से व्यवहार कर रहा हूं, गुंजल साहब की रेटिंग क्या है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिस्क का एलीमेंट कितना है? ...(व्यवधान)... हैं?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): रिस्क के अलावा कुछ नहीं है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): मुझे खुशी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए कि राजस्थान की तैयारियां और स्टेट्स से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कम नहीं हैं। चाहे वह आई सी करने के मामले में हो, जनता से इन्टर-एक्शन करने के मामले में हो, व्यवसायी से इन्टर-एक्शन करने के मामले में हो, चाहे सिस्टम को अपग्रेड करने के मामले में हो, चाहे कर्मचारियों को ट्रेंड कराने का मामला हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था 4 लाख 24 हजार से ज्यादा जीएसटी में माइग्रेशन राजस्थान में हो चुका है, इनका प्राइमरी एनरोलमेंट हो चुका है। स्टेट लेवल जीएसटी कन्सलटेशन कमेटी की मीटिंग दो बार हो चुकी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जीएसटी कन्सलटेशन कमेटी बन गयी, उनकी मीटिंगें हो गयी।

हम यहां जीएसटी के हैल्प डेस्क बना रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और जीएसटी प्रोसेस टेस्टिंग के लिए जिसे बीटा लांच कहते हैं, उसके लिए सिमुलेशन सेन्टर यहां एस्टेब्लिश कर दिया गया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एण्ड आई.टी. ट्रेनिंग सेन्टर एस्टेब्लिश होने के प्रोसेस में है। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया कि ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करने का काम यहां पर शुरू हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सचमुच आज यह खुशी का दिन है कि हम दिल्ली के कुछ करों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, इसलिए 1950 की सोवरीनटी को लूज करने में और आज की सोवरीनटी को लूज करने में बेसिक अंतर है। हम किसी की सोवरीनटी ले भी रहे हैं। यह सवाल लेने-देने का नहीं है।

जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से हिन्दुस्तान को बहबूदी के रास्ते पर ले जाया जाए? किस प्रकार से हिन्दुस्तान की आर्थिक तरक्की को गतिशील किया जा सके, आगे ले जाया जा सके। किस प्रकार से हम गरीबी हटाओ का नारा करते-करते हिन्दुस्तान में एसक्लेरेटेड ग्रोथ नहीं ला पाए। इनक्लुसिव ग्रोथ नहीं ला पाए। हिन्दुस्तान के टैक्स स्ट्रेक्चर के अंदर कॉस्केडिंग इफेक्ट को हम खतम नहीं कर पाए। उसकी इज ऑफ डूइंग को हमने अनइज में तब्दील किये रखा। उसको इज ऑफ डूंइग बिजनिस के रूप में किस प्रकार से टैक्स स्ट्रेक्चर में चेंज कर पाएं। उसकी टैक्स फिलासिफी किस प्रकार से बदले?

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यह आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मोटे तौर पर जीएसटी के लाने का स्वागत किया है। व्यवसायी भी इसका स्वागत कर रहे हैं। जीएसटी की बड़ी इगरली प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको आशा है इस बात की कि जीएसटी के आने के बाद ट्रेड में बढ़ोतरी होगी। ट्रेड सीमलैस होगा। इज ऑफ डूइंग बिजनिस बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जीएसटी कानून के माध्यम से जो हमने कल्चर डवलप की है, चाहे फैडरल कॉपरेटिज्म कहें, कुछ भी कहें, वर्किंग टूगेदर, जिसके बारे में हम बार-बार बात करते हैं। वर्किंग टूगेदर, ग्रोइंग टूगेदर, प्रोस्पेरिंग टूगेदर, हम समझते हैं एक नई कल्चर, एक नई फैडरल कल्चर हमने डवलप की है। जिसमें हम साथ-साथ काम करेंगे और साथ-साथ ग्रो करेंगे और साथ-साथ प्रोस्पैरिटी के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मुझे इतना ही निवेदन करना था।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, संशोधित रूप में।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): संशोधित रूप में।

**श्री अध्यक्ष**: संशोधित ही तो बोल रहा हूं मैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 संशोधित रूप में पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

**(17.53 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री प्रहलाद गुंजल।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो समय बढ़ाया गया था, वह आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन अभी 3 और...

**श्री उपाध्यक्ष**: संशोधित कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। लाइए, प्रस्ताव लाइए।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2017, राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरी (एमेंडमेंट) बिल, 2017, राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरी (सैकण्ड एमेंडमेंट) बिल, 2017 के भी पारित होने तक, यानी संशोधित कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए समय बढ़ाया जाए।

# व्यवस्था का प्रश्न

## जिस विधेयक में संचित निधि से व्यय निहित हो उसे राज्यपाल की सिफारिश के बिना पारित नहीं किया जा सकता

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर। माननीय उप सचेतक महोदय ने 2 बिलों के पारित होने तक बढ़ाने का आग्रह किया है।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 3 तक।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): 3 समझ लो। लेकिन आप केवल 2 के ही पारित होने तक बढ़ा सकते हैं। 1 के पारित होने तक नहीं बढ़ा सकते हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करूंगा कि मंत्री लोग उदार हैं, आर्टिकल 207 भारतीय संविधान के अंतर्गत, उसका सैक्शन 3 देखिए, 'जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मंडल के इसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है'।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्यों का है, एमएलएज का, उसमें तो धारा संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 3 की सिफारिश लगी हुई है। लेकिन जो मंत्रीगणों का है, उसमें 207 के खण्ड 3 की सिफारिश नहीं है इसलिए केवल विधायकों का ही पारित हो सकता है। मंत्रियों का पारित नहीं हो सकता।

**श्री उपाध्यक्ष**: संसदीय कार्य मंत्री, आप फर्माओ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधिवत रूप से इनको लॉ से भी वैट करवाया गया है। मंत्रिमंडल काबीना ने भी इनको पास किया है। जहां-जहां इनकी स्वीकृति की आवश्यकता महामहिम राज्यपाल से थी, वह सारी प्राप्त कर ली गई हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप कर ही नहीं सकते इसको। जब तक यह 207 का 3 इसमें लगा हुआ नहीं है। आपने एमएलएज के बिल में लगाया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 3 के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश, यह आपने विधायकों के बिल में लगाया है। आपने मंत्रियों के बिल पर इसको नहीं लगाया है। यह पारित बिल भी बिना पारित माना जाएगा। इतनी बड़ी संवैधानिक गलती कैसे कर सकते हैं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अभी इसको दिखवा लेंगे, अगर त्रुटिवश नहीं लगा है। हमने आवश्यक स्वीकृति ली है। इसको दिखवा लेते हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): स्वीकृति लेने के बाद भी लगाना पड़ेगा इस पर। लगा देंगे तो पास हो जाएगा ...(व्यवधान)... लगाओ।

**श्री उपाध्यक्ष**: उप सचेतक महोदय, अपना प्रस्ताव दुबारा लाइए तरीके से।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां, इस तरीके से।

**श्री उपाध्यक्ष**: वापस लाइए।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को भी अभी लाकर के ...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अभी गाड़ी भेजिए राजभवन में और उसको लगाइए।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही संशोधित कार्य सूची के अनुरूप सदन द्वारा पारित होने तक बढ़ाई जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन की कार्यवाही बढ़ाई गई।

श्री प्रहलाद गुंजल।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन विधेयक, 2017)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 विचार के लिए लिया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 9 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के दायित्व निर्धारित किए हुए हैं। धारा 9 की उप खण्ड 7 में जो मुख्य एक्ट है, जिसमें पूर्व में उल्लेख किया हुआ था कि 'मुख्य नगरपालिका अधिकारी अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों एवं सेवकों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगा'। उपाध्यक्ष महोदय, 2011 में एक अमेंडमेंट आया।

# व्यवस्था का प्रश्न

## जिस विधेयक में संचित निधि से व्यय निहित हो, उसे राज्यपाल की सिफारिश के बिना पारित नहीं किया जा सकता

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की थी, मैं जो महामहिम राज्यपाल महोदय से हमें आज्ञा प्राप्त हुई है, वह पढ़कर सुना रहा हूं ताकि इस शंका का निवारण हो जाए, 'संविधान के अनुच्छेद 207 के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खण्ड 3 के अधीन सिफारिश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 3 के प्रसंग में मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिए जाने की सिफारिश करता हूं। कल्याण सिंह'।

**(18.00 बजे)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं टेबल कर रहा हूं ताकि शंकाओं का निवारण हो जाए। यह सही है, यह मैं स्वीकार करता हूं कि यह जो छपकर उसके साथ लगना था, उसमें वह मिस्टैक से, वह कागज एक साथ किया जाना था, वह रह गया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके हमें अनुमति प्रदान करें। वैसे भी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि त्रुटि कैसे रही, किसके आधार पर रही, इसकी हम जांच करेंगे, उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे पर आज की विषम परिस्थितियों को देखते हुए यह जो आज्ञा महामहिम राज्यपाल महोदय से हमें प्राप्त हुई है वह मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके आज के बिल को विचारार्थ लेकर इसके पारण तक की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देखा, लेकिन इसमें नियम साफ है कि इसके लगी होनी चाहिए, अगर लगी हुई नहीं है तो ...(व्यवधान)... आप सुनिए, अगर लगी हुई नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, आप इतनी ही कृपा कर सकते हैं कि उसको छपा कर जैसे रोज वितरित करते है, 200 कॉपियां ला कर वितरित कर दें और इसको आप यह कह दें कि इसको चिपकी हुई मान ली जाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ में रह गई है, सबमें नहीं है, यह जो और माननीय सदस्यों को सर्कुलेट हुई है उसके पृष्ठ 4 के अंदर साफ लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 207 के खंड (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश, प्रतिलिपि संख्या 2(38)विधि/2/2017, दिनांक 25 अप्रेल, 2017, प्रेषक: वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खंड (3) के प्रसंग में मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिए जाने की सिफारिश करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो कोई त्रुटिवश रह गया होगा, उसको ठीक कर लेंगे।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कुछ में लगने से रह गई।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कुछ में रह गई, एकाध में रह गई होगी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रियों का हित चिंतक हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह तो वैधानिक बात थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी निर्णय करेंगे लेकिन यह बिल दोनों साथ में है, इसको छपवा कर वितरित करवा दें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके हाथ में जो है उसमें नहीं है। ...(व्यवधान)... कुछ के हाथ में नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए और सचिवालय से किस कारण से त्रुटि रही, उसको ठीक भी कराएंगे। ...(व्यवधान)...

**श्री उपाध्यक्ष**: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाकर संविधान के आर्टिकल 207 को कोट करते हुए गवर्नर साहब की अनुमति का प्रकाशन इस बिल के साथ होना चाहिए। आसन को इस बात से कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ऑपिनियन नहीं है, लेकिन होना चाहिए। आसन के समक्ष वह पत्र भी है उसका मूल पत्र भी है यहां यह स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इंटेंशन सकारात्मक था, पोजीटिव था, मानव का स्वभाव है त्रुटि हो जाती है, संसदीय कार्य मंत्री भी मानव जीव की श्रेणी में आते हैं इसलिए कई बार त्रुटि हो जाती है। ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ जैसे निरीह को आपने 'मानव जीव' की श्रेणी में तो सम्मिलित किया। ...(व्यवधान)...

**श्री उपाध्यक्ष**: वैसे मैं संसदीय कार्य मंत्री, आपको एक और बात का स्मरण कराना चाहूंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): लगातार तीन बार 'मानव जीव' बना दिया आपने इनको दो दिन में।

**श्री उपाध्यक्ष**: मैं आपको एक बात का स्मरण कराना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आपको इस बात की पूरी की पूरी जानकारी होगी। जब आप इलेक्शन कमीशन के सामने पधारे होंगे तो आपने एक शपथ पत्र लिखा होगा, उसमें चुनाव लड़ने के लिए जो अनिवार्यता है उसमें 'मानव जीव' होना और 'मानव जीव' की सम्पूर्ण सृष्टि के अंदर संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है, इसका प्रमाण पत्र तो आपको वहां से पहले से ही मिल गया, इसीलिए आप यहां पधारे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आइंदा इस प्रकार की त्रुटि न रहे, इसका आप जरूर ध्यान रखें।

इस व्यवस्था के साथ जो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति दर्ज की थी, वह रद्द की जाती है।

श्री प्रहलाद गुंजल।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह मानवीय व्यवहार की त्रुटि है। ...(व्यवधान)...

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... पाँच मिनट ही बात करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 विचार के लिए लिया गया है। मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पूर्व में जो मूल एक्ट 2009 में जो व्यवस्था थी, धारा 49 की उप धारा 9 के खंड 7 में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए अपनी अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगा।

**(18.04 बजे)**

**(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, इसी के अनुरूप धारा 332 की उप धारा 3 में उल्लेख किया गया है कि 2011 में एक संशोधन आया, तत्कालीन कांग्रेस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरकार के समय, जब नगरपालिकाओं के निर्वाचन को सीधा कर दिया और महापौर सीधे निर्वाचित होकर आने लगे, उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री के अनुशासन में रहना बंद कर दिया और लोकतांत्रिक तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए हुए महापौर जिन्हें पूर्व में इस एक्ट में, मूल एक्ट में अधिकार दिए हुए थे, अध्यक्षों को, जब प्रत्यक्ष निर्वाचन से आने के बाद उन्होंने मंत्री और सरकार के अनुशासन में रहकर स्वच्छ रूप से काम करना शुरू किया लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत उन पर ब्रेक लगाने के लिए उनकी शक्तियां छीन कर नगरपालिका अध्यक्ष के स्थान पर नगरपालिका बोर्ड स्थापित कर दिया, अध्यक्ष की शक्तियां बोर्ड में होगी, राज्य के तमाम नगरपालिका अध्यक्षों को, महापौरों को शक्ति विहीन कर दिया। मैं आज स्वायत्त शासन मंत्रीजी का माननीय सभापति महोदय, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कि वह फिर से अध्यक्षों को शक्तियां देना चाहते हैं, और 2009 के मूल अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 9 के खंड 7 में जो नगरपालिका के नियंत्रण के स्थान पर पुनर्स्थापित किया, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण तथा इस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों एवं सेवकों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगा। माननीय सभापति महोदय, इसी के अनुरूप धारा 332 की उप धारा 3 में संशोधन हो गया। वहां पर भी नगरपालिका के अध्यधीन के स्थान पर अध्यक्ष या राज्य सरकार जो भी इस बिल की मंशा है, स्थापित हो गया। माननीय सभापति महोदय, आप इस बिल के उद्देश्य और कारणों को पढ़ लें, बिल की मंशा पवित्र है, बिल की मंशा ठीक है, पर यह किन उद्देश्यों के लिए लाया गया, जो बिल में संशोधन किए गए, उद्देश्य कारणों में वही संशोधन उल्लेख कर दिए लेकिन बिल लाए जाने के पीछे क्या कारण है, यह पहला बिल होगा, माननीय सभापति महोदय, जिसमें कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया कि किस कारण से लाया जा रहा है। केवल और केवल जिन-जिन धाराओं में जो-जो परिवर्तन किया गया है, उद्देश्य और कारणों में उन बातों को उल्लेखित कर दिया लेकिन परिवर्तन किए जाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है इस स्पष्ट तौर पर उद्देश्य और कारणों में उल्लेखित नहीं किया गया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में जो उल्लेख था, धारा 49 में उप धारा 9 के सब सेक्शन 7 में अध्यक्ष के नियंत्रण की व्यवस्था थी, फिर "अध्यक्ष' कर रहे हैं, यह तो ठीक है लेकिन आपने 'अध्यक्ष' के साथ इसमें कर दिया, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण' और आगे आपने क्या जोड़ दिया, 'तथा इस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों या सेवकों का अधीक्षण या नियंत्रण करेगा।' आपने अध्यक्ष को पावर देने के साथ-साथ सारी पावर अपने हाथ में ले ली, जैसा निर्देश राज्य सरकार देगी, जैसा आदेश राज्य सरकार देगी, जो मंशा इस एक्ट में संशोधन पिछले स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने जिस मंशा के साथ किया था, अध्यक्षों को पंगु करने की योजना से, पालिका को, मैं स्वागत करता हूं आप अध्यक्षों को फिर से ताकत देने के लिए इस एक्ट को ला रहे हो,...

संशोधित रूप में ला रहे हो, लेकिन इसमें राज्य सरकार के हस्तक्षेप का यह क्लॉज जोड़कर आपकी मंशा भी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से यह है कि कोई अध्यक्ष, कोई महापौर आपके अनुकूल काम नहीं करता है तो फिर सीधा-सीधा इस एक्ट के अनुसार कार्यपालक अधिकारी आपके निर्देशों की पालना में नगरपालिका के काम-काज को संचालित करेगा। यह जो दोहरा पक्ष रखा है यह प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित संस्था के अध्यक्ष के अधिकारों के साथ सरकार का जो हस्तक्षेप इस एक्ट में आपने किया है यह अपने आपमें एक संदेह पैदा कर रहा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, दोनों बातों पर जवाब देते समय कि आपने उद्देश्य, कारणों में स्पष्ट क्यों नहीं किया? आपने उद्देश्य, कारणों में लिख दिया कि जो-जो क्लॉज आप स्थापित कर रहे हैं संशोधित बिल के रूप में कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा करने तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों करने जा रहे है यह उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट होना चाहिए। यह पहला बिल होगा। मैं दूसरी बार विधायक हूं, यह पहला बिल होगा जिसमें उद्देश्य और कारण स्पष्ट अंकित नहीं हैं और अध्यक्ष के अधिकारों के साथ-साथ सारा रिमोट कंट्रोल सरकार ने अपने हाथ में रखने की भी व्यवस्था कायम कर ली। मैं स्वागत करता हूं अध्यक्ष, महापौर, सभापति को अधिकार देने के इस अमेण्डमेंट का। लेकिन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसमें पावर पर्दे के पीछे से अध्यक्ष के साथ-साथ अपने हाथ में रखने के पीछे मंशा क्या है, इसको भी सदन में स्पष्ट करेंगे। आपका उद्देश्य पवित्र है, मैं इसके लिए तो आपको धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं और पिछली सरकार ने जो अन्याय करके काला कानून बनाया था, आज आपने उसे फिर से मिटा दिया है, लेकिन आपने फिर कोई आधा अधिकार अपने हाथ में रखने की जो इसमें चेष्टा की है उस पर जरूर सदन को अवगत कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, हालांकि मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है, इतना अच्छा विधेयक, जैसा अभी प्रहलाद जी गुंजल भी कह रहे थे कि पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जो हमारे राजस्थान के चुने हुए जन-प्रतिनिधि थे, चाहे वे अध्यक्ष हों, चाहे महापौर हों, व्यक्तिगत द्वेषता निकालने के लिए जिन अधिकारों को उन्होंने समाप्त किया। उन अधिकारों को हम वापस आज इस विधेयक के माध्यम से देने जा रहे हैं। प्रहलाद जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विधेयक की प्रशंसा भी की, लेकिन साथ ही साथ, आपने कुछ सवाल भी इस पर खड़े किये हैं। इसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि राज्य सरकार की मंशा इस मामले में बिलकुल स्पष्ट है। इसी मंशा से यह बिल लाया गया है कि सभापति राजकीय नियमों और विभागीय परिपत्रों की परिपालना करें। यह एक संवैधानिक संस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है। निश्चित रूप से सारे सभापति, नगरपालिका के अध्यक्ष करते ही हैं।

सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि जब 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद 2009 और 2010 में राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं, नगर परिषदों के चुनाव हुए थे। सत्ताधारी दल के साथ-साथ उस समय विपक्षी पार्टियों के सभापति भी जीते, चेयरमैन भी जीते, अध्यक्ष भी जीते, लेकिन तत्कालीन सरकार उनको पंगु करने के लिए यह विधेयक

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

लायी, जिसके लिए हम इसकी धाराओं को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में निश्चित रूप से जो व्यक्ति जनता के वोटों से चुनकर आता है उसको वह अधिकार मिलना चाहिए जो अधिकार इस राजस्थान में अगर किसी ने देने का प्रयास किया तो हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी, जिन्होंने हमें निर्देश दिया कि राजस्थान की 190 नगरपालिकाओं में और नगर परिषदों के चेयरमैन, अध्यक्ष व सभापति जिनके पूर्व सरकार ने पावर कम कर दिये, उन पावर्स को पुन: उनको दिया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को और इसी उद्देश्य से हम सभापति की शक्तियों को पुन: उनको देने के लिए हम बिल को लाये हैं। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2011 के संशोधन द्वारा सभापति की शक्तियां निहित कर दी गयी थीं, बोर्ड की बैठकों का आयोजन समय पर नहीं हो, सभापति दैनिक कार्यों हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाये, उस उद्देश्य से सत्ताधारी दल उस समय विधेयक लाया था उसमें हम पूर्णत: परिवर्तन ला रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में धारा 49 की उपधारा 9 के अनुसार नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड के सामान्य अधीक्षण व नियंत्रण में होते हैं और जिन्हें संशोधन के द्वारा सभापति के अधीक्षण व नियंत्रण के अधीन आज हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार धारा 332 की उपधारा 3 के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी वित्तीय मामलों में नगरपालिका बोर्ड के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं जिसे संशोधित करके सभापति के पूर्ण नियंत्रण के अधीन हम करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से पारित होने पर सभापति की प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का पुनर्स्थापन होगा जो मूल अधिनियम की भावनाओं के अनुरूप हैं। दैनिक प्रशासनिक, वित्तीय कार्यों पर सभापति का निर्णय बढ़ेगा। इस विधेयक द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा आमजन की सेवा में किये जाने वाले कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय निकाय बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

सभापति महोदय, इसी प्रकार, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49(9) व 332(3) में इस विधेयक द्वारा जो संशोधन किये जा रहे हैं वे स्थानीय निकायों के सभापति पद की गरिमा व प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से पुन: लौटाएंगे जो पिछली कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दी थी। उन प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में यह विधेयक मील का पत्थर साबित होगा।

विधायिका के द्वारा किये गये इन कार्यों के इतिहास में मैं मानता हूं कि स्वर्णिम अक्षरों में यह विधेयक लिखा जाएगा। सभापति महोदय, कहने को तो बहुत बातें हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकार और हमारी केन्द्र की सरकार जिस तरह से नगरपालिकाओं के माध्यम से इस राजस्थान को एक खूबसूरत राजस्थान बनाने के लिए, स्मार्ट राजस्थान बनाने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए और कई योजनाएं भारत सरकार की, राज्य सरकार की और विशेष रूप से हमारे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, जो कई योजनाएं राजस्थान के नगरपालिका के क्षेत्र में विकास के लिए ला रही हैं। इस विधेयक से अध्यक्षों को अधिकार मिलने से, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद, हम 10 मई से कैम्प भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिनमें हम निशुल्क पट्टे भी दे रहे हैं और कई सुविधाएं राजस्थान की जनता को दे रहे हैं। इस विधेयक से निश्चित रूप से अधिकार मिलने के बाद वह अध्यक्ष अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। मैं पूरे सदन से इस विधेयक को पारित करने हेतु अनुरोध करता हूं। मुझे विश्वास है इस विधेयक का आप स्वागत करेंगे और पारित करेंगे, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: धन्यवाद। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए। एक मिनट, माननीय मंत्री महोदय। कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे? प्रस्ताव करने के बाद। माननीय सुराना जी, एक बार प्रस्ताव कर दें उसके बाद आप बोलना। आप पहले प्रस्ताव करें।

# विधेयक का पारण

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

**श्री सभापति**: माननीय सुराना साहब।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, जो बिल माननीय मंत्री महोदय इस सदन में लाये हैं, इस बिल में वो संशोधन किया जा रहा है जो ऑर्डिनेंस और एक्ट 2011 के द्वारा तत्कालीन सरकार ने किया। अध्यक्ष के स्थान पर बोर्ड लिखा, निगम लिखा और परिषद लिखा।

सभापति जी, 2011 को आज 6 साल हो रहे हैं और वर्तमान सरकार को भी पदासीन हुए सवा तीन-साढ़े तीन साल हो रहे हैं, मेरे लिए प्रश्न यह

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है कि यह बिल, आपको तो मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने नगरपालिकाओं में डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने का काम किया है। जो 2011 से नगरपालिकाओं में सी.ई.ओ., ई.ओ. की दादागीरी चल रही है वह निश्चित रूप से आपके इस संशोधन के द्वारा समाप्त होने के किनारे आ चुकी है और जैसे ही यह बिल पास होता है और प्रकाशित होता है, वो समाप्त हो जाएगी।

सभापति जी, आपका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि आज सी.ई.ओ. को जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसको एक करोड़ तक की पावर है। एक करोड़ से दो करोड़ तक की पावर अध्यक्ष जी को है। मुझे बताइये कि नगरपालिकाओं में, नगर निगमों में जो काम माननीय सदस्य लाते हैं, जो पार्षद लाते हैं वो तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का होता है तो उनको जरूरत नहीं है अध्यक्ष के पास में जाने की क्योंकि आपने कानून बना दिया कि एक करोड़ तक की पावर तो सी.ई.ओ. को है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वित्तीय पावर को भी सबसे पहले अध्यक्ष के पास रखें। एक करोड़ तक की पावर अध्यक्ष को और अध्यक्ष के बाद में कोई फाइनेंस कमेटी है तो उसको दो करोड़ की और उसके बाद जो बोर्ड है उसको अनलिमिटेड पावर दें। माननीय मंत्री महोदय, जब तक आप वित्तीय प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते हैं, इन वित्तीय प्रावधानों को भी बदलने की आवश्यकता है। यदि आज इस एक्ट में सी.ई.ओ. को पाबन्द किया है कि वो अध्यक्ष के संरक्षण में काम करे, उनके अनुदेश से काम करे, उसके अनुशासन में काम करे तो जो सी.ई.ओ. की पावर है और जो अध्यक्ष की पावर है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करें।

माननीय मंत्रीजी, नगरपालिकाओं की हालत बहुत खराब है और नगरपालिका जब मैं कहता हूं तो उसमें नगर निगम भी है और नगर परिषद् भी है। आप अभी चार महीने से पधारे हैं और आपसे भी नगरपालिकाओं की स्थिति छिपी हुई नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को वित्त आयोगों से, राजस्थान वित्त आयोग जो अपना संस्थान है जिससे हर पाँच साल में रिकमंडेशन होती है और सरकार उस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रिकमंडेशन को 80-90 परसेंट राजस्थान में भी स्वीकार करती है। बीकानेर में स्थिति यह है कि आपकी जो एवरी मंथ की ग्रांट जाती है उसमें 30-40 लाख रुपये की कमी जो भी स्टाफ है उसकी सैलेरीज में कमी होती है। जो स्थिति बीकानेर की है वो ही जोधपुर की होगी, वो ही कोटा की होगी, वो ही अजमेर की होगी।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, आज हमने जी.एस.टी. का बिल पास किया है और हम एक उर्द्धमुखी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे राज्य की आमदनी भी एक करोड़ 40 लाख के करीब है। मैं निवेदन करता हूं कि वित्त आयोगों की, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद और जो भी भारत सरकार के वित्त आयोग हैं उनसे भी जो कमी-पूर्ति म्युनिसिपल फण्ड्स में नहीं हो रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप राजस्थान में नगरपालिकाओं की, नगर निगमों की, नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए इसका दो महीने में, तीन महीने में अध्ययन करायें कि किस म्युनिसिपल बोर्ड में उसके बजट को देखते हुए, उसे वित्त आयोगों से मिली हुई मदद के देखते हुए, उनके स्टाफ की कितनी सैलेरी बाकी रह जाती है और कितने पद ऐसे हैं जिनको वो भर नहीं सकते। सफाई कर्मचारियों के पद नहीं भर सकते क्योंकि फण्ड ही नहीं है। कहां से भरेंगे पद? पद भरते ही तो लाइबिलिटी हर बार तनख्वाह की है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि राजस्थान की नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगमों की वित्तीय स्थिति का आप अध्ययन करायें। आज राजस्थान राज्य इस स्थिति में है कि उनको यदि हजार, दो हजार करोड़ रुपये की सारी 195 नगरपालिकाओं को एड की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से मेरा आपसे और सरकार से निवेदन है कि उस हमारी नगरपालिकाओं की कमजोर वित्तीय स्थितियों को सप्लीमेंट करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए आप इस वित्तीय स्थिति का अध्ययन करवायें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुन: माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए कि आप इस बिल को लाये हैं, यह बिल तो और जल्दी आ जाना चाहिए था, आपको बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात को खतम करता हूं।

**श्री सभापति**: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री गोपाल कृष्ण** (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझसे पहले सुराना जी को मौका दे दिया और अधिकतर बातें उन्होंने बता दीं। मैं भी वो ही बातें कहने वाला था लेकिन अब मैं बात सिर्फ आपको धन्यवाद देने की करूंगा, आपको कांग्रेच्युलेट करने की करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। मैं भी एक दफे अध्यक्ष रहा हुआ हूं और उस समय पर कस्टोडियन अध्यक्ष ही रहता था पूरे ऑफिस का। एक फाइल भी एक टेबल से दूसरी टेबल पर बिना अध्यक्ष की अनुमति के जा नहीं सकती थी लेकिन अभी इन दिनों में मैं देखता हूं कि अध्यक्ष पंगु बन गया था और अध्यक्ष के पास में कोई पावर भी नहीं थे। उसी ढंग से नगर निगम की बात भी होती है तो अभी आपको सारी बातें बता दीं और मैं उनकी सब बातों से सहमत हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा पावर देने चाहिए। जितनी कमेटियां हैं उन कमेटियों को भी कुछ पावर, फाइनेंशियल पावर या ऐसे पावर कि अगर कमेटी में कोई पास होती है तो फिर उसको किसी तरह से कमिशनर या और कोई ब्यूरोक्रेट मना नहीं करे। वो ही स्थिति आपकी नगर निगम की हो रही है वैसे ही यू.आई.टी. की भी हो रही है। हालांकि आप यू.आई.टी. को स्थानीय निकायों से अलग समझते हैं लेकिन फिर भी यू.आई.टी. भी आपके नगर निगम की तरह से काम करती है, सड़कों का डवलपमेंट, इधर का, उधर का सब करती है तो उनके चेयरमैन की हालत भी वैसी की वैसी है जैसे आपके नगर परिषद और निकायों की है। इसलिए उनके लिए भी जो आपने सैक्रेट्री लगा रखे हैं वो सैक्रेट्री उनका काम नहीं देखते हैं, सैक्रेट्री उनके कहे हुए काम को करते नहीं है। अगर चेयरमैन ने ऑर्डर कर दिया है तो उसको भी वो निगेट कर देते हैं और निगेट करने से उसकी इज्जत खराब होती है। उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि उनको भी आप जरा देखें और उनके चेयरमैन को भी अच्छे ढंग से पावर दिये जाएं। इन सब बातों का हो चुका है तो मैं फिर आपको दुबारा यह संशोधन लाने के लिए धन्यवाद देता हूं, कांग्रेच्युलेट करता हूं कि बहुत अच्छा आप यह संशोधन लाये हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री फूलचन्द जी भिण्डा।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय सभापति जी, 1994 में जो एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था और स्थानीय स्वशासन के मामले में दो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

संविधान संशोधन हुए थे, एक पंचायती राज के बारे में और एक नगरपालिकाओं के, नगर परिषद् के बोर्ड के बारे में। 22 वर्ष हो गये और 22 वर्ष तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिल बनाने में तो ब्यूरोक्रेसी का ही योगदान रहता है। एक्सपेरिमेंट भी वो भी करते हैं लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया और पहले नियम ही नहीं बने और नियम बने तो उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं आई। चेयरमैन को वास्तव में पंगु बना दिया गया, बोर्ड का नाम तो लिखा गया पर औपचारिकता करने लग गये। बीच में एक ऐसा सर्कुलर निकला कि जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होता था, अध्यक्ष की अनुमति से कोई एजेंडा होता था उसको भी बन्द कर दिया गया, ऐसे-ऐसे कानून पास हुए, ऐसे-ऐसे नियम बने। लेकिन आज जो संशोधन लाया गया है, वास्तव में व्यवस्थापिका का प्रतिनिधित्व हमारा चेयरमैन करता है और कार्यपालिका में भी वो चेयरमैन के नाते रहता है। डबल रोल था लेकिन वो एक तरह से पंगु था और उसको कोई अधिकार नहीं थे। कार्यपालिका का जो दूसरा अंग है जिसको नौकरशाही या कर्मचारी वर्ग कहते हैं उसका सब-कुछ रोल था। इस कारण से यह जो आज संशोधन लाया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बोर्ड भी मजबूत होगा। एक जो प्रशासनिक तंत्र बन गया है, आप कितने ही अभियान चला दें, आप कितनी ही व्यवस्था भेज दें लेकिन वो कोई न कोई टिप्पणी लिखकर चाहे पट्टे का मामला हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का मामला हो, चाहे बी.पी.एल. का मामला हो, इस कारण से उसको टालते रहते थे। अब आज वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 1994 का संविधान संशोधन था उसको हम राजस्थान में, वास्तव में जन-प्रतिनिधियों को और मैं तो कहता हूं कि जनता को अधिकार देने का आज ऐतिहासिक काम हो रहा है, निश्चित तौर पर इसके कारण से नगरपालिकाओं की स्थिति सुधरेगी और जो अनावश्यक डिले होता था उस पर भी नियंत्रण लगेगा। क्योंकि चेयरमैन और बोर्ड तो सीधा जनता से जुड़ा रहता है, वो तुरन्त कहते हैं कि मेरा यह नहीं हुआ, मेरा यह नहीं हुआ और फिर उसको यही कहना पड़ता है कि ई.ओ. को कहूंगा, सी.ई.ओ. को कहूंगा या बाबू को कहूंगा।

इस प्रकार की जो स्थितियां बनती थीं, उन पर चैक लगेगा और उसमें दोनों शब्द लिखे गये हैं। नियंत्रण भी है और दूसरे प्रकार की सब चीजें हैं,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उनका मूल्यांकन भी है तो इस कारण से एक तरह से वास्तव में जवाबदेही, प्रजातंत्र में जवाबदेही महत्वपूर्ण है, इसलिए चेयरमैन तो जनता के प्रति लायल होता है, उसकी एकाउंटेबिलिटी होती है। नौकरशाह की नहीं होती है। इस कारण से वास्तव में यह अधिकार जो केवल औपचारिकता के रूप में था, एक्ट में था। हमने उसके खिलाफ तो बच्चों वाला प्रावधान भी लाद दिया, शिक्षा का प्रावधान भी लाद दिया और पावर के रूप में कुछ था नहीं, इस कारण से पहली बार यह वास्तव में विशेष प्रयास करके, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को भी और मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में हमारे जन प्रतिनिधियों को और हमारी जनता की शक्ति को वास्तव में क्रियान्वित करने का लक्ष्य दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय शंकरसिंहजी।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत शासन मंत्री): आपके तो नगरपालिका ही नहीं है।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): जिले में नगरपालिका तो है ना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जितनी ऊंची हाइट है, उतना ऊँचा और अच्छा बिल आप लेकर आये हैं। इसलिए आपको बधाई। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बोले तो हमने सोचा कि आज मंत्री महोदय के लिए आप कोई शेर कहेंगे लेकिन वह मंत्री महोदय की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल आप लाये हैं, हकीकत में आप बधाई के पात्र हैं। एक सिस्टम को पंगु बनाने वाला पहले विषय था। उस सिस्टम को मजबूत कैसे करना। मतलब एक अध्यक्ष है, अपने आपमें एक मजबूत आदमी बने और अध्यक्ष अगर मजबूत बनेगा तो उस नगरपालिका के क्षेत्र में काम होगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जैसे पूर्व सदस्यों ने बताया कि वितीय स्वीकृति में जो दो करोड़ रुपये तक मान लो अध्यक्ष को है लेकिन एक करोड़ रुपये तक सीईओ को है तो उसके बावजूद भी बिना अध्यक्ष के साइन के कोई विषय नहीं हो, ऐसा कोई न कोई प्रोविजन हो। नहीं तो क्या होगा, पार्षदों का और अध्यक्ष का जो तालमेल है, जो शहर के

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

विकास में बहुत ज्यादा जरूरी है। हर छोटी-छोटी बातों में कहीं न कहीं अध्यक्ष का, कहीं किसी कोई बात पर ब्लैकमेल नहीं हो। वास्तव में एक विकास के अपने पन्ने पर अध्यक्ष के द्वारा एक मजबूत शासन प्रणाली और उसमें नगरपालिका का विकास हो।

माननीय सभापति महोदय, रही बात वित्तीय व्यवस्था की, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन है। अभी यह पट्टों वाला विषय चल रहा है। आप शहर में पट्टे देंगे। उन पट्टों को मुफ्त देने की बजाय उस पर कुछ चार्ज करें और वह चार्ज जैसी नगरपालिका या वहां जैसी डीएलसी रेट है, उस डीएलसी रेट का कुछ परसेंटेज जिसमें वह पट्टा लेने वाला भी अपने आपमें आगे होकर पट्टा लेगा और उस पट्टे की कोई कीमत होगी। उससे वित्तीय व्यवस्था सुधरेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कई लिटिगेशन पड़े हैं। नगरपालिकाओं की, चाहे जेडीए हो, उनकी वित्तीय व्यवस्था बिना कोई प्रावधान या सब्सिडी दिये आप सुधार सकते हो। ऐसे कई पट्टों के मामलों में लिटिगेशन पड़े हैं। अगर आप एक आदेश करें, निकालें कि भई, इनको सलटाना है, पट्टे देने हैं, वर्गफुट के हिसाब से उनके पैसे लो और नगरपालिका में जमा करो या जेडीए में जमा करो तो एक झटके में उनकी वित्तीय व्यवस्था सुधरेगी। यह भी कहीं न कहीं विचार करके इसका समावेश करें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह अध्यक्ष को मजबूत करते हुए एक नगरपालिका को अपने आपमें मजबूत करना, एक बोडी हमारी मजबूत हो, इसके लिए जो आप यह बिल लाये हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं लेकिन मंत्री महोदय, आपकी अपेक्षा थी कि बीकानेर के माननीय सदस्य आपके लिए कोई शेर कहें, वह नहीं कह सके। वह अपेक्षा मैं पूरी कर देता हूं। वह अपेक्षा माननीय मंत्री महोदय, मैं पूरी कर देता हूं। आप जो बिल लाये हैं और नगरपालिकाओं को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि पूरा राजस्थान मजबूत हो। कह ही देता हूं आपके लिए मंत्री महोदय, "खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता दे, रजा क्या है, रजा क्या है।"

**श्री सभापति**: माननीय श्री ज्ञानचन्द जी पारख।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा इस बिल के लिए। जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व होता है तो वह होता है जन प्रतिनिधि का और जन प्रतिनिधि यदि खुद कमजोर होगा ना, वह अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पायेगा। क्या हालत थी नगरपालिका के अध्यक्षों की? हम रोज देखते हैं, बेबस और लाचार। बड़ी उम्मीद से चुनाव लड़ते हैं कि चेयरमैन बनूंगा। यह पूरी नगरपालिका या नगर परिषद् का सारा काम मेरे जिम्मे होगा। चाहूं जैसे लोगों के काम करूंगा, मदद करूंगा। कई वादे भी करता है वह और जब पद संभालता है ना और जब उसके सामने काम आते हैं। आदेश देता है, कितनों की पालना होती है, उसको भी नहीं पता। अपने कर्मचारी को, अधिकारी को बार-बार कहने के बाद भी, कौनसा काम कर दे, वह कर्मचारी अधिकारी की इच्छा और नहीं करे तो कोई बहुत ज्यादा उसका बिगाड़ने की स्थिति में वह नहीं है और वित्तीय अधिकार भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है पर इस बिल के माध्यम से जो सम्पूर्ण नियंत्रण इन नगरपालिकाओं को अध्यक्ष के अधीन कर दिया, निश्चित रूप से अध्यक्ष को ताकत मिलेगी और जो उम्मीदें जनता उससे करती हैं, वह उन उम्मीदों का पूरा कर पायेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एक साहसिक कदम उठाया है वरना होता यह है कि कोई बिल आता है उसमें अधिकारियों को ज्यादा देने की बात हमेशा होती रहती है। मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि यह नगरपालिका, नगर परिषदें हैं, इनके ऊपर सीधा नियंत्रण आपकी राज्य सरकार का रहे। वहां नीचे के अधिकारी भी उनके नाम को रोक देते हैं, उनको डाइरेक्शन दे देते हैं। सीधा नियंत्रण वह आपके अधीन होना चाहिए क्योंकि आपका चुना हुआ जन प्रतिनिधि है। वह कोई गलत करता है, आप रोको उसको, सरकार रोके उसको, कोई दिक्कत नहीं है तो वहां लोकल राजनीति उसको अटका देती है, उसके काम को अटका देती है ना तो वह अपने आपको बेबस महसूस करता है, इसलिए पूरा नियंत्रण या तो अध्यक्ष का हो और अध्यक्ष के ऊपर सीधा आपका हो। यह अधिकार भी आपको लेना होगा ताकि आप खुद चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं। आप उसकी भावनाओं को, उसकी मंशा को समझ सकोगे और उसने कोई काम किया है,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सही है, उचित है, वह नहीं है तो उसका आप भी सही मूल्यांकन कर सकोगे। यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति**: धन्यवाद। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

उत्तर देना है। प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देना चाहेंगे?

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत शासन मंत्री): दे दूं भले ही दो मिनट, आप कहो तो। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हो गया उत्तर तो। हो गया साहब आपका। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत शासन मंत्री): चलो, जिन-जिन ने बिल का स्वागत किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

# विधेयक पर विचार

## बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री) के स्थान पर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री सभापति**: माननीय मानिक चन्द जी सुराना, बोलना चाहेंगे?

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): सरकार को धन्यवाद तो देंगे ही देंगे, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 माननीय मंत्रीजी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, कल शाम को करीब सात-सवा सात बजे सर्कुलेट हुआ और आज पारित होने के किनारे है। मैं इसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। यह बिल, माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो पिछले बजट सत्र में पूरे सदन को आश्वस्त किया गया था कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय खुलेगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी के उस कथन के आधार पर ही और वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी जी द्वारा जो अभी पिछले दिनों सत्र में जब मैंने प्रश्न पूछा कि आपने तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है सदन में बजट सेशन में कहा है और बजट रिप्लाई का पार्ट है तो क्या इस सदन में वो बिल नहीं आएगा तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा कि नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने सदन को कहा है उसकी पालना इसी सत्र में होगी और इसी सत्र में यह बिल प्रस्तुत हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में फिलहाल एक ही तकनीकी विश्वविद्यालय है कोटा और हमसे सात सौ से हजार किलोमीटर दूर है सात सौ-आठ सौ कुछ क्षेत्र जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है। पश्चिमी राजस्थान में कोई तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आज तो कौशल विकास का युग है। आज इंजीनियरिंग का युग है। आज तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रसार का युग है और इस बिल के द्वारा एक की बजाय दो तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान में हो जाएंगे मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। इस बिल के उद्देश्यों की मैं पढ़ करके तारीफ करूं, यह नहीं उसके जो समग्र उद्देश्य हैं कि जिससे आज जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज में रिसेशन है संख्याएं कम हो रही हैं एडमिशंस की, क्योंकि तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से जो उनको मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए और शिक्षण को उच्च गुणात्मक स्तर पर ले जाना चाहिए, चूंकि उसका अभाव है इसलिए आज इंजीनियरिंग कॉलेजों में संख्या कम हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये तकनीकी विश्वविद्यालय जो आपने बीकानेर में खोलना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रस्तावित किया है उसके दो कांस्टीट्यूएंट कॉलेजेज बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज फोर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी इन दोनों को इसका, इस बिल में प्रावधान है कांस्टीट्यूएंट कॉलेजेज का तो मेरा निवेदन है कि उन दोनों बीकानेर के वर्तमान बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज फोर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, इन दोनों को, इसका कांस्टीट्एंट कॉलेज बनाया जाए और जो पूरे पश्चिमी राजस्थान में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उसका सम्बन्ध इस बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि आईसीटीयू का निर्देश है कि कोई भी तकनीकी विश्वविद्यालय के पास दो सौ से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहेंगे और माननीय मंत्रीजी, आप एग्जामिन कर लें कि कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के पास आज चार सौ के करीब कॉलेजेज हैं इसलिए उनका समुचित बंटवारा भी राज्य सरकार करे और इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का बहुत-बहुत स्वागत करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद जी गुंजल।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 सदन में विचार के लिया लाया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है। टेक्निकल एजुकेशन के संबंध में हायर संस्थान में वृद्धि होनी चाहिए। इस कदम का सब जगह स्वागत होना चाहिए और स्वागत हो रहा है और यह चूंकि राज्य की मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी 2016-17 का और इस पर एक्ट का आना और इसका खुलना बहुप्रतीक्षित था बीकानेर के लिए और इसीलिए इस एक्ट के बाद यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आएगा। मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना माननीय सभापति महोदय, इसके उद्देश्यों और कारणों में जो उल्लेखित किया गया है कि बड़ी संख्या में तकनीकी संस्थाओं और उन्हें मोनिटरिंग करने और उनका नियंत्रण करने के अनुभव की हुई असुविधा को देखते हुए और इसके वित्तीय ज्ञापन में तीस करोड़ रुपये और तीन करोड़ रुपये सालाना, मैं कोटा से आता हूं, माननीय सभापति महोदय, सौभाग्य से राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है और संयोग से मैं उसकी बोम का मैंबर हूं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, केवल मात्र विश्वविद्यालय खोलने से असुविधा समाप्त हो जाएगी यह कल्पना नहीं की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय खोलने के साथ विश्वविद्यालयों को वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से कितना संपन्न किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद शिक्षा, चिकित्सा, लोक परिवहन जैसी सामाजिक सेवाओं में निजी क्षेत्र आज हमारी बराबरी में प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रहा है संसाधनों की दृष्टि से और इस लिहाज से हम जब कोई तकनीकी हायर एजुकेशन संस्थान खोलें तो संसाधनों की दृष्टि से कितना सुसज्जित होना चाहिए यह कल्पना हमारे पास होनी चाहिए कि वर्तमान में जो टेक्निकल एजुकेशन में जो नये इनोवेशन, नवाचार आ रहे हैं उन पर हम शोध और रिसर्च किस प्रकार से कर सकें यह संसाधन होने चाहिए आज इसकी कमी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो अकेली एकमात्र है कोटा की वो महसूस कर रही है। उसके पास पर्याप्त स्टॉफ नहीं है और जब बेहतर मोनिटरिंग की अपेक्षा कोटा यूनिवर्सिटी से की जाए तो फिर एकमात्र मौजूदा टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बेहतर संसाधन पर्याप्त स्टॉफ दिये जाने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और आज अकेले टेक्निकल यूनिवर्सिटी संसाधनों की दृष्टि से साउंड होती, सम्पूर्ण प्रकार का स्टॉफ होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य की मुख्यमंत्री जी और राजस्थान को यह महसूस करने की आवश्यकता नहीं होती कि राज्य में काम कर रही तकनीकी संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए एक और टैक्निकल विश्वविद्यालय की आवश्यकता है और माननीय सभापति महोदय, अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य इस सदन के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं हम सबके लिए सम्माननीय हैं, चूंकि बीकानेर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुल रही है तो स्वाभाविक है हम भी स्वागत करेंगे सरकार का फैसला है कोई इसके विरोध में नहीं है पर मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में टेक्निकल

**(18.48 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

यूनिवर्सिटी, कोटा के पास मौजूदा 172 कॉलेज हैं, नौ सरकारी कॉलेज और 163 प्राइवेट कॉलेज जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जिन्होंने मान्यता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सम्बद्धता ले रखी है। 172 कॉलेज और उन 172 कॉलेजों में 58 हजार टोटल विद्यार्थी हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): कौनसे मंत्री से?

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अब बदल गये मंत्री।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): अब आ गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास केवल और केवल 53 हजार विद्यार्थी हैं प्राइवेट में, 5 हजार सरकारी में हैं। 58 हजार सीटें एकमात्र विश्वविद्यालय नियंत्रण करने वाला हैं जिसके पास संसाधन नहीं और उसके बाद राजस्थान की टेक्निकल एजुकेशन की स्थिति क्या है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री महोदय सदन में जवाब देंगी तो यह बताएंगी कि उन 58 हजार सीटों में से पिछले सेशन में दो सत्रों में केवल पच्चीस हजार विद्यार्थी एडमिशन लेने पहुंचे हैं, 25 हजार। लगभग 25 से 30 हजार आपकी सीटें जो सरकारी कॉलेज खोल दिये, प्राइवेट कॉलेज खोल दिये विभिन्न ब्रांचों में पच्चीस हजार से अधिक सीटें खाली रहीं। आज टेक्निकल एजुकेशन की राजस्थान में यह दुर्दशा है कि बच्चा जाए वो इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें एडमिशन लेना 80 के दशक में प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता था, घोर प्रतिस्पर्धा के बीच में टेक्निकल एजुकेशन में प्रवेश मिलता था, आज ट्वेल्थ पास बच्चे को बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मुश्किल है, इंजीनियरिंग कॉलेज में उससे दस गुना आसान है। टेक्निकल एजुकेशन का यह हश्र हो जाएगा। संस्थाओं को विस्तार पूर्वक खोले जाने के बाद एजुकेशन के मानकों को हायर लेवल पर कैसे ले जाएं और उसको ले जाने के लिये क्या क्या जरूरी संसाधन और क्या क्या जरूरी इनोवेशन सरकार को करने चाहिये, उस दिशा में जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हम उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर आपको विश्वविद्यालय खोलना है तो फिर आप खोलिए। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का खोलिए, रिसर्च का खोलिए कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में केवल रिसर्च का काम होगा। जो इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेंगे उनके लिये एमटेक और पोस्ट

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ग्रेजुएशन का काम होगा। एक विषय विशेषज्ञता के साथ नई यूनिवर्सिटी को लाएंगे तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, राजस्थान का एक विश्वास बनेगा और पुराने ढर्रे के हिसाब से ही जो पुरानी यूनिवर्सिटी अब जाकर अपने संसाधनों के आधार पर समृद्धता के रास्ते पर जा रही है अब उसकी विद्यार्थी संख्या को आप दो भागों में डिवाइड करके नई यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में दस वर्ष लगा दोगे और पुरानी यूनिवर्सिटी की समृद्धता में गिरावट आ जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रयोग राजस्थान में नहीं हुआ, यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित 600 कालेज हैं और 600 कालेजों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां भी दो टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयोग कर लिया लेकिन संसाधनों के अभाव में दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरी नहीं अलग अलग सम्बद्धता, अलग अलग उनकी प्रवेश प्रक्रियाएं बांटने के कारण दोनों में संसाधनों की कमी आई और दोनों यूनिवर्सिटीज का दम घुटने लगा और मजबूरी में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बजट के अभाव में बंद करनी पड़ी। जब दुनिया में इस प्रकार के प्रयोग, देश के अन्य प्रांतों में धन के अभाव में, बजट के अभाव में हमारे सामने असफल हो गये और आज हम बजट के अभाव में हमारी एक मात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा को इतना सशक्त अभियांत्रिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया में क्या नवाचार हो रहे हैं, किन किन विषयों पर अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिये, किस तरीके की एजुकेशन नवाचारों के साथ पढ़ाई जानी चाहिये, इस विषय में बहुत गंभीरता से, आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के 20 संस्थान मैं समझता हूं पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। लगातार एक लंबी यात्रा के बाद वह टेक्निकल यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में रिजल्ट देने और परीक्षाएं समय पर कराने में अपना पहला, दूसरा, तीसरा स्थान कायम करने में कामयाब हो पाई है और आज हम उसकी विद्यार्थी संख्या बांट देंगे। बांटिये, एक नहीं, हम कहते हैं कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर सरकार के पास संसाधन हैं तो टेक्निकल विश्वविद्यालय खोलिये, लेकिन उन टेक्निकल विश्वविद्यालयों को कितने बड़े संसाधनों की, कितने बड़े प्रशासनिक नेटवर्क की, कितने बड़े शैक्षणिक नेटवर्क की, किस किस चीज की आवश्यकता है उससे सुसज्जित

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कीजिए, वरना उत्तर प्रदेश में 600 टेक्निकल कालेज हैं, हमारे यहां केवल 187, 12 सरकारी जिसमें 3 नये खुल गये, टोटल 175 ही हैं और उत्तर प्रदेश में 600 हैं। वहां 600 पर चार यूनिवर्सिटी होनी चाहिये, तीन यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। दो यूनिवर्सिटी का प्रयोग वहां पर समाप्त हो गया, फेल हो गया। इसलिए कोटा यूनिवर्सिटी ने जो रफ्तार बनाई है, विद्यार्थी फीस और उसके आधार पर आने वाले वित्तीय संसाधन में जो कमी आएगी, राज्य सरकार को निश्चित रूप से उसकी साउंड स्थिति को बनाये रखने के लिये वित्तीय प्रावधान करने चाहिये। इसी तुलना में बीकानेर टेक्निकल विश्वविद्यालय के लिये भी सशक्त वित्तीय प्रावधान, 30 और 3 से काम नहीं चलेगा, यह देश के उच्च मानकों के टेक्निकल अनुसंधान संस्थान बने इसके लिये 300-300 करोड़ रुपये भी कम होगा। कल ही प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुला है और आपने इस सदन में कहा है कि वह 300 करोड़ लगा रहे हैं। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो वह कर चुके हैं और हमारा विश्वविद्यालय प्राइवेट की तुलना में 30 करोड़ और फिर हर साल 3 करोड़, कहां खड़ा करेंगे। यह जो शिक्षा, चिकित्सा और लोक परिवहन की सामाजिक सेवाओं में भी हम निजी क्षेत्र के लोगों से इतना पीछे हो जाएंगे तो फिर हमारी व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास घटेगा। यह बजट दोनों का बढ़ना चाहिये, दोनों को साउंड किया जाना चाहिये ताकि वहां की जो फंक्शनिंग है, और फंक्शनिंग बढ़ाई जा सके, रिसर्च से लेकर, शोध से लेकर नाना प्रकार की नई इंजीनियरिंग किस प्रकार की देश दुनिया में डवलप हो रही है, उस पर भी और नये कोर्स प्रारंभ किये जा सके, इसलिए दोनों विश्वविद्यालयों को वित्तीय दृष्टि से सशक्त और साउंड करने की कार्य योजना राज्य सरकार को बनानी चाहिये। निश्चित रूप से हायर मानकों वाले उच्च शैक्षणिक संस्थान बढ़ने चाहिये, सब स्वागत करते हैं, कोई इसके विरोध में नहीं है। लेकिन उनको वित्तीय दृष्टि से इतना सुसज्जित करना चाहिये और संसाधनों का तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ज्यादा विद्वान है लेकिन हमने राम रावण के युद्ध में रावण रथी विरथ ही रघुवीरा, रावण के पास चमत्कारी रथ था, संसाधन ज्यादा थे, भगवान विरथी थे। तो देवलोक से बराबर का संसाधन भेजा गया। उससे 21 संसाधन भेजा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गया तब भगवान उस युद्ध को पार पा पाये। रामचन्द्र जी ने भी अपने जीवन में यह संदेश दिया है कि बड़ा काम शुरू करेंगे तो संसाधनों से सज्जित होकर ही करेंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): वह जीता कैसे, यह भी बता दें।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): वह आप बता देंगे, मैं इतना विद्वान आदमी नहीं हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आपने तो पहली लाइन बोली रावण रथी विरथ रघुवीरा, पर जीता कैसे, यह बताओ।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): यह तो आप बता दो। इसलिए संसाधनों से सुसज्जित करके दोनों विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री भँवरसिंह जी।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 आज सदन में रखा गया। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी किरण माहेश्वरी जी और हमारे बीकानेर संभाग के आदरणीय मंत्री राजेन्द्र जी राठौड़ साहब का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि लंबे समय से पूरे बीकानेर संभाग की मांग थी कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोला जाए। 2013 में हमारी सरकार के द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय खोला गया। उसमें एक करोड का बजट भी दिया गया और काफी संसाधन भी दिये गये। लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद इस विश्वविद्यालय को समीक्षा के नाम बंद कर दिया गया और लगातार तीन साल तक, चाहे मंत्री कालीचरण जी सराफ रहे हों, चाहे माननीय मुख्य मंत्रीजी जब बीकानेर पधारी हो, हर बार बीकानेर की जनता की तरफ से मांग की गई और निश्चित रूप से पिछले बजट में भी मुख्य मंत्रीजी ने इस तकनीकी विश्वविद्यालय को बीकानेर में खोलने की बात की थी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग सहित करीब 12-13 जिले हैं जिन्हें पहले कोटा जाना पड़ता था और बीकानेर से कोटा की दूरी भी अधिक थी। कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के तहत लगभग 200 कालेज आते थे जिसकी

(श्री भंवरसिंह)

वजह से कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस विश्वविद्यालय को पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा खोला भी गया था। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन रहेगा कि बीकानेर में सिरेमिक, जिप्सम, लिग्नाइट खनिजों का अथाह भंडारण है। जो नया तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में बने, उस विश्वविद्यालय में इन तमाम क्षेत्रों में नवीन शोध किये जाए। जिसकी वजह से बीकानेर संभाग और आस पास के जिलों के जो हमारे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनको पूरा पूरा लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह तकनीकी विश्वविद्यालय इसी वर्ष 2017-18 का जो शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें ही शुरू किया जाए। हालांकि इस विश्वविद्यालय के पास भूमि भी है। राजस्थान के जो सबसे बड़े दो इंजीनियरिंग कालेज हैं वह बीकानेर में हैं। इसके साथ साथ, यहां पर्याप्त भूमि है, यहां पर्याप्त बिल्डिंग भी है।

मैं पुन: यही कहना चाहूंगा कि बीकानेर संभाग के चारों जिलों के अलावा बाड़मेर, जैसलमेर सहित करीब 10-12 जिलों की जनता की जो मांग थी उस मांग को सरकार ने चाहे देरी से सुना है, लेकिन सुना है। तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय एक उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि बीकानेर में यह चौथा विश्वविद्यालय है। इससे पहले महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, वेटरनी विश्वविद्यालय आदि तीन पूर्व में चल रहे हैं और यह बीकानेर का विश्वविद्यालय होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय का जितनी त्वरित गति से विकास हो सके या इस विश्वविद्यालय को जितना जल्दी स्थापित किया जा सके, वह करें।

मैं एक बार पुन: आप सब का सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। मेरे द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके संबंध में यही कहना चाहूंगा कि शैक्षणिक सत्र में इस विश्वविद्यालय को चालू किया जाए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री महोदया।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश की प्राचीन वैज्ञानिक और तकनीक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। 11वीं सदी में विज्ञान के इतिहासकार शहीदल अंदलुसी ने किताब तबाकत-अल-उमान लिखी, जिसका मतलब है, देश का वर्गीकरण। इस किताब में लिखा है कि भारत को विज्ञान के विकास में विश्व में प्रथम स्थान दिया। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भारद्वाज जैसे वैज्ञानिक और ऋषि मुनियों की एक गौरवशाली परम्परा भारत में रही है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्राचीन काल में हमारे यहां प्रकृति का शोषण नहीं, बल्कि मानव एवं प्रकृति में समरसता बनाने वाले वैज्ञानिक आविष्कार और हमारी प्रौद्योगिकी का सम्पूर्ण विश्व में बोलबाला रहा है। शून्य की परिकल्पना से लेकर 3000 ई.पू. विकसित वास्तुकला, भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, वायुयान, जहाजरानी एवं नौपरिवहन आदि का विकास तथा अंतरिक्ष में मंगल अभियान भारत के विश्व को अतुलनीय योगदान को दर्शाता है। आधुनिक युग में भी तकनीकी और प्रौद्योगिकी में हमारा उत्कर्ष योगदान रहा है। हमारी प्रौद्योगिकी की उन्नत अवस्था को दर्शाने वाला एक ही उदाहरण पर्याप्त है और यह है हमारा मंगल अभियान-मिशन टू मार्स। अपने ही देश में विकसित की गई स्वदेशी तकनीक के आधार विश्व के अन्य विकसित देशों जैसे अमरीका आदि की तुलना में अत्यंत कम खर्चे और आश्चर्यजनक रूप में प्रथम प्रयास में ही मंगल अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। अभियान की सफलता से विश्व के वैज्ञानिकों को अचंभित करने वाली हमारी योग्यता को सम्पूर्ण विश्व ने स्वीकार किया था। जगदीश चंद्र बसु, पी.सी.राय., सी.वी.रमन, विश्वैसरैईया जैसे अनेक वैज्ञानिकों ने भारत का नाम रोशन किया है। अत: कनाक से कलाम तक की एक लंबी श्रृंखला भारत के आविष्कारों की, वैज्ञानिकों की तथा तकनीकी व प्रौद्योगिकी एवं शोध तथ्यों की अपने देश में रही है। इतना ही नहीं, प्रौद्योगिकी और तकनीकी के क्षेत्र में हमारे देश के युवाओं की प्रतिभा इससे भी प्रकट होती है कि विश्व की अनेक सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान आदि के प्रमुख अधिकारियों के नामों की सूची बनाएं तो उसमें भारत सबसे पहले है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आधुनिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
उत्कर्षता तथा गुणवत्ता के नए मानदंड स्थापित करना हमारी सरकार का उद्देश्य है। राजस्थान में तकनीकी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभाओं को पहचान कर उनको उप पोषित कर उपयुक्त वातावरण देकर उनकी प्रतिभा को विकसित होने के अवसर प्रदान करना राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। इसलिए पिछली भाजपा सरकार में कोटा के अंदर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जिसके कारण प्रतिवर्ष हजारों अभियंता उच्च गुणवत्ता की शिक्षा लेकर भारत में ही नहीं, विश्व के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी वे लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य के अंदर राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध 12 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज और 108 प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे यहां पर निजी क्षेत्र के अंदर तीन विश्वविद्यालय हैं और इसके साथ हमारे यहां पर एम.एन.आई.टी. है, आई.आई.आई.टी. है, आई.आई.टी. हैं और बिट्स पिलानी जैसी अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी राजस्थान के अंदर हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भारत है, जहां पर एक सामान्य व्यक्ति मनसुख भाई पटेल, जिन्होंने बिना बिजली के चलने वाले रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। ऐसी कई प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हैं और तकनीकी शिक्षा के मार्गदर्शन के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। यदि ये उपलब्ध कराएं तो बहुत सारे और इन्वेंशन..। हमारे यहां पर इतनी संभावनाएं हैं। स्टूडेंट बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे यहां पर भरतपुर, करौली और बारां में भी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की थी, उस घोषणा का भी हम लोग अमल कर रहे हैं और इसी शैक्षणिक वर्ष में हम इन तीनों जगह भरतपुर, करौली और बारां के अंदर शुरू कर देंगे और हमें ए.आई.सी.टी.ई. की मान्यता भी प्राप्त हो गई है। इसके लिए हम लोगों ने पर्सनली प्रयास भी किया था।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान एक ऐसा विशाल प्रदेश है, जहां पर केवल एक तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्पूर्ण प्रदेश के विद्यार्थियों तक पहुंचना बहुत कठिन था। अत: मरू प्रदेश के विद्यार्थियों को भी उच्च

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

गुणवत्ता की इंजीनियरिंग के अध्ययन एवं शोध का अवसर मिल सके, इसके लिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने घोषणा जरूर की थी। लेकिन कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती आई। उनके अंतिम छह माह जो चुनाव के रहे थे, उस समय उन्होंने घोषणा की थी और यह केवल घोषणा मात्र ही रह गई थी। इसके आगे कुछ काम नहीं किया। उन्होंने कोई बजट मंजूर किया नहीं और किसी तरह का कोई काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन भाजपा की सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमें इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करना है और उनके नेतृत्व में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को परिपूर्ण रूप से संचालित किया जाए, इस तरीके का हमारा पूरा प्रोग्राम होना चाहिए और वैसे ही हमें अपने बजट के अंदर इसको लाना होगा। इसी के दृष्टिगत हमने बजट के अंदर घोषणा भी की और तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए सारे प्रयास किए गए और हाल ही में जब हमारा बजट का सेशन था, उस समय सदन के अंदर मैंने खुद ने भी कहा था कि हम इसके बिल को इसी सत्र के अंदर लेकर आएंगे और लूणकरणसर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने बार-बार इस चीज को इंसिस्ट किया कि क्या हम बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का बिल इस सत्र में ला सकेंगे? हमने कहा था, लेकर आएंगे और हम विधेयक लेकर आ गए हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): आपको बधाई दी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): आपने बधाई दी, मैंने पढ़ा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी, वह हमारी सरकार द्वारा किए गए संकल्प के तहत बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने यह घोषणा की थी, उसी का यह परिणाम है कि आज यह विधेयक हम ला सके हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में की जाएगी तथा बीकानेर संभाग सहित प्रदेश के अन्य ज़िलों के स्वायत्तशासी तथा निजी तकनीकी संस्थानों को इस विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाए। इस विश्वविद्यालय के परिपूर्ण रूप की स्थापना हेतु हमारी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

द्वारा भवन एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए 30 करोड़ रुपए, विश्वविद्यालय संचालन हेतु 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश के एक और तकनीकी विश्वविद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे बीकानेर संभाग सहित प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी रूप से मैनपॉवर भी हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कह सकेंगे कि इस विश्वविद्यालय से पश्चिमी राजस्थान के युवाओं को इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करने के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे तथा राजस्थान में औद्योगिकी इकाइयों जैसे कि रिफाइनरी, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा आदि के लिए इंजीनियरिंग की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एक ऐसा तकनीकी विश्वविद्यालय एक ऐसा तकनीकी विश्वविद्यालय होने के कारण प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी में मरू प्रदेश तथा राजस्थान के अन्य भागों की भौगोलिक परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन तथा अन्य आवश्यकताओं को समझकर अनुसंधान का उत्कर्ष केंद्र बना सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हमने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में तकनीकी के नवीन कोर्सेज के माध्यम से आधुनिक युग में विश्व की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा तथा राजस्थान के युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल तथा सक्षम बनाकर स्वरोजगार एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इस तरीके से इसमें हम लेटेस्ट कोर्सेज चला सकें, वह हम चलाने का प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी बिल के ऊपर हमारे पाँच माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर रखे और दो ने मुझे कहा कि हम लोग बोलना चाहते हैं। संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ जी का, जो खाजूवाला से आते हैं, उन्होंने भी कहा है और सबका यह कहना है कि इस टेक्निकल युनिवर्सिटी के साथ में बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज को एक Constituent College बनाया जाए। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का हम लोग Constituent College बना देंगे।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज है और College for Engineering and Technology है।

दोनों ही कालेजेज को इनका कांस्टीट्युएंट कालेज बनाया जाए, यह मैंने निवेदन भी किया। मैडम, दूसरे कालेज को भी इसमें शामिल करें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है यह बिलकुल सही है कि हम दोनों ही कालेजेज को इसका कांस्टीट्यूएंट कालेज बनाएंगे, बीकानेर यूनिवर्सिटी का, बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी का और यह हमारे कांस्टीट्यूएंट कालेज होंगे। अभी तो वही होगा, फिर 30 करोड़ रुपये जब हमारे पास उपलब्ध करा दिए गए हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा, तो फिर नया भवन जब निर्माण होगा तब वह भवन अलग हो जाएगा पर कांस्टीट्यूएंट कालेज, अभी तो यह केम्पस होगा उसी के अंदर चलाएंगे यूनिवर्सिटी को, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी संचालित कर देंगे। यह सिर्फ घोषणा नहीं रहेगी लेकिन जब आज बिल आ गया है तो इसकी सारी चीजें हो गई हैं। बजट भी अलाटमेंट हो गया। प्रतिवर्ष तीन करोड़ रुपये इसके अंदर दिए जाएंगे। इसका कार्य संचालन करने के लिए यह अभी प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर यह काफी अच्छा रहेगा।

कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बिल का स्वागत किया। उन्होंने यह कहा कि जो भी इसके संसाधन की जरूरत है वह सारे संसाधन इसमें होने चाहिए। नये कोर्सेंज इसमें स्टार्ट होने चाहिए। कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज ही नहीं रहे लेकिन कुछ लेटेस्ट कोर्सेज इसके अंदर लेने चाहिए, तो इन सारी चीजों पर पूरी तरह से विचार करके ...

**श्री उपाध्यक्ष**: इन्होंने कोर्सेज के बारे में सुझाव दिए क्या, कौन-कौन से कोर्सेज।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): नहीं, कोर्सेज के बारे में इन्होंने क्या सुझाव दिए वह तो मैं नहीं...

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): जब माननीय मंत्री महोदया सुझाव लेंगी तो जरूर देंगे।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): लेकिन मैं यह उनको जरूर कह सकती हूं कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय है यह अपने आप में, मांग भी बहुत लंबे समय से थी और अभी तक सिर्फ राजस्थान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर स्थित है उसी में हम अपना, सारे कालेजेज उसी से सम्बद्ध थे। अब भी 108 कालेजेज प्राइवेट हैं प्लस 12 कालेजेज गवर्नमेंट के हैं। यह सारे ही उससे सम्बद्ध थे, तो बहुत बड़ा इनका काम था। सारी चीजों की मानीटरिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था इसलिए इसके करिकुलम्स को, नये सिरे से सारे प्लान करके हम लोग इसको अच्छी तरीके से करेंगे। मैं यह कह सकती हूं।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट मंत्री जी, टेक्नीकल यूनिवर्सिटी पहले खुली हुई थी। वाइस चासंलर लग गया। उसके बाद आपने आने के बाद उसको बंद किया, अब उसको वापस लाए हो।

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई भी सदस्य बैठा-बैठा नहीं बोलेगा।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): कांग्रेस सरकार ने सिर्फ एक आर्डिनेंस जारी किया। उनका राज दिसम्बर में खतम हो रहा था और उसके तीन महीने पहले एक आर्डिनेंस लाए। वह आर्डिनेंस तो फरवरी में लेप्स हो गया। इन्होंने ना तो कोई एक्ट बनाया, ना संसाधन दिए। कहां तीस करोड़ और आपका दिया हुआ संसाधन एक करोड़। एवरी रेकरिंग एक्सपंडीचर तीन करोड़, पता नहीं और कितने करोड़ दिए जाएंगे। तो मैं माननीय विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि आपने जो किया वह तो आर्डिनेंस के जरिए, बिल लाए ही नहीं, एक्ट पास ही नहीं किया।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): बिल तो आपको लाना था ना। फिर आपकी सरकार बन गई थी। बिल आपको लाना था सुराना साहब।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): विश्वविद्यालय खुल सकता है, बिना साधन के विश्वविद्यालय खुल सकता है तो खोलने में क्या दिक्कत है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही उसका जवाब मुझे लगता है कि...

**श्री उपाध्यक्ष**: गृहमंत्री जी ने जो बात कही उसका भी आप जवाब दो।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): अब इसमें तो साहब पूरा संसाधन दिया है, पूरा पैसा दिया है, सारी चीजों की सुविधाएं हम लोग देंगे। बिल बनकर आ गया। यह सिर्फ एक आर्डिनेंस था और आर्डिनेंस एक्सपायर हो चुका। आप जो कह रहे हैं कि हम लोग किए हुए थे, आपने कोई बजट का प्रोवीजन नहीं रखा था किसी तरीके से। चुनाव आ रहा है और चुनाव से पहले किसी तरह से घोषणा कर दें और बीकानेर के लोगों को गुमराह कर लें, वही काम आपने किया। अभी हम जो कर रहे हैं वह हमारा ठोस कदम है। इस ठोस कदम से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। कालेज को, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। कांस्टीट्यूएंट कालेज बन जाएंगे दोनों ही बीकानेर के इंजीनियरिंग कालेजेज। उसके बाद इसके अंदर मूर्त रूप से काम शुरू भी हो जाएगा। यह सारी चीजें हम लोगों ने की हैं। कोलायत से आने वाले, आपकी ही पार्टी के सदस्य ने मुख्य मंत्रीजी का स्वागत भी किया है, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी दिया है। यह भी उन्होंने सराहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सही मायने में जो बात कही गई थी उसको हम लोगों ने मूर्त रूप की परिणत होते हुए भी देख लिया है।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): इस सत्र में चालू तो कर देंगे ना आप।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): हां.......

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा इसी सत्र में चालू होगा या पहले की तरह पेंडिग रहेगा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): आपकी तरह नहीं है। हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। इसलिए यह डिफरेंस है हमारी पार्टी का और हमारे लोगों का।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को जो यहां पर विचारार्थ रखा गया था मैं चाहूंगी कि आप उसे पारित कराएं।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): 2017 में चालू कर देंगे क्या मंत्री महोदय? मंत्री महोदय, 2017 में चालू कर देंगे? यह तो सदन में स्पष्ट कर दें। 2017 में चालू कर देंगे क्या, इतनी सी बात पूछना चाह रहे हैं, आप बतायें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): हां......

एक माननीय सदस्य: ले लेंगे, ले लेंगे चिंता ही मत करो।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार**

खण्ड 2 से 49, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 49 स्वीकार किए जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 से 49 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

## विधेयक का पारण

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, दो-तीन बातें निवेदन करूंगा। एक तो माननीय मंत्रीजी ने इतिहास के बारे में कहा वह वास्तव में हकीकत है। चाहे वह लंका का पुल हो और- चाहे विश्वपूर्णा जी का हो, चाहे मिसाइल मैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का हो। इनको भी इतिहास का दिग्दर्शन पाठयक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, एक बात। दूसरा, हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि पद खाली हैं, सीटें खाली हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कौशल विकास को प्राथमिकता दी है, तो इनके साथ उनको अटैच किया जाए। कौशल विकास को उसके साथ अटैच किया जाए तो निश्चित तौर पर जब रोजगार मिलेगा तो उसका लाभ मिलेगा। एक बात प्रतिपक्ष के नेता ने, इन्होंने कभी भी बेलेंस ग्रोथ की बात नहीं की। हमने जोधपुर को आईआईटी दे रखा है। जयपुर को नेशनल इंस्टीटयूट दे रखा है। कोटा को टेक्नीकल विश्वविद्यालय दे दिया। बीकानेर को दे दिया, इस कारण से हमने उस बेलेंस को बनाने के लिए किया है इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करो, हम बेलेंस ग्रोथ ही करेंगे राजस्थान का। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: और भी कोई?

**श्री गोपाल कृष्ण** (बीकानेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी मौका दिया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की डिमांड हम बहुत वर्षों से कर रहे थे। बाकी सब बातें तो हो गई, मानिक जी ने, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कह दी। मैं यह समझता हूं कि मैं खास तौर से धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आपने पिछले बजट के अंदर आईआईए प्रस्तावित किया हुआ था उसका आज विधेयक लाए हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। नवाजिश करम, शुक्रिया मेहरबानी, हमें बख्श दी आपने जिंदगानी।

वैसे हमको कांग्रेस की सरकार में, डूडी जी आप थोड़ी सी बात सुनिए। कांग्रेस सरकार में, आप सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार ने नेशनल यूनिवर्सिटी

(श्री गोपाल कृष्ण)

बीकानेर को एक दफा दी थी और देकर वापस कर ली। अनाउंस कर दिया, अनाउंस करने के बाद उसको वापिस कर लिया। वापिस कर ली, फिर मैं, और भी थे, मानिक जी थे या नहीं मुझे पता नहीं है लेकिन एम पी साहब थे, और भी थे, हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब के यहां गए, उनसे कहा कि हमारे यह क्या किया, मिले नहीं, हम घर के आगे ही धरना देकर बैठ गए। शाम को उन्होंने हमको मिलने का टाइम दिया, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं बीकानेर का कोई तय ही नहीं हुआ था। मैंने कहा, यह सभी जानते हैं कि यह अनाउंसमेंट हो गया था, अखबारों में आ गया था, सब जगह लोग-बाग़ हमको बधाई दे रहे थे और आप कहते हो कि दिया ही नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, यह तो अजमेर के अन्दर पहले से ही तय था। मैंने कहा कि यह कमाल की बात है कि अजमेर के अन्दर तय था और हमारा दिया हुआ वापस आपने छीन लिया। यह तो अच्छा काम नहीं किया। हमने एक दफे यही कहा कि पेड़ जो हरे थे, वे तिरस्कृत हुए, ठूंठ थे जो वे यहां पुरस्कृत हुए, दण्डवत लेटकर जो चरण छू गया, नाम उसका हवा में उछाला गया। उसी ढंग से अब आपने पायलट साहब के दबाव में या और किसी के दबाव में, पता नहीं किसने, बीकानेर में अनाउंस किया हुआ आपने वापस ले लिया। लेकिन यह बात भूल गये कि आपकी सरकार भी कभी परमानेंट रहने वाली नहीं है। वह भी छिन जाएगी। आखिर कांग्रेस की सरकार, रामेश्वरजी, वह छिन गई और अब हमारी सरकार आई है तो हमारी सरकार ने यह टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमको दी है। वह तो आप लोगों ने छीन ली थी, यह बात सही है। मैं इसलिये अपनी सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को, किरणजी को, राजेन्द्रजी को और सम्भाग के सभी लोगों को, जिन्होंने इतना प्रयत्न किया, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। यह देख लीजिये कि आफिशियल गजट के अन्दर, जब इसके अन्दर प्रकाशित करेंगे, नियत करेंगे, अपाइण्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब जाकर यह शुरू होगा। तो यह कब करेंगे, यह थोड़ा सा आप जल्दी कर दें। क्योंकि बाकी में बाद में ठीक है कि 30 करोड़ और 03 लाख के अन्दर काम नहीं चलने वाला है। इसके लिये आपको इसके संसाधन वे करने पड़ेंगे। वैसे तो अभी बताया गया कि यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी मौजूद है। इंजीनियरिंग कॉलेज दो हैं, गवर्नमेंट के स्वपोषित हैं। अभी तक पूरे ढंग से ठीक चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि

(श्री गोपाल कृष्ण)

नहीं चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। कुछ-एक डिपार्टमेंट इसके अन्दर ऐसे हैं जो स्वपोषित नहीं हैं। एक डिपार्टमेंट जो, एम.बी.ए. चलाते हैं, उसको 80 लाख रुपये दूसरे डिपार्टमेंट से कमाई करके एम.बी.ए. वालों को दिया हुआ है। तो ऐसे-ऐसे डिपार्टमेंट जो घाटे में चल रहे हैं, उनका घाटा 80 लाख रुपये ऐसे करना पड़ा, क्योंकि उनके वहां पर एक भी कैंडिडेट सीखने के लिये नहीं है। फिर भी प्रोफेसर को डेढ़ लाख रुपये महीना दिया जा रहा है और दूसरे लोगों को भी लाख रुपये से ज्यादा दिया जा रहा है। उस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। अभी भी देखने की बात है। जब तक आप यह तैयार नहीं हो जाये, तो उससे पहले भी यह देखने की बात है। अब बात यह है कि सभी तरह के सब्जेक्ट इसके अन्दर पढ़ाये जाते हैं लेकिन इसके अन्दर यह हुआ।

कोटा यूनिवर्सिटी के लिये, प्रहलादजी, आप इस बात की क्यों चिंता करते हैं। पहले यहां मेडिकल कॉलेज राजस्थान में एक था। लेकिन अब कितने मेडिकल कॉलेज खुल गये। फिर भी जरूरत है। तो इंजीनियर्स की बहुत जरूरत रहेगी। काफी जरूरत है। हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिये यह नहीं कि यह टेक्निकल कॉलेज बीकानेर खुल जाएगा तो कोटा का बर्बाद हो जाएगा। कोटा तो वैसे बहुत उन्नत है। उसके अन्दर पानी, बिजली सभी तरह की चीजें हैं। उसकी कोई कमी नहीं आएगी। मैं यह इसलिये इस बात के लिये आपको धन्यवाद देता हूं, मैं सिर्फ धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं, और कुछ भी नहीं है। मैं आपका दुबारा बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको यह गिफ्ट दिया है, जो हमसे छीन लिया गया था, उसके बदले में गिफ्ट दे दिया है। यह गिफ्ट, तोहफा हम बीकानेर वाले बहुत याद रखेंगे, और बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात कहनी है।

मैंने बीकानेर यूनिवर्सिटी को खोले जाने का स्वागत किया है। मैंने चिंता यह व्यक्त की है कि सालों से संचालित टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा में आज भी स्टाफ की कमी के कारण, ए.आई.सी.टी.ई. और जो सम्बन्धित संस्थाएं हैं, उनसे चेतावनी नोटिस मिल गया। आप पूरा स्टाफ, भर्तियां

(श्री प्रहलाद गुंजल)
कीजिये, वरना दिक्कत में आ जाएंगे। जो परेशानियां टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा भुगत रही है वह बीकानेर न भुगते, इसलिये दोनों को संसाधनों से सुसज्जित करें। यह बात कही।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 पारित किया गया।

विधेयकों का पुर:स्थापन, उन पर विचार एवं पारण।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

# विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री।

# विधेयक पर विचार

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 7, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

# विधेयक का पारण

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

# विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री।

# विधेयक पर विचार

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

# विधेयक का पारण

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): एक बात ही बोलनी थी, उपाध्यक्ष महोदय, नई जागीरदारी प्रथा कायम हो रही है।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

# विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री महोदय।

# विधेयक पर विचार

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार

खंड-2 से 12, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 से 12 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

(श्री उपाध्यक्ष)

खंड-2 से 12 स्वीकार किये गये।

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

# विधेयक का पारण

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

# राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे

गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 19.32 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)**

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

## पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद

**554. श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लम्बी अवधि से चिकित्सकों के पद रिक्त हैं यदि हां, तो कुल कितने पद स्वीकृत हैं व वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गोलूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

| पदनाम | स्वीकृत पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|
| कनिष्ठ विशेषज्ञ | 4 | 2 |
| वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 0 |
| चिकित्सा अधिकारी | 2 | 2 |
| चिकित्सा अधिकारी (दंत) | 1 | 0 |
| कुल | 08 | 04 |

चिकित्सक की पदोन्नति के रिक्त पद को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशियलाइजेशन कोर्स पूर्ण करने वाले चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा संभव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 684 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोलूवाला, हनुमानगढ़ में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद

**555. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2014 में प्रदेश में कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित थें एवं इनमें किस-किस स्तर के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत एवं कितने कार्मिक किस संवर्ग के कार्यरत थे? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में कुल कितना बजट प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आवंटित किया गया?

(3) वर्तमान में कुल कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं एवं इनमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं कितने कार्मिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) 01 जनवरी, 2014 को प्रदेश में संचालित राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा इनमें कार्मिक के स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न हैं।

(2) राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन व अन्य गतिविधियों हेतु वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में विभिन्न मदों में प्रावधित/ आवंटित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं।

(3) वर्तमान में प्रदेश में संचालित राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा इनमें कार्मिकों के स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "घ" एवं "ङ" पर संलग्न हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पुलिस हेतु जारी आदेशों की पालना

**556. श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री देवेन्द्र कटारा)

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2008 से 31 जनवरी, 2017 तक पुलिस विभाग में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये भर्तियों, स्थानान्तरण पदस्थापनों, पदोन्नति जनता को नियंत्रित करने के उपायों, अपराधों को कम करने के उपायों तथा पीड़ित जनता को राहत देने संबंधी उपायों के लिए क्या परिपत्र, अधिसूचनाएं व आदेश जारी किए गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना, आदेशों, निदेशों व परिपत्रों की पालना किस प्रकार से की गई है तथा इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये उक्त अवधि में जारी अधिसूचना, आदेशों, निर्देशों व परिपत्रों की पालना नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.03.1995 द्वारा निर्देश दिये गये कि वन विभाग के वन संरक्षको, पुलिस विभाग के कांस्टेबलों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, ड्राइवरों, कनिष्ठ लिपिकों तथा सहायक अध्यापकों की रिक्तियो की क्रमश: 45 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां, अनुसूचित क्षेत्रों में, केवल अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.2007 द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80-एल-1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी।

(गृह मंत्री)

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.06.2013 द्वारा इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरे जाने के आदेश प्रसारित किए गये है।

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जाएगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से सम्बन्धित हों।

कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 के द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 2014 जारी किये गये हैं। उक्त नवीन नियम 2014 के नियम 6 के उपनियम (3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विभागों के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सृजित पदों पर कार्यरत/पदस्थापित अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के सभी कर्मचारियों से उनके नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उन्हें सूचित किए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर इस आशय का विकल्प पत्र लिया जाए कि वे भविष्य में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत ही कार्यरत रहना चाहते हैं अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कार्य करना चाहते हैं।

गृह (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 17(09)गृह-6/2014 दिनांक 11.04.2016 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग शासन सचिवालय जयपुर को पत्र लिखा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में पुलिस अधीनस्थ सेवा क्षेत्र के कार्मिको से कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.11.2014 के अनुसार गृह जिले में पदस्थापन हेतु विकल्प प्राप्त करना व तदनुसार रिक्त पदों का आकलन कर राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 2014 के अनुसार भर्ती/पदोन्नति किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा टीएसपी एरिया की रिक्तियां स्थानीय निवासियों से भरे जाने के अनुदेशों की पुलिस विभाग द्वारा भी पालना की जा रही है।

(गृह मंत्री)

जनता को नियंत्रित करनें के उपायों, अपराधों को कम करने के उपायों तथा पीड़ित जनता को राहत देने सम्बन्धी उपायों के लिए पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2008 से 31 जनवरी 2017 तक सम्पूर्ण प्रदेश के लिए जारी परिपत्र, अधिसूचनाएं व आदेश जनजाति उपयोजना क्षेत्र में भी लागू है, जो परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, आदेशों, निर्देशों व परिपत्रों की पुलिस विभाग द्वारा पालना की जा रही है।

(3) ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## केशोरायपाटन (बून्दी) में गैस आधारित विद्युत प्लांट की स्थापना

**557. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट को संचालन हेतु एन.टी.पी.सी. को सौंप दिया है? यदि हां, तो किन शर्तों पर और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कोटा थर्मल की अवधि पार हो चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इकाइयों को बंद करने का विचार कर रही है। यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार की काली सिंध थर्मल पावर की कुछ इकाइयों को नीलाम करने की योजना प्रस्तावित है। यदि हां, तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा केशोरायपाटन (बून्दी) में स्वीकृत गैस आधारित विद्युत प्लान्ट की स्थापना के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। यद्यपि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के विनिवेश हेतु एन.टी.पी.सी. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के मध्य त्रिपक्षीय MOU दिनांक 11.01.2017 को किया गया

(ऊर्जा मंत्री)

है। वर्तमान में MOA (Memorandum of Agreement) को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) कोटा थर्मल की कुल 7 इकाइयों में से प्रथम 4 इकाइयों सथा इकाई संख्या 1 से 4 का परिचालन पिछले 27 से 34 वर्षों की अवधि से हो रहा है तथा यह सभी इकाइयां अपनी निर्धारित परिचालन आयु पूर्ण कर चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

उक्त इकाइयों को स्थाई रूप से बंद किये जाने का कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(3) कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट का खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया द्वारा विनिवेश किया जाना प्रक्रियाधीन है क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष घाटा हो रहा है, इसके बेचने से निगम का ऋण कम होगा व विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध होगी।

(4) केशोवरायपाटन (बून्दी) में स्वीकृत गैस आधारित विद्युत प्लान्ट की स्थापना के लिए किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने की योजना

**558. श्री अजीत सिंह** (टोंक): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्राध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों पर प्राध्यापक कब तक नियुक्त कर दियें जावेंगे? संकायवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में कला एवं वाणिज्य संकाय पूर्व से संचालित है, जिनमें 544 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में विज्ञान संकाय खोले जाने पर विचार किया सकेगा।

(2) टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय में व्याख्याताओं के संकायवार स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त एवं कब से रिक्त का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियमानुसार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## भरतपुर जिले में श्रमिक कार्ड बनाने हेतु कैम्पों का आयोजन

**559. श्री बच्चू सिंह** (बयाना): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में कैम्प लगाकर मजदूरों के श्रमिक कार्ड बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो गत 3 वर्ष में भरतपुर जिले में किस-किसकी उपस्थिति में कहां-कहां कैम्प लगाये गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में कितने मजदूर कार्ड बनाये गये? विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक गांव एवं ढाणी का श्रमिक कार्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिक कार्ड बनाने हेतु कैम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में कैम्प लगाकर तथा राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविरों में अधिकारियों से समन्वय कर श्रमिक कार्ड

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

बनाये जा रहे हैं। गत 3 वर्षों में लगाये गये कैम्पों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत 3 वर्षों में मण्डल द्वारा भरतपुर जिले में 53053 श्रमिक कार्ड बनाये गये। विधानसभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम, ढाणीवार श्रमिक कार्डों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित किये जा रहे हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जालौर जिले में गोचर भूमि पर बने आवासों का नियमन

**560. श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जालोर जिले सहित प्रदेश में राजस्व ग्रामों में गोचर भूमि है? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का उपयोग पशुओं के लिये हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गांवों में सिवाय चक भूमि नहीं होने की स्थिति में रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा तहसील के गांवों में गोचर भूमि पर परिवार निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो वर्तमान में किस गांव में कितनी भूमि पर कितने परिवार निवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गोचर भूमि पर निवास कर रहे परिवारों को नियमित भूमि का आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। जिला जालौर में कुल गोचर 36361-86 है. भूमि है। जिसमें से 35557-124 है. पशुओं के उपयोग में आ रही है तथा शेष 804-7361 है. भूमि पर अतिक्रमण है।

(2) जिला जालौर में कुल 233 गांवों में 7586 परिवार गोचर भूमि पर निवास कर रहे हैं। जिसकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, राजस्व)

(3) चारागाह, औरण, जोहड़ पायतन आदि भूमियों पर किये निर्माण को नियमन योग्य नहीं माना है। चारागाह भूमि कृषि या अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि वर्गीकरण परिवर्तन पश्चात् ही भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हो सकती है। इस हेतु प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में विहित है। नियम 7 की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बाप (फलौदी) में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

**561. श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखंड क्षेत्र बाप में रीको औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाप क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि आवप्ति/आवंटन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्या है?

(3) क्या उक्त भूमि आवंटन का सीमांकन व पत्थर गड़ी कर भूमि संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दी गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर प्लाट काटकर उद्यमियों को कब तक आवंटित कर दी जाएगी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड क्षेत्र बाप में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु रीको द्वारा 80.00 एकड़ सरकारी भूमि का आवंटन उपरान्त कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं (सड़क निर्माण, पावरलाइन एवं स्ट्रीट लाइट) को विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। रीको द्वारा औद्यौगिक क्षेत्र बाप में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है औद्योगिक क्षेत्र विकसित

(उद्योग मंत्री)

करने हेतु मुआवजा राशि एवं विकास कार्यों के मद में दिनांक 28.02.2017 तक कुल 147 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(3) औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त कर सीमांकन हेतु बाउन्ड्री पिलर का निर्माण करवाया जा चुका है।

उक्त निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु उद्यमियों से ऑनलाइन प्रणाली वेबपोर्टल www.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का परीक्षणोपरान्त नियमानुसार सफल आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

## अलवर जिले के पर्यटन स्थलों के विकास की कार्ययोजना

**562. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में पर्यटन उद्योग को सैलानियों एवं बेरोजगारों को ध्यान में रखकर बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त दिशा में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले में पर्यटन की प्रचुर सम्भावना है तथा अनेक पर्यटन स्थल वर्तमान में मौजूद हैं एवं इन्हें विकसित किया जा सकता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अत्यधिक समय से उक्त जिले के पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु कोई कार्य नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त जिले के पर्यटन स्थल नीलकंठ, गरबाजी, पांडूपोल, करणीमाता, नारायणीमाता एवं अजबगढ़-भानगढ़ क्षेत्रों के विकास के लिये कोई विशेष योजना बनाकर राशि स्वीकृत कर विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को सैलानियों एवं बेरोजगारों को ध्यान में रखकर बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 जारी की गई है। उक्त नीति के तहत पर्यटन इकाईयों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतें उपलब्ध हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2012 से मार्च 2015 तक 1842 स्थानीय स्तर के गाईड लाईसेन्स और अब तक कुल 3315 गाईड लाईसेन्स जारी कर स्वरोजगार हेतु गाईडिंग कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की हुनर से रोजगार योजनान्तर्गत विभाग द्वारा आई.एच.एम. जयपुर, राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान जोधपुर तथा फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट, उदयपुर एवं अजमेर के माध्यम से दिसम्बर 2016 तक 3992 अभ्यार्थियो को फूड प्रोडक्शन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इससे राज्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की संभावना बढ़ी हैं।

(2) जी हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से हाल ही में स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत आध्यात्मिक सर्किट स्वीकृत कराया गया है, जिसके अन्तर्गत पाण्डूपोल हनुमान जी हेतु राशि रुपये 188.42 लाख एवं भृतहरि मंदिर हेतु राशि रुपये 129.14 लाख के विकास कार्य स्वीकृत किए गये हैं।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित हैरिटेज सर्किट परियोजना में बालाकिला, अलवर हेतु राशि रुपये 166.22 लाख के विकास कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

(3) जी नहीं। अलवर जिले के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा राज्ययोजनान्तर्गत एवं केन्द्रीयप्रवर्तित योजनान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य करवाये गये हैं।

करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) पर्यटन विभाग में उपलब्ध बजट प्रावधानों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य कराये जाते है।

वर्तमान में आध्यात्मिक सर्किट के अन्तर्गत पाण्डूपोल हेतु राशि रुपये

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

188.42 लाख के विकास कार्य स्वीकृत किए गये हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पंचायत समिति रोहट (पाली) में जलग्रहण के कार्य

**563. श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में गत तीन वर्षों में किन-किन गांवों में जलग्रहण के कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये एवं उक्त कार्यों हेतु कितनी राशि कितनी-कितनी अवधि में व्यय कर कार्य कितनी अवधि में पूर्ण किये जाने थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से अब तक कौन-कौनसे कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं व उक्त किये गये कार्यों की सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान कितनी-कितनी अवधि से किन-किन कारणों से अब तक नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य अत्यधिक विलंब से शुरू हुये हैं एवं किये गये कार्यों में सामग्री एवं मजदुरी के भुगतान में भी अत्यधिक विलंब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक किये गये कार्यों की राशि का भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूमएमपी) अंतर्गत 3 जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत की गई। ग्रामवार, स्वीकृत राशि, स्वीकृत वर्ष मय कार्य अवधि का विवरण परिशिष्ट 1 पर सलंग्न है।

(2) जलग्रहण परियोजनावार, कार्यों की संख्यावार एवं स्वीकृत राशिवार का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

आईडब्ल्यूएमपी-3(2009-10) परियोजना मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण में उपचारित की जा चुकी है। बकाया राशि के भुगतान हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन होने से कुछ कार्यों का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया था। वर्तमान में राशि आंवटित की जा चुकी है एवं समस्त बकाया भुगतान कर दिया गया है।

आईडब्ल्यूएमपी 12 (2010-11) में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय चरण में कार्य प्रगतिरत है। परियोजना में राशि उपलब्ध है तथा कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।

आईडब्ल्यूएमपी 24 (2011-12) में किये गये नाडी खुदाई कार्य ग्राम भिण्डर एवं मेडबन्दी कार्य देवाण के मजदूरी का भुगतान अवधि 1 फरवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक की राशि रु. 11.00 लाख बकाया चल रहे थे।

पूर्व में आईडब्ल्यूएमपी 24 की राशि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रथम चरण की परियोजना को इन्ट्रा बेच राशि हस्तान्तरण की गई थी। अब उक्त परियोजना में राशि प्राप्त हो चुकी है तथा पुन: आईडब्ल्यूएमपी 24 (2011-12) को राशि रुपये 20.00 लाख हस्तान्तरित की जाकर समस्त बकाया भुगतान कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा आईडब्ल्यूएमपी 3 (2009-10) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1822-2104 दिनांक 11.11.2009 से तथा संशोधित स्वीकृति क्रमांक 2847-3107 दिनांक 11.06.2012 द्वारा जारी की गई। आईडब्ल्यूएमपी 12 (2010-11) की परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 2121-2460 दिनांक 14.09.2010 तथा संशोधित स्वीकृति आदेश क्रमांक 4022-4166 दिनांक 18.03.2014 द्वारा जारी की गई। आईडब्ल्यूएमपी 24 (2011-12) परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 4800-5087 दिनांक 05.08.2011 से जारी की गई। उपरोक्तानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने एवं केन्द्र/ राज्य सरकार से राशि आवंटन/उपलब्धता, लक्ष्यों के अनुसार कार्य सम्पादित किए गए है। आईडब्ल्यूएमपी 3 (2009-10) में बकाया राशि के भुगतान हेतु प्रकरण विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन होने से कार्यों का भुगतान नहीं किया

(पंचायती राज मंत्री)

जा सका है। वर्तमान में राशि प्राप्त हो चुकी है एवं समस्त बकाया भुगतान कर दिया गया है।

पूर्व में आईडब्ल्यूएमपी 24 की राशि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रथम चरण की परियोजना को इन्ट्रा बेच राशि हस्तान्तरण की गई थी। अब उक्त परियोजना में राशि प्राप्त हो चुकी है तथा पुन: आईडब्ल्यूएमपी-24 (2011-12) को राशि रुपये 20.00 लाख हस्तान्तरित की जाकर समस्त बकाया भुगतान कर दिया गया है।

परियोजना पाली आईडब्ल्यूएमपी-3 (2009-10) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत माह जून 2016 में उपचारित की जा चुकी है।

(3) परियोजना पाली आईडब्ल्यूएमपी-12 (2010-11) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के द्‌वितीय चरण के अन्तर्गत प्रगतिरत है, जिसे 30 जून 2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) परियोजना पाली आईडब्ल्यूएमपी-24 (2011-12) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम एवं द्‌वितीय चरण के अंतर्गत चयनित नहीं होने के कारण एवं भारत सरकार से पिछले 2 वर्षों से राज्य स्तर से प्रेषित वार्षिक कार्य योजना के विरूद्ध पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होने तथा आवंटित राशि को nearly completion projects (शीध्र पूर्ण होने वाली परियोजनाओं) हेतु जारी करने के निर्णय के क्रम में आईडब्ल्यूएमपी-24 में पर्याप्त राशि जारी नहीं की जा सकी है। भारत सरकार से पर्याप्त राशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करवाये जाने प्रस्तावित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बाड़मेर जिले में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित निजी अस्पताल

**564. श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्‌वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने हेतु

(श्री हमीरसिंह भायल)

भामाशाह योजना की शुरुआत की गई है? क्या उक्त योजना में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को भी संलग्न किया गया? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में कितने लोगों को राहत पहुंचाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत बाड़मेर जिले में कौन-कौनसे निजी अस्पतालों को सम्मिलित किया गया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अस्पतालों में उक्त योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। भामाशाह योजना प्रदेश मे महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुचाने हेतु प्रारम्भ की गई है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भामाशाह योजना से पृथक योजना है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थी ही उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। बाड़मेर जिले में दिनांक 13.12.2015 से दिनांक 06.03.2017 तक कुल 9778 मरीजों को राहत पहुंचाई जा चुकी है।

(2) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बाड़मेर जिले के 12 निजी अस्पताल सम्मिलित है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 9778 मरीजों में से 4066 मरीजों को निजी अस्पतालों में लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 3374 मरीजों के इलाज के एवं में 1.24 करोड रुपये का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा निजी अस्पतालों को किया जा चुका है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सर्व शिक्षा अभियान हेतु केन्द्र से आवंटित राशि

**565. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और राज्य सरकारों के बीच राशि के वितरण के लिए क्या नये प्रावधान किये गये हैं व राज्यों को धनराशि जारी करने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तेरहवें वित्त आयोग ने देश में सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारंभिक शिक्षा के वित्त पोषण की आवश्यकता का आंकलन किया था? यदि हां, तो वित्त आयोग द्वारा इस संबंध में किए गए आवंटनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केंद्र सरकार का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रदेश को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवायी गई व राज्य सरकार ने राज्य अंश के रूप में कितनी राशि उपलब्ध करायी तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद व्यय में की गई? वर्षवार व मदवार उपलब्ध राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय पोषण (Funding Partten) हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

| वर्ष | वित्तीय पोषण (Funding Partten) भारत सरकार : राज्य सरकार |
|---|---|
| 2014-15 | 65 : 35 |
| 2015-16 | 60 : 40 |
| 2016-17 | 60 : 40 |

(राज मंत्री, शिक्षा)

भारत सरकार द्वारा राशि राज्य सरकार के संचित निधि खाते में जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं अपने हिस्से की राशि सर्व शिक्षा अभियान के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

(2) तेहरवें वित्त आयोग के तहत सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारम्भिक के वित्त पोषण का आंकलन करते हुए निम्नानुसार राशि आवंटित की गई थी:-

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | प्राप्त राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2010-11 | 28700.00 रु. |
| 2 | 2011-12 | 32000.00 रु. |
| 3 | 2012-13 | 35600.00 रु. |
| 4 | 2013-14 | 39400.00 रु. |
| 5 | 2015-16 | 40900.00 रु. |

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा राशि मदवार उपलब्ध नहीं कराई जाकर एकमुश्त उपलब्ध कराई जाती है।

विगत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वर्षवार निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है:-

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | प्राप्त राशि (लाखों में) | |
|---|---|---|---|
| | | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार |
| 1 | 2013-14 | 242488.70 | 112899.97 |
| 2 | 2014-15 | 248041.55 | 123023.59 |
| 3 | 2015-16 | 193462.09 | 213209.12 |

(4) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विगत तीन वर्षों में राशि व्यय का वितरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में नाकाबन्दी से आमजन को होने वाली परेशानी का आकलन

**566. श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नाकेबन्दी किन-किन कारणों से की जाती है? क्या नाकेबन्दी करने के संबंध में कोई नियम निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 2 वर्षों में प्रतापगढ़ जिले में कितनी बार नाकेबन्दी की गई व कितने अपराधियों को पकड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नाकाबंदी से कई बार आमजन को भी भारी परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या कभी इसका आकलन किया गया? हां, तो इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में नाकाबंदी, अपराध नियंत्रण, किसी घटना के घटित होने के परिपेक्ष्य में, अपराधियों की धरपकड करने, अपराधियों के आवागमन की संभावना आदि पर नाकाबन्दी की जाती है। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 43 के अन्तर्गत नाकाबन्दी कराने के प्रावधान है। धारा 43 तथा इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र/आदेश जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट- 'अ' के पृष्ठ संख्या 01 से 12 पर अंकित है।

(2) विगत 2 वर्षों में प्रतापगढ़ में जिला स्तर पर कुल 1386 बार विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाकाबन्दी करवाई गई एवं 361 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवरण परिशिष्ट ब के कॉलम संख्या 04 व 06 पर संलग्न है। फलस्वरूप प्रतापगढ़ जिले में अपराधों पर नियत्रंण है। नाकाबन्दी के दौरान जानलेवा हमला, लूट, चारपहिया वाहन चौरी आदि की घटनाओं में तुरन्त अपराधियों की धरपकड़ हुई है।

(3) नाकाबन्दी के दौरान आमजन को असुविधा नहीं हो इस बाबत् नाकाबन्दी में नियोजित पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करने हेतु ब्रिफिंग की जाती है। अभी तक आमजन की और से नाकाबन्दी के दौरान पुलिस दुर्व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रश्न सं. 567

**(स्थगित)**

## रामगढ़ में महिला पोलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना

**568. श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में छात्राओं/महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में महिला पोलिटेक्निक कॉलेज कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक कितने नवीन महिला पोलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में महिला पोलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य के प्रत्येक राजकीय सहशिक्षा पोलिटेक्निक महाविद्यालय में छात्राओं/महिलाओं हेतु 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्तमान में छात्राओं/महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु कुल 08 राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय तथा निजी जनसहभागिता योजनांतर्गत 05 महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। इन महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठयक्रमों का संचालन कर छात्राओं/महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

आईटीआई के क्षेत्र में छात्राओं/महिलाओं को तकनीकी उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आईटीआई स्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में संचालित सहशिक्षा आईटीआई में प्रत्येक वर्ग में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं/महिलाओं हेतु आरक्षित है। साथ ही राज्य में 08 राजकीय महिला एवं 02 प्राईवेट महिला आईटीआई भी संचालित है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) प्रदेश में वर्तमान में संचालित राजकीय एवं निजी महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) 1 जनवरी 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक कोई नवीन महिला पोलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत नहीं किया गया।

(4) जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में महिला पोलिटेक्निक कॉलेज खोलने बाबत विचार किया जा सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की शाखाओं का जोधपुर से जयपुर स्थानान्तरण

**569. श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में तकनीकी डिप्लोमा एवं प्रशिक्षण (आई.टी.आई.) स्तर की तकनीकी शिक्षा के विकास एवं संचालन हेतु प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब व कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (आई.टी.आई.) कार्यालय स्थित है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (आई.टी.आई.) जोधपुर में कार्यरत शाखाओं में से कुछ शाखाओं को जयपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है अथवा करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो किन-किन शाखाओं को व किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि आई.टी.आई. में कार्यरत शाखाओं को जयपुर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही का सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकृति ली गई है? यदि हां, तो स्वीकृति के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबू सिंह)

(5) क्या सरकार पश्चिमी राजस्थान की जनता, छात्रों एवं मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों के हितों को मध्यनजर रखते हुए प्रदेश के एक मात्र मुख्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (आई.टी.आई.) को जोधपुर में यथावत रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकास एवं संचालन हेतु प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापन्ना परिपत्र क्रमांक डी 63 20/एफ 1(487) शिक्षा /।।/56 दिनांक 17/08/1956 द्वारा 1956 में जोधपुर में की गई थी (परिशिष्ट संलग्न) तथा यह निदेशालय डब्लु-6 रेजिडेन्सी रोड, रातानाडा, जोधपुर में स्थित है।

(2) उपरोक्त संलग्न परिशिष्ट के अनुसार प्राविधिक शिक्षा निदेशालय डब्लु-6 रेजिडेन्सी रोड रातानाडा जोधपुर में 1956 से स्थित व संचालित है।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (आईटीआई) जोधपुर में कार्यरत शाखाओं में से अभी तक किसी भी शाखा को जयपुर में स्थानान्तरित नही किया गया है। भविष्य में कार्य निष्पादन में सुगमता की दृष्टि से निदेशालय की महत्वपूर्ण शाखाओं को आयुक्तालय, कौशल नियोजन एवं उदयमिता विभाग जयपुर में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(4) लागू नहीं है।

(5) वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (आईटीआई) जोधपुर में स्थित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में नये संभाग बनाने की कार्ययोजना

**570. श्री गोरधन** (धोद): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सीकर चूरू व झुन्झुनूं को मिलाकर नया संभाग बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोरधन)

(2) प्रदेश में नया संभाग बनाने के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) शेखावाटी क्षेत्र में नया संभाग बनाये जाने की मांग/ प्रकरण उच्च स्तरीय समिति में विचाराधीन है। अभ्यावेदनों/प्रकरणों पर परीक्षणोपरांत अनुशंसा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना प्रक्रियाधीन है।

उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं प्रशासनिक हित में यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(2) नया संभाग बनाने हेतु पैरामीटर निर्धारित नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15, सन् 1956) की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य में नवीन संभाग गठन करने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मुण्डावर के डी.एम.आई.सी. हेतु आरक्षित गांव

**571. श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के कितने गांवों को डी.एम.आई.सी. हेतु आरक्षित रखा गया है?

(2) क्या सरकार उक्त गांवो में सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में डी.एम.आई.सी. परियोजना में प्रस्तावित खुशखेड़ा भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित 42 गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में विशेष निवेश क्षेत्रों के विकास हेतु राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 दिनांक 01.07.2016 से प्रवर्त हो गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उक्त गांवो को विशेष निवेश क्षेत्र

(उद्योग मंत्री)

अन्तर्गत घोषित करने तथा इसके सुनियोजित विकास के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जयपुर की घाट की गुणी में हैरिटेज संरक्षण व सौन्दर्यीकरण हेतु कराये गये कार्यों की जांच

**572. श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2016 तक आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से ऐतिहासिक घाट की गुणी, छतरियों, मन्दिर-भवनों, मच्छी दरवाजेका सौन्दर्यकरण कराया गया है? यदि हां, तो कुल लागत, संवेदक फर्म, प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण घाट की गुणी क्षेत्र गुणवत्ताहीन कार्य किये जाने से दीवारों से चूना झड़ना, पेन्टींग्स विलुप्त होना व जर्जरवस्था में तब्दील होने लगा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, जिम्मेदार अधिकारियों व संवेदक के विरुद्ध सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार हैरिटेज संरक्षण व सौन्दर्यकरण के नाम पर आमेर प्रबन्धन एवं प्राधिकरण अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से घाट की गुणी में किये गये घटिया कार्यों की थर्ड पार्टी से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी अधिकारियों, संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि में घाट की गुणी, छतरियों, मंदिर, भवनों में कार्य करवाये गए। विभिन्न कार्यों हेतु जारी कार्यादेशों, कुल लागत, संवेदक फर्म का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

मच्छी दरवाजे पर अतिक्रमण द्वारा कोई कार्य नही करवाया गया है।

प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व)

(2) जी हां। गुणवत्ताहीन कार्य पाये जाने पर सम्पूर्ण कार्य की जांच श्री बी.जी. शर्मा पूर्व शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

जिम्मेदार अधिकारी श्री जितेन्द्र जोशी, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता को उक्त रिपोर्ट पर कार्यावाही करते हुए राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया एवं उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई जो विचाराधीन है।

आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संवेदको के विरुद्ध करते हुए जांच रिपोर्ट में वर्णित निम्न चार कार्यों में संवेदकों के द्वारा किये गये कार्यों में जिन आईटम्स में कमी पाई गई उनका तदनुसार घटी हुई दरों पर भुगतान किया गया था। इनका आईटमवार विवरण निम्नानुसार है:-

| S.no. | Item | Unit | Full Rate | Reduced Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lime Surkhi plaster 1:2 33mm thick | p.sqm | 116 | 94 |
| 2 | Lime Surkhi plaster 1:2 45mm thick | p.sqm | 166 | 144 |
| 3 | Lime Surkhi plaster 1:2 75mm thick | p.sqm | 302 | 280 |
| 4 | Making Mehrab, Arches etc.in Lime Surkhi plaster 1:2 | p.sqm | 585 | 563 |
| 5 | Khamira | p.sqm | 79 | 76 |

उक्त सभी कार्यों की दोष पूर्ण दायित्व अवधि समाप्त हो चुकी है तथा संवेदकों की प्रतिभूति राशि लौटायी जा चुकी है।

(3) उक्त कार्य की थर्ड पार्टी जांच सरकार द्वारा पूर्व में ही कराई जा चुकी है। श्री बी.जी.शर्मा, सेवानिवृत्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों एवं संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा चुकी है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यय राशि

**573. डॉ. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रचार-प्रसार सहित अब तक कितनी राशि व्यय की गयी है? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में व्यय की गई राशि के विरुद्ध सरकार को कितनी सफलता मिली है? क्या सरकार व्यय राशि व अभियान की सफलता की प्रगति की जांच स्वतंत्र एजेन्सी से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के तहत वर्ष 2013-14 से अब तक (21.04.17) व्यय की गई राशि का प्रचार-प्रसार सहित मदवार विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | मद | संख्या | व्यय रु. करोड़ |
|---|---|---|---|
| 1 | व्यक्तिगत शौचालय | 58.10 लाख | 3914.24 |
| 2 | सामुदायिक शौचालय | 170 | 3.09 |
| 3 | सामुदायिक शौचालय प्रोत्साहन राशि ग्राम पं. | ..... | 0.20 |
| 4 | आंगनबाड़ी शौचालय | 2905 | 3.47 |
| 5 | स्कूल शौचालय | 4810 | 35.03 |
| 6 | आईईसी प्रचार-प्रसार | ....... | 17.25 |
| 7 | रूरल सेनेटरी मार्ट | ....... | 2.09 |
| 8 | एसएलडब्लूएम | 152 | 5.47 |
| 9 | प्रशासनिक व्यय | ...... | 13.70 |
| 10 | एचआरडी अन्य व्यय | | 0.89 |
| 11 | स्टॉटअप व्यय | | 1.28 |
| | **योग** | | **3997.71** |

(पंचायती राज मंत्री)

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में आज दिनांक तक शौचालय निर्माण में राजस्थान राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। जिला बीकानेर, अजमेर व चूरू खुलें शौच से मुक्त हो चुके है। राज्य में कुल 9894 ग्राम पंचायतों में से 4946 ग्राम पंचायतें खुलें में शौच से मुक्त हो चुकी है। बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार 86.27 लाख शौचालय विहीन परिवारों में से अब तक कुल 58.10 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। अत: अभियान में सरकार को संतोषजनक सफलता प्राप्त हुई है। अभियान की प्रगति की जांच समय-समय पर भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न एजेन्सियों से/केन्द्रीय स्तर पर नेशनल लेवल मॉनिटर्स से करवाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार राज्य को वर्ष 2017-18 तक खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे है।

## जघीना (भरतपुर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

**574. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा'** (भरतपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले में वर्तमान में कितने चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जघीना के 20,000 आबादी वाले क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भरतपूर जिले में स्वीकृत चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रावधान है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) बजट घोषणा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत जघीना पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की गई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मालपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

**575. श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में अध्यापकों, व्याख्याताओं व प्राचार्यों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के विद्यालयों में अध्यापक, व्याख्याता व प्राचार्यों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के कितने उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 15000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद के माध्यम से की गई शिक्षक भर्ती, 2012 के 2227 पद तथा शिक्षक भर्ती, 2013 के शेष रिक्त रहे 8431 पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही पंचायती राज स्तर पर प्रक्रियाधीन है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रधानाचार्य के 1266 पद रिक्त हैं जो शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने हैं। डीपीसी वर्ष 2017-18 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्याख्याता के 13098 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

अजमेर द्वारा परीक्षा आयोजित की जाकर आशार्थियों का चयन किया जा चुका है किन्तु एसबीसी आरक्षण का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रूकी हुई है जिसे माननीय न्यायालय निर्णय उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। वरिष्ठ अध्यापक के 6468 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाई हुई है, वहां से चयनित आशार्थी प्राप्त होने पर रिक्त पद भरे जाएंगे तथा व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदोन्नति अभ्यांश के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा डीपीसी वर्ष 2017-18 में चयनित एवं पात्र आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(2) जी हां। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

| **क्र.सं.** | **पदनाम** | **रिक्त पदों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | प्रधानाचार्य | 0 |
| 2 | व्याख्याता | 117 |
| 3 | वरिष्ठ अध्यापक | 98 |
| 4 | तृतीय श्रेणी अध्यापक | 327 |

शेष प्रश्नोत्तर भाग संख्या 01 के अनुसार।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2017-2018 के अनुसार प्रदेश में 105 माध्यमिक विद्यालयों जिनकी कक्षा 10 का नामांकन 40 से अधिक है, को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाना है। इसी प्रकार प्रदेश के 772 ग्राम पंचायत जिनमें वर्तमान में निजी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है किन्तु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नही है, के राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिनकी कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन है, को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा।

उक्त प्रावधानान्तर्गत चिन्हित विद्यालयों को सत्र 2017-2018 में क्रमोन्नत किया जाना है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के जो विद्यालय चिन्हित होंगे उन्हें सत्र 2017-2018 में क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

## अलवर जिले के पुलिस थानों का विधान सभा क्षेत्रानुसार सीमांकन

**576. श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के पुलिस थानों का सीमांकन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले के पुलिस थानों का सीमांकन सही प्रकार से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थानों का सीमांकन विधान सभा क्षेत्र के अनुसार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में हरसौली व बीबीरानी में नवीन पुलिस थाना तथा मोठूका चौक व जौड़िया में नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राज्य में नये पुलिस थाना/चौकी के सृजन/पुनर्गठन करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

उच्च स्तरीय समिति की समग्र अनुशंषा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) यह सही नही है कि अलवर जिले के पुलिस थानों का सीमांकन सही प्रकार से नहीं किया गया है।

पुलिस थानों का सीमाकंन विधान सभा क्षेत्र के अनुसार करने का प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(3) समिति की अभिशंसा के आलोक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में हरसौली व बीबीरानी में नवीन पुलिस थाना तथा मोठूका चौक व जौड़िया में नवीन पुलिस चौकी के सृजन पर विचार किया जा सकेगा।

## प्रदेश में खराब विद्युत मीटर नहीं बदलने पर उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में छूट की योजना

**577. श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा गत 5 वर्षों से खराब मीटर नहीं बदले जाने पर विद्युत बिल में 5 प्रतिशत छूट देना निश्चित किया गया था? यदि हां, तो इसका लाभ कितने उपभोक्ताओं को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कभी कोई जांच की गई? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस संबंध में किसी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस स्तर पर? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार किसी बंद/त्रुटिपूर्ण विद्युत मीटर को जानकारी प्राप्त होने पर दो माह की अवधि के दरमियान प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। यदि बंद/त्रुटिपूर्ण मीटर 2 माह की अवधि में नहीं बदला जाता है तो दो माह पश्चात औसत आधार पर जारी होने वाले विद्युत विपत्र की राशि में 5 प्रतिशत छुट दिये जाने का प्रावधान है।

विगत पांच वर्षों में उपभोक्ताओं के दोषपूर्ण विद्युत मीटरों को नियत समय में प्रतिस्थापित नहीं किये जाने पर विद्युत विपत्रों में दी गई 5 प्रतिशत छूट का निगमवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। यद्यपि संबंधित सहायक अभियान्ता कार्यालय द्वारा जारी विद्युत विपत्रों को जांच के उपरान्त ही उपभोक्ता को प्रेषित किया जाता है और मीटर बन्द/खराब होने पर बदलने की कार्यवाही की जाती है। यदि नियमानुसार 5 प्रतिशत छूट देय होती है तो ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी नहीं। विद्युत वितरण निगमों द्वारा उचित राजस्व प्रबन्धन एवं बन्द/खराब मीटर बदलने के लिये सभी स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों की समय-समय पर आदेश जारी कर जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। नवीनतम आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजस्थान विश्वविद्यालय में भर्ती निरस्त करने पर आवेदकों को शुल्क लौटाने की कार्यवाही

**578. श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा लिपिक व आशुलिपिकों की सीधी भर्ती हेतु 100 पदों के लिए आवेदन मांगे गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों के लिए 1000 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों के लिए करीब 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था?

(4) क्या यह भी सही है कि अब उक्त भर्ती निरस्त कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त भर्ती निरस्त करने के पश्चात् आवेदकों को कितनी शुल्क राशि वापस लौटायी गयी है?

(6) क्या यह सही है कि भर्ती निरस्त करके पुन: नई भर्ती निकाली गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय में आशुलिपिक (स्टेनो) एवं कनिष्ठ लिपिक के कुल 100 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।

(2) जी हां। उक्त पदों के शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग से 1000/- रु. निर्धारित किया गया था।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। उक्त पदों पर सामान्य एवं विभिन्न श्रेणियों द्‌वारा कनिष्ठ लिपिक एवं आशुलिपिक (स्टेनो) हेतु क्रमश: 9753 एवं 190 कुल 9943 आवेदकों द्‌वारा आवेदन किया गया था। जिनमें से क्रमश: 956 एवं 11 कुल 967 विशेष योग्यजन से शुल्क नहीं लिया गया था। इस प्रकार केवल 8976 आवेदकों से शुल्क प्राप्त हुआ था।

(4) सिण्डीकेट की बैठक दिनांक 31.03.2014 में एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार द्‌वारा गठित सब कमेटी के सन्दर्भ में सम्भावित प्राथमिकता के मद्‌देनजर उक्त भर्ती को आस्थगित किया गया था, उक्त आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(5) वर्ष 2014 मे जारी विज्ञापन क्रमांक: संस्था- 2/2014/10848, 15288 दिनांक 04.01.2014 एवं 28.03.2014 जिसके द्‌वारा कनिष्ठ लिपिक एवं आशु लिपिक (स्टेनो) के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आंमत्रित किये गये थे, को निरस्त किया जा चुका है तथा विश्वविद्‌यालय द्‌वारा शुल्क राशि लौटाने के संबंध में आदेश क्रमांक: 2172 दिनांक 07.03.2017 को जारी कर दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

शुल्क राशि लौटाने के संबंध में बैंक के द्‌वारा चैक व पत्र बनाकर लेखा एवं वित्त विभाग के द्‌वारा 8976 आवेदकों के चैक व पत्र के लिफाफे तैयार कर डिस्पेच करते हुए आवेदकों के द्‌वारा आवेदन पत्र में वर्णित पते पर डाक द्‌वारा भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी हां। राज्य सरकार द्‌वार जारी पत्र दिनांक 20.06.2016 के द्‌वारा राजस्थान विश्वविद्‌यालय के कनिष्ठ लिपिक सहित अन्य अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आशुलिपिक (स्टेनो) के पदों को भरने हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। प्रति संलग्न (परिशिष्ट-3)

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड में राजकीय औद्‌योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

**579. श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) प्रदेश में कितने उपखण्ड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से वंचित है? क्या सरकार वंचित उपखण्डों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उप खण्ड मारवाड़ जक्शन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु पंचायत समिति को आधार बनाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आईटीआई उपलब्ध नहीं हो। इसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आईटीआई स्वीकृत हो चुकी है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आईटीआई उपलब्ध नहीं हो उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आईटीआई स्वीकृत हो चुकी है।

वर्तमान में पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में 01 निजी आईटीआई संचालित है। परिशिष्ट-1

फिर भी यदि गुणवगुणों के आधार पर व जनप्रतिनिधियों की मांग अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये जाते हैं तो उपखण्ड मारवाड़ जक्शन में नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना संभव हो सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जैसलमेर में गलत इन्द्राजों के निस्तारण हेतु विशेष शिविर

**580. श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में गत 10 वर्षों में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज किये गये गलत इन्द्राज/इन्द्राज अंकन से शेष रहे कितने प्रकरण

(श्री छोटू सिंह)

अपीलीय अधिकारियों के कार्यालयों में विचाराधीन हैं एवं कितने प्रकरणों में इन्द्राज दुरस्ती की गई/रिकार्ड में अंकन किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जैसलमेर जिले में विगत 10 वर्षों में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज किये गये इन्द्राज/अंकन से शेष रहे/ इन्द्राज दुरस्ती के निस्तारित प्रकरणों की सूचना उपखण्डवार निम्नांकित है:-

| क्र.सं. | नाम जिला | नाम उपखण्ड | कुल प्रकरण संख्या | निस्तारित प्रकरण संख्या | लम्बित प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जैसलमेर | जैसलमेर | 73 | 64 | 9 |
| 2 | | पोकरण/ भणियाणा | 1 | 1 | 0 |
| 3 | | फतेहगढ़ | 105 | 103 | 2 |
| | | योग | 179 | 168 | 11 |

(2) सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस वर्ष भी उक्त अभियान माह मई 2017 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

## कोटा जिले में कोटा स्टोन उद्योग पार्क विकसित करने की योजना

**581. श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में वर्तमान में कोटा स्टोन आधारित कितने उद्योग संचालित है?

(2) क्या उक्त जिले में संचलित कोटा स्टोन उद्योग कारखानों के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आस-पास घनी आबादी क्षेत्र विकसित हो जाने के कारण उद्योगों के आस-पास रहने वाले लोगों को ध्वनि एवं वायु प्रदुषण के कारण रोग उत्पन्न हो रहे है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले के कोटा स्टोन आधारित उद्योगो के लिए कोटा स्टोन उद्योग पार्क विकसित करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) कोटा जिले में कोटा स्टोन आधारित 814 इकाइयां पंजीकृत हैं।

(2) कोटा जिले में संचालित उद्योग कारखानों के आस-पास घनी आबादी क्षेत्र विकसित हो चुके हैं। जिससे उद्योगों के आस-पास रहने वाले लोगों को ध्वनि एवं वायु प्रदुषण के कारण रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

कोटा जिले में कोटा स्टोन आधारित उद्योगों के लिए पृथक से कोटा स्टोन उद्योग पार्क विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

## प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की गणना के मानदण्ड

**582. श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग में पदवार कुल कितने पद सृजित है व कितने पद रिक्त है? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत पांच वर्षों में आये पर्यटकों की संख्या का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में प्रतिवर्ष पर्यटकों से कितनी आय होती है? गत तीन वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने गत तीन वर्षों में कितना बजट व्यय कर क्या-क्या प्रयास किये तथा किये गये प्रयासों से क्या लाभ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार की आगामी दो वर्षों की क्या योजना प्रस्तावित है तथा इस हेतु कितना बजट व्यय किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(6) प्रदेश में आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों की गणना किस प्रकार की जाती है तथा सरकार प्रतिवर्ष आंकड़े किस आधार पर तैयार करती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पर्यटन विभाग में पदवार कुल सृजित व रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रदेश में गत पांच वर्षों में आये पर्यटको की संख्या का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

(लाखों में)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 300.63 | 317.35 | 346.02 | 366.62 | 430.08 |

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों से प्रदेश को प्राप्त होने वाली आय की गणना नहीं की जाती है।

(3) विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

| **क्र.सं.** | **वित्तीय वर्ष** | **व्यय राशि (करोड़ रु.)** |
|---|---|---|
| 1. | 2013-14 | 65.21 |
| 2. | 2014-15 | 50.55 |
| 3. | 2015-16 | 129.96 |

(4) पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए गत तीन वर्षों में पर्यटन विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

पर्यटन विभाग द्वारा किये गये इन प्रयासों से राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि दर्ज की गई है।

(5) पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु आगामी दो वर्षों की योजना का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

पर्यटन विभाग के लिए वर्ष 2017-18 के राज्य बजट में 174.0632 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्रावधान अभी तैयार नहीं किये गये हैं।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(6) प्रदेश में स्थित पर्यटक स्वागत/सूचना केन्द्रों द्वारा होटल, पेईंग गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मेलों तथा स्मारकों से प्राप्त देशी-विदेशी पर्यटकों की सूचना तथा जिला पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) कार्यालय से प्राप्त विदेशी पर्यटकों की सूचना के आधार पर राज्य में आये देशी-विदेशी पर्यटकों की गणना की जाती हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## बिलाड़ा में जारी कृषि कनेक्शन

**608. श्री अर्जुनलाल** (बिलाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत तीन वर्षों में कृषि कनेक्शन जारी किये गए है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में कहां-कहां किस-किस व्यक्ति को कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दिये गये कृषि कनेक्शनों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को भी विद्युत कनेक्शन जारी किये गये है? यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर किस-किस ग्राम में कब-कब कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जारी कृषि कनेक्शन के साथ कुओं पर बसे लोगों के आवेदन पर घरेलू कनेक्शन भी जारी किये गये है? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस ग्राम में कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत तीन वर्षों में व्यक्तिवार व ग्राम वार जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का दिनांकवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में अनुसूचित जाति के आवेदकों को गत तीन वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर नामवार एवं ग्रामवार जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का दिनांकवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। अनुसूचित जनजाति के कृषि आवेदकों को जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के कृषि आवेदकों को लागू कृषि नीति अनुसार तुरन्त प्राथमिकता नहीं दिये जाने का प्रावधान है।

(3) उक्त जारी कृषि कनेक्शनों के साथ घरेलू कनेक्शन हेतु उक्त कुओं पर बसे लोगों द्वारा घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं किया गया। अत:

(ऊर्जा मंत्री)

कनेक्शन नहीं दिया गया। आवेदन करने पर नियमानुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में उदय योजनान्तर्गत बिजली कंपनियों को देय सहायता

**609. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा उदय योजनान्तर्गत बिजली कंपनियों को क्या-क्या सहायता दी गई?

(2) क्या उक्त योजना से प्रदेश की बिजली कंपनियों की स्थिति में सुधार आया है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) जनवरी, 2014 से दिसंबर, 2016 तक बिजली कंपनियों ने कितना कर्ज लिया एवं उनको प्रतिवर्ष कितना हानि/लाभ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा तीनों विद्युत वितरण निगमों को उदय योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र.सं. | पद का नाम | वित्तीय वर्ष 2015-16 | वित्तीय वर्ष 2016-17 | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taken-over FRP Bonds Under UDAY Schemes-Equlity | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 |
| 2 | Investment under UDAY Schemes-Equlity | 3000.00 | 3000.00 | 6000.00 |
| 3 | Grant under UDAY Schemes | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 4 | Loan under UDAY Schemes | 34349.77 | 10372.20 | 44721.96 |

(2) जी हां। उदय योजना से वित्तीय वर्ष 2016-17 में विद्युत वितरण निगमों के वित्तीय दायित्वों में कमी आने के कारण ब्याज भार में लगभग 5500.00 करोड़ रु. की कमी होना संभावित है। उदय योजना से सम्बन्धित प्रभाव का वितरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक विद्युत निगमों द्वारा लिया गया कर्ज एवं उनका प्रतिवर्ष लाभ-हानि का निगमवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सरदारशहर में स्वीकृत 33 के.वी. जी.एस.एस.

**610. श्री भंवरलाल** (सरदारशहर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जैतसीसर एवं फोगां में 33 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत हुए है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों जी.एस.एस. का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ग्रामों में विद्युत की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में दोनों ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कितने-कितने घण्टे, कब-कब की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम जैतसीसर एवं फोगां भरतरी में जीपीवीवीवाई योजना के तहत 33/11 केवी सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति दिनांक 30.08.2010 को जारी की गई थी।

(2) जी नहीं। प्रतिवर्ष आवंटित लक्ष्य एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार उक्त सब-स्टेशनों का कार्य आगामी वर्षों मे करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। वर्तमान में उक्त ग्रामों के कृषि कार्यों हेतु दिन में 6.30 घंटे एवं रात्रि में 7.00 घण्टे के साप्ताहिक रोटेशन के हिसाब से थ्री फेज एवं घरेलू उपयोग हेतु सामान्यतया 20 से 22 घंटे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही है।

## लाडनूं की ढाणियों में विद्‌युत कनेक्शन

**611. श्री मनोहर सिंह** (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं की कितनी ढाणियों में दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना में बिजली के कनेक्शन किये गये हैं एवं कितनी ढाणियों में विद्‌युत कनेक्शन देना शेष है? शेष कनेक्शन कब तक दे दिये जायेगें? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन ढाणियों की 11000 के.वी. विद्‌युत लाइन से दूरी 600 मीटर से अधिक है, उक्त ढाणियों को विद्‌युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) लाडनूं ब्लॉक में कुल 50 ढाणियां "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" में सम्मिलित है जिनमैं विद्‌युत तंत्र के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान तक उक्त योजना के अन्तर्गत लाडनूं ब्लॉक मे 201 बीपीएल एवं 205 एपीएल परिवारों को घरेलू विद्‌युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा शेष कनेक्शन वितीय वर्ष 2017-18 में जारी किये जाना सभांवित है।

(2) जी हां। "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" में योजनानुसार सम्मिलित ढाणियों के विद्‌युतीकरण हेतु 11 केवी विद्‌युत लाइन से ढाणियों की दूरी की कोई बाध्यता नहीं है। नागौर जिले के उक्त योजना में स्वीकृत सभी ढाणियों के विद्‌युतीकरण कार्य के क्रियान्वयन हेतु आदेश दिनांक 28.03.2017 को जारी किये जा चुके हैं एवं आशय पत्र जारी होने से 2 वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

साथ ही वर्तमान में "मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना" के तहत गैर आबादी क्षेत्रों में नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर विद्‌युत कनेक्शन प्राप्त किये जा सकते हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## शासन सचिवालय में स्वीकृत वरिष्ठ उप शासन सचिव के पद

**612. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) शासन सचिवालय में उप सचिव (सहायक शासन सचिव संवर्ग से) के कुल कितने पद कैडर स्ट्रेंथ में स्वीकृत हैं और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11-09-2011 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने पद बनते हैं और दिनांक 27-02-2017 की स्थिति में कुल कितने-कितने उप सचिव स्तर के अधिकारी सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कार्यरत हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में सरकार द्वारा उप शासन सचिव से वरिष्ठ उप शासन सचिव के पदों पर पदोन्नति हेतु कुल कैडर स्ट्रेंथ के 8 प्रतिशत पद स्वीकृत किये गये थे और जिन पर निरन्तर पदोन्नतियां होती रही है, को चालू वर्ष में सरकार द्वारा घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चालू वर्ष में अन्य संवर्गों में रखे गये 8 प्रतिशत की तरह बिन्दु संख्या 02 के पदों को 8 प्रतिशत रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के सभी कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने का वादा किया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) शासन सचिवालय में उप सचिव (सहायक शासन सचिव संवर्ग) के कुल 25 पद स्वीकृत हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमश: 3-3 पद आरक्षित हैं। दिनांक 27.02.2017 की स्थिति में निम्न विवरणानुसार शासन उप सचिव स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं:-

| सामान्य | अनु. जाति | अनु. जनजाति | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 16 | 03 | 04 | शासन उप सचिव का एक पद सील्ड कवर है एंव एक पद रिक्त है। |

(कार्मिक मंत्री)

(2) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उप शासन सचिव से वरिष्ठ उप शासन सचिव के पदों पर पदोन्नति हेतु कुल कैडर स्ट्रेन्थ के 8 प्रतिशत पद स्वीकृत किये गये थे, जिनको घटाकर वर्तमान में 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सेवाओं के उच्चतम पद के लिए पदों की संख्या, संबंधित राज्य सेवा के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम तीन प्रतिशत की सीमा में रखे जाने के निर्णय के क्रम में शासन सचिवालय सेवा संवर्ग (राज्य सेवा) के उच्चतम पद वरिष्ठ शासन उप सचिव के पदों की अधिकतम संख्या शासन सचिवालय राज्य सेवा में स्वीकृत कुल पदों की संख्या का तीन प्रतिशत में रखा गया है।

(3) जी नहीं। बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(4) जी हां। गत 3 वर्षों में सभी विभागों को विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां समयबद्ध करवाये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं, जिसके अनुसरण में अधिकांशत: सभी पदों पर पदोन्नतियां समयबद्ध रूप से हो रही हैं।

विभिन्न पदों पर Time scale समयक्रम पदोन्नतियों के संबंध में प्रकरण परीक्षणाधीन है।

## प्रदेश में पुलिस पर हमले में घायलों को देय आर्थिक सहायता

**613. श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत एक वर्ष में पुलिस पर हमले की कितनी घटनाएं हुईं तथा उसमें कितने पुलिस कर्मी कहां-कहां मारे गये तथा गंभीर रूप से घायल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई है? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में गत एक वर्ष में पुलिस पर हमले की 339 घटनाएं हुई। सूची परिशिष्ट 'अ' पर पृष्ठ संख्या 01 से 04 पर संलग्न है। उसमें मारे गये तथा गंभीर रूप से घायल हुए पुलिस कर्मियों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) गत एक वर्ष में पुलिस पर हमले में श्री कृष्ण कुमार, कानि. 838, जिला अलवर को राजकीय ड्यूटी के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने के कारण उपचार हेतु 5000/- एवं निरन्तरता में रु. 25,000 की राशि राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के बचत खाता में से कानिस्टेबल को भुगतान किया गया।

इसी क्रम में गत एक वर्ष में अपराधियों से हुई मुठभेड़ के दौरान मारे गये स्व. श्री खुमाराम कानि. 1594 जिला नागौर के आश्रितों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है:-

| क्र.सं. | मृतक का नाम | संस्था | स्वीकृत राशि | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्व. श्री खुमाराम कानि. 1594 | विशेष पैकेज | 20 लाख | बैंकर चैक को आवासन आवंटन हेतु आवासन मण्डल को स्थानान्तरित बाबत् पत्र लिखा गया। |
| | | राजस्थान पुलिस बेनेवेलेण्ट फण्ड | 45 हजार | भुगतान किया गया। |
| | | राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास राज.जयपुर | 30 हजार | आश्रित की माता के बैंक अकाउण्ट में जमा कराया गया |
| | | दयामूलक अनुदान राशि | 20 लाख | आश्रित की माता के बैंक अकाउण्ट में जमा कराया गया |

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बारां जिले के थानों में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के दर्ज प्रकरण

**614. श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 01 जनवरी, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक बारां जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हुए है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने-कितने विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हुए? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रताप सिंह)

(2) क्या यह सही है कि बारां जिले में चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों की एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? यदि हां, तो किस-किस थाने में कितनी-कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की गई? पंचायत समितिवार एवं थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों के कितने प्रकरणों में एफ.आर. लगाई गई है तथा कितनों में रिकवरी की गई एवं चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों की वर्तमान स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। 01 जनवरी, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक बारां जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी का 1 एवं विद्युत ट्रांसफार्मर के उपकरण चोरी के 62 प्रकरण कुल 63 प्रकरण दर्ज हुए है। जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के कॉलम संख्या 3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। बारां जिले में चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत ट्रांसफार्मर के उपकरण चोरी होने की कुल 63 एफआईआर दर्ज की गई है। थाने, पंचायत समिति तथा एफआईआर का विवरण परिशिष्ट 'अ' के कॉलम संख्या क्रमश: 2, 4 एवं 5 पर संलग्न है।

(3) बारां जिले मे विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत ट्रांसफार्मर के उपकरणों की चोरी के कुल 63 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं जिनमे से 61 प्रकरणों मे एफआर दी गई है तथा थाना हरनावद इलाके से एक विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था जिसे पुलिस द्वारा बरामद किया गया, जिसको विद्युत विभाग द्वारा रिलीज करवाया जा चुका है तथा एक प्रकरण में विद्युत ट्रांसफार्मर के उपकरण बरामद शुदा थाना छीपाबड़ोद पर पेंन्डिग है जिसे विद्युत विभाग द्वारा अभी तक रिलीज नहीं करवाया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में राहत देने के मानदण्ड

**615. श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(1) प्रदेश में आगजनी, ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि जैसे प्रकरणों में पीड़ित व्यक्ति को राहत देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक ऐसे प्रकरणों में कितनी सहायता राशि वितरित की गई? प्रकरणवार विवरण सदन की मेजपर रखें।

**उत्तर**

(1) अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में राहत सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नोर्म्स निर्धारित किये हुए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में प्रकरणवार निम्नानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है:-

| वर्ष | प्रकरण | सहायता राशि (रु. लाखों में) |
|---|---|---|
| 2014-15 | ओलावृष्टि | 18.00 |
| 2015-16 | ओलावृष्टि | 9789.26 |
| | आगजनी | 10.49 |
| 2016-17 | आगजनी | 0.04 |

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बांदीकुई में जल स्वावलम्बन अभियान में स्वीकृत कार्य

**616. श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने यह कृपा करेंगे:-

(1) जल स्वावलंबन अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य किस-किस एजेंसी द्वारा कब-कब, किस-किस स्तर पर करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) द्वितीय चरण में उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन कार्यों को चयनित किया गया व किस-किस स्तर पर प्रत्येक कार्यवार कितना-कितना बजट व्यय होगा तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में कार्यवार, एजेन्सीवार, ग्राम स्तर पर सम्पादित कार्यों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। उक्त सभी कार्य मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण के अन्तर्गत दिनांक 27 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक की अवधि में सम्पादित किये गये है।

(2) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय चरण में ग्राम स्तर पर चयनित किये गये कार्यों पर व्यय की जाने वाली प्रस्तावित राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

उपरोक्त सभी कार्य 30.06.2017 को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## झुंझुनूं के गांवों में संचालित जनता जल योजना

**617. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में वर्तमान में किस-किस ग्राम में जनता जल योजना संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत संचालित कितने पेयजल नलकूपों के विद्युत बिल बकाया हैं?

(3) क्या सरकार उक्त योजना के सुचारू संचालन व विद्युत बिलों के शुल्क कों जमा कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षैत्र झुंझुनूं में वर्तमान में संचालित जनता जल योजनाओ का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त योजनान्तर्गत किसी भी नलकूप का विद्युत बिल बकाया नहीं है।

(3) जी हां। वर्तमान में ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान राशि से उक्त योजना के विद्युत बिलो का भुगतान किया जा रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## झुंझुनूं लोक सभा क्षेत्र में सांसद क्षेत्रीय विकास योजना में स्वीकृत कार्य

**618. डॉ. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के तहत झुंझुनूं लोकसभा क्षेत्र में 1 जून, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक किस-किस विधान सभा क्षेत्र में क्या-क्या स्वीकृतियां कितनी राशि की जारी की गयी? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध कौन-कौनसे कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण किये गये तथा कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के तहत झुन्झुनूं लोकसभा क्षेत्र में 1 जून, 2014 से अब तक विधान सभा क्षेत्रवार जारी स्वीकृतियां एवं राशि की सूचना का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में जारी स्वीकृतियों के विरुद्ध कराये गये पूर्ण मय व्यय राशि एवं अपूर्ण कार्यों की सूचना का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में भामाशाह योजना में इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा डी-पेनल्ड अस्पताल

**619. श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भामाशाह योजना के लिए काम कर रही कम्पनी (न्यू इंडिया इंश्योरेन्स) द्वारा 56 अस्पतालों को डी-पेनल्ड कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यो?

(2) उक्त कम्पनी द्वारा डी-पेनल्ड किये गये अस्पतालों की सूची सदन की मेज पर रखे।

(श्री अशोक परनामी)

(3) सरकार द्वारा उक्त कम्पनी (न्यू इंडिया इंश्योरेन्स) के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखे।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए काम कर रही कम्पनी (न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी) द्वारा केवल 26 अस्पतालों के विरुद्ध ही डी-एम्पेनलमेंट की कार्यवाही की गई थी, जिनमें से 8 अस्पतालों को अपीलीय प्रावधानों के तहत पुन: बहाल किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 18 अस्पताल डीएम्पेनल्ड है जिनमें से 5 अस्पतालों की अपीलें डीएम्पेनलमेंट के विरुद्ध विचाराधीन है।

(2) कम्पनी द्वारा डी-एम्पनेल्ड किये गये अस्पतालों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) किसी भी अस्पताल को डी-एम्पेनल्ड करने के पश्चात् अस्पताल जिला स्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी एवं कमेटी के फैसले से असंतुष्ट होने पर राज्य स्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी में अपील कर सकता है। अत: आर.एफ.पी. के अनुसार इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध डी-एम्पेनलमेंट को लेकर कार्यवाही करने का अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कोटा के एम.बी.एस. अस्पताल में लिनियर एक्सीलटेटर बैस मशीन की स्थापना

**620. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा के एम.बी.एस. अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए लिनियर एक्सीलेटर बैस मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो उक्त मशीन स्थापित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में उक्त मशीन के लिए भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब?

(3) सरकार द्वारा उक्त अस्पताल में लिनियर एक्सीलेटर बैस मशीन

(श्री संदीप शर्मा)

लगाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गये व उक्त मशीन अब कब तक स्थापित कर दी जायेगी। विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। एमबीएस अस्पताल, कोटा में लिनियर एक्सीलेटर बैस मशीन स्थापित नहीं की जा सकी है। क्योंकि अनुबंधित फर्म मैसर्स इमेजिंग सुपर कन्सलटेटर प्राईवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण नही करने के कारण मशीन स्थापित नही हो पायी।

(2) एम.बी.एस. चिकित्सालय में लिनियर एक्सीलेटर बैस मशीन को स्थापित करने वाली फर्म मैसर्स इमेजिंग सुपर कन्सलटेर प्राईवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा अनुबन्ध अनुसार कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण भवन निर्माण का कार्य अपूर्ण हैं।

(3) मैसर्स इमेजिंग सुपर कन्सलटेर प्राईवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा अनुबन्ध की शर्त अनुसार कार्य प्रारंभ नही किये जाने के कारण नये सिरे से लिनियर एक्सीलेटर बैस मशीन स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

## प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को मान्यता देने हेतु गठित कमेटी

**621. श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह यही है कि इलेक्ट्रोपैथी पद्धती को मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा लीगल व गुणागुण कमेटी बनाई गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कमेटी के द्वारा अब तक के किये कार्य/मीटिंग/प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विभागीय आदेश क्रमांक प.2(15)आयु./2005 दिनांक 07.04.2015 द्वारा दो समितियां गठित की गई हैं।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) लीगल आस्पेक्ट समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त की गई है। प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। गुणावगुण के आधार पर विचार विर्मश कर औचित्यपूर्ण प्रस्तावों हेतु गठित समिति की रिपोर्ट अप्राप्त है।

(3) लीगल आस्पेक्ट समिति की अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई।

गुणावगुण के आधार पर विचार विमर्श कर औचित्यपूर्ण प्रस्तावों हेतु गठित समिति द्वारा समय-समय पर बैठकें की गई हैं परन्तु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस का निर्धारण

**622. श्री रमेश** (सपोटरा): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज कहां-कहां संचालित है?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा फीस में अत्यधिक बढ़ोत्तरी कर दी गई है? यदि हां, तो कितनी, किस आधार पर व क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजी मेडिकल कॉलेज की फीस निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्या प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस का निर्धारण भी उक्त समिति द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि देश के अन्य राज्यों से प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस बहुत अधिक है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय व राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फीस में कमी कर इसे आमजन की पहुंच में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में वर्तमान में निजी 8 व सरकारी 8 कुल 16 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। मेडिकल कॉलेजों की सूची मय जिलों के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में निजी मेडिकल कॉलेज जो कि किसी निजी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित नही हैं, में संचालित कोर्सेज की फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 14.08.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा समय-समय पर निम्न प्रकार फीस निर्धारित की गई है:-

1. क्रमांक प.1(1)एमई/ग्रुप-1/2003 दिनांक 29.07.2010 द्वारा रुपये 2.95 लाख प्रति छात्र प्रति वर्ष।
2. क्रमांक प.1(1)एमई/ग्रुप-1/2003 दिनांक 03.03.2015 द्वारा रुपये 7.50 लाख प्रति छात्र प्रति वर्ष।
3. क्रमांक प.1(1)एमई/ग्रुप-1/2003 दिनांक 24.08.2016 द्वारा रुपये 12.00 लाख प्रति छात्र प्रति वर्ष।

निजी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों के कोर्सेज की फीस का निर्धारण संबंधित निजी विश्वविद्यालय के द्वारा गठित फीस निर्धारण समिति के द्वारा किया जाता है।

(3) जी हां। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की फीस निर्धारण राज्य स्तरीय फीस निर्धारण उक्त कमेटी के द्वारा निर्धारित की जाती है। परन्तु अन्य निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस उनके स्वयं के निजी विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के द्वारा निर्धारित की जाती है।

(4) वर्तमान में निजी मेडिकल कॉलेज जो कि किसी निजी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित नही हैं, में संचालित कोर्सेज की फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 14.08.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय फीस निर्धारण

(चिकित्सा, शिक्षा मंत्री)

समिति द्वारा समय-समय पर् निर्धारित की जाती है।

निजी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों के कोर्सेज की फीस का निर्धारण संबंधित निजी विश्वविद्यालय के द्वारा गठित फीस निर्धारण समिति के द्वारा किया जाता है।

(5) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश के निजी चिकित्सालयों पर नियंत्रण की कार्ययोजना

**623. डॉ. मंजू बाघमार** (जायल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा इलाज पर लिये जा रहे चार्जेज पर नियंत्रण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या प्रदेश के निजी चिकित्सालयों द्वारा एक ही प्रकार की सेवा के लिए मरीज की भर्ती होने की क्लास (जनरल वार्ड, डीलक्स रूम व सुपर डीलक्स रूम) के अनुसार अलग-अलग चार्ज लिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें एकरूपता लाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार द्वारा किसी भी निजी चिकित्सालय द्वारा भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर गत तीन वर्षों में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नही तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्तमान में निजी चिकित्सालयों द्वारा इलाज पर लिए जा रहे चार्जेज पर नियंत्रण करने हेतु कोई विधिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) निजी चिकित्सालयों द्वारा एक ही प्रकार की सेवा के लिए मरीज की भर्ती होने की क्लास के अनुसार अलग-अलग चार्ज में एकरूपता लाने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) निजी चिकित्सालयों द्वारा भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लघंन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

करने पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## टोंक में नवीन उद्योगों की स्थापना

**624. श्री अजीत सिंह** (टोंक): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बेरोजगारी की समस्या के मद्देनजर विधान सभा टोंक में नवीन उद्योग खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

उदारीकृत आर्थिक वातावरण में उद्योग स्थापित करने एवं उसके स्थान का निर्णय निवेश द्वारा तकनीकि आर्थिक व्यवहारिता के आधार पर लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सीधे उद्योग स्थापित नहीं किये जाते है। राज्य में उद्यम सहयोग नीतियों के माध्यम से सकारात्मक वातावरण सृजित किया जाता है उद्योग स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सहायता/सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं।

## विराटनगर के ग्राम छितोली में शिल्प ग्राम बनाने की योजना

**625. डॉ. फूल चन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम छितौली में शिल्प ग्राम (मूर्तिकला) बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा छितौली गांव में शिल्प ग्राम के लिए जमीन अधिसूचित व रिजर्व की गई है? यदि हां, तो कब, कितनी व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(उद्योग मंत्री)

(2) ग्राम छितौली तहसील विराटनगर के खासरा न. 2844 रकबा 36.35 किस्म चरागाह में से 5 हैक्टेयर भूमि मार्बल आर्टीकल क्लस्टर छितौली में सीएफसी निर्माण हेतु जिला कलस्टर जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक आर.2(01)12/6120-24 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा भूमि सेट अपार्ट की गयी है जिसका आवंटन अब तक नही हुआ है।

## राजकीय महाविद्यालय बालसेर में रिक्त पदों के भरने की योजना

**626. श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय, बालसेर में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नवीन सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजकीय महाविद्यालय, बालसेर में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) व्याख्याताओं के 1248 रिक्त पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। उद्योग द्वारा 28.02.2017 तक 17 विषयों के परीक्षा परिणाम भी घोषित किये जा चुके है तथा विभिन्न विषयों के 194 व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई गई है। इसके अतिरिक्त 192 लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं 175 प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई गई है। उक्त पदों की भर्ती आयोग/बोर्ड के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. के सेवा नियमों में वांछित संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियमानुसार रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## धोद में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों को विवाह सहायता राशि

**627. श्री गोरधन** (धोद): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के 18 वर्ष पूर्ण करने पर विवाह किये जाने पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितने लोगों को अब तक सहायता राशि उपलब्ध करवा दी गई तथा शेष को किन कारणों से राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है? लाभान्वित व शेष आवेदकों के नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा 1 जनवरी, 2016 से "शुभ शक्ति योजना" लागू की गई। शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी की न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अविवाहित वयस्क पुत्री की उद्यमिता, कौशल विकास एवं आत्म निर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से अविवाहित बेटी के बैंक खाते में 55,000 रुपये प्रोत्साहन राशि हस्तान्तरित की जाती है। अविवाहित पुत्री द्वारा इस प्रोत्साहन राशि का प्रयोग स्वयं के विवाह हेतु भी किया जा सकता है। "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" 1 अगस्त 2011 से लागू की थी। इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी की दो पुत्रियों तक/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु 51,000 रुपये की विवाह सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान था। इस योजना को अब बन्द कर दिया गया है और इसके स्थान पर "शुभ शक्ति योजना" प्रारम्भ की गई है।

(2) सीकर जिले में धोद विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में संचालित विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक कुल 572 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 535 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विवाह सहायता राशि दी गई है। लाभान्वित निर्माण श्रमिकों की सूची लाभ दिये

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

जाने की दिनांक सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। शेष 37 निरस्त आवेदकों का विवरण कारण सहित परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जयपुर जिले में संनिर्माण उपकर (सेस) की बकाया राशि

**628. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) संनिर्माण पर उपकर (सेस) अधिनियम लागू होने के उपरांत जयपुर जिले के कहां-कहां, कितने-कितने निजी/सार्वजनिक विश्वविद्यालय/मॉल/होटल्स का निर्माण हुआ? नामवार व स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निजी/सार्वजनिक विश्वविद्यालय/मॉल/होटल्स से उपकर (सेस) के रूप में कितनी राशि प्राप्त होनी थी तथा उसमें से कितनी राशि जमा करवा दी गई और वर्तमान में किस-किस पर कितनी-कितनी उपकर राशि कब से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बकाया उपकर राशि समय पर वसूल नहीं करने के सम्बन्ध में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बकाया उपकर राशि शीघ्र वसूलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 लागू होने के उपरान्त जयपुर जिले में निजी/सार्वजनिक विश्वविद्यालय/मॉल/होटल्स के निर्माण का नामवार व स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जवाब परिशिष्ट-1 में उल्लेखित जयपुर जिले में निजी/सार्वजनिक विश्वविद्यालय/मॉल/होटल्स से जमा करवाई गई उपकर की राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर नियम 1998 अधिनियम 1996 एवं इसके बने नियम के अनुसार निर्माण कार्य से संबंधित नियोजक को निर्माण कार्य आरम्भ करने के 30 दिवस में विवरण प्रारूप-1 में प्रस्तुत करना होता है। नियोजक से प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण आदेश जारी किया जाता है। बकाया उपकर से संबंधित नियोजकों को उपकर राशि जमा कराए जाने बाबत् जयपुर जिले में 1395 नोटिस जारी किए गए हैं। अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सूचना नहीं दिए जाने पर अधिनियम की धारा-48 के प्रावधानानुसार 3 माह की अवधि तक की सजा या 2000/- रुपये तक जुर्माना राशि अथवा दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में उल्लंघन करने वाले दोषी नियोजकों के विरुद्ध 200 प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की गई जिनमें से 29 प्रकरण जयपुर जिले से संबंधित हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जयपुर जिले में कुल 108 प्रकरणों में उपकर निर्धारण आदेश जारी किए गए हैं। निर्धारित उपकर राशि जमा नहीं करवाए जाने पर जिला कलक्टर, जयपुर को वसूली हेतु प्रकरण प्रेषित किए गए।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 की धारा-3 की उपधारा-2 के अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथोरिटी) से अनुमति लेते समय अग्रिम उपकर जमा कराए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, जयपुर के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग्स एवं पत्राचार के उपरान्त अधिनियम के प्रावधानों की पालना के क्रम में उनके द्वारा नक्शा अनुमोदन के समय भवन निर्माताओं से उपकर राशि प्राप्त की जा रही है।

उपकर की देयता सुनिश्चित करने हेतु जियोग्राफिकल इन्फोरमेशन सिस्टम (G.I.S.) का प्रयोग करते हुये निर्माण Area का निर्धारण कर उपकर गणना करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

संबंधित संस्थानों के निर्माण कार्य संबंधित सूचनाएं प्रस्तुत करने एवं उपकर राशि जमा कराने हेतु जयपुर जिले में 1395 नोटिस जारी किए गए हैं तथा 108 मामलों में उपकर निर्धारण आदेश जारी किए गए हैं एवं जिन नियोजकों द्वारा निर्धारित उपकर राशि जमा नहीं करवाई गई ऐसे प्रकरणों को वसूली हेतु जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित किया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जमवारामगढ़ में राजस्व नक्शों में गड़बड़ियों को दुरुस्त करवाने की कार्यवाही

**629. श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह यही कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजस्व नक्शों में भारी गड़बड़ियों की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों की एवं उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त ग्रामों के राजस्व नक्शों में आई गड़बड़ियों को दुरूस्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की तहसील जमवारामगढ, ग्राम गोल के हाल नक्शे को रीओपन कराने के संबंध में मा. विधायक, जमवारामगढ़ का पत्र दिनांक 10.07.2009 मा. राजस्व मंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

जयपुर जिले की सभी तहसीलों में डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) भारत सरकार के भू-संसाधन विभाग की डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत नवीन सर्वे तकनीक से नक्शें बनाये जाकर रेकॉर्ड तैयार किये जाने हेतु बाह्य एजेन्सियों को कार्यादेश दिये जाकर वैण्डर्स द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में आर.टी.डी.सी. द्वारा सम्पत्तियों का विक्रय

**630. श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह भी सही हैं कि आर.टी.डी.सी. द्वारा अपनी सम्पत्तियों को विक्रय करने का निर्णय लिया गया हैं? यदि हां, तो प्रदेश में स्थित कितनी सम्पत्तियों को विक्रय करने का निर्णय लिया गया व इन्हें किस प्रकार, कब तक विक्रय किया जायेगा तथा इससे आर.टी.डी.सी. को कितनी राशि प्राप्त होने की सम्भावना हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम को घाटे से उबारने/आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए निगम के अध्याधीन सम्पत्तियों के श्रेणीवार निस्तारण की कार्यवाही प्रस्तावित है। वर्तमान में 15 सम्पत्तियों को चिन्हित कर उसका विक्रय द्वारा निस्तारण किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

इस हेतु वर्तमान में इनके मूल्यांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मूल्यांकन के पश्चात्, खुली निलामी अथवा खुली निविदा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ इनके विक्रय की कार्यवाही की जाएगी।

## प्रदेश के सरकारी संग्रहालयों व स्मारकों में अग्नि सुरक्षा के उपाय

**631. श्री हीरा लाल दरांगी** (झाड़ोल): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कौन-कौन से सरकारी संग्रहालय व स्मारक कहां-कहां पर स्थित है। उक्त संग्रहालयों व स्मारकों में क्या-क्या दुर्लभ वस्तुऐं मौजुद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संग्रहालयों में सुरक्षा एवं आग से बचने व उस पर काबू पाने के साधन उपलब्ध नही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संग्रहालयों व स्मारकों में मौजूद दुर्लभ वस्तुओं की सुरक्षा एवं सम्भावित अग्नि काण्डों से बचने के लिए अग्निशमन सुविधा के पुख्ता इन्तजाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन 19 संग्रहालय व 2 कलादीर्घा संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कुल 342 स्मारक व 43 पुरास्थल संरक्षित घोषित है, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विभाग के अधीन संचालित संग्रहालयों/कलादीर्घा में संग्रहीत दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग के अधीन संचालित अधिकांश संग्रहालयों में अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, शेष पर अग्निशमन यंत्र लगाने की कार्यवाही की जा रही है। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) शेष स्थानों पर अग्निशमन यंत्र लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कोटा जिले में पी.पी.पी. संस्थानों द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था

**632. श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कितने संस्थान, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) कोटा जिले में किन-किन संस्थानों के द्वारा कितने बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था तथा इससे कितने बच्चे वर्तमान में लाभान्वित हो रहे हैं? गत 3 वर्षों का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) सरकार द्वारा उक्त जिले के उक्त संस्थानों को गत 3 वर्षों में कितनी-कितनी राशि तथा अनाज उपलब्ध करवाया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रदेश में मिड-डे मील योजनान्तर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे संस्थानों द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) पिछले तीन वर्षों से कोटा जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कोई भी संस्थान योजनान्तर्गत भोजन वितरण का कार्य नहीं कर रहे हैं।

(3) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मारवाड़ जंक्शन के पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

**633. श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं, जिन पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला गया है? क्या सरकार उक्त सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। अपितु बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत मुख्यालय राणावास, मलसा बावड़ी, दूदोड़, जाडन, गुडारामसिंह तथा बासोर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नही है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के अनुसार प्रदेश के 105 ग्राम पंचायतों में संचालित वे विद्यालय जिनकी कक्षा 10 में नामांकन 40 से अधिक है उन ग्राम पंचायतों में एक-एक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में 772 ग्राम पंचायतें जिनमें निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, लेकिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनकी कक्षा 10 में नामांकन 40 से अधिक है, उनकों सत्र 2017-18 में चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जाएगा।

## प्रदेश में चयनित स्कूल व्याख्याताओं को नियुक्ति देने की योजना

**634. श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, 2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाने के बाद भी चयनित व्याख्याताओं को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों व अब इन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में नियुक्ति पर रोक होने के कारण नियुक्तियां नहीं दी जा सकी है। अब माननीय न्यायालय निर्णय के पश्चात् नियुक्तियां दिया जाना संभव हो सकेगा।

# परिशिष्ट

## निमय 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

### पंचायत समिति अरांई (अजमेर) में नवीन राजकीय महाविद्यालय का सृजन

मैं, सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आर्कषण करना चाहूंगा कि पं.स. एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) पर एवं इसके आस-पास स्थित 20-25 ग्राम पंचायतों के 20-25 उमावि 15-20 मावि/बामावि में तथा कई निजी विद्यालयों में लगभग 1000-1100 छात्र-छात्राएं कक्षा XII में प्रतिवर्ष शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिन्हें XII उत्तीर्ण करने के पश्चात् उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु 30 किमी दूर स्थित किशनगढ़ (अजमेर) या 48 किमी की दूरी पर स्थित मालपुरा (टोंक) या 60 किमी की दूरी पर स्थित केकड़ी (अजमेर) या 45 किमी की दूरी पर स्थित दूदू (जयपुर) एवं 65 किमी की दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय अजमेर पर संचालित राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में जाना पड़ता है जिससें इन ग्रामीण बालक बालिकाओं पर अनावश्यक श्रम, समय एवं व्यय का भार पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर उक्त अरांई परिक्षेत्र के कई ग्रामीण परिवेश के परिवारों द्वारा अपनी लाडली पुत्रियों को दूरस्थ स्थित शहरी क्षेत्रों में संचालित महाविद्यालयों में भिजवाने में संकोचवश एवं सामाजिक असमर्थता के कारण उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु नहीं भिजवा पाते हैं।

अत: उच्च शिक्षा क्षेत्र मे अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप उच्च शिक्षा विभाग की आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 की विभागीय कार्ययोजनाओं के तहत अरांई (अजमेर) में एक नवीन राजकीय महाविद्यालय के स्थापना की सक्षम विभागीय स्वीकृत प्रदान करावे। ज्ञात रहे कि गत विधान सभा चुनाव 2013 से पूर्व आयोजित सुराज संकल्प यात्रा के दौरान उक्त अरांई कस्बे में आयोज्य चुनावी सभा दिनांक 23.11.2013 को माननीया यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया जी ने सार्वजनिक मंच से नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की थी, जिस पर समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना आज भी अपेक्षित है।

**भागीरथ चौधरी**
(किशनगढ़)

## उदयपुरा तह. सिकराय में जनजाति परिवार की भूमि पर जबरन कब्जा

जिला दौसा की तहसील सिकराय के ग्राम उदयपुरा के खसरा नं. 305 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि की खातेदरी सोहनलाल पुत्र सालागराम निवासी मीना सीमला के नाम थी। सोहनलाल व सालगराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद यह जमीन नियमानुसार आगे रोशन पुत्र जौहरी, रामनिवास पुत्र मूल्या, रिंकू पुत्र भरोसी एवं प्रेमदेवी पत्नी भरोसी निवासी मीना सीमला के नाम हस्तांतरित हो गई। चालू जमाबन्दी में भी यह जमीन उन्ही के नाम दर्ज है।

किन्तु उक्त जमीन पर घाटा मेहन्दीपुर बालाजी महन्त किशोरपुरी बलपूर्वक कब्जा कर रखा गया है। जनजाति के गरीब लोगों को महन्त घुसने तक नहीं देता है।

इसी प्रकार महन्त घाटा मेहन्दीपुर बालाजी ने करौली जिले की तहसील टोडाभीम के ग्राम सांकरवाड़ा में श्री रामकिशोर पुत्र श्री भगवानसहाय जाति मीणा निवासी सांकरवाड़ा खसरा नं. 41 रकबा 1.80 खसरा नं. 5/543 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर पर, श्री उमेशचन्द पुत्र श्री विश्राम जाति मीणा निवासी सीमला की खसरा नं. 43, 44 एवं 45 कुल, किता 3 रकबा 1.73 हैक्टेयर पर, श्री छोटेलाल पुत्र श्री राजपाल जाति मीणा खातेदार खसर नं. 42, 42/476 कुल किता 2 रकबा 1.36 हैक्टेयर पर, श्री कन्हैया पुत्र श्री किशनपलाल जाति मीणा निवासी टहरकी जिला भरतपुर, खसरा नं. 5 रकबा 1.52 हैक्टेयर पर, श्री ओमप्रकाश पुत्र गुटेरी जाति मीणा निवासी सीमला खसरा नं. 576/3 रकबा 2.06 हैक्टेयर पर, श्री मगनलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति मीणा निवासी सीमला खसरा नं. 7 रकबा 2.51 हैक्टेयर पर, श्री रामनिवास पुत्र श्री नत्थराम जाति मीणा निवासी सीमला खसरा नं. 3 रकबा 2.05 हैक्टेयर पर कब्जा कर रखा है।

इस प्रकार उक्त कुल किता 11 रकबा 12.87 हैक्टेयर भूमि जो अनुसूचित जनजाति के खातेदारों से दिनांक 1.1.2004 को कथित तौर पर क्रय करना बताया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त भूमि का पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया गया जो नियमों के विरुद्ध था। नामांकरण संख्या 75, 76, 77, 78, 79,

80, एवं 81 को ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर स्वीकार किया जाना गलत था क्योंकि उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम ने जो निर्णय दिया था वो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी के विरुद्ध था, इसकी तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपील की जानी चाहिए थी जो नही की गई। ग्राम सांकरवाड़ा की जमाबन्दी की जांच के दौरान दिनांक 20.01.2010 को उक्त रकबे का अमल रोका गया जिससे वर्तमान में उक्त भूमि मूल अनुसूचित जनजाति के खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की मिजीभगत की पराकाष्ठा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी यह स्पष्ट करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीन का बेचान/हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं हो सकता। अत: उक्त भूमि पर जनजाति के उक्त लोगों को कब्जा दिलाया जाये।

**डॉ. किरोड़ी लाल मीणा**
(लालसोट)

## जोधपुर नगर निगम द्वारा निगम सीमा में स्थित सामाजिक भवनों एवं शैक्षणिक संस्थानों से की जा रही नगरीय विकास कर की वसूली

मै प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान जोधपुर नगर निगम सीमा में स्थित सामाजिक भवन एवं शैक्षणिक संस्थानों से नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर आक्रोश है। निगम अधिकारियों के हठधर्मी रवैये के चलते सामाजिक उत्थान एवं शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु बने समाज भवनों से नगरीय विकास कर लिया जाना जनविरोधी एवं लोक कल्याण की भावना के विरुद्ध है।

समाज के सभी न्याति नौहरे एवं शिक्षण संस्थानों से समाज को जो आय प्राप्त होती है वह व्यवसायिक आय नहीं है, इन कार्यों से प्राप्त आय संस्था का शुद्ध लाभ नही है, उक्त आय को ही हम समाज की गतिविधियों जैसे समाज के गरीब परिवार को मासिक सहायता, मेडिकल सहायता,

खेलकूद, गरीब परिवार को शैक्षणिक सहयोग हेतु छात्रवृतियां मेडिकल केम्प आदि सामाजिक कार्यों मे उपयोग किया जाता है। इन सामाजिक संस्थाओं को सरकार की ओर से किसी भी तरह का अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि नगरीय विकास कर वसूली की प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से रोकें तथा सामाजिक भवनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को उक्त कर से मुक्त रखने हेतु आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक आदेश जारी करावें।

**कैलाश चन्द भंसाली**
(जोधपुर)

## रणथम्भौर अभयारण्य में पशुपालकों के नुकसान का उचित मुआवजा

विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा के नजदीक ही रणथम्भौर अभयारण्य होने के कारण वहां से कई जंगली जानवर बाघ बघेरे निकल कर आ जाते है तथा आस-पास के कई ग्रामों में घुसकर ऐसे जंगली जानवर पशुपालकों के महंगें पशुओं को मार रहे है जिससे उनको लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है किन्तु सरकार द्वारा इन पशुपालकों को बहुत ही कम राशि सहायता के रूप में देने से असन्तोष व्याप्त हो रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व ग्राम पंचायत गौठड़ा के ग्राम कल्याणपुरा में भी पशुपालकों की सैंकड़ों भैड़ों को जंगली जानवरों द्वारा मार देने पर सरकार द्वारा उनको भी नाम मात्र की सहायता राशि दी जा रही है जिसके कारण पशु पालकों में असन्तोष व्याप्त है।

अत: मै इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि इन जंगली जानवरों को रोकने के सम्बन्ध मे उपाय करें तथा पशुपालकों के महंगे पशुओं की जंगली जानवरों द्वारा मारने के कारण शीघ्रातिशीघ्र पशुओं की कीमत के आधार पर सहायता स्वरूप राशि प्रदान करने की कृपा करें।

**राजेन्द्र गुर्जर**
(देवली उनियारा)

## चाकसू की कोटखावदा (जयपुर) सीएचसी के लिए वित्तीय स्वीकृति

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील कोटखावदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को बजट घोषणा 2013-14 के बिन्दु सं. 65.1.0 के अनुसरण में सामुदायिक केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत किया गया हैं, जिसकी विभाग द्वारा स्वीकृति 03.10.2013 को जारी हुई। सरकार परिवर्तन के बाद इन स्वीकृतियों को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन रिव्यू कमेटी ने कोटखावदा पीएचसी की क्रमोन्नति को सही माना है। इस केन्द्र पर प्रतिदिन आस-पास की 18-20 ग्राम पंचायतों से करीबन 350-400 मरीज ओपीडी में आते है। जिनमें से करीब 25-30 मरीज भर्ती हो जाते है। यहां औसतन 5-6 प्रसव रोज होते है। वित्तीय स्वीकृति के अभाव में संसाधनों के नहीं होने के कारण गम्भीर रोगियों को चाकसू के सामुदायिक स्वा. केन्द्र (सेटेलाइट अस्पताल) में इलाज हेतु रेफर करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत कोटखावदा तहसील होने के साथ ही पुलिस थाना भी है। थाना क्षेत्र से दुर्घटनाओं के पीड़ितों को भी इलाज हेतु यहीं लाया जाता है। चाकसू 20-25 किमी. दूर होने के कारण गम्भीर पीड़ितों के इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अस्पताल पर क्षेत्र की लगभग डेढ़ लाख की आबादी निर्भर रहती है। यह कठिन ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ ही अनु.जाति/जनजाति बाहुल्य आबादी क्षेत्र है।

अत: मै प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरी विधान सभा की कोटखावदा तहसील के क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कृपा करे। ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर की चिकित्सा सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाई जा सके।

**लक्ष्मी नारायण बैरवा**
(चाकसू)

## आसीन्द में पेयजल समस्या

मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द, बदनौर व हुरड़ा तहसीलों में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। अभी भी कई जगह निजी टैंकरों द्वारा पानी लाकर आम जन व मवेशियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। चम्बल परियोजना से पानी आने में बहुत समय लग रहा है, जबकि उक्त योजना योजना का पानी समय पर पहुंच जाना चाहिये था, जबकि तहसील आसीन्द व बदनौर मे पहुंच जाना चाहिये था तथा हुरड़ा तहसील में उक्त योजना का लाभ मिल जाना चाहिये था, जबकि भीलवाड़ा तक ही पानी पहुंच पाया है, जिससे आसीन्द विधान सभा क्षेत्र महरूम है। अविलम्ब उक्त क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध करवाया जावे।

पिछली बार गत वर्ष पीने के पानी का गंभीर संकट था, उस समय सरकार द्वारा टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई कर हर गांव तक पहुंचाया गया, किन्तु ठेकेदारों द्वारा पानी सप्लाई करने के बावजूद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के आसीन्द तहसील एवं बदनौर तहसील के 90 प्रतिशत गांवों में आम जन व पशुधन के लिये गंभीर संकट है तथा हुरड़ा तहसील के कुछ गांवों में पानी का संकट बना हुआ है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के आसीन्द, बदनौर व हुरड़ा तहसील के समस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाये जाने हेतु संबंधितों को अविलम्ब आदेश देने की कृपा करें।

धन्यवाद

**रामलाल गुर्जर**
(आसीन्द)

## नसीराबाद के रामपुरा में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नसीराबाद विधान सभा पंचायत समिति पीसागन पंचायत गोला का ग्राम रामपुरा एक साल हो गया। पूरी पंचायत गोला के और आस-पास के सभी ग्रामीणों को ओलावृष्टि का मुआवजा मिल गया, परन्तु ग्राम रामपुरा के ग्रामीणों को आज तक मुआवजा

राशि नहीं मिली। ग्रामवासी तहसील व एसडीओ ऑफिस में चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो गये।

अत: माननीय मंत्रीजी ग्रामीणों को मुआवजा राशि दिलाने के आदेश दिलाने का श्रम करें।

सादर।

**रामनारायण**
(नसीराबाद)

## जी.एस.टी. में कोटा स्टोन की कर मुक्ति

हमारा देश G.S.T. लागू होने का इन्तजार कर रहा है। देश के आर्थिक तन्त्र के सर्वांगीण विकास हेतु यह कानून संजीवनी बूटी का कार्य करेगा, यह अवश्चसंभावी है। विभिन्न उत्पादों पर कर की दर का निर्धारण भी इस प्रक्रिया में होना है।

हमारा आपसे निवेदन है कि कोटा स्टोन जो कि लाईम स्टोन की कैटेगिरी में आता है, पर कर की दर को शून्य अर्थात् Exempt रखा जाए ऐसा करना नितांत आवश्यक है क्योंकि:-

1. यह एक सबसे सस्ता प्राकृतिक पत्थर है जो कि पूरे देश में हर गरीब व आम आदमी के घर बनाने के सपन को सच करता है।
2. विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे- रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड, सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों आदि पर इसका उपयोग बहुतायत होता है।
3. यह उद्योग हजारों मजदूरों व छोटे उद्मियों को रोजगार प्रदान करता है।
4. यह व्यवसाय इस दौर में विशेष मंदी का शिकार है, अधिक कर दर इसके पतन का कारण बन सकती है।
5. इस दौर में जब देश उन्नति और प्रगति की राह पर है, कोटा स्टोन की फ्लोरिंग को सामान्य आवश्यकता ही कहा जा सकता है, विलासिता की वस्तु कतई नहीं।

6. इसके खनन पर सरकार को रॉयल्टी की आमद होती है, जिसकी दर भी काफी अधिक है।
7. कोटा स्टोन पर पहले से ही सरकार 136 रुपये प्रति टन रॉयल्टी वसूल कर रही है।
8. छोटे उद्योगों की बिजली की दरें भी काफी बढ़ चुकी है जो कि बहुत ही अधिक है।

हमारा पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त बिन्दु आपको कोटा स्टोन पर G.S.T. कर की दर Exempt करने हेतु प्रेरित करेंगे।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल**
(रामगंजमण्डी)